



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन



बिहार सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-5
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-5
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I		
परिचय		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.4	4
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
श्रम संसाधन विभाग		
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण	2	5
अध्याय-III		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
सहकारिता विभाग		
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का कार्यान्वयन	3	49
अध्याय-IV		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
शिक्षा विभाग		
बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और वित्तीय मामले	4	69
अध्याय-V		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
योजना एवं विकास विभाग		
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5	105
अध्याय-VI		
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
नीर निर्मल परियोजना का कार्यान्वयन	6	121
अध्याय-VII		
लेखापरीक्षा कंडिकाएं		
भवन निर्माण विभाग		
व्यर्थ व्यय	7.1	147
उद्योग विभाग		
नीरा परियोजना का कार्यान्वयन	7.2	149
पथ निर्माण विभाग		
व्यर्थ व्यय	7.3	154

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
ग्रामीण कार्य विभाग		
निष्क्रिय व्यय	7.4	155
परिहार्य भुगतान	7.5	156
जल संसाधन विभाग		
परिहार्य व्यय	7.6	159

विवरण	परिशिष्ट	
	कंडिका	संदर्भ
1.1 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं	1.3.1	163
1.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं में अनियमितताओं के प्रकार	1.3.1	164
1.3 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पीए/एसएससीए से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापन की स्थिति	1.3.3	165
1.4 लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने/जारी करने की स्थिति	1.4	166
2.1 लेखापरीक्षा नमूना का विवरण	2.5	168
2.2 नमूनाकरण पद्धति	2.5	171
2.3 वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान चयनित कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित (प्रतिष्ठान) कार्य	2.7.1	172
2.4 वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान चयनित यूएलबी द्वारा विभिन्न दरों पर उपकर का संग्रहण	2.8.3	173
2.5 वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना—जाचित इकाइयों द्वारा उपकर का संग्रहण नहीं किया जाना	2.8.4	174
2.6 वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना—जाचित इकाइयों द्वारा कटौती/संग्रहित की गई उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना	2.8.6 (i)	175
2.7 वित्तीय वर्ष 2017–22 (मार्च 2022 तक) के दौरान नमूना—जाचित इकाइयों द्वारा कटौती/संग्रहित की गई उपकर के प्रेषण में विलंब	2.8.6 (ii)	176
2.8 क वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित मौद्रिक लाभ	2.11 एवं 2.11.3.1 (ii)	177
2.8 ख वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना जिलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित मौद्रिक लाभ	2.11.3.1 (ii)	178
3.1 नमूना जिला, प्रखंड एवं पंचायत	3.5	179
3.2 विभिन्न मौसमों के दौरान अस्थीकृत आवेदन	3.6.3	180
3.3 लाभार्थियों को विलम्बित भुगतान	3.6.4	182

परिशिष्ट		संदर्भ	
विवरण		कंडिका	पृष्ठ/ अभियुक्तियाँ
3.4	गैर—रैयत श्रेणी के परिवारों में एक से अधिक लाभार्थियों के मामले	3.6.5	184
3.5	एसएलसीसी की बैठकें आयोजित करने एवं लाभार्थियों के भुगतान में विलंब	3.8.2	187
4.1	लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना और अप्रस्तुतीकरण के कारण सीमाएं	4.1.6	188
4.2	11 नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों का विश्वविद्यालयवार बजट प्रावधान, व्यय और अभ्यर्पण	4.2	189
4.3 (क)	पीआरएएन के लिए कर्मचारियों का पंजीकरण	4.3.2	190
4.3 (ख)	कटौती की गई एनपीएस की राशि एवं बैंक में रखा जाना	4.3.2	190
4.4	कर्मचारियों को एचआरए का अधिक भुगतान	4.3.3	191
4.5	आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को एचआरए का अधिक / त्रुटिपूर्ण भुगतान	4.3.3	192
4.6	एलएनएमयू द्वारा बचत बैंक खाता संधारण नहीं किए जाने के कारण ब्याज की हानि	4.3.4	195
4.7	उपयोगिता प्रमाणपत्र का अप्रस्तुतीकरण	4.3.5	196
4.8	अग्रिमों का असमायोजन (नवंबर 2022 तक)	4.3.6	197
4.9	जीएसटी पर टीडीएस की कटौती नहीं किया जाना	4.3.10	198
4.10	2019–20 से 2020–21 की अवधि के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर एवं रॉयल्टी की गैर—कटौती	4.3.11	199
4.11	रोकड़ बही का गैर/अनियमित संधारण	4.3.15	200
4.12	एलएनएमयू की टैबुलेशन पंजी में अनियमितताएं	4.4.2	200
4.13	कोएसडीएसयू की टैबुलेशन पंजी में अनियमितताएं	4.4.2	202
4.14	आयेदन शुल्क, संबद्धता शुल्क एवं अक्षय निधि की गैर/ कम वसूली	4.4.3	206
4.15	निरीक्षण शुल्क एवं निरीक्षण—सह—प्रसंस्करण शुल्क की गैर/ कम वसूली	4.4.3	211
4.16	विश्वविद्यालयों में मानवबल की कमी	4.4.7	214
4.17	विश्वविद्यालयों में यूएमआईएस मॉड्यूल का क्रियान्वयन	4.5	215
5.1	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापित कार्य और स्थान	5.5	216
5.2	वार्षिक कार्य योजनाओं का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	5.6.2	219
5.3	जिला—वार एवं वर्षवार निरस्त कार्य	5.6.3	220

परिशिष्ट			
विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
5.4	जिला योजना पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा रखी गई ब्याज राशि	5.7.2	221
5.5	कार्यान्वयन हेतु लिए गए कार्यों की प्रगति (अगस्त 2022 तक)	5.8	222
5.6	कार्य/योजनाएँ जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन वार्षिक कार्य योजनाओं में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक थी	5.8.1	223
5.7	कार्य/योजनाएँ जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन वार्षिक कार्य योजनाओं में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि से कम थी	5.8.1	225
5.8	अधूरे कार्यों का कार्यवार ब्यौरा	5.8.2	227
5.9	निष्क्रिय व्यय से संबंधित कार्यवार विवरण	5.8.3	229
5.10	मुआवजे की कम/गैर-कटौती (अक्टूबर 2022 तक)	5.8.8	230
6.1	नल जल आपूर्ति के आच्छादन वाले जिले	6.7.2	232
6.2	सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की जिले-वार आबादी (31.03.2012 तक)	6.7.2	233
6.3	विभिन्न प्रकार के रासायनिक संदूषण से प्रभावित जिले	6.7.2	234
6.4	बिहार में सकल भूजल उपलब्धता (2009 तक)	6.7.2	235
6.5	सामुदायिक योगदान (31 मार्च 2020 तक)	6.8.3	236
6.6	वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2019–20 के दौरान 'क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास' के तहत घटक-वार व्यय किया गया	6.9.2	237
6.7	डीपीआर के अनुसार, बैच-I योजनाओं की उपलब्धि, प्रगति प्रतिवेदन और मापी पुस्तकें	6.9.4	238
6.8	ईएसआर की अधिक क्षमता पर भुगतान	6.9.7 (i)	239
6.9	डीपीआर की तुलना में समझौतों में ईएसआर और आईआरपी का अधिक प्रावधान	6.9.7 (iii)	241
6.10	ओएंवएम लागत का अनियमित भुगतान (दिसंबर 2022 तक)	6.9.8	242
6.11	ओएंडएम लागत के भुगतान में अंतर (दिसंबर 2022 तक)	6.9.8	243
7.1	ब्याज का अधिक भुगतान	7.5	244

प्राककथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, मार्च 2022 में समाप्त हुए वर्ष के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में श्रम संसाधन, सहकारिता, शिक्षा, योजना एवं विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, भवन निर्माण, उद्योग, सड़क निर्माण, ग्रामीण कार्य और जल संसाधन विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जो 2021–22 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गये, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2021–22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किए गए हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सीमित नमूना-जांच पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, चार विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

- ❖ बिहार सरकार ने नौ वर्षों की देरी से, सितम्बर 2005 में बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली बनाई, जिसके चलते संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुवर्ती विलंब हुआ। नियमावली बनाने के बाद, बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड का गठन 28 महीनों की देरी के साथ फरवरी 2008, में किया गया था। उसके अलावा, बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) को फरवरी 2015 के बाद पुनर्गठित नहीं किया गया था। बोर्ड और एसएसी के पुनर्गठन में देरी ने बोर्ड की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया था।

(कंडिका 2.6)

- ❖ 12 नमूना कार्य इकाइयों में, कार्यों के निष्पादन में संलग्न 1,875 स्थापनाओं में से केवल पाँच (0.26 प्रतिशत) स्थापनाएं श्रम संसाधन विभाग से पंजीकृत पाई गई।

(कंडिका 2.7.1)

- ❖ छ: नमूना जिलों के उप श्रम आयुक्तों (डीएलसी) ने निर्माण की लागत का आकलन (उपकर निर्धारण / आकलन हेतु) करने के लिए न तो मूल्यांकन आदेश पारित किये थे, न ही उन्होंने निर्माण स्थलों की जाँच की थी। बोर्ड ने निर्माण की लागत की गणना करने के लिए दरों को अधिसूचित नहीं किया था, परिणामस्वरूप यूएलबी द्वारा दरों के अभिग्रहण में गैर-एकरूपता हुई। उपकर के गैर/कम संग्रहण; नकद के माध्यम से उपकर का संग्रहण; बोर्ड को उपकर का गैर-प्रेषण/विलंबित प्रेषण/अनुचित शीर्षों में प्रेषण और उपकर की किस्तों के गैर-संग्रहण के मामले लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये। वित्तीय वर्ष 2019–22 के दौरान, यद्यपि ₹ 246.11 करोड़ कोषागारों में बोर्ड के लेखा शीर्ष को अंतरित किये गये थे, यह उसके बैंक खाते में अंतरित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.8)

- ❖ विभाग ने निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों के संबंध में निरीक्षण टिप्पणियों का कोई आवृति, लक्ष्य, अनुवर्तन कार्रवाई और प्रारूप निर्धारित नहीं किया था। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, छ: नमूना जिलों में, निरीक्षकों ने निर्माण स्थल या परिसर का कोई निरीक्षण नहीं किया था। डीएलसी को स्थापनाओं द्वारा दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं के वृतांतों को निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदित नहीं किया गया था और सुरक्षा के प्रावधानों से समझौता किया गया।

(कंडिका 2.9)

- ❖ बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली बनाने के बाद 17 वर्ष और नौ महीनों की देरी के बाद राज्य सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया था।

(कंडिका 2.10.1)

- ❖ वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, बोर्ड ने अपना बजट तैयार नहीं किया गया था। ₹ 1,650.06 करोड़ की एक बड़ी निधि का संचय हो गया था (31 मार्च 2022 तक)। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, कल्याण योजनाओं पर व्यय संचयी निधि के पांच से 34 प्रतिशत तक था।

(कंडिका 2.11.2)

- ❖ बोर्ड ने अपने तीन कल्याण योजनाओं पर कोई निधि का व्यय नहीं किया था। लेन–देन में विफलता के कारण वित्तीय वर्ष 2018–21 के दौरान 3,02,476 कर्मकार कुल ₹ 90.75 करोड़ की वार्षिक चिकित्सा सहायता से वंचित रहे, जबकि 2,60,082 कर्मकारों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 विशेष अनुदान योजना के तहत ₹ 52.02 करोड़ राशि की निधि भी प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.11.3)

विषय–विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

3. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

- ❖ सहकारिता विभाग के पास योजना के तहत आयोजन, आकलन, विस्तार निर्धारण, अनुश्रवण और संतोषप्रद व्याप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संभावित लाभार्थियों की कोई डाटाबेस नहीं थी।

(कंडिका 3.6.1)

- ❖ 50,91,243 सत्यापित आवेदनों में से 26,30,462 आवेदनों (52 प्रतिशत) को भूमि स्वामित्व दस्तावेजों (एलपीसी), स्वःघोषणाओं, सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति आदि से संबंधित मुद्दों के कारण निरस्त कर दिया गया है।

(कंडिका 3.6.3)

- ❖ 24,08,275 लेन–देनों से संबंधित ₹ 1,424.59 करोड़ की समग्र वित्तीय सहायता के मुकाबले 15,27,419 लेने–देनों से संबंधित ₹ 867.36 करोड़ के लाभ का भुगतान 21 महीने तक के विलंब से किया गया।

(कंडिका 3.6.4)

- ❖ सहकारिता विभाग ने रबी 2019–20 एवं खरीफ 2021 मौसमों के दौरान 13 ग्राम पंचायतों के 12,398 लाभार्थियों से संबंधित ₹ 15.60 करोड़ की भुगतान राशि कृषि विभाग से आगे के सत्यापन और सूचना के अभाव में रोक रखा था। भुगतान अभी भी रुका हुआ था क्योंकि उक्त सूचना अभी तक प्राप्त की जानी बाकी थी।

(कंडिका 3.6.7)

- ❖ किसानों के बैंक खातों का आधार से ना जुड़ा होना, खातों का बंद होना इत्यादि के कारण, 2018–21 के दौरान विभिन्न फसल के मौसमों में ₹ 51.11 करोड़ की राशि के लेन–देन विफल रहे थे।

(कंडिका 3.7.1)

- ❖ आधार के गैर–सत्यापन के कारण, योजना का लाभ 49,331 लाभार्थियों को अंतरित नहीं किया गया था और विभाग द्वारा दी गई जानकारी में लाभार्थियों को भुगतान हेतु शेष राशि शामिल नहीं थी।

(कंडिका 3.7.2)

- ❖ योजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ था क्योंकि न तो राज्य-स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) / जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समय से आयोजित की गई न ही योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया।

(कंडिका 3.8)

4. बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक एवं वित्तीय मुद्दे

- ❖ वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान ₹ 22,576.33 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 4,134.21 करोड़ (बजट प्रावधानों का 18 प्रतिशत) का इस्तेमाल नहीं किया गया था और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया था जिसने विश्वविद्यालयों में अवास्तविक बजट प्रस्तावों और अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तंत्र को दर्शाया।

(कंडिका 4.2)

- ❖ पांच नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में वेतन सत्यापन सेल के माध्यम से उचित सत्यापन के बिना शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मियों के वेतनों के बकाये की ₹ 48.28 करोड़ राशि का संवितरण किया गया था। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में, सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के लिए बकायों के लिए 201 शिक्षकों को ₹ 14.41 करोड़ का भुगतान किया गया, हालांकि आय कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर स्रोत पर ₹ 4.32 करोड़ की कटौती नहीं की गई थी और 22 शिक्षकों को सातवें सीपीसी के बकायों के संबंध में ₹ 0.59 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(कंडिका 4.3.1)

- ❖ सात नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में 1,795 पात्र कर्मचारियों में से 1,453 कर्मचारियों (81 प्रतिशत) का स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या (पीआरएएन) बनाया नहीं गया था।

(कंडिका 4.3.2)

- ❖ दो नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के साथ—साथ आउटसोर्स एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान उनकी तैनाती के स्थानों के लिए निर्धारित दरों की तुलना में ज्यादा दरों पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(कंडिका 4.3.3)

- ❖ निर्धारित अवधि के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अनुदानों की पहले जारी किस्तों के गैर-उपयोग के कारण नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदानों की शेष किस्तों की राशि ₹ 27.82 करोड़ (60 प्रतिशत) प्राप्त नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.3.4)

- ❖ 2009–10 से 2020–21 की अवधि के दौरान नौ नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों ने पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अनुशिक्षण इत्यादि के लिए ₹ 252.74 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त किया था जिसके विरुद्ध ₹ 101.53 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) अभी भी प्रस्तुत किया जाना बाकी था।

(कंडिका 4.3.5)

- ❖ 10 नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में, कम से कम ₹ 14.83 करोड़ (₹ 77.30 करोड़ में से) की राशि के अग्रिम पांच वर्ष से ज्यादा से असमायोजित रहे।

(कंडिका 4.3.6)

- ❖ दस नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में सामान्य रोकड़ पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था, जबकि निर्धारित 142 सहायक रोकड़ पंजियों में से आठ विश्वविद्यालयों में या तो इनका रखरखाव नहीं किया गया था या इन्हें अनुचित तरीके से रखा गया था।

(कंडिका 4.3.15)

- ❖ आठ नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में 2017–18 से 2021–22 के दौरान स्नातक और स्नाकोत्तर परीक्षाओं के परिणाम 60 दिनों की निर्धारित अवधि के मुकाबले चार से 946 दिनों तक के विलंब के साथ प्रकाशित किये गये थे।

(कंडिका 4.4.1)

- ❖ 11 नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के 57 प्रतिशत पद रिक्त पड़े थे और यह कमी 49 प्रतिशत (बीएनएमयू) से 86 प्रतिशत (एमएमएचएपीयू) तक थी। इसी प्रकार गैर-शिक्षण कर्मचारियों की रिक्ति इन विश्वविद्यालयों में 56 प्रतिशत थी।

(कंडिका 4.4.7)

5. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- ❖ जिला स्तरीय समिति ने किसी भी जिले में न तो आधारभूत सर्वेक्षण न ही भूरस्थापित मैपिंग किया था न ही उसने कोई दीर्घकालिक योजना (2020–21 तक) बनाई थी। परिणामस्वरूप, आधारभूत संरचना में विद्यमान कमियों का मूल्याकांन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 5.6.1)

- ❖ विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान प्राप्त हुई ₹ 215.49 करोड़ राशि की निधि के विरुद्ध, केवल ₹ 157.38 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा किये थे।

(कंडिका 5.7.3)

- ❖ 82 में से, ₹ 4.99 करोड़ की राशि के 19 कार्य उनकी समापन को निर्धारित तिथियों से पांच महीनों से 45 महीनों तक बीत जाने के बावजूद पूरे नहीं हुए थे।

(कंडिका 5.8..2)

- ❖ 82 कार्यों में से 10 कार्य, जिन्हें एलएइओ के पाँच कार्य प्रमंडलों में ₹ 2.73 करोड़ की लागत से निष्पादित किया गया था, उनके पूर्ण होने के चार से 41 महीने बाद भी उपयोगकर्ता विभाग को अंतरित नहीं किए गए थे। इस कारण लक्षित लाभार्थी इन कार्यों से निर्मित संपत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह गए।

(कंडिका 5.8.3)

6. नीर निर्मल परियोजना का कार्यान्वयन

- ❖ परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार, योजनाओं को तीन बैचों में लागू किया जाना था, जिन्हें फरवरी 2014, फरवरी 2016 और फरवरी 2017 से शुरू किया जाना था और उनके सभी चरण (पूर्व-योजना, योजना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयनोंतर) क्रमशः मार्च 2017, मार्च 2019 और मार्च 2020 तक पूरे किये जाने थे। हालांकि, लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2022) तक किसी भी बैच ने अपने सभी चरण पूरे नहीं किये।

(कंडिका 6.7.1)

- ❖ बेसलाइन सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किए बिना, बैच-I के तहत 133 एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) को मंजूरी दी गई (मार्च 2015)। परिणामस्वरूप, जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) ने परिवारों की बढ़ी हुई संख्या के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर अनुबंध किए।

(कंडिका 6.7.6)

- ❖ पीआईपी के अनुसार, विश्व बैंक को कुल परियोजना लागत ₹ 1,606 करोड़ के सापेक्ष ₹ 803.00 करोड़ लगभग (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत) का योगदान देना था। हालाँकि, कार्यान्वयन में देरी और मार्च 2020 तक कम व्यय के कारण, बिहार सरकार को विश्व बैंक से केवल ₹ 326.10 करोड़ प्राप्त हुए थे। ऐसे में राज्य सरकार विश्व बैंक से ₹ 476.90 करोड़ रुपये की सहायता से वंचित रह गयी।

(कंडिका 6.8.1)

- ❖ नीर निर्मल परियोजना (एनएनपी) की ₹ 64.21 करोड़ राशि का दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत, संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) और गैर-योग्य योजनाओं के भुगतान के लिए विचलन किया गया।

(कंडिका 6.8.4)

- ❖ दो बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) में 34.62 किमी लंबाई के राइजिंग मुख्य पाइपों को बिछाने पर किया गया ₹ 19.44 करोड़ का व्यय टाला जा सकता था क्योंकि सतही जल स्रोतों का उपयोग करने के बजाय भू-जल का उपयोग करके घरों को पानी की आपूर्ति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 6.9.5)

- ❖ तीन एमवीएस में उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए ₹ 4.11 करोड़ की लागत से 24,123 मल्टी-जेट वाटर मीटर लगाए गए थे, जो निष्क्रिय रहे क्योंकि विभाग ने प्रत्येक कनेक्शन के लिए ₹ 30 प्रति माह की निश्चित दर पर उपयोगकर्ता शुल्क लेने का निर्णय लिया (जून 2021)।

(कंडिका 6.9.6)

- ❖ 15 एसवीएस में आवश्यकता से अधिक क्षमता वाले एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ईएसआर) की स्थापना के कारण, चयनित किए गए पांच डिवीजनों में ₹ 3.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 6.9.7)

- ❖ दस जिलों में संबंधित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्रमशः छ: एसवीएस, 20 एसएसवीएस और आठ एमवीएस में या तो वलोरीनेटर लगाये ही नहीं गये हैं; या वे निष्क्रिय थे; या उन्हें स्थापित किया गया था, लेकिन जल आपूर्ति से नहीं जोड़ा गया था।

(कंडिका 6.9.9)

7. लेखापरीक्षा कंडिकाएं

- ❖ लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ देखी गई, जिससे राज्य सरकार की प्रभावशीलता प्रभावित हुई। अनुपालन लेखापरीक्षा (छ: अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं) से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष, रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। प्रमुख टिप्पणियाँ नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामलों और निरीक्षण / शासन की विफलता से संबंधित हैं जैसा कि नीचे बताया गया है :

- ❖ अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण पर ₹ 4.89 करोड़ के व्यय का कोई लाभ नहीं मिल सका क्योंकि निर्मित भवन को पिछले दस सालों से परित्यक्त और बेकार छोड़ देने के कारण खराब हो रहा था।

(कंडिका 7.1)

- ❖ नीरा परियोजना उचित योजना और परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना शुरू की गई थी, जिसके कारण अप्रयुक्त भवनों और संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 11.68 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ, रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद पर ₹ 1.10 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और गुड़ के उत्पादन पर ₹ 2.03 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 7.2)

- ❖ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन कर एक टोल प्लाजा के निर्माण करने के कारण ₹ 1.48 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 7.3)

- ❖ पात्र बसावटों और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के कारण ₹ 3.33 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

(कंडिका 7.4)

- ❖ बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने उच्च ब्याज दरों पर ऋण लिया, जिसके कारण ₹ 7.08 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 7.5)

- ❖ बाढ़ नियंत्रण कार्य में पुराने खाली सीमेंट के बोरों के स्थान पर नए खाली सीमेंट के बोरों के इस्तेमाल करने के जल संसाधन विभाग के निर्णय के कारण ₹ 21.98 करोड़ का परिहार्य व्यय और ₹ 14.13 करोड़ की देयता का सृजन हुआ।

(कंडिका 7.6)

अध्याय-I

परिचय

अध्याय—I

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा कुछ चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित हैं।

प्रतिवेदन के इस खंड का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधान मंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्थाओं के प्रबंधन को बेहतर करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, विभागों के व्यय और लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II से VII वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य सरकार में 44 विभाग हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 2,65,396.87 करोड़ के कुल बजट के सापेक्ष राज्य ने कुल ₹ 1,94,202 करोड़ का व्यय किया।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। नियम के तहत सामान्य महत्व के मामले, जिन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ठीक किया जा सकता है और ठीक किया गया है या जो सीधे तौर पर सरकार के वित्त से संबंधित नहीं होते, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षित इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेतर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 39 विभागों से संबंधित राज्य के 436 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) और तीन स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा किया गया था।

गंभीर अनियमितताओं को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में भी लाया गया था।

39 विभागों से संबंधित 4793 डीडीओ को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों (मार्च 2022 तक) की विस्तृत संवीक्षा से पता चला कि 5,956 निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल ₹ 7,83,528.54 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली 46,370 कंडिकाएं 31 मार्च 2023 तक लंबित रही थी जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की अवधिवार अवस्था और अनियमितताओं के प्रकारों को क्रमशः परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 1.1 : लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	338 (5.68)	3,844 (8.29)	2,07,708.47
2	1 से 3 वर्षों तक	371 (6.23)	4,142 (8.93)	1,99,134.28
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	893 (14.99)	8,053 (17.37)	1,44,461.33
4	5 वर्षों से अधिक	4,354 (73.10)	30,331 (65.41)	2,32,224.46
कुल		5,956	46,370	7,83,528.54

तालिका 1.1 से यह देखा जा सकता है कि विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहे, जिसने जवाबदेही में कमी को दर्शाया।

अनुशंसा : सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के मामले को देखे।

1.3.2 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन साथ ही साथ आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों, जिनका चयनित विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, को प्रतिवेदित किया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा करने और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिशें प्रदान करना था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020, के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छ: सप्ताह के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसी कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार कार्यालय से प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने की भी सलाह दी गई थी।

1.3.3 निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाइयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि उक्त अधिनियम के तहत उनके कर्तव्यों के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेख, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2020, का नियम 181 आगे अनुबंध करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित तथा कार्यान्वित करेगा कि आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज जो लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गये, इसे समय पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

इन प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा को अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले थे। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्तन एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के लिए, एक निष्पादन लेखापरीक्षा और चार विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं। हालांकि बार-बार प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गए थे। 87 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 62 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जैसा परिशिष्ट-1.3 में वर्णित है।

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश की कयावद को परिसीमित करता है और राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा जवाबदेही में कमी साथ ही धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि का लोप में परिणत हो सकता है। इसलिए, राज्य सरकार को सर्तकता की दृष्टि से अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के विशिष्ट मामलों को चिन्हित करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत सहित उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा और चार विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में जारी 1,005 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 185 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था तथा 74 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त किए गए थे जैसा परिशिष्ट-1.3 में वर्णित है।

1.3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्तन

लोक लेखाओं पर समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी अपेक्षित थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर उनके द्वारा की गई या किये जाने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की गई विस्तृत टिप्पणियों को प्रस्तुत करना भी अपेक्षित था।

30 सितम्बर 2023 तक, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर प्रशासनिक विभागों से कृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2023 तक लंबित कृत कार्रवाई टिप्पणी (कंडिकाओं की संख्या)	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत-कार्रवाई टिप्पणी की प्राप्ति की नियत तिथि
2017-18	1	3.47	23/03/2021	23/05/2021
2018-19	2	481.47	29/07/2021	29/09/2021
2019-20	4	28.13	30/03/2022	30/05/2022
2020-21	4	165.41	16/12/2022	16/02/2023
2020-21 (एकल)	5	742.79	16/12/2022	16/02/2023
कुल	16	1,421.27		

तालिका 1.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाती है।

1.3.5 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकारों के विभागों के लेखाओं के नमूना-जाँच के दौरान देखी गई वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचना के तहत संबंधित प्राधिकारियों को पुष्टि एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सात मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 3.59 करोड़ की राशि की वसूली को दर्शाया गया और विभागों द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, विभाग ने दो मामलों में मात्र ₹ 0.76 लाख की ही वसूली की थी।

1.4 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में छ: स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौपा गयी थी, जिसमें से पांच एबी के लेखाओं की लेखापरीक्षाओं का सौपने का नवीकरण उनके द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक एबी¹ के लेखाओं का लेखापरीक्षा कार्य अभी तक नहीं सौपा गया था (अक्टूबर 2023)। लेखापरीक्षा सौपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखों प्रदान करना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन और विधानमंडल में इनकी प्रस्तुतीकरण की स्थिति परिशिष्ट-1.4 में दर्शायी गई हैं।

¹ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अध्याय-II

भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकारों का कल्याण

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

श्रम संसाधन विभाग

2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण

बिहार सरकार ने राज्य मे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्ते विनियम) अधिनियम 1996, के कार्यान्वयन के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्ते विनियम) नियमावली, 2005, (बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली) तैयार की (सितंबर 2005)। बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के तहत श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया गया (फरवरी 2008)।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा, सितंबर से दिसंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से बिहार बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड, चयनित छ: जिलों मे विभाग के कार्यालय; 12 चयनित कार्य इकाइयों; 12 चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी); 17 पंजीकृत स्थापनाओं और 30 अपंजीकृत स्थापनाओं मे की गई। इसके अतरिक्त, चयनित जिलों मे बोर्ड के 657 श्रमिकों/लाभार्थियों का एक सर्वेक्षण किया गया जो लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनके आवेदनों की जांच और वित्तीय सहायता के प्रावधान के संबंध मे बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष :

अधिनियम के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली

बिहार सरकार ने नौ साल के विलंब से सितंबर 2005 मे बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली बनायी, जिसके फलस्वरूप संबन्धित कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन मे विलंब हुआ था। नियमावली बनाने के बाद बी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड का गठन 28 माह के विलंब से फरवरी 2008 मे किया गया था। आगे, बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का पुनर्गठन फरवरी 2015 के बाद नहीं किया गया था। बोर्ड और एसएसी के पुनर्गठन मे विलंब से बोर्ड के क्रियाकलाप पर असर पड़ा। इसके अलावा, सरकार द्वारा अधिसूचित कुछ नियम जो पंजीकरण के लिए आवेदकों के आवेदन को अस्वीकार करने से पहले उन्हें अवसर प्रदान करने और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कल्याण कोष मे अनुदान/ऋण जमा करने से संबन्धित थे, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

स्थापनाओं और लाभार्थियों का पंजीकरण

12 चयनित कार्य इकाइयों मे, कार्यों के निष्पादन मे लगे 1,875 स्थापनाओं मे से केवल पाँच (0.26 प्रतिशत)) स्थापना, विभाग मे पंजीकृत पाये गए। आगे, बोर्ड के गठन से पहले कर्मकारों को 'पंजीकृत' दिखाये जाने के उदाहरण, साथ ही साथ बोर्ड के डेटाबेस मे मृत पंजीकृत कर्मकारों के नाम भी मौजूद पाये गए। स्थापनाओं और कर्मकारों के पंजीकरण के लिए अन्य विभागों/सरकारी कार्यालयों के साथ समन्वय की कमी, स्थापनाओं का बहुत कम पंजीकरण, कर्मकारों का अनियमित पंजीकरण आदि, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अपनाइ गयी प्रणाली मे कमियों को दर्शाते हैं।

निर्माण कर्मकारों के अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार और बड़े पैमाने पर जागरूकता का सृजन नहीं किया गया था।

निर्धारण, संग्रहण और संग्रहित उपकर का हस्तांतरण

छ: चयनित जिलों के उप श्रमायुक्तों (डीएलसी) ने निर्माण लागत के निर्धारण के लिए न तो निर्धारण आदेश पारित किए थे, न ही उनके द्वारा निर्माण स्थलों की जांच की गयी थी। बोर्ड ने निर्माण की लागत की गणना के लिए दरों सहित कोई एकरूप कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की थी। लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न दरों पर उपकर का संग्रह; उपकर का गैर-संग्रहण या अल्प-संग्रहण; नकद के माध्यम से उपकर का संग्रहण; उपकर को बोर्ड में उचित शीर्षों में जमा न करना/विलंब से जमा करना/जमा न करना; और उपकर की किश्तों का संग्रहण न किया जाना, जैसे मामले सामने आए, जो उपकर की वसूली की प्रक्रिया पर बोर्ड के कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2019–22 के दौरान, यद्यपि ₹246.11 करोड़ कोषागार में बोर्ड के लेखा शीर्ष में अंतरित कर दिये गये थे, इसे उसके बैंक खाते में अंतरित नहीं किया गया था।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानदंड और उनका अनुपालन

यद्यपि, विभाग ने सन्निर्माण स्थलों या परिसरों के निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों को नियुक्त किया था, लेकिन किए गए निरीक्षणों के संबंध में कोई आवृत्ति, लक्ष्य, अनुवर्ती कार्रवाई और निरीक्षण टिप्पणी का प्रारूप निर्धारित नहीं किया था। आगे, वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान छ: चयनित जिलों में नियुक्त किसी भी निरीक्षक ने निर्माण स्थलों या परिसरों का कोई निरीक्षण नहीं किया था। निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण नहीं करना, नियमों में परिकल्पित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नियमों के तहत, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म-XIV में, स्थापनाओं द्वारा डीएलसी को दुर्घटना या खतरनाक घटनाएं प्रतिवेदित नहीं की गई थी। निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन के अभाव में, सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन से समझौता किया गया था।

500 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं में सुरक्षा समिति के गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियों से संबंधित सूचना बोर्ड और विभाग के जिला कार्यालयों (पश्चिम चंपारण को छोड़कर) के पास उपलब्ध नहीं थी।

उपकर अपवंचन और नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए निरीक्षण

यद्यपि, राज्य सरकार ने सितंबर 2005 में बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली बनाई थी, लेकिन मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति 17 साल और 9 महीने की देरी के बाद जून 2023 में अधिसूचित की गई थी। कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और निरीक्षण के लिए अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी की अनुपस्थिति में, नियमों के तहत किए गए प्रावधानों को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। चूंकि विभाग/बोर्ड ने भवन और अन्य निर्माण स्थलों के निरीक्षण को उचित प्राथमिकता नहीं दी थी, इसलिए निर्माण श्रमिकों को ऐसे वातावरण में काम करने के लिए बाध्य किया गया था जहां उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की जा सकीं।

कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधि का प्रशासन और उपयोग

बोर्ड की बैठकों में कमी रही और 2017–22 के दौरान एसएसी की बैठकें आयोजित नहीं की गईं, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कमजोर कार्यान्वयन को दर्शाता है। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को लागू नहीं किया गया था, जिसके कारण लाभार्थियों को लाभ का वितरण और प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और पंजीकरण का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान बोर्ड ने अपना बजट तैयार नहीं किया था। ₹1,650.06 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) की बड़ी धनराशि जमा हो गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय का प्रतिशत संचित निधि के पांच प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक था। आगे, सावधि जमा पर प्राप्त ₹153.80 करोड़ की ब्याज को आय में शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप, ब्याज से बोर्ड की आय को कम दिखाया गया था। इसके अलावा, बोर्ड को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त ₹407.96 करोड़ की प्राप्तियों (उपकर) के स्रोतों के बारे में भी जानकारी नहीं थी। आंतरिक नियंत्रणों में खामियां इस बात से स्पष्ट थी कि बोर्ड के वित्तीय विवरण को वार्षिक आधार पर तैयार नहीं किया गया था और इसकी वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

बोर्ड ने अपनी तीन कल्याणकारी योजनाओं पर कोई धनराशि व्यय नहीं की और पांच अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी विभिन्न वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया। लेनदेन की विफलता के कारण, वित्तीय वर्ष 2018–21 के दौरान 3,02,476 श्रमिक वार्षिक चिकित्सा सहायता से वंचित रह गए, जिसकी राशि ₹90.75 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 2,60,082 श्रमिक, कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के तहत ₹52.02 करोड़ की धनराशि से वंचित रह गए थे। पंजीकृत श्रमिकों को प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जे.एवाइ) के तहत लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था, क्योंकि 14,90,436 पंजीकृत श्रमिकों (98.97 प्रतिशत) के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए गए थे। चयनित जिलों में पंजीकृत श्रमिकों से प्राप्त कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के निपटान में देरी के कारण लाभार्थियों को राशि के अंतरण में देरी हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, के निर्देश के बावजूद, बोर्ड ने तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सामाजिक अंकेक्षण नहीं करवाया था।

अनुशंसाएः

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डः

- स्थापनाओं और श्रमिकों के पंजीकरण के लिए अन्य विभागों/सरकारी कार्यालयों के साथ समन्वय करे और इस संबंध में लक्ष्य-आधारित जागरूकता और प्रचार गतिविधियां चलाये।
- एक तंत्र को संस्थापित करे ताकि: (i) सभी नियोक्ताओं और सन्निर्माण कार्यों की पहचान की जा सके (ii) यूएलबी द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के लिए निर्माण की लागत की गणना करने के लिए, सन्निर्माण की लागत की दरों को अधिसूचित किया जाए और (iii) संग्रहित उपकर को बोर्ड के खाते में जमा करने के संबंध में कोषागारों के साथ समन्वय किया जाए।
- संग्रहित परंतु बोर्ड के खाते में जमा नहीं किए गए उपकर से संबंधित मामले की जांच करे और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जाए।

4. सन्निर्माण स्थलों पर निरीक्षण सुनिश्चित करे और दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं को प्रतिवेदित करने के संबंध में नियमों के प्रावधानों का पालन करे।
5. भवनों और अन्य सन्निर्माण स्थलों के लक्ष्य-आधारित निरीक्षण को प्रोत्साहित करे, और उसका अनुवर्तन भी सुनिश्चित करें।
6. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड और एसएसी की बैठकों का नियमित रूप से, उचित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ आयोजन सुनिश्चित करे।
7. सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा अर्जित आय उसकी प्राप्तियों में शामिल हो और उसकी ऑनलाइन प्राप्तियों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करे कि इसकी कल्याणकारी योजनाओं को उपकर निधि के उपयोग के माध्यम से विधिवत कार्यान्वित किया जाए और पंजीकृत श्रमिकों को समय पर लाभ दिया जाए।
9. वार्षिक बजट तैयार करके अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करे; नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपने लेखा की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करे और उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करे; और सामाजिक अंकेक्षण आयोजित कराए।

श्रम संसाधन विभाग:

1. सुनिश्चित करे कि बोर्ड और एसएसी का समय पर पुनर्गठन हो और यह सुनिश्चित करे कि बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
2. अपने मानव बल का पुनर्मूल्यांकन करे और रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरे।

2.1 परिचय

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार देश में असंगठित कर्मकारों के सबसे अधिक कमजोर वर्गों में से हैं। 'भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों' की विशेषता इन कार्यों में शामिल कर्मकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्निहित जोखिम है। उनकी विशेषताओं में (i) उनकी आकस्मिक प्रकृति (ii) नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों की अस्थायी प्रकृति (iii) अनिश्चित कार्य घंटे (iv) बुनियादी सुविधाओं की कमी और (v) कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता भी हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी उपाय प्रदान करने और अनुश्रवण करने के लिए प्रत्येक राज्य में कल्याण बोर्ड का गठन करना आवश्यक समझा गया।

¹ अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार, "भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य" का अर्थ है भवनों, गलियों, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई क्षेत्रों, सिंचाई, जल निकासी, तटबंध और नौवहन कार्यों, बाढ़ नियंत्रण कार्यों (जिसमें तूफान जल निकासी कार्य शामिल हैं), बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण, जल कार्य (जिसमें जल वितरण के लिए चैनल शामिल हैं), तेल और गैस प्रतिष्ठान, विद्युत लाइनों, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार और विदेशी संचार, बांध, नहरें, जलशाय, जलसार्ग, सुरंगें, पुल, ऊपरी पुल, जलसेतु, पाइपलाइन, टावर, शीतलन टावर, संचरण टावर और ऐसे अन्य कार्य का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस जो इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

भारत सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम (उपकर अधिनियम), 1996 अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य उपकर का उदग्रहण और संग्रहण के माध्यम से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय प्रदान करना था। भारत सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) केंद्रीय नियम, 1998 (नियमावली) तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली (उपकर नियमावली) भी बनाई (नवंबर 1998)। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ—साथ एक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण नियमावली तैयार करना अनिवार्य है।

बिहार सरकार ने राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005 (बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली) बनाई (सितंबर 2005)। इन नियमों के तहत, श्रम संसाधन विभाग (विभाग), बिहार सरकार, के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन (फरवरी 2008 में) किया गया था। बोर्ड निम्न के लिए उत्तरदायी है: (i) बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष के प्रशासन से जुड़े सभी मामले (ii) कोष के लेखा में जमा की जाने वाली राशि के लिए नीतियाँ बनाना (iii) लेखा का उचित संधारण; कोष में अंशदान एवं अन्य शुल्कों का संग्रहण (iv) दावों का त्वरित निष्पादन और पंजीकृत कर्मकारों को अग्रिम और अन्य लाभों की स्वीकृति (v) बोर्ड को देय किसी भी राशि की उचित और समय पर वसूली इत्यादि। राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन (फरवरी 2008) अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों (जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चा की गई है) को बोर्ड के साथ स्थापनाओं² और लाभार्थियों के निबंधन, उपकर का संग्रह, स्थापनाओं का निरीक्षण, बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ का वितरण, नियमित निगरानी आदि जैसे कर्तव्य सौंपे गए थे। मार्च 2022 तक, 20.45 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को बोर्ड में निबंधित किया गया था।

2.2 बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा चार्ट-2.1 में दर्शाया गया है।

² अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार, 'प्रतिष्ठान' का अर्थ है ऐसा कोई प्रतिष्ठान जो सरकार, किसी निगम या फर्म, किसी व्यक्ति या संघ या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय के अंतर्गत आता हो या उसके नियंत्रण में हो, जो भवन या अन्य निर्माण कार्य में निर्माण श्रमिकों को नियुक्त करता हो और इसमें ठेकेदार से संबंधित प्रतिष्ठान भी शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने स्वयं के निवास से संबंधित भवन या निर्माण कार्य में ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करता है, बशर्ते कि ऐसे निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से अधिक न हो।

चार्ट – 2.1
बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड)

प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। बोर्ड के सचिव (संयुक्त श्रमायुक्त या समकक्ष) बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य कर रहे थे। स्थापनाओं का निर्धारण, निरीक्षण एवं निबंधन, सन्निर्माण कर्मकारों के निबंधन का कार्य, विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों, अर्थात्, प्रमंडल/जिला स्तर के कार्यालयों को सौंपा गया था। प्रमंडल स्तर पर उप श्रमायुक्त (डीएलसी), निर्धारण अधिकारी का कार्य करते हैं। इसके अलावा, डीएलसी को विभिन्न योजनाओं (वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना को छोड़कर) के लिए लाभार्थियों के आवेदनों की मंजूरी के लिए भी अधिकृत किया गया था।

जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक (एलएस) और ब्लॉक स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी (एलईओ) को उपकर संग्रह के साथ-साथ सन्निर्माण कर्मकारों के निबंधन का काम सौंपा गया था। उपरोक्त के अलावा, बोर्ड ने भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य स्थलों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर तैनात विभाग के सभी सहायक श्रम आयुक्तों (एएलसी) को निरीक्षकों के रूप (सितंबर 2006) में नियुक्त किया था।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

- अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम, अधिनियम और उपकर अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप थे
- स्थापनाओं एवं लाभार्थियों के निबंधन हेतु प्रभावी व्यवस्था थी
- उपकर निर्धारण, उपकर संग्रहण और एकत्रित उपकर को निधि में स्थानांतरित करना दक्षतापूर्ण था

- सरकार ने उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए थे और नियोक्ताओं द्वारा उन मानदंडों के अनुपालन का माहौल सुनिश्चित किया जा सकता था
- सरकार ने उपकर के अपवंचन की जांच करने और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए निरीक्षण की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली लागू की थी तथा
- बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि का प्रशासन और उपयोग, कुशल और प्रभावी था, और अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार था।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा—शर्ते विनियमन) नियमावली, 2005
- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 और उपकर नियमावली, 1998
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005
- बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव
- भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी 'निर्माण प्रबंधन, कार्य प्रणाली और सुरक्षा' शीर्षक युक्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016
- भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी मर्चानों एवं सीढ़ियों के लिए भारतीय मानक सुरक्षा कोड, भाग—1 एवं 2 (आईएस 3696)।
- श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा समय—समय पर अधिसूचित निरीक्षण नीति।

2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, पद्धति और सीमाएं

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर से दिसंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के दौरान की गई। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीबीओसीडब्ल्यू), छ: चयनित जिलों में कल्याण बोर्ड और जिला स्तर पर विभाग के कार्यालय (चल रही 15 कल्याणकारी योजनाओं में से 10 के लिए), 12 चयनित कार्य प्रभाग; 12 चयनित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), 17³ पंजीकृत स्थापना और 30 अपंजीकृत स्थापना (**परिशिष्ट-2.1**) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना—जांच के माध्यम से की गई थी। इकाइयों के चयन के लिए नमूना पद्धति का विवरण **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा पद्धति में अभिलेखों की नमूना जांच, लेखापरीक्षा ज्ञापन/प्रश्नावली का जवाब प्राप्त करना और लेखापरीक्षा इकाइयों से प्राप्त प्रासंगिक जानकारी का विश्लेषण शामिल थे। इसके अलावा, चयनित जिलों में बीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत 446 लाभार्थियों, साथ ही 211 अपंजीकृत कर्मकारों (कुल 657) का एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण लाभार्थियों की पहचान और निबंधन, प्राप्त आवेदनों की जांच और वित्तीय सहायता के प्रावधान के संबंध में बोर्ड की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा उद्देश्यों

³ दरभंगा: 3, गया: 3, मुजफ्फरपुर: 2, पटना: 4, सारण: 4 तथा पश्चिम चम्पारण: 1।

मानदंडों, कार्यक्षेत्र, पद्धति पर चर्चा करने और इस विषय पर विभाग के विचार जानने के लिए 14 अक्टूबर 2022 को प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर बोर्ड के विचार प्राप्त करने के लिए 17 फरवरी 2023 को विशेष सचिव—सह—सचिव, बीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन किया गया था। विभाग द्वारा दिए गए जवाब (फरवरी 2023) के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।

कार्यक्षेत्र की सीमाएँ

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान बोर्ड के साथ पंजीकृत लाभार्थियों का डेटाबेस, उन्हें योजना—वार किए गए भुगतान के साथ, लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। बोर्ड ने केवल चयनित छ: जिलों के लिए अपनी कल्याणकारी योजनाओं (वार्षिक चिकित्सा सहायता और कोविड-19 विशेष अनुदान को छोड़कर) के लाभार्थियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराये। शेष जिलों के संबंध में, बोर्ड ने लाभार्थियों से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया।

विशेषज्ञ समिति⁴ के गठन और उसकी बैठकों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं और उसकी सिफारिशों को नियमावली में विधिवत शामिल किया गया था अथवा नहीं।

इसके अलावा, 24 पंजीकृत स्थापनाओं में से 7⁵ का संयुक्त भौतिक निरीक्षण, कार्य निरीक्षण से पहले पूर्ण हो जाने या कार्य स्थलों का पता नहीं चल पाने के कारण, नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली

बिहार सरकार द्वारा नियमावली बनायें जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में पायी गई कमियों पर अगली कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.1 अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा नियमावली की विलंबित अधिसूचना

अधिनियम की धारा 62 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार⁶, विशेषज्ञ समिति से परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमावली बना सकती है।

यद्यपि, भारत सरकार ने अगस्त 1996 में अधिनियम लागू किया था, राज्य सरकार ने राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सितंबर 2005 में, यानी नौ साल के विलंब से बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली तैयार की थी। नियमावली बनाने में विलंब के कारण राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और सलाहकार समिति के गठन में देरी हुई। नियमावली के निर्माण में विलंब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए।

⁴ अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकती है।

⁵ दरमंगा: 1, गया: 1, मुजफ्फरपुर: 2, पश्चिम चम्पारण: 3।

⁶ अधिनियम की धारा 2 (क) (iii) के अनुसार, उपयुक्त सरकार का अर्थ ‘ऐसे किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, जो निर्माण श्रमिकों को सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त करता है,’ उस राज्य की सरकार है जिसमें वह अन्य प्रतिष्ठान स्थित है।

2.6.1.1 राज्य कल्याण बोर्ड एवं सलाहकार समिति के गठन में विलंब

(i) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, राज्य सरकार को बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड का गठन करना आवश्यक था। बोर्ड में एक अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों की एक निश्चित संख्या (अधिकतम 15) शामिल होनी थी।

इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 251 (3) में प्रावधान है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर, कल्याण बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगा।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि, यद्यपि बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली सितंबर 2005 में अधिसूचित की गई थी, बोर्ड का गठन 28 महीने की देरी से (फरवरी 2008) किया गया था। इसके बाद, बोर्ड को फरवरी 2011 में पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, इसका पुनर्गठन 47 माह की देरी से यानी फरवरी 2015 में किया गया था। बोर्ड को फरवरी 2018 में फिर से पुनर्गठित किया जाना था। हालाँकि, इसे अक्टूबर 2022 तक पुनर्गठित नहीं किया गया था, जिसका तात्पर्य था कि बीबीओसीडब्ल्यू नियमों का उल्लंघन करते हुए, राज्य 55 माह (लगभग) तक अपने कल्याण बोर्ड के बिना था।

(ii) अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, एक राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन किया जाना था, जिसमें एक अध्यक्ष; राज्य विधानमंडल के दो सदस्य; केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य; नियोक्ताओं और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधि; और वास्तुकारों, इंजीनियरों, दुर्घटना बीमा संस्थानों आदि के संघ शामिल होंगे। समिति को अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देनी थी। इसके अलावा, बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 11(6) में प्रावधान है कि एसएसी का पुनर्गठन हर तीन वर्ष के बाद किया जाना था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि एसएसी का गठन पहली बार 28 माह के विलंब से (फरवरी 2008) किया गया था। इसके बाद, हालाँकि एसएसी का पुनर्गठन फरवरी 2011 में किया जाना था, लेकिन इसे 47 माह के विलंब से यानी फरवरी 2015 में पुनर्गठित किया गया। यह भी देखा गया कि फरवरी 2015 के बाद एसएसी का पुनर्गठन (अक्टूबर 2022 तक) नहीं किया गया था। तीन साल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद समिति का पुनर्गठन न करना अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था।

विभाग ने जवाब (फरवरी 2023) दिया कि राज्य कल्याण बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड के साथ-साथ एसएसी की अनुपस्थिति ने उपकर के मूल्यांकन और संग्रह (**कंडिका 2.8**), स्वारक्ष्य और सुरक्षा मानदंडों का पालन (**कंडिका 2.9**) और कल्याण योजनाओं के उचित कार्यान्वयन (**कंडिका 2.11.3**) को प्रभावित किया था जैसा कि अगली कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.2 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली में अधिनियम के साथ विसंगतियां

राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के कुछ नियम, अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं थे, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.6.2.1 आवेदन अस्वीकृत करने से पूर्व आवेदक को अवसर

अधिनियम की धारा 12(4) कर्मकारों को अधिनियम के तहत लाभार्थियों के रूप में निबंधन के लिए प्राप्त उनके आवेदनों को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान करती है। हांलाकि, धारा 12(4) का यह प्रावधान बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 में शामिल नहीं किया गया, जिससे आवेदनों की मनमानी और गैर-दस्तावेज के अस्वीकृति का जोखिम उत्पन्न हो गया।

बोर्ड ने जवाब दिया (अक्टूबर 2023) कि बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016, के नियम 266(6) में प्रावधान है कि “कोई भी सन्निर्माण कर्मकार, अस्वीकृति के 30 दिनों के भीतर निबंधन के लिए आवेदन नियम 266 के उप-नियम 5 के तहत लिए गए निर्णय के खिलाफ क्षेत्राधिकार वाले सहायक श्रमायुक्त (एएलसी) के पास अपील दायर कर सकता है और एएलसी का निर्णय, निबंधन अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली बीबीओसीडब्ल्यू कर्मकारों को उनके आवेदनों को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है।

2.6.2.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के स्रोत

अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष में धारा 23 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण और ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड को प्राप्त सभी रकम जमा की जाएगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है। हालाँकि, बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के नियम 265 के उप नियम (3) (क) और (ग) में प्रावधान है कि बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष को भारत सरकार, या राज्य सरकार, या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, अनुदान अथवा ऋण, अथवा अग्रिम द्वारा जमा किया जाएगा और ऐसे अन्य स्रोतों से बोर्ड को प्राप्त सभी रकम, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

नियम 265 (3) (क) और नियम 265 (3) (ग) के प्रावधान अधिनियम की धारा 24 के साथ इस हद तक असंगत हैं, कि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुदान/ऋण (नियम 265 (3) (क)) और राज्य सरकार (नियम 265 (3) (ग)), अधिनियम की धारा 24 में प्रदान नहीं किए गए थे। यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है और अन्य सभी स्रोत केवल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं।

बोर्ड ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि यदि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमावली में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, तो इसे अधिनियम के विपरीत नहीं माना जाना चाहिए।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कल्याण निधि को अन्य स्रोतों से पोषित करने की अनुमति दी है।

अनुशंसा 1: विभाग: (i) यह सुनिश्चित कर सकता है कि बोर्ड और एसएसी का समय पर पुनर्गठन किया जाए और (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

2.7 स्थापनाओं और लाभार्थियों का निबंधन

स्थापनाओं और कर्मकारों के निबंधन के लिए अधिनियम और बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के तहत प्रावधान किए गए थे। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कर्मकारों के कल्याण और

सुरक्षा को सुनिष्ठित करने के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार और सन्निर्माण स्थलों का निरीक्षण आवश्यक है।

2.7.1 स्थापनाओं का निबंधन

अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 23 और 24 अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को एक स्थापना के निबंधन के लिए जिला स्तर पर निबंधन अधिकारी (अम अधीक्षक) को आवेदन करना होता था। निबंधन अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर स्थापना को पंजीकृत करना था और आवेदक को निबंधन प्रमाण पत्र जारी करना था। इसके अलावा, निबंधन अधिकारी को एक पंजी संधारित करनी थी, जिसमें स्थापनाओं का विवरण दिखाया जाना था। विभाग ने प्रावधान किया था कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं द्वारा स्थापनाओं के निबंधन के लिए आवेदन (बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के प्रपत्र-I में), निर्धारित शुल्क⁷ के डिमांड ड्राफ्ट के साथ काम शुरू होने के 60 दिनों के भीतर निबंधन अधिकारी को केवल ऑनलाइन⁸ जमा करना आवश्यक था। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, संबंधित आवेदकों द्वारा निबंधन प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता था।

कैलेंडर वर्ष 2017 से 2022 के दौरान राज्य में विभाग में पंजीकृत स्थापनाओं की वर्षवार संख्या तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1: राज्य में निबंधित स्थापनाओं की वर्षवार संख्या (नवंबर 2022 तक)

कैलेंडर वर्ष	राज्य में निबंधित स्थापना	चयनित जिलों के अंतर्गत निबंधित					
		दरभंगा	गया	मुजफ्फरपुर	पटना	सारण	पश्चिम चंपारण
2017	19	0	2	0	8	0	0
2018	54	2	0	0	16	2	2
2019	126	0	3	5	40	2	1
2020	78	1	2	0	31	1	1
2021	76	0	0	3	25	0	1
2022	88	3	3	3	43	3	2
कुल	441	6	10	11	163	8	7

(स्रोत: बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अभिलेख)

तालिका 2.1 के अनुसार 2017–22 के दौरान, विभाग और चयनित छ: जिलों में क्रमशः केवल 441 और 205 स्थापना पंजीकृत किए गए थे। विभाग को, कैलेंडर वर्ष 2017–22 के दौरान, इन पंजीकृत स्थापनाओं से राज्य और चयनित छ: जिलों में क्रमशः ₹ 4.67 लाख और ₹ 2.54 लाख का शुल्क प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, चयनित छ: जिलों की 12 चयनित कार्य इकाइयों में 1,875 स्थापना निर्माण कार्यों में लगे हुए थे। लेखापरीक्षा ने बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए छ: चयनित जिलों के 205 पंजीकृत स्थापनाओं के आंकड़े एवं 1,875 स्थापनाओं के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि 1,875 स्थापनाओं में से केवल पांच (0.26 प्रतिशत) स्थापना ही विभाग में पंजीकृत थे (**परिशिष्ट 2.3**)। स्थापनाओं का कम निबंधन कार्य इकाइयों और विभाग के बीच समन्वय की कमी के साथ-साथ स्थापनाओं के निबंधन की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

⁷ 100 या इससे कम कर्मकार: ₹500; 101–500: ₹2000; 500 से अधिक: ₹3000।

⁸ विभाग के पोर्टल ‘serviceonline.bihar.gov.in’।

परिणामस्वरूप, स्थापनाओं के निबंधन का पहलू त्रुटिपूर्ण रहा, जो अधिनियम में परिकल्पित नियंत्रणों के कमजोर होने को प्रदर्शित करता है।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि: (i) एकीकृत उपकर संग्रह पोर्टल का संचालन, जिसमें निबंधन के लिए एक लिंक भी था, प्रक्रियाधीन था और (ii) एक बार उपकर भुगतानकर्ताओं का विवरण उपलब्ध होने के बाद, निबंधन के लिए इसका पालन किया जाएगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग में बहुत कम स्थापना पंजीकृत थी और उक्त पोर्टल अभी तक चालू नहीं हुआ था।

स्थापनाओं के निबंधन न होने के परिणामस्वरूप कर्मकारों का निबंधन नगण्य था जिसके परिणामस्वरूप कर्मकार कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ से वंचित हो गए, जैसा कि लेखापरीक्षा ने, 30 अपंजीकृत स्थापनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा (कंडिका 2.12)।

2.7.2 निबंधित स्थापनाओं द्वारा वार्षिक एवं मासिक विवरण समर्पित नहीं किया जाना

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के नियम 242 के अनुसार, प्रत्येक निबंधित स्थापना का नियोक्ता प्रतिवर्ष निर्धारित प्रपत्र⁹ में उस स्थापना से संबंधित एक प्रतिवेदन, क्षेत्राधिकार वाले निबंधन अधिकारी को भेजेगा, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद 15 फरवरी तक उसके पास पहुंच जाए और उसकी एक प्रति क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक को भी भेजनी थी। प्रारूप में, स्थापना का नाम और पता, नियोक्ता का नाम और पता, सन्निर्माण कार्य की प्रकृति, वर्ष के दौरान नियोजित भवन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या, घटित दुर्घटनाएं, यदि कोई हो, आदि जानकारी दर्ज करना आवश्यक था। इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 268 (2) के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को, हर महीने के पंद्रहवें दिन से पहले, निर्धारित प्रपत्र में¹⁰ एक रिटर्न भेजनी थी, जिसमें निबंधित होने के हकदार कर्मकारों का विवरण, साथ ही साथ वे कर्मकार जिन्होंने पिछले महीने के दौरान सेवा छोड़ दी थी, का विवरण शामिल होना था।

जैसा कि तालिका 2.1 में दिखाया गया है, छ: नमूना चयनित जिलों के निबंधन अधिकारियों ने कैलेंडर वर्ष 2017–22 के दौरान केवल छ: (दरभंगा), 10 (गया), 11 (मुजफ्फरपुर), 163 (पटना), आठ (सारण) और सात (पश्चिम चंपारण) स्थापनाओं को पंजीकृत की थी। हालाँकि, पंजीकृत स्थापनाओं ने न तो निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत किया था, न ही निबंधन अधिकारियों द्वारा उनसे इनकी मांग की गयी थी। इन रिटर्न के अभाव में, इन स्थापनाओं में काम करने वाले सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या, बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले कर्मकारों की संख्या, और निबंधन के लिए पात्र कर्मकारों की संख्या का आकलन, बोर्ड/जिला कार्यालयों द्वारा नहीं किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कोई विनिर्दिष्ट जवाब नहीं दिया था।

2.7.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का निबंधन

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 266 में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु की प्रत्येक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, जो किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी भी कल्याण कोष का सदस्य नहीं थी और जिसने ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में भवन सन्निर्माण कर्मकार के रूप में

⁹ प्रपत्र XXV (बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 का नियम 242)।

¹⁰ प्रपत्र XXX (बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 का नियम 268(2))।

90 दिनों की सेवा पूरी कर ली हो, अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में निबंधन के लिए पात्र होगा। बोर्ड द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि (i) जिला स्तर पर श्रमाधीक्षक तथा (ii) प्रखण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सन्निर्माण कर्मकारों से प्राप्त आवेदनों को बोर्ड द्वारा नियमानुसार विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड करके सन्निर्माण कर्मकारों का निबंधन करेंगे। आवेदकों को निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र¹¹ में आवेदन करना था और पांच वर्षों के लिए निबंधन शुल्क (₹20) और अंशदान शुल्क (₹30) जमा करना था। पांच वर्षों के पश्चात, नवीनीकरण के लिए अर्हता प्राप्त कर्मकारों द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए मासिक अंशदान देय होगा। बीबीओसीडब्ल्यू कर्मकारों के निबंधन की उपरोक्त प्रक्रिया प्रवासी कर्मकारों सहित सभी प्रकार के कर्मकारों के लिए एक समान थी।


तालिका 2.2 बोर्ड से पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का वर्षवार विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.2: बोर्ड से निबंधित भवन एवं अन्य कर्मकारों का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	अधिनियम के तहत निबंधित कर्मकार		
	आदि शेष	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निबंधन	अंत शेष
2017-18	2,96,492	1,91,913	4,88,405
2018-19	4,88,405	3,32,654	8,21,059
2019-20	8,21,059	5,51,179	13,72,238
2020-21	13,72,238	2,95,209	16,67,447
2021-22	16,67,447	3,78,025	20,45,472

(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यूबी के अभिलेख)

चार्ट 2.2 : वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान निबंधित कर्मकार



अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक, निरीक्षण के दौरान रोजगार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसी भी कर्मकार से बातचीत करने को अधिकृत थे।

कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित कार्यों के सन्निर्माण स्थलों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के अनुसार बनाए जा रहे भवनों पर निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के अभाव में कर्मकारों का निबंधन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

¹¹ प्रपत्र XXVII {बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, का नियम 266(4)}।

इसके अलावा, 3,90,003 पंजीकृत कर्मकारों ने, वित्तीय वर्ष 2017–22¹² के दौरान अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाया था। बोर्ड द्वारा सूचित किया गया कि कर्मकारों के नवीनीकरण न होने का मुख्य कारण प्रवासन, अपात्रता और जागरूकता का अभाव था।

2.7.3.1 अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 266 (8) में प्रावधान है कि सचिव, या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को जारी किए गए पहचान पत्रों¹³ की एक पंजी संधारित करनी थी।

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से, विभाग ने, उपरोक्त नियमावली के तहत, एक अधिसूचना (जनवरी 2015 में) जारी की थी, जिसमें क्रमशः संबंधित कार्य विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता और नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के तहत सभी कर्मकारों के लिए निबंधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी चयनित छ: जिलों की किसी भी कार्य इकाई/शहरी स्थानीय निकाय में लाभार्थियों के निबंधन और जारी किए गए पहचान पत्रों की पंजी से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।

किसी भी अभिलेख के अभाव में कर्मकारों के निबंधन के संबंध में कार्य इकाइयों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निभाये गये कर्तव्यों का कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। इसके अलावा, ऐसे अभिलेख की अनुपस्थिति बोर्ड के द्वारा अनुश्रवण में कमी को दर्शाती है।

इस लेखापरीक्षा अवलोकन पर कार्य प्रमंडलों/शहरी स्थानीय निकायों से कोई विनिर्दिष्ट जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

2.7.3.2 बोर्ड के अंतर्गत कर्मकारों का अनियमित निबंधन

लेखापरीक्षा ने बोर्ड में पंजीकृत नमूना चयनित जिलों के कर्मकारों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया (आंकड़े बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये थे) और कर्मकारों के निबंधन में अनियमितताएं पायी, जैसा कि तालिका 2.3 में बताया गया है।

तालिका 2.3: कर्मकारों के निबंधन में पात्रता मानदंडों का पालन नहीं किया जाना

क्र. सं.	बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के तहत प्रावधान	अनियमितताएं
1	प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,	पटना जिले में दो कर्मकारों की उम्र उनके निबंधन के समय 18 वर्ष से कम थी।
2	वह इस अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में निबंधन के लिए पात्र होगा (नियम 266)।	71 कर्मकारों ¹⁴ को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु में पंजीकृत किया गया था।
3	बोर्ड का गठन फरवरी 2008 में बीबीओसीडब्ल्यू नियम 251 के तहत किया गया था।	बोर्ड के गठन (फरवरी 2008) से पहले 31 कर्मकारों ¹⁵ को 'पंजीकृत' दिखाया गया था।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि वह निबंधन की तारीखों की पुष्टि करेगा और डेटाबेस का शोधन करेगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि इन कर्मकारों को बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करके निबंधित किया गया था।

¹² 44,127 (2017-18), 1,24,151 (2018-19), 1,28,622 (2019-20), 60,877 (2020-21) और 32,226 (2021-22)।

¹³ पंजीकरण के बाद बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र होता है। इसमें कर्मकार के विवरण होते हैं, जैसे कि उसका पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, बैंक खाता संख्या, जन्मतिथि आदि।

¹⁴ दरभंगा: 12, गया: 01, मुजफ्फरपुर: 12, पटना: 30, सारण: 10 तथा पश्चिम चम्पारण: 6।

¹⁵ दरभंगा: 01, गया: 02, मुजफ्फरपुर: 03, पटना: 19, सारण: 02 तथा पश्चिम चम्पारण: 4।

2.7.3.3 डेटाबेस में मृत निबंधित कर्मकारों का शामिल होना

बोर्ड ने सभी डीएलसी/एलएस को निर्देश दिया था (सितंबर 2019) कि वे मृतक द्वारा नामांकित व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ देने के बाद मृत कर्मकारों का निबंधन रद्द कर दें। हालाँकि, चयनित जिलों के 262 लाभार्थियों¹⁶ के नाम, उनकी मृत्यु के बाद भी, पंजीकृत कर्मकारों के डेटाबेस (19.11.2022) में विद्यमान थे।

विभाग ने जवाब दिया कि वह निबंधन की तारीखों की पुष्टि करेगा और डेटाबेस का शोधन करेगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड के निर्देशानुसार मृत कर्मकारों का निबंधन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रद्द किया जाना था।

2.7.4 कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कर्मकारों के बीच जागरूकता सृजन का अभाव

श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने “उपकर निधि और कर्मकारों के कल्याण के लिए उनके उपयोग” पर अपनी 28वीं रिपोर्ट (सोलहवीं लोकसभा) में बोर्ड द्वारा, कर्मकारों के कम निबंधन के कारणों में से एक के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों के लिए चल रही कल्याण योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एक उचित तंत्र की अनुपलब्धता को उद्धृत किया था। समिति ने सिफारिश की कि कल्याणकारी योजनाओं और सन्निर्माण कर्मकार के रूप में निबंधन के लाभों का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि कर्मकार ख्यय निबंधन के लिए आगे आ सकें। इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने बोर्ड को प्रेस और मीडिया, स्मार्ट फोन पर वीडियो, लघु संदेश सेवा (एसएमएस), दीवार पेटिंग, जागरूकता शिविर और नुक़ड़ नाटक के माध्यम से प्रचार और जागरूकता सृजन पर व्यय करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2015 और सितंबर 2018)। जन जागरूकता पर व्यय प्रशासनिक व्यय की पांच प्रतिशत सीमा के भीतर किया जाना था। इस प्रकार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के कुल व्यय का पांच प्रतिशत प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि बोर्ड ने जागरूकता गतिविधियों से संबंधित कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि प्रचार और जागरूकता सृजन के लिए राशि आवंटित नहीं की गई थी और परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान ऐसी गतिविधियों पर व्यय नहीं किया गया था। इससे यह निर्दिष्ट हुआ कि बोर्ड ने कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कर्मकारों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियाँ संचालित नहीं की थीं।

किसी भी जागरूकता गतिविधियों के अभाव में, कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार से होने वाले लाभ नहीं मिल सके और न ही उन्हें बोर्ड में पंजीकरण कराने के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी हो सकी, जैसा कि श्रम संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की थी।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) उसने निर्देश दिया था (जनवरी 2023) कि प्रत्येक प्रखण्ड के लिए प्रति सप्ताह एक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाए (ii) विवरणिका/होर्डिंग्स/विज्ञापनों/लघु वीडियो फ़िल्मों के माध्यम से प्रचार और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे थे और (iii) ₹ 26.55 लाख (वित्तीय वर्ष 2017–18), ₹ 4.05 लाख (वित्तीय वर्ष 2018–19), ₹ 2.45 लाख (वित्तीय वर्ष 2019–20), ₹ 0.25 लाख (वित्तीय वर्ष 2020–21) और ₹ 12.46 लाख (वित्तीय वर्ष 2022–23) का उपयोग इस संबंध में किया गया था।

हालाँकि, विभाग का जवाब किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

¹⁶ दरमांगा: 09, गया: 07, मुजफ्फरपुर: 83, पटना: 01, सारण: 03 तथा पश्चिम चम्पारण: 159।

अनुशंसा 2: बोर्ड: (i) स्थापनाओं और कर्मकारों के निबंधन के लिए अन्य विभागों/ सरकारी कार्यालयों के साथ समन्वय कर सकता है, और (ii) इस संबंध में लक्ष्य-आधारित जागरूकता और प्रचार गतिविधियों चला सकता है।

2.8 संग्रहित उपकर का निर्धारण, संग्रहण तथा हस्तांतरण

उपकर अधिनियम के अनुसार, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को उपकर का भुगतान करना और निर्धारित प्राधिकारी, यानी डीएलसी को रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूक के मामले में, प्राधिकारी को उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट तिथि के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देना था। उपकर अधिनियम में आगे प्रावधान किया गया है कि, किसी भी रिटर्न के अभाव में, डीएलसी को देय उपकर की राशि का आकलन करना होगा और, जांच के बाद, भुगतान की तारीख निर्दिष्ट करने वाला आदेष जारी करना होगा। निर्दिष्ट तिथि (30 दिन) के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, नियोक्ता भुगतान की जाने वाली राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, जो कि उपकर की राशि से अधिक नहीं होगा।

इसके अलावा, श्रम संबंधी स्थायी समिति ने ‘उपकर निधि और कर्मकारों के कल्याण के लिए उनके उपयोग’ पर अपनी 28वीं रिपोर्ट (सोलहवीं लोकसभा) में सिफारिश की थी (अगस्त 2017) कि सन्निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी की जाए, ताकि उपकर का आनुपातिक संग्रह बढ़ाया जा सके।

2.8.1 उपकर का निर्धारण नहीं किया जाना

उपकर नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को काम शुरू होने के 30 दिनों के भीतर अपने काम से संबंधित जानकारी (प्रपत्र-I में) निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। नियोक्ता से ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर निर्धारण अधिकारी को ऐसी जानकारी की जांच करनी होती है और नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का अंकित करते हुए मूल्यांकन आदेश देना होता है। इसके अलावा, उपकर अधिनियम की धारा 4 (2) प्रावधानित करती है कि यदि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो धारा 3 के तहत उपकर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, उप-धारा (1) के तहत कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अधिकारी या प्राधिकरण एक नोटिस देगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति को ऐसी रिटर्न ऐसी तारीख से पहले जो नोटिस में निर्दिष्ट हो, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

चयनित छ: जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान किसी भी नियोक्ता से निर्धारित जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी होने के नाते डीएलसी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नियोक्ताओं को नोटिस जारी करना आवश्यक था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि किसी भी निर्धारण अधिकारी ने उपकर नियमों के तहत नियोक्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया था। इसके अलावा, डीएलसी के अभिलेख में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित कार्यों के विवरण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं का संबंधित कार्य प्रमंडलों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलान किया था। परिणामस्वरूप, सन्निर्माण की लागत (उपकर के आकलन के लिए) के निर्धारण के लिए न तो कोई निर्धारण आदेष जारी किए गए थे, न ही सन्निर्माण स्थलों की कोई जांच पड़ताल की गई थी। परिणामस्वरूप, सन्निर्माण की कुल लागत और वसूलनीय उपकर, निर्धारण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसलिए, अप्राप्त उपकर, जुर्माना या ब्याज की मात्रा का आकलन करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि: (i) संकल्प संख्या 787 दिनांक 11.10.2022 के तहत एक सन्निर्माण लागत मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था एवं (ii) सन्निर्माण की लागत के निर्धारण से संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड रिटर्न/जानकारी के अभाव में रिटर्न/सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करने और उपकर का आकलन करने के लिए उपकर अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित आगे की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं था।

2.8.2 सन्निर्माण की लागत की गणना के लिए तंत्र को नहीं अपनाया जाना

उपकर अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि उपकर एक प्रतिशत से कम एवं दो प्रतिशत से अधिक नहीं की दर पर लगाया और एकत्र किया जाएगा। इसके अनुरूप बिहार सरकार ने (फरवरी 2008), एक प्रतिशत) की दर से उपकर अधिरोपित और एकत्र करने की अधिसूचना जारी की थी।

उपकर नियमावली, 1998, के नियम 4 (3) के अनुसार जहां उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन और अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, ऐसी सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर की कटौती करेगा या कटौती कराएगा।

इसके अलावा, उपकर नियमावली, के नियम 4 (4) में प्रावधान है कि, जहां स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है, ऐसी मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अधिसूचित दर पर निर्माण की अनुमानित लागत¹⁷ पर देय उपकर की राशि के लिए बोर्ड के पक्ष में एक रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट और जहां बोर्ड स्थित है वहां देय उपकर की राशि का भुगतान करना होगा। उपरोक्त प्रावधान, आवास का सन्निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी मान्य थे, बशर्ते कि ऐसे सन्निर्माण की लागत ₹ 10 लाख से अधिक हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानीय निकायों में, निर्माण के लागत की गणना के लिए कोई समान पद्धति नहीं अपनाई गई थी। चयनित 12 यूएलबी में निम्नलिखित तरीकों से निर्माण लागत की गणना की गईः (i) तीन यूएलबी¹⁸ में निर्माण लागत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा अधिसूचित प्लिंथ एरिया दरों के आधार पर की गई (ii) पांच यूएलबी¹⁹ में इसकी गणना संबंधित निजी वास्तुकारों द्वारा प्रदान की गई अनुमानित लागत के अनुसार की गई थी। तीन यूएलबी²⁰ में, उपकर वसूल नहीं किया जा रहा था और एक यूएलबी²¹ में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भवन योजना अनुमोदित नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बोर्ड ने निर्माण के लागत की गणना के लिए कोई समान पद्धति निर्धारित नहीं की थी जिसमें दरों को शामिल किया जा सके। चूंकि बोर्ड ने निर्माण के लागत की गणना के लिए कोई समान पद्धति निर्धारित नहीं की थी, इसलिए संबंधित यूएलबी, भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय निर्माण की लागत पर एक समान दर पर उपकर की गणना नहीं

¹⁷ उपकर नियम, 1998, के नियम 3 के अनुसार, निर्माण की लागत में नियोक्ता द्वारा भवन या अन्य निर्माण कार्य से संबंधित सभी व्यय शामिल होंगे, लेकिन इसमें भूमि की लागत और कार्यकर्ता या उसके निकट संबंधियों को 1923 के कार्यकर्ताओं के मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले या भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे की लागत शामिल नहीं होगी।

¹⁸ दरभंगा (नगर निगम, दरभंगा) और पटना (नगर निगम पटना और नगर परिषद, दानापुर निजामत)।

¹⁹ नगर निगम, गया; नगर निगम, मुजफ्फरपुर; नगर निगम, छपरा; नगर निगम, बेतिया; नगर परिषद, बगहा।

²⁰ नगर परिषद, बेनीपुर; नगर परिषद, काटी; नगर पंचायत, रिविलगंज।

²¹ नगर परिषद, बोधगया।

कर सके। एक समान दर पर लागत की गणना के अभाव में, लेखापरीक्षा वसूल किये गये उपकर की एकत्रित राशि की सही स्थिति का आकलन नहीं कर सकी।

इसके अलावा, यूएलबी और कार्य प्रमंडलों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के निर्माण की लागत पर एकत्रित उपकर की राशि में भिन्नता और उपकर के न एकत्रित होने के उदाहरणों पर **कंडिका** 2.8.3 एवं 2.8.4 में चर्चा की गई है।

विभाग ने जवाब (फरवरी 2023) दिया कि: (i) संकल्प संख्या 787 दिनांक 11.10.2022 के तहत एक सन्निर्माण लागत मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था एवं (ii) सन्निर्माण लागत निर्धारण संबंधी अधिसूचना प्रक्रियाधीन थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड ने बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 की अधिसूचना की तारीख से 17 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी भवन योजनाओं के सन्निर्माण की लागत की गणना के लिए कोई समान पद्धति निर्धारित नहीं की थी।

2.8.3 यूएलबी द्वारा विभिन्न दर पर उपकर की वसूली

- छ: चयनित जिलों के आठ यूएलबी²⁰ के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 64 मामलों (**परिशिष्ट 2.4**) में, पांच²¹ चयनित यूएलबी में, भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय उपकर (₹ 0.63 करोड़) को एक समान विधि के माध्यम से नहीं वसूला गया। उपकर की वसूली सीपीडब्ल्यूडी प्लिंथ एरिया दर (₹ 1.17 करोड़) के बजाय संबंधित निजी वास्तुकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमानित निर्माण लागत के आधार पर वसूल किया गया था। जबकि शेष तीन²² यूएलबी ने पूर्ववर्ती सीपीडब्ल्यूडी प्लिंथ एरिया दर (₹ 4.27 करोड़) के आधार पर उपकर (₹ 3.32 करोड़) वसूल किया था, जिसके परिणामस्वरूप उपकर के संग्रहण में अंतर राशि ₹ 1.49²³ करोड़ थी।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि भवन योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए श्रम अधीक्षकों को यूएलबी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निर्माण की लागत की गणना के लिए एक समान पद्धति बोर्ड के द्वारा निर्धारित नहीं की गई थी।

- उप श्रमायुक्त, पटना के अभिलेखों की जांच से पता चला कि पटना नगर निगम (पीएमसी) द्वारा एक भवन योजना²⁴ को मंजूरी दी गई थी (अगस्त 2018) और सन्निर्माण की लागत पर ₹ 2.73 करोड़ की राशि के उपकर की गणना सीपीडब्ल्यूडी द्वारा अधिसूचित प्लिंथ एरिया दर के आधार पर की गई थी। हालाँकि, डीएलसी, पटना ने विकासकर्ता के अनुरोध पर, पीएमसी द्वारा निर्धारित उपकर की राशि का पुनर्मूल्यांकन कर (अगस्त 2018) गणना की गई उपकर राशि को संबंधित विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रचलित बाजार दरों के आधार पर घटाकर ₹ 1.31 करोड़ कर दिया था। इसके अलावा, डीएलसी ने उपकर को ₹ 26.29 लाख की पांच समान किस्तों में विभाजित किया था। फलस्वरूप, दिसंबर 2022 तक उपकर

²² नगर निगम, दरभंगा; नगर निगम, गया; नगर निगम, मुजफ्फरपुर; नगर निगम, पटना; नगर परिषद, दानापुर निजामत (पटना); नगर निगम, छपराय; नगर निगम, बेतिया तथा नगर परिषद, बगहा (पश्चिम चंपारण)।

²³ नगर निगम, गया; नगर निगम, मुजफ्फरपुर; नगर निगम, छपरा; नगर निगम, बेतिया तथा नगर परिषद, बगहा (पश्चिम चंपारण)।

²⁴ नगर निगम, दरभंगा; नगर निगम, पटना; नगर परिषद, दानापुर निजामत (पटना)।

²⁵ ₹1.17 करोड़ ₹4.27 करोड़; ₹0.63 करोड़ ₹3.32 करोड़) = ₹1.49 करोड़।

²⁶ प्लान केस सं0-पी0/रानीपुर/पीआरएन/बीजी+16/564/2017।

की पहली किस्त में, पटना नगर निगम द्वारा गणना किए गए उपकर की तुलना में ₹ 28.23 लाख²⁷ का अंतर था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, अनुमानित लागत पर उपकर की गणना की एक समान पद्धति के अभाव में, जैसा कि **कड़िका 2.8.2** में वर्णित है, लेखापरीक्षा संग्रहित उपकर की राशि की सही स्थिति का आकलन नहीं कर सका। इसके अलावा, उपकर के न्यून संग्रहण की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.8.4 शहरी स्थानीय निकाय/कार्य प्रमंडल द्वारा उपकर का असंग्रहण/कम संग्रहण

- उपकर अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधानित है कि ऐसे मामलों में जहां स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य की मंजूरी की आवश्यकता होती है, अधिरोपित उपकर उस स्थानीय प्राधिकारी (यूएलबी) द्वारा नियोक्ता से अग्रिम के रूप में एकत्र किया जाना था।

छह चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच²⁸ जिलों के छ: शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी²⁹) ने वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान 48 चयनित मामलों के लिए, भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय, उपकर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, ₹6.85 करोड़ की राशि का उपकर संग्रहित नहीं किया था (**परिशिष्ट-2.5**)। इसके अलावा, बोर्ड के अभिलेखों में कोई कागजात उपलब्ध नहीं थे, जो दर्शाते हों कि संबंधित यूएलबी के साथ उसने यूएलबी द्वारा उपकर के असंग्रहण का मामला उठाया था।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि भवन योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु यूएलबी को नोटिस जारी करने के लिए श्रम अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उपकर की राशि अभी भी (फरवरी 2023 तक) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूली जानी थी और बोर्ड के खाते में जमा की जानी थी।

- इसके अतिरिक्त, पैरा 2.8.2 में उल्लिखित मानदंडों के आलोक में कार्यपालक अभियंता, तिलैया नहर प्रमंडल, वजीरगंज, गया के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि, 2019–22 की अवधि में, बोर्ड से पंजीकृत एक स्थापना³⁰ के विपत्र से ₹ 6.49 करोड़ के कटौती योग्य उपकर के सापेक्ष, प्रमंडल ने केवल ₹ 5.75 करोड़ की उपकर राशि की कटौती की थी। इससे, ₹ 0.74 करोड़ की राशि के उपकर की कम कटौती हुई। चूंकि स्थापना बोर्ड के साथ पंजीकृत थी, इसलिए स्थापना के विपत्रों से उपकर की कटौती का अनुश्रवण बोर्ड द्वारा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और जवाब दिया (फरवरी 2023) कि अनुवर्ती कार्रवाई बीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड द्वारा की जाएगी।

²⁷ ₹ 28.23 लाख= ₹ 54.52 लाख (₹ 2,72,62,171/5)-₹ 26.29 लाख (₹ 1,31,44,192/5)।

²⁸ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, सारण और पश्चिम चम्पारण।

²⁹ नगर परिषद, बेनीपुर, (दरभंगा); नगर परिषद, कांठी, (मुजफ्फरपुर); नगर परिषद, दानापुर निजामत (पटना); नगर निगम, छपरा; नगर परिषद, रिविलगंज (सारण) और नगर निगम, बेतिया (पश्चिम चंपारण)।

³⁰ मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड।

2.8.5 उपकर का नकद संग्रहण

पूर्ववर्ती कंडिका 2.8.2 में उल्लिखित प्रावधानों एवं मुख्य सचिव, बिहार के निर्देश (2010) के आलोक में, सन्निर्माण कार्य में लगे सभी विभागों को कुल सन्निर्माण लागत की एक प्रतिशत की दर से उपकर, बोर्ड के पक्ष में जारी रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बोर्ड के खाते में जमा करना था।

आयुक्त कार्यालय, नगर निगम, मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि, वित्तीय वर्ष 2017–22 से संबंधित 869 मामलों में, ₹ 3.78 करोड़ की उपकर राशि, उपकर नियमों का उल्लंघन करते हुए रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के बजाय मनी रसीदों के माध्यम से नकद के रूप में संग्रहित की गयी थी, जिससे राशि के दुरुपयोग और गबन का खतरा बढ़ जाता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अनुवर्ती कार्वाई बोर्ड द्वारा की जाएगी।

2.8.6 कटौती किए गए उपकर का अप्रेषण/विलंबित प्रेषण

उपकर अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुसार, संग्रहित उपकर की राशि का भुगतान यूएलबी या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को किया जाना था। इसके अलावा, उपकर नियमावली के नियम 5 के अनुसार संग्रहित उपकर की राशि की, ऐसे सरकारी कार्यालय द्वारा उसके संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को अंतरित की जानी थी।

(i) छ: चयनित जिलों के 12 नमूना कार्य प्रमंडलों/यूएलबी में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चयनित छ: जिलों के 11 कार्य प्रमंडलों और छ: यूएलबी ने ठेकेदारों के विपत्रों से काटे गए ₹ 41.84 करोड़ उपकर की राशि बोर्ड को जमा नहीं किया था (**परिशिष्ट-2.6**)। तदनुसार, बोर्ड अपने हिस्से के ₹ 41.84 करोड़ के उपकर से वंचित रह गया। इसके अलावा, कटौती/संग्रहित की गई उपकर को जमा न करने के कारण इसके अस्थायी दुरुपयोग की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि समय पर उपकर की राशि जमा करने हेतु सभी विभागों को पत्र निर्गत किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संग्रहित उपकर की राशि अभी तक बोर्ड को प्रेषित नहीं की गई थी।

(ii) छ: नमूना जिलों के छह नमूना कार्य प्रमंडलों और आठ यूएलबी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्य प्रमंडलों/यूएलबी द्वारा कटौती/संग्रहित की गई ₹ 19.02 करोड़ की राशि का उपकर, मार्च 2022 तक, पांच दिनों से 1,290 दिनों की देरी से बोर्ड को जमा किया गया था (**परिशिष्ट-2.7**)।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी विभागों को समय पर उपकर जमा करने के लिए पत्र जारी किए गए थे।

2.8.7 अनुपयुक्त शीर्ष में उपकर का प्रेषण

विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से उपकर की राशि लेखा शीर्ष '8443–00–108–0004' में जमा करने और बोर्ड को सूचित करने का अनुरोध किया था (सितंबर 2019)।

नगर परिषद (एमसी), दानापुर निजामत, पटना के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि, यूएलबी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा 60 कार्यों के मामलों में, ठेकेदारों के विपत्रों से कटौती

किये गए ₹ 36.82 लाख के उपकर की राशि बोर्ड के लेखा शीर्ष '8443-00-108-0004' के स्थान पर विभागीय लेखाशीर्ष '0230-00-101-0001' में जमा कर दिया गया था। इसके कारण बोर्ड, उपकर और उस पर मिलने वाले ब्याज की राशि से वंचित रह गया। इसके अलावा, बोर्ड/डीएलसी के अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो यह दर्शाता हो कि उचित शीर्ष में उपकर जमा करने के मामले को यूएलबी के साथ उठाया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (फरवरी 2023) कि एकीकृत उपकर संग्रह पोर्टल³¹, जो प्रक्रियाधीन है, ऐसे मामलों का समाधान करेगा।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग के मुख्य शीर्ष में जमा की गई उपकर की राशि फरवरी 2023 तक बोर्ड के खाते में स्थानांतरित नहीं की गई थी।

2.8.8 उपकर की किस्तों का असंग्रहण

उपकर नियमावली के नियम 4(2) के अनुसार, जहां परियोजना या सन्निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां उपकर का भुगतान कार्य शुरू होने की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर और उसके बाद प्रतिवर्ष, प्रासंगिक अवधि के दौरान किया जाना था।

पटना और दरभंगा जिलों के तीन नमूना यूएलबी³² के अभिलेखों की जांच से पता चला कि संबंधित डीएलसी ने **तालिका 2.4** में वर्णित आठ भवन योजनाओं से संबंधित उपकर को चार से पांच किस्तों में विभाजित किया था। आवेदकों द्वारा बोर्ड के पास उपकर की पहली किस्तें जमा करने के बाद, संबंधित यूएलबी ने भवन योजनाओं को मंजूरी दे दी थी।

तालिका 2.4: नमूना मामले जिनमें उपकर की किस्तें निर्धारित की गई थीं
(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना सं (स्थानीय शहरी निकाय)	उपकर की कुल संग्रहणीय राशि	निर्धारित किस्तों की राशि (किस्तों की संख्या)	देय तिथि	विलंब के माह (नवंबर 2022 तक)
1	547/2020 (पीएमसी)	33.32	6.66 (5)	31-12-2021	11
2	27/2019 (पीएमसी)	18.27	4.57 (4)	28-08-2020	27
3	28/2019 (पीएमसी)	14.19	3.55 (4)	28-08-2020	27
4	708/2021 (पीएमसी)	16.06	3.21 (5)	22-07-2022	4
5	373/2020 (पीएमसी)	14.76	2.95 (5)	05-01-2022	10
6	514/2020 (पीएमसी)	12.33	3.08 (4)	25-10-2022	1
7	646/2020 (पीएमसी)	10.94	2.19 (5)	19-07-2022	4
8	69/2021 (डीएमसी)	13.04	2.61 (5)	24-12-2021	10
कुल		132.91	28.82		

(झोत: चयनित यूएलबी के अभिलेख)

उपकर राशि के संग्रह के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि, इन आठ मामलों में, बोर्ड ने उपकर की पहली किस्त, जो कि केवल ₹ 28.82 लाख थी, एकत्र की थी और उपकर की दूसरी किस्त, जो कि ₹ 28.82 लाख थी, एक से 27 माह बीत जाने (नवंबर 2022) के बाद भी देय थी।

³¹ एक पोर्टल जो ऑनलाइन उपकर रसीद के लिए भुगतान गेटवे सुविधा प्रदान करता है, साथ ही प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए लिंक भी शामिल है।

³² नगर निगम, पटना; नगर निगम, दरभंगा तथा नगर परिषद, दानापुर निजामत।

यह इंगित करता है कि बोर्ड ने उपकर की किस्तें जमा करने के अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया था।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि, एकीकृत उपकर संग्रहण पोर्टल के कार्यान्वित होने के बाद, ऐसे मामलों का अनुश्रवण आसानी से किया जा सकेगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड द्वारा उपकर की अगली किश्तें अभी संग्रहित नहीं की गई थीं।

2.8.9 बोर्ड के बैंक खाते में उपकर का अंतरण नहीं होना

बोर्ड ने सभी विभागों को उनके द्वारा काटे गए उपकर को कोषागार में जमा करने के लिए आवंटित लेखा शीर्ष '8443-00-108-0004' में अंतरित करने का निर्देश दिया था (सितंबर 2019)। इसके अलावा, जमा किया गया उपकर अगले महीने के पहले सप्ताह में बोर्ड के बैंक खाते में अंतरित किया जाना आवश्यक था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को माह के अंत में प्रपत्र बीटीसी-53 में ऑनलाइन बिल तैयार करना होता था और उपकर की राशि को राज्य सरकार के कम्प्रिहेंसिव फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) में भुगतानकर्ता के रूप में जोड़ने के बाद सीधे बोर्ड के खाते में अंतरित कर दिया जाना था।

प्रधान सचिव—सह—अध्यक्ष, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड, ने सभी डीएलसी/एएलसी/एलएस को उपरोक्त लेखाशीर्ष के तहत कोषागारों में जमा/रखे गए श्रम उपकर को बोर्ड के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए संबंधित जिला कोषागार अधिकारियों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया (सितंबर 2022)।

नमूना कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि, यद्यपि अभिकरणों के विपत्रों से उनके द्वारा काटा गया उपकर, कोषागारों के संबंधित लेखाशीर्ष में अंतरित कर दिया गया था, परन्तु इसे बोर्ड के बैंक खाते में अंतरित नहीं किया जा रहा था।

वित्तीय वर्ष 2019–22 के दौरान उपरोक्त मुख्य शीर्ष में उपकर की प्राप्ति और भुगतान का विवरण तालिका 2.5 में दिखाया गया है।

तालिका 2.5: वित्तीय वर्ष 2019–22 के दौरान कोषागारों द्वारा उपकर की प्राप्ति और भुगतान (दिसंबर 2022 तक की स्थिति)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति	भुगतान	अवशेष
1.	2019-20	89.90	0.14	89.76
2.	2020-21	116.97	31.44	85.53
3.	2021-22	122.23	51.41	70.82
	कुल	329.10	82.99	246.11

(स्रोत: सीएफएमएस, वित्त विभाग, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका 2.5 से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2019–22 के दौरान कोषागारों के संबंधित लेखाशीर्ष में जमा किए गए ₹ 246.11 करोड़, बोर्ड के बैंक खाते में अंतरित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, बोर्ड को तालिका 2.6 में दर्शाई गई गणना के अनुसार कम से कम ₹ 11.58 करोड़³³ की राशि के ब्याज का नुकसान हुआ।

³³ ब्याज की गणना अप्रैल 2019 से नवंबर 2022 (44 महीने) की अवधि के लिए की गई है, जो कि एसबीआई द्वारा उसके बचत बैंक खातों पर दी गई 2.70 प्रतिशत प्रति वर्ष की न्यूनतम ब्याज दर के अनुसार है।

तालिका 2.6 : ब्याज की गणना

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि (₹ करोड़ में)	जमा नहीं करने की अवधि	वर्षों की संख्या (माह / 12)	साधारण ब्याज की गणना (₹ करोड़ में)
2019-20	89.76	अप्रैल 2020 से नवम्बर 2022	32/12	$89.76 \times 32/12 \times 2.70/100 = 6.46$
2020-21	85.53	अप्रैल 2021 से नवम्बर 2022	20/12	$85.53 \times 20/12 \times 2.70/100 = 3.85$
2021-22	70.82	अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022	8/12	$70.82 \times 8/12 \times 2.70/100 = 1.27$
कुल				11.58

(स्रोत: सीएफएमएस, वित्त विभाग, बिहार सरकार और भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट)

उपरोक्त तथ्य से निर्दिष्ट होता है कि, यद्यपि बोर्ड ने कटौती किए गए उपकर को अपने बैंक खाते में अंतरित करने की प्रक्रिया जारी की थी, लेकिन उसने उपकर की कटौती और जमा का अनुश्रवण नहीं किया था। इसके कारण धनराशि बोर्ड के बैंक खाते से बाहर रही, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड ने विभिन्न कोषागारों में पड़ी राशि के अंतरण के लिए वित्त विभाग, बिहार सरकार, को पत्र जारी किया था।

अनुशंसा 3: बोर्ड: (i) सभी नियोक्ताओं और सन्निर्माण कार्यों की पहचान करने के लिए एक तंत्र को स्थापित कर सकता है (ii) यूएलबी द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं के लिए सन्निर्माण की लागत की गणना करने के लिए, सन्निर्माण की लागत की दरों को अधिसूचित कर सकता है और (iii) संग्रहित उपकर को बोर्ड के खाते में जमा करने के संबंध में कोषागारों के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है।

अनुशंसा 4: बोर्ड, एकत्र किए गए लेकिन बोर्ड के खाते में जमा नहीं किए गए उपकर से संबंधित मामले की जांच कर सकता है और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

2.9 स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंड

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली (भाग III), 2005, के नियम 34 से 233 सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान करते हैं, जैसे अग्नि सुरक्षा, सुरक्षा हेलमेट, संयंत्र और मशीनरी की आवधिक जांच, सुरक्षा नेट, वार्षिक चिकित्सा परीक्षा, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, सुरक्षा समिति का गठन, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति आदि।

विभाग ने अधिसूचना (सितंबर 2006) के माध्यम से सभी उप-श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधीक्षकों को, अधिनियम के तहत अपने संबंधित घोषित क्षेत्राधिकार में 'निरीक्षक' के रूप में नियुक्त किया था।

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के अनुसार, निरीक्षक: (i) किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य स्थल की जांच कर सकता है और (ii) किसी दुर्घटना या खतरनाक घटना या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमावली के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने के मामलों की जांच कर सकता है। इसके अलावा, वह कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण के संबंध में नियोक्ताओं को कारण बताओ नोटिस या चेतावनी जारी कर सकता है।

2.9.1 सन्निर्माण स्थलों का निरीक्षण नहीं किया जाना

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 298 के साथ पठित अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, एक निरीक्षक उस स्थानीय सीमा के भीतर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों पर उपकर से संबंधित पंजी और अभिलेख की जांच कर सकता था।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि: (i) यद्यपि विभाग ने सन्निर्माण स्थलों या परिसरों के निरीक्षण के लिए निरीक्षकों को नियुक्त किया था, लेकिन किए गए निरीक्षणों के संबंध में कोई आवृत्ति, लक्ष्य या अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित नहीं की थी और (ii) वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान चयनित छह जिलों में इन नियुक्त निरीक्षकों में से किसी ने भी सन्निर्माण स्थलों या परिसरों का कोई निरीक्षण नहीं किया था।

निरीक्षण के संबंध में किसी भी आवृत्ति, लक्ष्य, अनुवर्ती कार्रवाई, निरीक्षण टिप्पणी का प्रारूप, निरीक्षकों द्वारा आवधिक दौरे से संबंधित आंकड़े के अभाव, साथ ही निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण का संचालन न करना, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) प्रत्येक मानदंड पर और, निरीक्षण के प्रत्येक स्तर पर, निरीक्षण का प्रारूप विकसित किया जा रहा था और (ii) इस वर्ष से निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।

2.9.2 दुर्घटना या खतरनाक घटना को प्रतिवेदित नहीं किया जाना

विभाग ने अधिनियम के तहत डीएलसी को निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया था और उन्हें बीबीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र XIV में नियोक्ताओं द्वारा प्रतिवेदित की गई दुर्घटना या खतरनाक घटना के बारे में पूछताछ करने का अधिकार दिया था।

इसके अलावा, क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत, प्रपत्र ईई³⁴ में प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद, दुर्घटना की घटना के संबंध में या कर्मकारों की मृत्यु के मामलों में मुआवजे के दावों के निपटान के लिए डीएलसी को क्षतिपूर्ति आयुक्त के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(i) बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के नियम 210 के साथ पठित अधिनियम की धारा 39 में निहित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी दुर्घटना की सूचना, जिसमें सन्निर्माण स्थल पर कोई भी सन्निर्माण कर्मकार शामिल हो, जो या तो जीवन की हानि का कारण बनती है या अक्षम करती है, उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले उप श्रमायुक्त के पास भेजा जाना है जिसमें घटना घटित हुई है। दी गई प्रत्येक सूचना के बाद निरीक्षक/प्राधिकारी को प्रपत्र XIV में उचित पावती के तहत एक लिखित रिपोर्ट देनी होती है, जिसमें विशिष्ट जानकारी शामिल होती है, जैसे परियोजना/कार्य का नाम और स्थान, नियोक्ता का विवरण, दुर्घटना का विवरण और चोटों की प्रकृति, उपयोग किए गए परिवहन का तरीका, घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में लगने वाला समय, गवाह का विवरण, कर्मचारी का विवरण के साथ उसके बीबीओसीडब्ल्यू निबंधन संख्या आदि।

छ: नमूना जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि स्थापनाओं द्वारा डीएलसी को प्रपत्र XIV में दुर्घटना या खतरनाक घटना की कोई सूचना नहीं दी गई थी। प्रपत्र XIV में रिपोर्टिंग के अभाव में, स्थापनाओं द्वारा विशिष्ट जानकारी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संबंधित डीएलसी को प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं

³⁴ इसमें दुर्घटना का समय, स्थान और कारण; श्रमिक/श्रमिकों का नाम, आयु, लिंग, रोजगार का प्रकार और पता आदि जैसी जानकारी शामिल है।

किया गया था। इसके अलावा, सन्निर्माण स्थलों पर संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं, अग्निशमन सुविधाओं और अन्य सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता के मामले पाए गए (कांडिका 2.10.3)।

इसके अलावा, चार चयनित जिलों³³ में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिवेदित किए गए 40 नमूना मुआवजा के मामलों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि, इन मामलों में, नियोक्ताओं द्वारा प्रपत्र ईई में मृत्यु/दुर्घटना से संबंधित जानकारी दी गई थी। प्रपत्र XIV के माध्यम से दुर्घटनाओं या खतरनाक घटनाओं के मामलों की गैर-रिपोर्टिंग ने निरीक्षक के रूप में डीएलसी की भूमिका³⁴ को सीमित कर दिया था, क्योंकि प्रपत्र XIV में ऐसी दुर्घटनाओं के मामले में नियोक्ताओं द्वारा की गई कार्रवाई को भी शामिल किया गया था जिससे नियोक्ता की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलती।

प्रपत्र XIV में कर्मकारों के निबंधन की जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा कर्मकारों के निबंधन की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(ii) बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 211 के अनुसार, दुर्घटना या खतरनाक घटना की सूचना प्राप्त होने पर, दुर्घटना या खतरनाक घटना के कारणों की जांच की प्रक्रिया अधिकतम 15 दिनों के भीतर शुरू की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, प्रपत्र XIV में 40 नमूना मुआवजा मामलों की गैर-रिपोर्टिंग के कारण, नियम 211 में प्रावधान के अनुसार आगे की जांच नहीं की जा सकी। फलस्वरूप, तथ्यों के संक्षिप्त विवरण के साथ दुर्घटनाओं के कारणों, सुरक्षा उपायों, कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित पूछताछ के निष्कर्ष, तैयार नहीं किए जा सके और मुख्य निरीक्षक और राज्य सरकार को नहीं भेजे जा सके।

(iii) उपरोक्त 40 मुआवजा मामलों की लेखापरीक्षा जांच से यह भी पता चला कि ये दुर्घटना मामले 28 स्थापनाओं से संबंधित थे। इन 28 स्थापनाओं में से केवल आठ (29 प्रतिशत) विभाग के साथ पंजीकृत थे। हालाँकि, अधिनियम के तहत निबंधन के लिए इन स्थापनाओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो बोर्ड से संबंधित कार्यों के संबंध में डीएलसी के साथ निहित प्रकार्यों के अनुचित निर्वहन को दर्शाता है।

2.9.3 सुरक्षा समिति का गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के नियम 209 के साथ पठित अधिनियम की धारा 38 के अनुसार, प्रत्येक स्थापना, जिसमें सामान्यतः 500 या अधिक सन्निर्माण कर्मकार नियोजित हैं, नियोक्ता को एक सुरक्षा समिति का गठन करना होता है तथा एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त करना होता है। बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 208 के अनुसार, सुरक्षा समिति का मुख्य कार्य दुर्घटनाओं के संभावित कारणों की पहचान करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है।

उन स्थापनाओं, जहां 500 या अधिक कर्मकार कार्यरत थे, सुरक्षा समिति के गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित सूचना, बोर्ड और विभाग के जिला कार्यालयों (पश्चिम चंपारण को छोड़कर) के पास उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में 41 पंजीकृत

³⁵ दरभंगा: 10, गया: 10, मुजफ्फरपुर: 10 तथा पटना: 10।

³⁶ फॉर्म XIV में जानकारी की अनुपस्थिति में डीएलसी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम/नियमों के तहत स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के संबंध में निरीक्षकों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि फॉर्म ईई में रिपोर्ट की गई जानकारी के अलावा, फॉर्म XIV में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी शामिल है: (क) निर्माण कार्य का चरण, (ख) नियोक्ता के विवरण, (ग) चोटों की प्रकृति, (घ) उपयोग की गई परिवहन विधि, (ङ) धायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में लगे समय, (च) गवाह देने वाले व्यक्ति के विवरण, (छ) यदि मृत्यु हो जाए तो उसके संबंध में विवरण, (ज) नियोक्ता या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्रमाण पत्र।

स्थापना³⁵ ऐसी थी जिन्होंने 500 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने हेतु ₹3,000 की निर्धारित फीस का भुगतान किया था। इससे पता चलता है कि विभाग ने ऐसे स्थापनाओं में सुरक्षा समितियों के गठन और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को आश्वस्त करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

अनुशंसा 5: बोर्ड, सन्निर्माण स्थलों पर निरीक्षण का संचालन सुनिश्चित कर सकता है और दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं के प्रतिवेदन के संबंध में नियमों के प्रावधानों का पालन कर सकता है।

2.10 उपकर अपवंचन की जांच करने और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए निरीक्षण

कार्यस्थलों पर कर्मकारों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.10.1 मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति में विलंब

अधिनियम की धारा 42(2) के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस सरकार के एक राजपत्रित पदाधिकारी को भवन और सन्निर्माण के मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है, जो पूरे राज्य में उन स्थापनाओं के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार ही समुचित सरकार है, इस अधिनियम के तहत एक निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

इसके अतिरिक्त: (i) आपातकालीन कार्य योजनाएं (नियम 36) (ii) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति (नियम 39) (iii) उत्थनन और सुरंग का काम करना (नियम 119) (iv) सन्निर्माण स्थलों पर सुरक्षा उपकरण प्रदान करना (नियम 148, 178, 179 आदि) और (v) दुर्घटना मामलों (नियम 210), से संबंधित मुख्य निरीक्षक की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि, हालांकि राज्य सरकार ने सितंबर 2005 में बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली तैयार कर ली थी, परंतु मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति जून 2023 में अर्थात् 17 वर्ष और नौ माह के विलम्ब के उपरांत अधिसूचित की गई थी। कल्याण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और निरीक्षण के लिए अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी के अभाव में नियमावली के अंतर्गत बनाए गए उपबंधों को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

2.10.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण नहीं किया जाना

इस अधिनियम का उद्देश्य राज्यों में बोर्ड के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करना है। बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 243 के साथ पठित अधिनियम की धारा 32 से 37 ने नियोक्ताओं के लिए कार्य स्थलों पर कर्मकारों के लिए पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय और अस्थायी आवास सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया था।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना जिलों में पंजीकृत और अपंजीकृत स्थापनाओं का निरीक्षण नहीं किया गया था, बोर्ड उपरोक्त तंत्र के माध्यम से राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण और सेवा की अन्य शर्तों को सुनिश्चित करने में विफल रहा था।

³⁷ छपरा: 1, मधेपुरा: 3, मधुबनी: 1, नालंदा: 3, पटना: 24, पूर्णिया: 2, सीतामढ़ी: 1, वैशाली: 3, पश्चिम चंपारण: 3।

इसके अलावा, 47 सन्निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से पता चला कि:

- 30 स्थापनाओं को विभाग में पंजीकृत नहीं किया गया था।
- छह स्थापनाओं (13 प्रतिशत) में कार्यस्थलों पर शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- 14 स्थापनाओं (30 प्रतिशत) में कर्मकारों के लिए कार्यस्थल पर अस्थायी निवास उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- यद्यपि आवश्यक था, तथापि 39 स्थापनाओं (83 प्रतिशत) ने उचित अभिलेख/पंजी जैसे स्थापना पंजी, स्वास्थ्य पंजी, ओवरटाइम पंजी, सेवा प्रमाणपत्र पंजी आदि नहीं रखे थे।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) प्रत्येक मानदंड और निरीक्षण के प्रत्येक स्तर पर, निरीक्षण का प्रारूप विकसित किया जा रहा था और (ii) निरीक्षण इस वर्ष से नियमित रूप से जारी रहेगा।

2.10.3 कार्यस्थल पर सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया जाना

कंडिका 2.9.1 में उल्लिखित प्रावधान के आलोक में, निरीक्षकों को किसी भी स्थापना, जहां सन्निर्माण कार्य किया जा रहा हो, के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था, ताकि कर्मकारों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों और सुविधाओं की जांच की जा सके। इसके अलावा, बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 35, 56, 178, 179 और 231 के तहत नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वे कार्यस्थलों पर कर्मकारों के लिए अग्नि सुरक्षा, संयंत्रों और मशीनरी की समय—समय पर जांच, सुरक्षा नेट, सुरक्षा बेल्ट, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसे सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा ने 47 सन्निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा मानकों का अनुपालन न करने के निम्नलिखित उदाहरण देखे:

- 23 स्थापनाओं (49 फीसदी) में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।
- 30 स्थापनाओं (64 फीसदी) में अग्निशमन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- संयंत्रों और मशीनरी की आवधिक जांच (पहली बार उपयोग किए जाने से पहले, या किसी भी परिवर्तन या मरम्मत के बाद), 26 स्थापनाओं (55 प्रतिशत)) में नहीं की जा रही थी।
- 20 स्थापनाओं (43 प्रतिशत) में कर्मकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, जैसे सुरक्षा नेट, सुरक्षा बेल्ट आदि बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे।
- 37 स्थापनाओं (79 फीसदी) ने कर्मकारों की कोई वार्षिक चिकित्सा जांच नहीं की थी।

चूंकि विभाग/बोर्ड ने भवनों और अन्य सन्निर्माण स्थलों के निरीक्षण को उचित प्राथमिकता नहीं दी थी, इसलिए सन्निर्माण कर्मकारों को ऐसे वातावरण में काम करने के लिए बाध्य किया गया, जहां उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित नहीं की जा सकी थीं।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) निरीक्षण का प्रारूप, प्रत्येक मानदंडों और निरीक्षण के प्रत्येक स्तर पर, विकसित किया जा रहा था और (ii) निरीक्षण इस वर्ष से नियमित रूप से जारी रहेगा।

2.10.4 भवनों या अन्य सन्निर्माण कार्यों के प्रारंभ और समापन की तिथि की जानकारी नहीं देना

अधिनियम की धारा 46 और बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 26 के अनुसार, नियोक्ता, किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के शुरू होने और पूरा होने के तीस दिनों से पहले, उस क्षेत्र के निरीक्षक को ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ की वास्तविक तारीख या, जैसा भी मामला हो, के पूरा होने की सूचना देगा। किसी स्थापना के निबंधन का प्रमाण पत्र केवल ऐसे भवनों और किए गए अन्य सन्निर्माण कार्यों के लिए वैध होना था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, यदि नियोक्ता इस तरह की सूचना देने में विफल रहता है, तो वह तीन महीने तक की अवधि के लिए कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, 2017–22 के दौरान, नमूना जिलों में 205 स्थापना पंजीकृत किए गए थे। हालांकि, किसी भी पंजीकृत स्थापना ने भवनों या अन्य सन्निर्माण कार्यों को शुरू करने या पूरा करने के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसके अलावा, बोर्ड ने अपने निरीक्षकों के माध्यम से सन्निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी नहीं किया था, जिसके कारण, यह नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम के किसी भी दंडात्मक प्रावधान को लागू नहीं कर सका।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) एकीकृत उपकर संग्रह पोर्टल का संचालन, जिसमें निबंधन के लिए एक लिंक भी था, प्रक्रियाधीन था (ii) एक बार उपकर दाताओं का विवरण उपलब्ध होने के बाद, निबंधन के लिए भी उनका अनुसरण किया जाएगा।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड ने न तो राज्य में भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के प्रारंभ और समापन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, न ही संबंधित कार्य स्थलों का निरीक्षण किया था।

अनुशंसा 6: बोर्ड, भवनों और अन्य सन्निर्माण स्थलों के लक्ष्य-आधारित निरीक्षण को प्रोत्साहित कर सकता है, और उसका अनुवर्तन भी सुनिश्चित कर सकता है।

2.11 कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि का प्रशासन और उपयोग

बोर्ड को अपने द्वारा संग्रहित किए गए उपकर की राशि को अपने साथ पंजीकृत कर्मकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करना था। इसने मार्च 2022 तक पंद्रह कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित किया था और 20,45,472 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, इसने 12 कल्याणकारी योजनाओं पर ₹ 1,313.53 करोड़ का व्यय किया, और इन योजनाओं का लाभ 40,68,510 पंजीकृत कर्मकारों (**परिशिष्ट 2.8 क**) तक पहुँचाया गया था। हालांकि, बोर्ड ने दो प्रमुख विशेष योजनाओं, यथा वार्षिक चिकित्सा सहायता और कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

प्रशासन (बोर्ड और राज्य सलाहकार समिति के गठन, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिका 2.6.1.1 में चर्चा की गई है) और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों के उपयोग से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में विस्तार से गई है।

2.11.1 बोर्ड की कार्यप्रणाली

बोर्ड, बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि के प्रशासन, मंजूरी के लिए सरकार को अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करने, बोर्ड की गतिविधियों पर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, लेखाओं का उचित संधारण, बोर्ड के लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा, योगदान निधि का संग्रह, दावों का शीघ्र निपटान

और अग्रिमों एवं अन्य लाभों की मंजूरी और किसी भी राशि की उचित एवं समय पर वसूली जैसे कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार था।

2.11.1.1 बोर्ड की बैठकों के आयोजन में कमी एवं राज्य सलाहकार समिति की बैठकों का संचालन नहीं होना

(i) बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 253 के अनुसार, बोर्ड को आमतौर पर तीन माह में एक बार बैठक करना आवश्यक था। आगे, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय (फरवरी, 2012) में कल्याण बोर्डों को निर्देश दिया था कि वे योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयित करने तथा पात्र सदस्यों को निधियों के संवितरण के संबंध में दो माह में कम से कम एक बार अपनी बैठकें आयोजित करें।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को वार्षिक और दीर्घकालिक लक्ष्य और योजनाएं तैयार करने और योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 30 बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने इस अवधि के दौरान आवश्यक 30 बैठकों के सापेक्ष केवल 7 बैठकें आयोजित की थीं। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित विभिन्न मुद्दों जैसे निगरानी, उपकर का संग्रहण, स्थापना और कामगारों का निबंधन, कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त न करना, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करना और अल्पावधिक और दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करना आदि से संबंधित समस्याएं बोर्ड की बैठकों के कमी के कारण संभावित थी।

(ii) बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 20 में यह प्रावधान है कि राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) की बैठक 7 माह में कम से कम एक बार होनी थी।

निर्धारित आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, एसएसी को वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान कम से कम 10 बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इस अवधि के दौरान आवश्यक 10 बैठकों के सापेक्ष समिति ने कोई बैठक नहीं की थी।

एसएसी की किसी भी बैठक का संचालन न होना यह दर्शाता है कि यह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को औपचारिक रूप से सलाह देने में असमर्थ रहा था।

इस संबंध में, विभाग ने जवाब दिया कि: (i) चूंकि बोर्ड का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था, इसलिए इसकी बैठकें वित्तीय वर्ष 2019–20 के बाद आयोजित नहीं की जा सकीं, (ii) कोविड-19 महामारी के दौरान पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को लाभ प्रदान करने के लिए, साथ ही आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे एवाई) और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के कार्यान्वयन के लिए, एक बैठक 24.08.2020 को आयोजित की गई थी एवं (iii) एक बार बोर्ड का गठन हो जाने के बाद, प्रावधानों के अनुसार नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी।

2.11.1.2 बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं होना

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 262 (2) में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड के सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से, बोर्ड की बैठकें बुलाने, कार्यवृत्त का रिकॉर्ड रखने और बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए नोटिस जारी करेंगे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने अपनी बैठकों के दौरान लिए गए अपने कुछ निर्णयों को लागू नहीं किया था, जैसा कि तालिका 2.7 में विस्तृत है।

तालिका 2.7 : बोर्ड के निर्णय जो लागू नहीं किए गए

क्रम संख्या	बोर्ड की बैठक सं	बैठक की तिथि	लिये गए निर्णय
1	19	19.07.2017	बोर्ड 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों के लिए अटल पेंशन योजना ³⁸ के प्रीमियम की कुल राशि का भुगतान करेगा, ताकि उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह ₹1000 की पेंशन मिल सके।
2	20	04.04.2018	बीओसीडब्ल्यू के पंजीकृत कर्मकारों को आम आदमी बीमा योजना ³⁹ , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ⁴⁰ और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ⁴¹ का लाभ प्रदान किया जाएगा।
3	21	06.08.2018	बोर्ड अपने पंजीकृत कर्मकारों को सभी प्रकार की बीमारियों के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) बिहटा, पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा।
4	24	24.08.2020	1. प्रवासी कर्मकारों के निबंधन और निबंधन का नवीनीकरण, मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा 2 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, प्रवासी सन्निर्माण कर्मकारों के निबंधन एवं निबंधन के नवीनीकरण का लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अभिलेख)

तालिका 2.7 में दिए गए बोर्ड के निर्णयों को लागू नहीं करने के कारण अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बिहटा (पटना) स्थित ईएसआईसी अस्पताल में उपचार सुविधाओं और प्रवासी सन्निर्माण कर्मकारों के निबंधन एवं निबंधन के नवीनीकरण का लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था।

इस संबंध में, विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) निबंधन और निबंधन का नवीनीकरण ऑनलाइन कर दिया गया था (ii) एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा था (iii) 'ई-श्रम' पोर्टल, जिसमें 28.27 लाख सन्निर्माण कर्मकारों से संबंधित डेटा था, विकसित किया गया था और (iv) बोर्ड बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी पंजीकृत कर्मकारों को कवर करने का प्रयास कर रहा था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रवासी कर्मकारों के निबंधन के लिए मोबाइल ऐप विकसित नहीं किया गया था और आयुष्मान भारत योजना (**कंडिका 2.11.3.3**) के तहत सभी पात्र पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं अभी तक प्रदान नहीं की गई थीं। इसके

³⁸ अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है।

³⁹ आम आदमी बीमा योजना भारत सरकार की एक बीमा योजना है जो असंगठित श्रमिकों को मृत्यु और अक्षमता बीमा प्रदान करती है।

⁴⁰ प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है।

⁴¹ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक जीवन बीमा योजना है।

अलावा, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकृत कर्मकारों को लाभ देने हेतु भारत सरकार द्वारा 'ई-श्रम' पोर्टल विकसित किया गया था।

अनुशंसा 7: बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड और एसएसी की बैठकें नियमित रूप से, उचित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ आयोजित की जाएं।

2.11.1.3 जिला और अंचल (प्रखण्ड) स्तरीय कार्यालयों की स्थापना नहीं किया जाना और बोर्ड में मानव बल की कमी

किसी भी परियोजना/योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त मानव बल की उपलब्धता आवश्यक है।

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 260 में प्रावधान किया गया है कि बोर्ड, सरकार के अनुमोदन से, अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से जिला और अंचल (प्रखण्ड) स्तर के कार्यालय स्थापित कर सकता है।

बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिला/अंचल स्तर के कोई कार्यालय स्थापित नहीं किए थे और विभाग के अधिकारियों को उनके नियमित कर्तव्यों के अलावा अधिनियम के तहत निरीक्षकों, अपीलीय अधिकारियों, निबंधन अधिकारियों, उपकर संग्रहकर्ताओं और निर्धारण अधिकारियों के कर्तव्य सौंपे (सितंबर 2006) गए थे। आगे, विभाग ने बोर्ड में एक श्रम अधीक्षक और एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रतिनियुक्त किया था।

बोर्ड में अन्य पद, जैसे; (i) परामर्शदाता (योजना) – एक पद (ii) परामर्शदाता (लेखा एवं लेखापरीक्षा) – एक पद (iii) प्रबंधक (आईटी) – एक पद (iv) सहायक प्रबंधक (आईटी) – एक पद (v) कार्यक्रम कार्यपालक–तीन पद और (vi) लेखाकार–सह–स्टोर कीपर– एक पद, संविदात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बोर्ड के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे परामर्शदाता (योजना), परामर्शदाता (लेखा एवं लेखापरीक्षा), प्रबंधक (आईटी) तथा सहायक प्रबंधक (आईटी) के पदों के सापेक्ष शत प्रतिशत कमी थी। बोर्ड ने इन स्वीकृत पदों के लिए कोई नियुक्ति नहीं की थी। इन पदाधिकारियों की अनुपस्थिति से बोर्ड के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में कार्यक्रम कार्यकारी (अनुबंध के आधार पर) का केवल एक पद स्वीकृत किया गया था।

यद्यपि विभाग ने राज्य में डीएलसी, एलएस और एलईओ के पदों और कर्मियों के संबंध में स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने ऐसे क्षेत्रों में प्रदर्शन की कमी को उजागर किया जैसे कि उपकर का निर्धारण और संग्रह; स्थापनाओं का निरीक्षण और निबंधन; सन्निर्माण कर्मकारों का निबंधन; दुर्घटना या खतरनाक घटना की रिपोर्टिंग; तथा कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण, जिससे यह इंगित होता है कि ये अधिकारी बोर्ड से संबंधित अपने अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन समर्पित तरीके से नहीं कर पा रहे थे।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड ने हाल ही में स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक प्रबंधक (आईटी) और एक सहायक प्रबंधक (आईटी) नियुक्त किया था।

अनुशंसा 8: विभाग अपने मानव बल का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और प्राथमिकता के आधार पर रिक्तियों को भर सकता है।

2.11.2 वित्तीय प्रबंधन

बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.11.2.1 वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 25 और बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 261 (ग) के अनुसार, बोर्ड को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित करते हुए वार्षिक बजट तैयार करना था, और इसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजना था।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान अपना बजट तैयार नहीं किया था। किसी भी बजट की अनुपस्थिति में, बोर्ड अपनी प्राप्तियों और व्ययों का सटीक अनुमान लगाने, या योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य—आधारित वार्षिक योजना तैयार करने की स्थिति में नहीं था। इससे इसके खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की योजना एवं निगरानी में कमी आई थी, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा था। पुनर्गठन के पश्चात, वार्षिक बजट बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, योजनाओं और प्रशासनिक व्ययों की वार्षिक योजना के लिए बजट तैयार करना और उनकी स्वीकृति आवश्यक थी।

2.11.2.2 भारी शेष का संचय

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 265 में बिहार बीओसीडब्ल्यू कल्याण कोष के गठन की परिकल्पना की गई है। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बोर्ड को दिए गए अनुदान या ऋण या अग्रिम, यदि कोई हो; लाभार्थियों द्वारा भुगतान किए गए सभी अंशदान; और उपकर अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी राशियां; इस कोष में जमा किए जाने थे। कोष में प्राप्तियों का मुख्य स्रोत वह उपकर था, जो सन्निर्माण कार्य करने वाले नियोक्ताओं⁴² से (सन्निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से) वसूल किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान बोर्ड की प्राप्ति और व्यय का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 : वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, बोर्ड की प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	रोकड़ जमा (क)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (ख)				कुल (ग) (ग=क + ख)	वर्ष के दौरान व्यय (घ)			शेष (च) (च=ग-घ)
		संग्रहित उपकर	निर्बंधन शुल्क और अंशदान शुल्क	अर्जित व्याज	कुल (ख)		कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल (घ)	
2017-18	908.64	271.19	0.31	68.96	340.46	1,249.10	61.26	1.29	62.55	1,186.55
2018-19	1,186.55	451.08	2.41	66.51	520.00	1,706.55	80.81	2.56	83.37	1,623.18
2019-20	1,623.18	311.14*	2.72	50.05	363.91	1,987.09	295.65	2.49	298.14	1,688.95
2020-21	1,688.95	335.50**	2.05	107.94	445.49	2,134.44	537.80	2.26	540.06	1,594.38
2021-22	1,594.38	373.06	0.74	22.38	396.18	1,990.56	338.00	2.50	340.50	1,650.06
कुल		1,741.97	8.23	315.84	2,066.04		1,313.52	11.10	1,324.62	


(झोत: बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड)

* इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएसवाईएम) के ₹0.45 करोड़ और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रैडर्स के ₹0.23 करोड़ शामिल हैं।

**पीएसवाईएम के ₹0.49 लाख और एनपीएस ट्रैडर्स के ₹0.50 लाख शामिल हैं।

⁴² अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान के संदर्भ में 'नियोक्ता', उसके मालिक को संदर्भित करता है।

**चार्ट 2.3 : बीबीओसीडब्ल्यू कोष की कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय और संचित शेष
(₹ करोड़ में)**



(स्रोत : बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड)

तालिका 2.8 और चार्ट 2.3 से स्पष्ट है कि:

- ❖ 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,650.06 करोड़ (पीएमएसवाईएम और एनपीएस ट्रेडर्स राशि सहित) की निधियों का संचय हुआ, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में उपलब्ध निधियों की तुलना में ₹ 741.42 करोड़ (82 प्रतिशत) अधिक था। संचित शेष में ₹ 315.84 करोड़ का ब्याज शामिल था। जो वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान बोर्ड के बैंक खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों पर अर्जित किया गया था।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय का प्रतिशत संचित निधियों⁴³ का पांच प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान योजनाओं पर व्यय में ₹ 199.80 करोड़ की गिरावट आई थी।

इस संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभों के वितरण को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन न किए जाने के कारण निधियों का संचय हुआ था, जिसमें बैंक ब्याज भी शामिल है।

2.11.2.3 प्राप्ति में ब्याज की आय को शामिल नहीं करना

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-22 के दौरान सावधि जमा (स्वतः नवीनीकरण⁴⁴) में निवेश पर प्राप्त ₹ 153.80 करोड़ रुपये की ब्याज की आय को अपने लेखाओं में शामिल नहीं किया था। सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ब्याज आय को कम बताया गया था, जो तालिका 2.9 में विस्तृत है।

⁴³ वित्तीय वर्ष के लिए संचयी निधियाँ = (प्रारम्भिक शेष + कुल प्राप्तियाँ) – कुल व्यय।

⁴⁴ स्वचालित रूप से नवीकरण करने वाले निश्चित जमा, जो कि वर्तमान ब्याज दर पर, समान अवधि के लिए होते हैं।

तालिका 2.9 : सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (स्वतः नवीकरण)

(₹ करोड़ में)

बैंक	सावधि जमा की तिथि	मूलधन	परिपक्वता की तिथि	परिपक्व राशि	अर्जित ब्याज
यूनियन बैंक	18-04-2019	200.00	18-04-2020	215.28	15.28
	18-04-2020	215.28	18-04-2021	226.92	11.64*
	18-04-2021	226.92	19-04-2022	235.13	8.21*
बैंक ऑफ बड़ौदा	21-07-2018	520.00	21-07-2019	557.91	37.91
	21-07-2019	557.91	21-07-2020	593.90	35.99*
	21-07-2020	593.90	21-07-2021	616.49	22.59*
	21-07-2021	616.49	21-07-2022	638.67	22.18*
कुल					153.80

(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड)

* ब्याज राशि में कमी ब्याज दर में कमी के कारण है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड लेखाओं का संधारण नकद आधार पर कर रहा था और सभी सावधि जमा को स्वतः नवीकरण के आधार पर अनुरक्षित रखा जा रहा था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सावधि जमा पर वास्तव में प्राप्त ब्याज राशि रोकड़ बही से बाहर रखी गई थी।

2.11.2.4 अज्ञात स्रोतों से उपकर की प्राप्ति

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड को ऑनलाइन माध्यमों, जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए ₹ 407.96 करोड़ का उपकर प्राप्त हुआ था। हालांकि, बोर्ड को इन प्राप्तियों के स्रोतों की जानकारी नहीं थी और वह लेखापरीक्षा को यह जानकारी प्रदान करने में असमर्थ रहा। इन ब्यौरों के अभाव में बोर्ड प्राप्त उपकर की समर्यबद्धता और सही होने की पुष्टि नहीं कर सका।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि, कई बार, बोर्ड के खाते में पैसा जमा किया गया था, लेकिन इसे विशिष्ट कारण जैसे कि उपकर या निबंधन/नवीनीकरण से संबंधित नहीं किया जा सकता है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड अपने बैंक खाते में जमा अपनी प्राप्तियों की निगरानी करने में विफल रहा था।

अनुशंसा 9: बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके द्वारा अर्जित आय उसकी प्राप्तियों में शामिल है और इसकी ऑनलाइन प्राप्तियों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है।

2.11.2.5 वार्षिक आधार पर बोर्ड के वित्तीय विवरण को तैयार नहीं करना

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के नियम 261 (ई) और (एफ) के अनुसार, बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखाओं के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार था।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि इसके वित्तीय विवरण, जिसमें बैलेंस शीट, आय और व्यय विवरणी, प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण तथा वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ शामिल है, वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान वार्षिक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। तीन वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए वित्तीय विवरणी एक साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 में तैयार किए गए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए लेखाओं को वित्तीय वर्ष 2023–24

(सितंबर 2023 तक) में तैयार किया गया। यह दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के साथ—साथ आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को इंगित करता है।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा कोविड-19 महामारी के कारण समय पर नहीं की जा सकी, और (ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021–22 के लिए बोर्ड के लेखाओं का आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बोर्ड के वित्तीय विवरण वार्षिक रूप में तैयार नहीं किए गए थे।

2.11.2.6 प्रतिवेदनों को तैयार एवं प्रस्तुत नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि बोर्ड सही ढंग से खातों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। सीएजी, अधिनियम की धारा 27 (3) के साथ पठित सीएजी के कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971, की धारा 19 (2) के तहत बोर्ड के लेखाओं की जांच करता है और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड के वार्षिक लेखे वित्तीय वर्ष 2021–22 तक तैयार किए गए थे। हालांकि, बोर्ड के स्वीकृत लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, के कार्यालय को लेखापरीक्षा के साथ—साथ एसएआर तैयार करने के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लेखापरीक्षा के लिए स्वीकृत लेखे उपलब्ध न कराए जाने के परिणामस्वरूप, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किए गए और सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, सरकार बोर्ड के कार्य/प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति की समुचित निगरानी करने की स्थिति में नहीं थी।

2.11.2.7 वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 27(4) और (5) के अनुसार, बोर्ड को अपने लेखाओं की लेखापरीक्षित प्रति लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन⁴⁵ के साथ राज्य सरकार को यथा निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करनी होती है। राज्य सरकार को इस प्रतिवेदन को प्राप्त करने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना था।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि राज्य विधानमंडल को उपर्युक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005 में प्रावधान नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, ऐसा प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। इस कारण से, राज्य विधानमंडल को बोर्ड के लेखाओं और कार्यप्रणाली से अवगत नहीं कराया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2023) उत्तर दिया कि बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी और इस संबंध में एक सुविचारित निर्णय लिया जाएगा।

⁴⁵ बोर्ड के खातों की वार्षिक लेखापरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।


2.11.3 कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, में 12 कल्याणकारी योजनाएँ⁴⁶ निर्धारित की गई हैं। इनमें से भवन के सन्निर्माण/मरम्मत तथा औजारों एवं साइकिल की खरीद के लिए अगस्त, 2011 में 'भवन, औजार और साइकिल की खरीद के लिए विशेष अनुदान' नामक योजना शुरू की गई थी। इस योजना को बाद में (जनवरी 2017) तीन अलग-अलग योजनाओं में पृथक कर दिया गया, यथा (i) घर की मरम्मत के लिए अनुदान (ii) साइकिल की खरीद के लिए अनुदान और (iii) औजारों की खरीद के लिए अनुदान।

बोर्ड ने अधिसूचित किया (जनवरी 2017) कि पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार, जिन्होंने कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण (बोर्ड द्वारा प्रदत्त) पूरा कर लिया है, उन्हें अधिकतम ₹ 15,000 तक की लागत वाले उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद, बोर्ड ने अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित किया, यथा (i) वार्षिक चिकित्सा सहायता (अक्टूबर 2018), (ii) पितृत्व लाभ (फरवरी 2019) और (iii) कोविड-19 विशेष अनुदान (सितंबर 2020)।

अधिनियम के तहत पंजीकृत कर्मकारों को योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में दावा आवेदन (वार्षिक चिकित्सा सहायता और कोविड-19 विशेष अनुदान योजनाओं को छोड़कर) प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच करने और लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के बाद कार्रवाई की जानी थी। दावों को मंजूरी देने के बाद क्षेत्राधिकार वाले उपश्रमायुक्त को बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता संवितरित करनी थी। उक्त प्रक्रिया चार्ट 2.4 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.4 योजना के अंतर्गत आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया



(स्रोत : बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अभिलेख)

बोर्ड के पास पंजीकृत लाभार्थियों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

⁴⁶ (i) मातृत्व लाभ (ii) पेंशन (iii) घर के निर्माण या खरीद के लिए अग्रिम (iv) विकलांगता पेंशन (v) उपकरण खरीदने के लिए ऋण (vi) अंतिम संस्कार सहायता (vii) मृत्यु लाभ (viii) नकद पुरस्कार (ix) चिकित्सा सहायता (x) शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (xi) विवाह के लिए वित्तीय सहायता और (xii) पारिवारिक पेंशन।

2.11.3.1 शून्य व्यय की कल्याणकारी योजनाएं एवं उनकी समीक्षा न किया जाना

(i) विभाग की दिनांक 16.01.2017 की राजपत्र अधिसूचना के ए (iii) के साथ पठित बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के नियम 275 के अनुसार, बोर्ड स्थायी रूप से विकलांग लाभार्थी को प्रति माह ₹1,000 की विकलांगता पेंशन को मंजूरी दे सकता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 16.01.2017 की विभाग की राजपत्र अधिसूचना के ए (vi) के साथ पठित इन नियमावली के नियम 281 के अनुसार, बोर्ड दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस नियमावली के नियम 284 में पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।

बोर्ड बीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2005, के उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत तीन कल्याणकारी योजनाएं अर्थात् विकलांगता पेंशन, परिवारिक पेंशन और चिकित्सा सहायता संचालित कर रहा था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, बोर्ड ने इन तीन योजनाओं में से किसी पर भी कोई व्यय नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बोर्ड ने कुछ वर्षों में कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया था जैसे वित्तीय वर्ष 2017–2019 के दौरान पितृत्व लाभ, नकद पुरस्कार और साइकिल खरीद अनुदान; वित्तीय वर्ष 2017–2020 के दौरान शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और वर्ष 2019–20 के दौरान पेंशन। इस प्रकार बोर्ड में पंजीकृत कामगार उक्त योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे।


विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि इन योजनाओं के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी और वास्तविक आवेदनों की प्राप्ति न होना, इन तीन योजनाओं में ‘शून्य’ व्यय का कारण हो सकता है।

विभाग के उत्तर ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि की, जिसकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिका 2.7.4 में की जा चुकी है।

(ii) बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और चयनित छ: जिलों में पंजीकृत कर्मकारों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 13 योजनाओं (वार्षिक चिकित्सा सहायता और कोविड-19 विशेष अनुदान योजनाओं को छोड़कर) में से आठ का लाभ प्रदान किया जा रहा था (**परिशिष्ट-2.8 ब**)। चयनित जिलों में, कुल 6,70,849 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 0.21 प्रतिशत से 1.78 प्रतिशत कर्मकारों को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला था। इसके अलावा, राज्य में 10 कल्याणकारी योजनाओं⁴⁷ (**परिशिष्ट 2.8 अ**) का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मकारों का प्रतिशत, 0.0005 प्रतिशत से दो प्रतिशत (मार्च 2022) तक था। वित्तीय वर्ष 2018–22 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या **चार्ट 2.5** में दर्शाई गई है।

⁴⁷ विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, नकद पुरस्कार, साइकिल खरीद अनुदान, भवन मरम्मत अनुदान, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, पेंशन, मृत्यु लाभ और अंत्येष्टि सहायता।

चार्ट 2.5 : वित्तीय वर्ष 2018–22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या



(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

इन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कम संख्या संभवतः कर्मकारों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी के कारण था, क्योंकि बोर्ड ने जागरूकता अभियान नहीं चलाया था (**कंडिका 2.7.4**)। इसकी पुष्टि लाभार्थी सर्वेक्षण (**कंडिका 2.12**) के दौरान भी हुई थी, जिसमें केवल दो प्रतिशत) सन्निर्माण कर्मकारों ने कहा था कि उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी है। साथ ही, बोर्ड ने अपने पंजीकृत कर्मकारों के लिए कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण शुरू नहीं किया था (अगस्त 2023), जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के तहत राशि भी वितरित नहीं की गई थी।

बोर्ड के अभिलेखों में तीन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शून्य संवितरण के कारणों का उल्लेख उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, अभिलेख में यह भी कोई संकेत नहीं मिला कि बोर्ड ने अपनी किसी भी बैठक में इन योजनाओं की समीक्षा की थी।

2.11.3.2 पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित नहीं किया जाना

विभाग ने वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना (अक्टूबर 2018) शुरू की थी जिसके तहत प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को प्रति वर्ष कुल ₹3,000 प्रदान किये जाने थे। इसी तरह, ‘कोविड-19 विशेष अनुदान योजना’ को केवल वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, प्रत्येक पात्र और पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकार को कुल मिलाकर ₹ 2,000 प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था (सितंबर 2000)। इन दोनों योजनाओं में, वित्तीय लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाना था।

बोर्ड ने अपनी 19वीं बैठक (19.07.2017) में निर्णय लिया था कि निबंधन अधिकारी पंजीकृत कर्मकारों की ई-केवाइसी करेंगे ताकि कल्याणकारी योजनाओं की राशि को लक्षित लाभार्थियों तक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अंतरित किया जा सके।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 और 2020–21, के दौरान चिन्हित लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 7,69,431, 13,06,448 और 14,87,023 थी। बोर्ड ने कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के लिए, 31.08.2020 तक उपलब्ध पंजीकृत कर्मकारों के आँकड़ों से 13,67,778 पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों का चयन किया था।

वित्तीय वर्ष 2018–21 के दौरान वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के लाभों के संवितरण की स्थिति तालिका 2.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.10 : वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत संवितरण की स्थिति (जून 2022 तक)

वित्तीय वर्ष	संवितरण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त राशि (₹ करोड़ में)	उन लाभार्थियों की संख्या जिनको विफल लेनदेन के कारण संवितरण प्राप्त नहीं हुआ	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों की कुल संख्या
2018-19	7,36,692	221.01	32,739	9.82	7,69,431
2019-20	12,28,195	368.46	78,253	23.48	13,06,448
2020-21	12,95,539	388.66	1,91,484	57.45	14,87,023
कुल	32,60,426	978.13	3,02,476	90.75	35,62,902

(स्रोत: बीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड) * इनमें उन लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने संबंधित वित्तीय वर्ष का भुगतान बाद में प्राप्त किया।

जैसा कि तालिका 2.10 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2018–21 के दौरान, वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत राशि के अंतरण के समय, 35,62,902 लाभार्थियों में से 3,02,476 लाभार्थियों से संबंधित लेन–देन विफल रहे थे। इसलिए, लेन–देन की विफलता के कारण इन लाभार्थियों को ₹ 90.75 करोड़ की सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

इसी तरह, कोविड-19 विशेष अनुदान योजना के तहत, 13,67,778 लाभार्थियों में से केवल 11,07,696 लाभार्थियों को योजना के तहत राशि प्राप्त हुई थी। शेष 2,60,082 लाभार्थियों को लेन–देन की विफलता के कारण ₹ 52.02 करोड़ की राशि का योजना लाभ नहीं मिला था। लेन–देन की विफलता के कारणों में अमान्य आईएफएससी, डुप्लिकेट खाता संख्या, डुप्लिकेट और अमान्य आधार संख्या, गैर–मौजूद/अमान्य खाता संख्या, आधार और बैंक खाताओं में नामों में अंतर, निबंधन कार्ड और बैंक पासबुक में नामों में अंतर, लंबित केवाईसी आदि शामिल हैं।

इन असफल लेनदेनों से संकेत मिला कि बोर्ड ने इन योजनाओं के तहत राशि अंतरित करने से पहले लाभार्थियों के ई–केवाईसी का संचालन सुनिश्चित नहीं किया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं हो सका कि वास्तविक लाभार्थियों को वास्तव में भुगतान कर दिया गया था, क्योंकि बोर्ड ने लेखापरीक्षा को पंजीकृत कर्मकारों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया था।

इस संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि: (i) कोविड-19 योजना के मामले में, श्रम अधीक्षकों को लाभार्थी की ओर से विफल लेनदेन के सुधार के लिए कहा गया था (ii) वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के मामले में, शेष राशि को अंतरित करने का दूसरा प्रयास किया गया था और 82,089 लाभार्थियों के खातों में राशि सफलतापूर्वक अंतरित कर दी गई थी, और तीसरा प्रयास भी किया जा रहा था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने इन 82,089 लाभार्थियों को किए गए भुगतान के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था।

2.11.3.3 योजना पर ₹ 110.90 करोड़ व्यय के उपरांत भी नगण्य संख्या में आयुष्मान कार्ड का सृजन

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत— प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम—जेएवाई)⁴⁸ के तहत पात्र पंजीकृत कर्मकारों को स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए बिहार हेतु ₹ 221.79 करोड़ के अनुमानित व्यय की अनुशंसा की थी (नवंबर 2019)। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) के साथ मिलकर योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड⁴⁹ जारी करने थे।

बोर्ड ने पीएम—जेएवाई के तहत द्वितीयक⁵⁰ और तृतीयक⁵¹ चिकित्सा उपचार के लिए अपने पंजीकृत कर्मकारों को फैमिली फ्लोटर⁵² आधार पर पांच लाख रुपये का लाभ आच्छादित करने के लिए एसएचए के साथ एक समझौता ज्ञापन (फरवरी 2021) किया था। समझौता ज्ञापन के अनुसार, केवल ऐसे पंजीकृत कर्मकारों को योजना में शामिल किया जाना था, जिन्हें सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, पीएम—जेएवाई के तहत आच्छादित नहीं किया गया था, साथ ही बीमा (एमओयू) की अवधि 12 माह थी। यह योजना अप्रैल 2021 से शुरू होनी थी और बोर्ड को योजना की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत) (₹ 110.90 करोड़) का अग्रिम भुगतान करना था। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आसानी से पहुँचने योग्य स्थानों की पहचान करनी थी और एसएचए बिहार के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाना था।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में पीएम—जेएवाई योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा अनुमोदित 15,05,915 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 15,479 कर्मकारों (1.03 प्रतिशत) के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे (अप्रैल 2022)। चयनित छ: जिलों⁵³ में भी 4,48,400 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 1,078 कर्मकारों (0.24 प्रतिशत) के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे।

अभिलेखों की जांच से आगे पता चला कि, हालांकि बोर्ड ने एसएचए, बिहार को ₹110.90 करोड़ का अग्रिम भुगतान (मार्च 2021) किया था, लेकिन उसने यह सुनिश्चित नहीं किया था: (i) एसएचए के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाना और (ii) कर्मकारों के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु एकत्रित होने के लिए आसानी से पहुँचने योग्य स्थानों की पहचान करना सुनिश्चित नहीं किया था। इसलिए, पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बावजूद, पंजीकृत कर्मकारों को नगण्य संख्या में आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे। परिणामस्वरूप, अधिकांश लक्षित लाभार्थी ₹110.90 करोड़ के व्यय के बाद भी योजना के लाभों से वंचित रहे।

विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी एलएस/एलईओ को निर्देशित किया गया था कि वे पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों को उनके आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें और इस संबंध में कर्मकारों को अवगत कराने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे।

⁴⁸ पीएमजेएवाई भारत सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार में, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए), अर्थात् बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति (बीएसएसएस), जो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन है, उच्चतम निकाय है।

⁴⁹ यह कार्ड पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जाता है।

⁵⁰ 'द्वितीयक उपचार' से तात्पर्य है वह उपचार जो अस्पताल में विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है।

⁵¹ 'तृतीयक उपचार' से तात्पर्य है वह उपचार जो अस्पताल में अत्यधिक विशिष्ट उपकरणों के माध्यम से दिया जाता है।

⁵² 'फैमिली फ्लोटर' एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरे परिवार को कवरेज प्रदान करती है।

⁵³ दरभंगा: 35 (31,165), गया: 61 (67,154), मुजफ्फरपुर: 436 (61,592), पटना: 411 (1,55,801), सारण: 69 (39,076) तथा पश्चिम चंपारण: 66 (93,612)

2.11.3.4 कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों के निस्तारण में विलंब

बोर्ड ने अपने निबंधित कर्मकारों के लिए 13 कल्याणकारी योजनाओं (वार्षिक चिकित्सा सहायता और कोविड-19 विशेष अनुदान योजना शामिल नहीं) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी (नवम्बर 2008) किया था। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन और स्वीकृति के लिए समयसीमा को उनकी प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 66 दिनों⁵⁴ तक निर्धारित किया गया था।

तीन चयनित जिलों⁵⁵ में लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि नामित प्राधिकारियों ने उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों के सत्यापन और अनुमोदन के लिए निर्धारित समय—सीमा का पालन नहीं किया था। इन जिलों में जांच किए गए 129 मामलों में से 118 मामलों (91 प्रतिशत) में आवेदनों के अनुमोदन में कुल मिलाकर तीन से 981 दिनों के बीच विलम्ब हुआ। यहाँ तक कि 32 मृत्यु मामलों और 11 अन्त्येष्टि सहायता मामलों में भी अनुमोदन में 19 से 884 दिनों के बीच विलम्ब पाया गया। शेष जिलों (गया, सारण और पश्चिम चंपारण) में लेखापरीक्षा, विलम्ब की सीमा का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि निबंधित कर्मकारों से प्राप्त आवेदनों पर प्राप्ति की तारीख अंकित नहीं की गई थी। आवेदनों का विलम्ब से निष्पादन यह इंगित करता है कि इच्छित लाभार्थियों को आर्थिक लाभों का अंतरण भी विलंबित हुआ। जिससे श्रमिकों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि आवेदनों के निपटान के लिए एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा था।

2.11.3.5 सामाजिक अंकेक्षण का संचालन नहीं किया जाना

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, ने सामाजिक अंकेक्षण की रूपरेखा को अग्रसारित (जुलाई 2019) की, जिसे अधिनियम के बेहतर, अधिक प्रभावी और सार्थक कार्यान्वयन के लिए आयोजित किया जाना था। इस ढांचे में अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र के साथ—साथ सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने के उद्देश्य और कार्यप्रणाली शामिल थी। अंकेक्षण दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य के प्रत्येक प्रखंड (ग्रामीण क्षेत्रों) और वार्ड (शहरी क्षेत्रों) में किया जाना था।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने ढाई साल से अधिक समय बीत जाने के बाद सामाजिक अंकेक्षण संस्था, पटना (बिहार सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र संस्था) के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया था। हालाँकि, बोर्ड ने संस्था के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण शुरू नहीं किया था (अक्टूबर 2022)। सामाजिक अंकेक्षण कराने में विलंब के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाए गए।

चूंकि बोर्ड तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मंत्रालय के निर्देशों को कार्यान्वित नहीं कर सका था, इसलिए अधिनियम के बेहतर और सार्थक कार्यान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

54

विवरण	सक्षम प्राधिकार	निष्पादन की अधिकतम समय
प्राप्ति एवं एलएस को आवेदन प्रेषण	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	30 दिन
जॉच एवं डीएलसी को आवेदन प्रेषण	श्रम अधीक्षक	15 दिन
अंतिम स्वीकृति	उप श्रम आयुक्त	21 दिन

⁵⁵ दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि पायलट जिले में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाधीन थी।

अनुशंसाएँ

10: बोर्ड एक मजबूत तंत्र स्थापित कर सकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपकर निधियों के उपयोग के माध्यम से इसकी कल्याणकारी योजनाओं को विधिवत लागू किया जाए और पंजीकृत कर्मकारों को समयबद्ध तरीके से लाभ दिया जाए।

11: बोर्ड अपने निगरानी तंत्र को वार्षिक बजट की तैयारी, सीएजी द्वारा अपने खातों का लेखापरीक्षा सुनिश्चित करना और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सरकार को प्रस्तुत करना तथा सामाजिक लेखापरीक्षा का आयोजन करने द्वारा सुदृढ़ कर सकता है।

2.12 कर्मकारों / लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणाम

एक लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें चयनित लाभार्थियों से प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया, ताकि लाभार्थियों की पहचान और निबंधन के संबंध में बोर्ड का प्रदर्शन, कल्याणकारी योजना आवेदनों की जांच और वित्तीय सहायता प्रदान करने का मूल्यांकन किया जा सके।

लाभार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, उन्हें एक प्रश्नावली प्रदान की गई। इस प्रश्नावली को योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता, पर्याप्तता एवं प्रभाव का पता लगाने और इस संबंध में लाभार्थियों की संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए तैयार किया गया थ। लाभार्थियों के सर्वेक्षण में प्रत्येक चयनित जिले से कम से कम 100 लाभार्थियों का नमूना लिया गया, जिसमें यादृच्छिक रूप से चयनित कार्यस्थलों पर 30 अपंजीकृत कर्मकार शामिल थे। सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने 657 कर्मकारों / लाभार्थियों से बातचीत की, जिसमें 446 लाभार्थी और 30 अपंजीकृत संस्थानों के कार्यस्थलों पर 211 कर्मकार शामिल थे। सर्वेक्षण के प्रमुख अवलोकन इस प्रकार थे:

कार्यस्थल पर

- केवल एक कामगार (0.5 प्रतिशत) पंजीकृत पाया गया।
- पांच कर्मकारों (दो प्रतिशत) को बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी थी।
- 13 कर्मकार (छ: प्रतिशत) बोर्ड में निबंधन की प्रक्रिया से अवगत थे।
- सात कर्मकारों (तीन प्रतिशत) को बीओसीडब्ल्यू कार्ड के उद्देश्य के बारे में जानकारी थी।
- 11 कर्मकार (पांच प्रतिशत) कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों से अवगत थे।

योजनाओं के लाभार्थी:

- 146 लाभार्थियों (33 प्रतिशत) को कल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी।
- 81 लाभार्थियों (18 प्रतिशत) को बोर्ड के साथ निबंधन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी।

- 136 लाभार्थियों (30 प्रतिशत) को बीओसीडब्ल्यू कार्ड के उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं थी।
 - 69 लाभार्थियों (15 प्रतिशत) को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी।
 - 100 लाभार्थियों (22 प्रतिशत) ने किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया था।
- विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे कदमों से स्थिति में सुधार होगा।

अध्याय-III

**बिहार राज्य फसल सहायता
योजना का कार्यान्वयन**

अध्याय—III

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

सहकारिता विभाग

3 बिहार राज्य फसल सहायता योजना का कार्यान्वयन

यद्यपि यह योजना किसानों को उनकी फसलों के कम उत्पादन की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन प्राप्त आवेदनों में से लगभग 52 प्रतिशत आवेदन भू—स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी), स्व—घोषणा, सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति आदि से संबंधित मामलों के कारण निरस्त कर दिए गए थे जो योजना के कार्यान्वयन के लिए की गई तैयारियों की अपर्याप्तता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में किसानों को संबंधित लाभों के विलंबित भुगतान के मामले भी थे जो योजना के मूल उद्देश्य, यथा किसानों को समय पर वित्तीय सहायता के साथ अपनी नियमित आगामी फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना, के विपरीत था। योजना आरम्भ होने के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, गैर—रैयत किसान के परिवार का निर्धारण करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन में अस्पष्टता थी। फसल क्षेत्र के अतिशयोक्ति के मामलों से बचने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप वास्तविक लाभार्थियों को योजना के तहत उपलब्ध लाभों से वंचित रहना पड़ा। बड़े मान वाले वित्तीय सहायता के अंतरणों की एक बड़ी संख्या खातों के आधार से लिंक नहीं होने, खाता बंद होने आदि कारणों से विफल रही। राज्य और साथ ही जिला दोनों स्तरों पर योजना के लिए निगरानी तंत्र, राज्य और जिला स्तरीय समन्वय समितियों के कामकाज में कमियों के कारण अप्रभावी था।

3.1 परिचय

बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, पाला आदि कारणों से फसलों के कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य फसल सहायता योजना (बीआरएफएसवाई) आरम्भ (जून 2018) की थी। इस योजना में किसानों को अपनी नियमित आगामी फसलों का उत्पादन करने और कृषि को व्यवसाय का एक लाभदायक साधन मानने के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई थी।

यह योजना वैसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे ('रैयत' किसान) के साथ ही वैसे लोग जो अन्य रैयत की जमीन पर खेती कर रहे थे (गैर—रैयत किसान) को आच्छादित करती थी। यद्यपि, गैर—रैयत किसान परिवारों से, केवल एक सदस्य ही योजना के लाभ के लिए पात्र था। खरीफ¹ मौसम 2019 से, किसानों को योजना के तहत लाभ की अधिकतम राशि की सीमा के अधीन, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत एक साथ लाभ का दावा करने की अनुमति दी गई थी।

योजना के तहत लाभ के लिए भूमि क्षेत्र, प्रति लाभार्थी अधिकतम दो हेक्टेयर तक सीमित किया गया था। थ्रेसहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज² दर में 20 प्रतिशत तक अथवा

¹ वह व्यक्ति जिसे खेती योग्य भूमि रखने का अधिकार प्राप्त है।

² कृषि विभाग, बिहार सरकार, के अनुसार, संपूर्ण कृषि संचालन को दो फसल ऋतुओं में विभाजित किया गया है, जिन्हें खरीफ और रबी के नाम से जाना जाता है। खरीफ का मौसम मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर के अंत तक चलता है, जिसके बाद रबी का मौसम आता है।

³ फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित, जो संबंधित मौसम में अर्ध एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

अधिक की कमी की स्थिति में, अधिकतम स्वीकार्य सहायता राशि ₹ 15,000 (वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की कमी के लिए ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर की दर से) और ₹ 20,000 (वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी के लिए ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से) निर्धारित की गई थी। सहायता राशि लाभार्थियों के संबंधित आधार से जुड़े बैंक खातों में अंतरित की जानी थी। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए न्यूनतम सहायता राशि ₹ 500 निर्धारित की गई थी।

योजना के अंतर्गत लाभ देने के लिए, किसी विशेष फसल की उपज दर में कमी⁴ का मूल्यांकन फसल की निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज⁵ के साथ वास्तविक उपज की तुलना पर आधारित था।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, खरीफ और रबी मौसमों के लिए फसल कटाई प्रयोग और उनके परिणामों को योजना के पोर्टल (<https://pacsonline-bih.nic.in>) पर क्रमशः 28 फरवरी और 30 जून तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना था जबकि खरीफ और रबी मौसम के लिए सहायता राशि का भुगतान क्रमशः अप्रैल और सितंबर तक किया जाना था।

3.2 भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

सचिव के नेतृत्व में सहकारिता विभाग (विभाग) योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग था। सचिव की सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर निबंधक—सहकारी समितियाँ, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव आदि एवं प्रमण्डल/जिला/प्रखंड स्तरों पर विभाग के अन्य पदाधिकारी जैसे प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक (सहकारी समितियाँ), जिला सहकारिता पदाधिकारी (डीसीओ), प्रखंड सहकारिता विस्तार पदाधिकारी (बीसीईओ) आदि थे। परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू⁶) को योजना के कार्यान्वयन में विभाग की सहायता करनी थी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को किसानों के आधार की पुष्टि करनी थी।

राज्य के विकास आयुक्त के नेतृत्व में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी), योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकार था। एसएलसीसी को योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीओईएस) द्वारा अधिसूचित फसलों में से योजना के तहत आच्छादित की जाने वाली फसलों का चयन करना था। इन फसलों को हर साल खरीफ और रबी मौसमों के दौरान अधिसूचित किया जाना था। जिला स्तर पर, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) को योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है।

योजना का कार्यान्वयन तंत्र चार्ट 3.1 में दिखाया गया था :

⁴ वास्तविक उपज में कमी (प्रतिशत में) = थ्रेसहोल्ड उपज—वास्तविक उपज / थ्रेसहोल्ड उपज × 100।

⁵ यह पिछले सात वर्षों की औसत उपज को योजना के तहत निर्धारित मुआवजा (लाभ पर विचार करने के लिए निर्धारित सीमा) स्तर, अर्थात् 70 प्रतिशत, से गुणा करके निकाली गई।

⁶ विभाग द्वारा मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम (हरियाणा) को पीएमयू के रूप में नियुक्त किया गया था।

चार्ट 3.1: योजना का कार्यान्वयन तंत्र

किसानों को हर मौसम में अनिवार्य रूप से योजना पोर्टल पर पंजीकरण/आवेदन करना था और अपने आवश्यक विवरण/दस्तावेज अपलोड करने थे

फसल की वास्तविक उपज अर्थ एवं सांख्यिकी निरेशालय, बिहार सरकार, द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से निर्धारित की जानी थी

फसल की वास्तविक उपज के आधार पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति को वास्तविक उपज की तुलना फसल की थ्रेसहोल्ड उपज के साथ करने के बाद उपज में कमी का निर्धारण करना था

तुलना के परिणामों के आधार पर, यदि वास्तविक उपज थ्रेसहोल्ड उपज से कम थी, तो पंचायतों और जिलों को लाभ के लिए पात्र घोषित किया जाना था

लाभार्थियों का सत्यापन, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा, इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया जाना था

निर्दिष्ट सत्यापन पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा के आधार पर, परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को डाटा का सत्यापन करना था

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को लाभार्थियों के आधार की पुष्टि करनी थी

लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से किया जाना था

(स्रोत: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, के अभिलेख)

3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के लिए किया गया था कि क्या:

- लाभार्थियों के पंजीकरण, पहचान और सत्यापन के लिए एक प्रभावी प्रणाली मौजूद थी
- योजना में खातों के रखरखाव और लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन कुशल था
- योजना के अंतर्गत एक पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद था।

3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित स्रोत हैं:

- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए योजना दिशानिर्देश, आदेश/परिपत्र।
- जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त
- बिहार वित्तीय नियमावली (बीएफआर), 2005 और बिहार कोषागार संहिता (बीटीसी), 2011।

3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और सीमाएँ

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक की अवधि सम्मिलित थी और इसे सितंबर से दिसंबर 2022 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, के साथ—साथ पांच⁷ जिला सहकारिता कार्यालयों, 10 प्रखण्ड सहकारिता कार्यालयों और 20 ग्राम पंचायतों (जीपी) (बिना प्रतिस्थापन आकार के आनुपातिक सम्भावना नमूनाकरण विधि से चयनित⁸) के अभिलेखों की नमूना—जाँच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक निरीक्षण के लिए इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके 300 लाभार्थियों (प्रत्येक प्रतिदर्शित जीपी से 15) का चयन किया गया था (परिशिष्ट-3.1)।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेख विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छाओं के मन्तव्य प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रहण, भौतिक निरीक्षण आदि शामिल है। लेखापरीक्षित इकाई अर्थात् विभाग और सभी चयनित जिलों के जिला सहकारी अधिकारियों के साथ अंतर्गमन एवं बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किये गये (सितम्बर—दिसम्बर 2022)। बिहार सरकार/विभाग के मंतव्य को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन को विभाग द्वारा प्रस्तुत मंतव्य (फरवरी 2023) के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है।

कई अनुरोधों के बावजूद, विभाग ने योजना के डाटाबेस की पहुंच प्रदान नहीं की। इससे लेखापरीक्षा के लिए डाटा का मूल परीक्षण करना प्रभावित हुआ। यद्यपि, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा जारी प्रारूपों में योजना का डाटा प्रदान किया था, जिनका विश्लेषण संबंधित कंडिका में किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य रूप से विभाग स्तर पर कुछ अभिलेखों⁹ के गैर—रखरखाव/गैर—प्रस्तुति के मामले थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.6 योजना का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा के दौरान, योजना के आयोजन, लाभार्थियों का पंजीकरण, पहचान और सत्यापन, आवेदनों का अस्वीकरण आदि से संबंधित कई कमियां इंगित की गईं जिनकी चर्चा अनुगामी कंडिकाओं में की गई है।

3.6.1 योजना

- **संभावित इच्छित लाभार्थियों का डाटाबेस:** राज्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सेल के लिए केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ—साथ उल्लेख किया गया कि डीबीटी का उद्देश्य इच्छित लाभार्थियों की सटीक पहचान और लक्ष्यीकरण के माध्यम से उन सभी लोगों को लाभ का अधिकार प्रदान करना है जो इनके पात्र हैं। इसलिए, संभावित लाभार्थियों (किसानों) का एक डाटाबेस, जिसमें उनके प्रासंगिक विवरण, जैसे कि उनके खेतों का आकार और स्थान, उनके द्वारा सामान्य रूप से बोई गई फसलें, उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण आदि सम्मिलित हों, योजना के आयोजन, अनुमान, सीमा—निर्धारण, निगरानी एवं संतोषजनक आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता। हालाँकि, विभाग के पास ऐसे संभावित लाभार्थियों का कोई

⁷ बांका, पूर्वी चंपारण, गया, समस्तीपुर और सुपौल।

⁸ इस पद्धति के तहत, उच्च आकार वाली संस्थाओं के चयन की संभावना अधिक होगी।

⁹ कैशबुक, बैंक समाधान विवरण और शिकायतों के रिकॉर्ड, चयनित लाभार्थियों के आंशिक दस्तावेज़, ई—ऑफिस तक प्रतिबंधित पहुंच, कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों आदि के उत्तर प्रस्तुत न करना शामिल था।

डाटाबेस नहीं था, और यह योजना के लाभों के आवेदन में बाधाओं का आकलन (यदि कोई हो) करने के लिए, छूटे हुए किसानों के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सका।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) विभिन्न मौसमों में भूमि, बोई गई फसलों और किसानों की श्रेणियों से संबंधित आंकड़ों में बदलाव के कारण, इस आधार पर योजना बनाना और अनुमान लगाना मुश्किल था और (ii) छूटे हुए किसानों का आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए, खरीफ 2022 मौसम से पंजीकरण और दस्तावेजों को अपलोड करने की प्रक्रिया को संशोधित किया गया था।

सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग को योजना के क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी और इस प्रकार, योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों के आच्छादन का पता लगाने में असमर्थ था, जैसा कि डीबीटी दिशानिर्देशों के तहत परिकल्पित किया गया था।

- एलपीसी की अनिवार्य आवश्यकता:** योजना दिशानिर्देशों में खरीफ 2021 मौसम से पहले रैयत किसानों द्वारा वर्तमान भूमि दखल प्रमाणपत्र (एलपीसी¹⁰) अनिवार्य रूप से जमा करने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद, एलपीसी के विकल्प के रूप में, अद्यतन भूमि राजस्व रसीद को भी अनुमति दी गई थी। इस संबंध में पृच्छा करने पर, विभाग ने बताया (दिसंबर 2022) कि, चूंकि तकनीकी/आधिकारिक कारणों से किसानों को समय पर एलपीसी नहीं मिल सका, इसलिए वैकल्पिक प्रमाण के रूप में भूमि राजस्व रसीद की अनुमति दी गई थी। इससे संकेत मिलता है कि विभाग को योजना शुरू होने के समय किसानों को एलपीसी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता नहीं था और उसने योजना शुरू होने के तीन साल (छ: मौसम सम्मिलित) के बाद देर से सुधारात्मक उपाय किए थे। इससे रैयत किसानों के आवेदन अस्वीकृत हो गये, जैसा कि कंडिका 3.6.3 में चर्चा की गई है।

- गैर-रैयत परिवार की परिभाषा:** योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-रैयत श्रेणी के किसान परिवार का केवल एक ही सदस्य, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र था। हालाँकि, योजना दिशानिर्देशों के तहत “परिवार” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। यह बताए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2022) कि अपने क्षेत्र निरीक्षण के दौरान किसान सलाहकारों¹¹ या अन्य नामित पदाधिकारियों द्वारा परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के तहत, परिवार की संरचना तेजी से बदल रही थी, और, इन परिस्थितियों में, चिन्हित परिवारों के किसी भी पूर्व डाटा का उपयोग नए परिवारों को योजना के लाभ से वंचित कर सकता है और (ii) पंचायत स्तर के पदाधिकारी परिवारों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और इसलिए, उनके सत्यापन के आधार पर किसी सदस्य की पहचान करना एक उचित विकल्प था। सरकार का जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि यह मुद्दा ‘परिवार’ को परिभाषित करने से संबंधित था, न कि चिन्हित परिवारों के किसी पूर्व डाटा के उपयोग से। इसके अलावा, किसी परिभाषित मानदंड के अभाव में, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थीं।

¹⁰ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अंचल पदाधिकारी द्वारा जारी भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र।

¹¹ पंचायत स्तर पर कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले किसान को नियुक्त किया जाता है।

3.6.2 लाभार्थियों का पंजीकरण, पहचान और सत्यापन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इच्छुक किसानों को प्रत्येक मौसम में योजना पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक था। पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत पहचान पत्र, स्वयं का फोटो, बैंक पासबुक और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। रैयत किसानों को अपने नाम पर जारी एलपीसी और बोई गई फसल के क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना था। योजना के तहत पंजीकरण को आवेदन माना जाना था। आवेदकों का सत्यापन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया जाना था। गैर-रैयत किसानों को भी क्षेत्र और बोए गए फसल का विवरण देते हुए एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना पड़ता था। इस घोषणा को किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना था, जिनके पास भूमि अभिलेख तक पहुंच नहीं थी। इससे योजना के तहत ढीले प्रावधानों के अस्तित्व का संकेत मिलता है, जिससे आवेदनों की अस्वीकृति और स्वीकृति की वास्तविकता सत्यापित नहीं हो पाती है। इसलिए, जैसा कि **कांडिका 3.6.5 एवं 3.6.8** में उल्लिखित है, अपात्र आवेदकों को योजना का लाभ मिलने या पात्र आवेदकों को लाभ न मिलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभिन्न मौसमों के दौरान योजना के तहत किए गए आवेदनों और परिणामी प्रसंस्करण का सारांश **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1:
योजना के अंतर्गत प्रस्तुत एवं प्रसंस्कृत आवेदन (13.10.2022 तक)

मौसम	विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए आवेदनों की संख्या				सत्यापित आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	योजना लाभ के लिए पात्र आवेदनों की संख्या (क्रम 6-7)				वितरित राशि (₹ करोड़ में)
	रैयत	गैर-रैयत	रैयत और गैर-रैयत#	कुल (2+3+4)			रैयत	गैर-रैयत	रैयत और गैर-रैयत#	कुल (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीफ 2018	5,15,313	6,35,214	-	11,50,527	5,77,122	1,01,611	1,96,567	2,56,438	-	4,53,005	368.65
रबी 2018–19	8,65,840	8,88,510	-	17,54,350	2,44,974	59,250	84,274	96,393	-	1,80,667	74.40
खरीफ 2019	11,20,162	13,70,287	4,046	24,94,495	7,28,296	3,25,120	58,128	3,41,417	872	4,00,417	288.28
रबी 2019–20	8,31,812	10,95,328	28,372	19,55,512	8,54,397	4,42,373	28,646	3,56,236	8,638	3,93,520	185.14
खरीफ 2020	16,23,343	22,45,751	60,014	39,29,108	16,46,472	11,69,776	5,781	4,55,169	11,424	4,72,374	230.45
रबी 2020–21	4,06,554	8,96,979	29,567	13,33,100	4,04,805	2,23,239	7,059	17,2495	161	17,9715	70.44
खरीफ 2021	3,56,317	11,87,637	22,478	15,66,432	6,35,177	3,09,093	9,209	3,09,739	406	3,19,354	207.23
कुल	57,19,341	83,19,706	1,44,477	1,41,83,524	50,91,243	26,30,462	3,89,664	19,87,887	21,501	23,99,052	1,424.59

(स्रोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

* रबी 2021–22 मौसम का विवरण छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस मौसम के लिए आवेदन लेखापरीक्षा अवधि से परे प्रसंस्कृत किए गए थे।

इस श्रेणी में ऐसे किसान शामिल हैं जिन्होंने रैयत (अपनी जमीन पर खेती करने के लिए) और गैर-रैयत (दूसरे व्यक्ति की जमीन पर खेती करने के लिए) दोनों श्रेणियों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था।

तालिका 3.1 में देखा जा सकता है कि प्राप्त 1,41,83,524 आवेदनों (जिनमें उन किसानों के 90,92,281 आवेदन सम्मिलित हैं, जिनकी पंचायतों को अपात्र घोषित कर दिया गया था और जिन्हें योजना के तहत सत्यापन की आवश्यकता नहीं थी) के विरुद्ध 50,91,243 पात्र आवेदनों का सत्यापन किया गया था। इन 50,91,243 सत्यापित आवेदनों में से 26,30,462 आवेदन विभिन्न कारणों जैसे आवेदन के साथ एलपीसी संलग्न न करना; अपलोड न करना या गलत स्व-घोषणाएँ अपलोड करना; गैर-रैयत परिवार के सदस्यों द्वारा एक से अधिक आवेदन; विभाग द्वारा सत्यापन के दौरान लाभार्थियों/उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति; और विविध एवं अज्ञात

कारणों से खारिज कर दिए गए थे, जैसा कि **कंडिका 3.6.3** में चर्चा की गई है। 23,99,052¹² स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध कुल ₹1,424.59 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिसमें 3,89,664 रैयत, 19,87,887 गैर-रैयत और 21,501 रैयत और गैर-रैयत किसान शामिल हैं।

यह अवलोकन किया गया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए रैयत किसानों को अपनी भूमि का विवरण (जैसे खाता¹³, खेसरा¹⁴, थाना¹⁵ और मौजा¹⁶ संख्या आदि) जमा करना आवश्यक था, जबकि गैर-रैयत किसानों को केवल स्व-घोषणा जमा करना था। इन स्व-घोषणाओं में सत्यापन के अधीन भूमि के किसी विशिष्ट विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, इन घोषणाओं को किसान सलाहकारों/पंचायतों के वार्ड सदस्यों द्वारा सत्यापित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने योजना के लाभों में विभिन्न श्रेणियों के अंशों से संबंधित डाटा का विश्लेषण किया, जैसा कि **तालिका 3.1** में उपलब्ध है। इस विश्लेषण के परिणाम, रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणियों के तहत स्वीकृत आवेदनों के अंशों (प्रतिशत के अनुसार) के विवरण सहित, **तालिका 3.2** में दिखाये गये हैं।

तालिका 3.2 योजना लाभों में विभिन्न श्रेणियों का हिस्सा (प्रतिशत के हिसाब से)

वर्ग	रैयत	गैर-रैयत	रैयत और गैर-रैयत दोनों	कुल
किये गये आवेदनों के प्रतिशत के रूप में	40.32	58.66	1.02	100
स्वीकृत किये गये आवेदनों और प्रसंस्कृत भुगतान के प्रतिशत के रूप में	16.24	82.86	0.90	100

(स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 3.2 में दर्शाया गया है कि जहाँ रैयत किसानों का आवेदन में 40 प्रतिशत हिस्सा था, वहीं उनके द्वारा प्राप्त अंतिम लाभ का हिस्सा मात्र 16 प्रतिशत था। जबकि गैर-रैयत किसानों का अंतिम लाभ में हिस्सा 83 प्रतिशत था। रैयत किसानों के कम लाभ का कारण उनके आवेदनों की बड़ी संख्या में अस्वीकृति (कुल अस्वीकृत आवेदनों का 51 प्रतिशत) था, जो नवीनतम भूमि अधिकार प्रमाण पत्र (एलपीसी) संलग्न न करने के कारण हुआ।

सरकार ने (फरवरी 2023) में जवाब दिया कि, गैर-रैयत किसानों की संख्या अधिक थी और वे अन्य लोगों की भूमि पर खेती कर रहे थे, इसलिए उन्हें केवल क्षेत्र और फसल का नाम प्रस्तुत करना था।

सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि पंजीकरण, पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया में ढीले प्रावधानों की संभावना दर्शाई गई थी। इसके अलावा, अयोग्य व्यक्तियों को लाभ प्राप्त करने के मामले भी देखे गए (**कंडिका 3.6.5**) और आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई। इसी प्रकार, उचित पहचान और सत्यापन की अनुपस्थिति में, पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता (**कंडिका 3.6.3**)।

¹² 61,729 आवेदनों को छोड़कर (49,331 आधार के सत्यापन न होने के कारण भुगतान नहीं किए गए और 12,398 को फसल बोए गए क्षेत्रों की अतिशयोक्ति के कारण रोक दिया गया, जैसा कि कंडिका 3.6.7 में चर्चा की गई है)।

¹³ एक रैयत के भूमि पार्सल की एक समग्र होल्डिंग संख्या।

¹⁴ शासकीय सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार भूखण्ड की क्रमांक संख्या।


¹⁵ एक अधिसूचित राजस्व ग्राम को आवंटित संख्या।

¹⁶ राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में एक गाँव।

3.6.3 योजना लाभों के लिए आवेदनों की अस्वीकृति

सत्यापित किये गये 50,91,243 आवेदनों में से, 26,30,462 आवेदन (52 प्रतिशत) चार्ट 3.2 में दिखाए गए कारणों से विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए (परिशिष्ट-3.2)।

चार्ट-3.2: योजना के अंतर्गत आवेदनों का कारणवार अस्वीकृति



(स्रोत: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

विभाग के संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि यदि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन में यथोचित प्रयास एवं लाभार्थियों के समक्ष आने वाली बाधाओं को कम किया होता तो अस्वीकृतियों से बचा जा सकता था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) एलपीसी संलग्न न करने के कारण अस्वीकृतियाँ: कंडिका 3.6.1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अवलोकन के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि औसत 51 प्रतिशत अस्वीकृति के मुकाबले, रैयत किसान श्रेणी में, अनिवार्य एलपीसी के कारण यह प्रतिशत क्रमशः खरीफ 2021 और रबी 2021–22 सीजन में 30 और तीन प्रतिशत पर आ गया, क्योंकि वैकल्पिक प्रमाण (भूमि किराया रसीद) की शुरुआत की गई थी। हालांकि, खरीफ 2021 सीजन से पहले एलपीसी के बदले वैकल्पिक प्रमाण के अभाव में पात्र आवेदनों की अस्वीकृति से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) समय पर अद्यतन एलपीसी की अनुपलब्धता के कारण आवेदनों को अस्वीकार करने के कारण, किसानों को अद्यतन एलपीसी, या अद्यतन भू-राजस्व रसीदें अपलोड करने का विकल्प दिया गया था, जो कि खरीफ 2021 सीजन से प्रभावी था और (ii) एलपीसी के बदले वैकल्पिक व्यवस्था पहले लागू नहीं की जा सकी, क्योंकि आवेदनों की अस्वीकृति में तेजी से वृद्धि का मुद्दा बाद में सामने आया। सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने योजना शुरू होने से पहले एलपीसी प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का आकलन नहीं किया था और काफी संख्या में आवेदनों के अस्वीकृतियों और केवल तीन साल (छ: मौसमों से संबंधित) के बाद एलपीसी के बदले में वैकल्पिक व्यवस्था की थी।

(ii) गैर-रैयत किसानों द्वारा स्व-घोषणाएँ: इसमें मुख्य रूप से किसानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में फसलों की बुवाई के संबंध में या तो स्व-घोषणाओं का न अपलोड करना या गलत स्व-घोषणाएँ अपलोड करना शामिल था। गैर-रैयत किसान की स्व-घोषणा को किसान सलाहकार या वार्ड

सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना था, जिनके पास भूमि अभिलेख तक पहुंच नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं पाया कि गैर-रैयत किसानों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणाओं के सत्यापन उनके द्वारा जोत की जा रही भूमि के अभिलेख के बिना सही थी या नहीं। इसलिए, योजना के तहत 4,48,349 आवेदनों की अस्वीकृति की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सरकार ने जवाब दिया कि: (i) किसानों को, उनके पंजीकरण के दौरान, समय-समय पर विज्ञापनों के माध्यम से सूचित किया गया था (ii) किसान सलाहकारों और पर्यवेक्षी विभागीय कर्मचारियों के पास पूरी जानकारी थी और, उनकी मदद से, किसान सही दस्तावेज अपलोड कर सकते थे और (iii) खरीफ 2022 सीजन से, उन किसानों के दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेदारी, जो स्वयं दस्तावेज अपलोड करने में असमर्थ हैं, संबंधित किसान सलाहकार और बीसीईओ को दी गई थी।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य के स्तर पर जोत की गई भूमि के रिकॉर्ड की सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं था, जिससे आवेदनों की शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) किसानों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति: लेखापरीक्षा ने ऐसा कोई तंत्र नहीं पाया जो विभाग ने किसानों के सत्यापन के समय उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया हो। इसके अतिरिक्त, आवेदकों को सत्यापन के समय/तिथियों के बारे में सूचित किए जाने या सत्यापन के समय किसानों या उनके प्रतिनिधियों को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था। सत्यापन के समय किसानों या उनके प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण 3,95,314 आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) क्षेत्र सत्यापन के दौरान किसान या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य थी (ii) क्षेत्र सत्यापन करने वाले क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ता आम तौर पर एक ही पंचायत/गांव के होते थे और उन्होंने किसानों को उचित अवसर दिया था और (iii) आवेदन केवल तभी अस्वीकृत किए थे जब न तो किसान, न ही उनके प्रतिनिधि, क्षेत्र सत्यापन के दौरान उपलब्ध थे। सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग क्षेत्र सत्यापन की अवधि के संबंध में किए गए पर्याप्त प्रचार या किसानों को क्षेत्र सत्यापन के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के पर्याप्त अवसर देने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

(iv) गैर-रैयत श्रेणी में एक परिवार द्वारा एकाधिक संख्या में आवेदन: हालाँकि, योजना में गैर-रैयत किसान परिवार के केवल एक सदस्य को योजना का लाभ देने का प्रावधान था, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि गैर-रैयत किसान के संबंध में 'परिवार' शब्द को योजना के दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं किया गया था। इसलिए, क्षेत्रीय पदाधिकारियों साथ ही साथ किसानों दोनों के लिए गैर-रैयत परिवार के निर्धारण के संबंध में अस्पष्टता थी। उपरोक्त अस्पष्टता के कारण आवेदनों की अस्वीकृति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सरकार ने जवाब दिया कि गैर-रैयत श्रेणी के परिवार के सदस्यों के निर्धारण के लिए क्षेत्र सत्यापन सबसे अच्छा विकल्प था। सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि किसी परिभाषित

मानदंड के अभाव में, गैर-रैयत श्रेणी के परिवार के सदस्यों का निर्धारण करने हेतु क्षेत्र सत्यापन, क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं को अनुचित विवेक दे सकता था, जिसमें गलत व्याख्या/हेरफेर की संभावना थी।

(v) **विविध कारण:** विभाग ने विविध कारणों यथा फसलें नहीं बोये जाने, सर्वेक्षक की टिप्पणियाँ स्पष्ट नहीं होने, भुगतान बंद होने तक लाभार्थियों की विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) सत्यापित नहीं होने, गलत दस्तावेज अपलोड किए जाने, गलत क्षेत्र घोषणा/किसान श्रेणियों में परिवर्तन के कारण दस्तावेज अमान्य होने आदि के कारण 1,62,830 आवेदन अस्वीकृत कर दिए थे। अभिलेखों पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिससे यह संकेत मिलता हो कि किसानों के बीच जागरूकता पैदा करके इन प्रक्रियात्मक खामियों को दूर करने के प्रयास किए गए थे। इस संबंध में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

(vi) **वर्णित नहीं किए गए कारण:** विभाग 97,858 आवेदनों को अस्वीकृत करने के विस्तृत कारण उपलब्ध नहीं कर सका। इन अस्वीकृतियों के कारणों की प्रकृति हो सकती थी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और समाधान संभव हो सकता था, यदि उन्हें उचित रूप से पहचाना और वर्गीकृत किया गया होता। इस संबंध में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

(vii) **योजना के बारे में जागरूकता की कमी:** योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रावधान था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने योजना के लिए धन आवंटित करते समय सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) से संबंधित गतिविधियों के लिए धन का कोई प्रावधान नहीं किया था। यह किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी का कारण हो सकती है, जो अन्य बातों के अलावा योजना के तहत आवेदनों की अस्वीकृति में महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।

इस प्रकार, विभाग ने लाभार्थियों के बीच उचित जागरूकता नहीं पैदा की थी, जिसमें किसानों के लिए उनके आवेदनों की स्थिति जानने की सुविधा की व्यवस्था भी शामिल थी।

अनुशंसाएः

1. सरकार को आवेदनों के सही होने की पुष्टि के लिए एक तंत्र बनाने और किसानों को उनके आवेदनों की स्थिति और लाभ भुगतान के बारे में जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए।
2. सरकार को किसानों और विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए गैर-रैयत परिवार की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए।

3.6.4 विलंबित भुगतान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के कम उत्पादन की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी आय में निरंतरता बनाए रखते हुए आगामी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना था। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार खरीफ और रबी मौसम की सहायता राशि के भुगतान के लिए निर्धारित माह क्रमशः अप्रैल और सितंबर था। योजना दिशानिर्देशों में सीरीज़ के परिणामों को ऑनलाइन अपलोड करने और लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले मौद्रिक लाभों की स्व-गणना की भी परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि जुलाई 2022 तक 24,08,275¹⁷ लेनदेन से संबंधित कुल ₹1,424.59 करोड़ की राशि लाभार्थियों को वितरित की गई थी। इनमें से, 15,27,419 लेनदेन (63.42 प्रतिशत) से संबंधित ₹867.36 करोड़ की राशि का लाभ, भुगतान के निर्धारित महीनों की तुलना में 21 महीने तक की देरी से भुगतान किया गया था, जैसा कि तालिका 3.3 में दिखाया गया है (परिशिष्ट-3.3 में विस्तृत)।

तालिका 3.3: किसानों को विलंबित भुगतान

विलंबित भुगतान की श्रेणी (महीने में)	लेन-देन की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
3 महीने तक	11,78,994	706.95
6 महीने तक	2,34,318	109.32
9 महीने तक	82,003	34.26
12 महीने तक	17,758	7.30
15 महीने तक	7,216	5.31
21 महीने तक	7,130	4.22
कुल	15,27,419	867.36

(झोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

कम उत्पादन की स्थिति में, नियमित आगामी कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को निरंतर वित्तीय सहायता बनाए रखने के योजना के उद्देश्य के विपरीत योजना के तहत विलंबित भुगतान दिया गया था।

यह इंगित किये जाने पर, विभाग ने प्रारंभ में जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि: (i) अधिकतर लाभार्थियों को नियमित भुगतान तीन महीने के भीतर किया गया था और (ii) क्षेत्रीय निरीक्षण, सत्यापन में देरी और कृष्ण आवेदनों में तकनीकी मुद्दों के कारण, भुगतान में देरी हुई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि लगभग 3.48 लाख लेनदेन छ: महीने से लेकर 21 महीने तक की देरी से किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभाग ने आवेदनों के सत्यापन के लिए विशिष्ट समय-सीमा के साथ कोई प्रणाली नहीं अपनाई थी। देरी से बचने के लिए एसएलसीसी ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीओईएस) से सीसीई का डाटा सॉफ्ट कॉपी में प्राप्त करना का निर्णय लिया (नवंबर 2020), लेकिन विभाग ने सीसीई डाटा की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं किया था।

सरकार ने जवाब दिया कि सीसीई के डाटा को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

अनुशंसा 3: सरकार योजना के उद्देश्यों के अनुसार लाभार्थियों को समय पर लाभ का भुगतान सुनिश्चित कर सकती है।

¹⁷ 23,99,052 पात्र आवेदनों के सापेक्ष, 24,08,275 लेन-देन किए गए, जैसा कि तालिका 3.1 के कॉलम 11 में उल्लेखित है। विभाग के अनुसार, इन दोनों आंकड़ों के बीच का 9,223 का अंतर रबी 2018–19 सीजन में फसलवार भुगतान सलाह बनाने के कारण था।

3.6.5 गैर-रैयत किसान परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ दिया जाना

कंडिका 3.6.1 और 3.6.3 (iv) में निहित टिप्पणियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि योजना के अंतर्गत 20 गैर-रैयत लाभार्थियों (274 भौतिक सत्यापित गैर-रैयत किसानों में से सात प्रतिशत) को ₹1.52 लाख की राशि का भुगतान लाभार्थियों को किया गया जिनमें लाभार्थियों के पति/पत्नी को ₹1.47 लाख का अलग से भुगतान के साथ किया गया (परिशिष्ट-3.4)। यदि योजना के सभी लाभार्थियों के लिये रुझान पर विचार किया जाए तो संख्या और राशि बढ़ सकती है।

विभाग ने प्रारंभ में जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि गैर-रैयत श्रेणी के परिवारों में एक से अधिक लाभार्थी का कोई मामला नहीं था। सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि किसान सलाहकारों या अन्य नामित पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण के दौरान परिवार के सदस्यों का भौतिक सत्यापन किया गया था। सरकार के जवाब से पता चलता है कि पहचान को पूरी तरह से क्षेत्रीय पदाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

3.6.6 फसल कटाई प्रयोगों के अंतर्गत संदिग्ध मूल्यांकन

डीओईएस को फसलों की उपज दरों के निर्धारण के लिए सीसीई (जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर) आयोजित करना था और यह उपज दर किसी विशेष फसल के लिए समान रूप से लागू होनी थी। डीओईए द्वारा वर्गीकरण के अनुसार, गन्ने और सात¹⁸ अन्य फसलों के लिए सीसीई जिला स्तर पर आयोजित की जानी थी और राज्य के 16 जिलों को गन्ने की फसल के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया था (दिसंबर 2020)।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, 2020 में, डीओईएस ने केवल तीन¹⁹ जिलों में गन्ने के उत्पादन में कमी की सूचना दी थी। हालाँकि, इसी अवधि के लिए गन्ना उद्योग विभाग (एसआईडी), बिहार सरकार के प्रतिवेदन में बाढ़ के कारण 10²⁰ जिलों के 68 प्रखंडों में 35,238 हेक्टेयर गन्ना फसल में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एसआईडी के प्रतिवेदन में मधेपुरा और सीवान जिलों के नाम सम्मिलित नहीं थे, हालांकि इन दोनों जिलों को डीओईएस की रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया था।

इसके बाद, इस संबंध में की गई एक सार्वजनिक शिकायत के निपटान के दौरान, सहकारिता विभाग ने डीओईएस को सूचित किया (दिसंबर 2021) कि, कुछ ग्राम पंचायतों में बाढ़ से गन्ने की फसल की क्षति के बावजूद, जिले में फसल का औसत उत्पादन अन्य ग्राम पंचायतों में अच्छे उत्पादन के कारण कम नहीं हुआ था (गन्ना को जिला स्तरीय फसल²¹ के रूप में अधिसूचित किया गया था।) विभाग ने डीओईएस से ग्राम पंचायत स्तर पर गन्ने की फसल के लिए सीसीई आयोजित करने पर विचार करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2021), ताकि इसे ग्राम पंचायत स्तर की फसल²² के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

¹⁸ मसूर, अरहर, राई-सरसों, प्याज, आलू, चना और सोयाबीन।

¹⁹ मधेपुरा, दरभंगा और सिवान।

²⁰ पश्चिम चंपारण (18), बेगूसराय (11), मुजफ्फरपुर (1), दरभंगा (1), वैशाली (1), समस्तीपुर (11), खगड़िया (2), गोपालगंज (6), सीतामढी (13) और शिवहर 4।

²¹ उन फसलों को इंगित करता है जिनके लिए डीओईएस ने जिला स्तर पर सीसीई का संचालन किया था। उन विशेष फसलों की प्राप्त उपज दर उस विशेष जिला के लिए समान रूप से लागू थी।

²² उन फसलों को इंगित करता है जिनके लिए विभाग ने ग्राम पंचायत स्तर पर सीसीई का संचालन किया था। उन विशेष फसलों की प्राप्त उपज दर उस विशेष ग्राम पंचायत के लिए समान रूप से लागू थी।

इससे संकेत मिलता है कि सीसीई में गलतियों की संभावना थी, जिसके कारण फसल को पर्याप्त नुकसान होने के बावजूद किसानों को योजना के लाभ से वंचित किए जाने की संभावना थी।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि भुगतान योजना दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने स्वयं गन्ने की फसल के नुकसान, जैसा कि एसआईडी द्वारा प्रतिवेदित किया गया, के संबंध में शिकायत पर सहमति व्यक्त की थी और ग्राम पंचायत स्तर पर गन्ने की फसल के सीसीई आयोजित करने के लिए डीओईएस से अनुरोध किया था।

3.6.7 अन्य विभागों के साथ लाभ से जुड़े मामलों की लंबित स्थिति

यह अवलोकन किया गया कि विभाग उन ग्राम पंचायतों को (लाभों का भुगतान करने से पहले, आगे के सत्यापन के लिए) संदेहास्पद श्रेणी में डालता है जिनमें योजना का लाभ देने के लिए कुल बोया गया फसल क्षेत्र, औसत फसल बोए गए क्षेत्र (जैसा कि विभाग द्वारा राज्य के कुल बोए गए फसल क्षेत्र को राज्य में ग्राम पंचायत की कुल संख्या से विभाजित कर निर्धारित किया गया) से अधिक था।

विभाग ने रबी 2019–20 और खरीफ 2021 मौसम के दौरान, 13 ग्राम पंचायतों को संदेहास्पद श्रेणी में डालकर 12,398 लाभार्थियों से संबंधित ₹ 15.60 करोड़ की राशि का भुगतान रोक दिया था। भुगतान की निर्धारित तिथियों (रबी 2019–20 मौसम के लिए सितंबर 2020 और खरीफ 2021 मौसम के लिए अप्रैल 2022) के तीन से 16 महीने के अंतराल के बाद, विभाग ने कृषि विभाग से इन 13 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत बोई गई फसल का वास्तविक क्षेत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (फरवरी 2022 और अगस्त 2022)। हालाँकि, विभाग को अभी तक कृषि विभाग से उनके सत्यापन के पश्चात डाटा प्राप्त नहीं हुआ था और इन लाभार्थियों का भुगतान रुका हुआ था (दिसंबर 2022 तक)।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि वह कृषि विभाग से अपेक्षित डाटा प्राप्त होने के बाद लंबित भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। सरकार का जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग से डाटा प्राप्त करने में उसका उदासीन रवैया लाभार्थियों को किए जाने वाले भुगतान में अनावश्यक रूप से देरी कर रहा था और इस प्रकार, योजना के इच्छित उद्देश्य को विफल कर रहा था। इसके अतिरिक्त, राज्य के कुल बोए गए फसल क्षेत्र को राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के साथ विभाजित करके, एक पंचायत के बोए गए फसल क्षेत्र को परिभाषित करने की पद्धति भी उचित नहीं थी, क्योंकि यह एक विशेष पंचायत में फसल बोए गए वास्तविक क्षेत्र को प्रतिबिंबित नहीं करेगी।

3.6.8 अमान्य भुगतान

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि, खरीफ 2020 और 2021 मौसम में, सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के लिए समस्तीपुर जिले के दो प्रखंडों के 478 लाभार्थियों को ₹8.09 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ था {हसनपुर प्रखंड: ₹6.39 लाख (395 लाभार्थी) और सिंधिया प्रखंड: ₹1.70 लाख (83 लाभार्थी)}। हालाँकि, दोनों प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीएओ)/प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन दोनों प्रखंडों की किसी भी ग्राम पंचायतों में सोयाबीन की फसल की खेती नहीं की गई थी। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (डीएसओ) ने भी पुष्टि की कि इन दो प्रखंडों में इस फसल के लिए सीसीई आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, योजना के तहत, उस फसल के लिए, जो इन प्रखंडों के तहत नहीं बोई जा रही थी, 478 लाभार्थियों को ₹8.09 लाख का अमान्य भुगतान किया गया था।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि डीओईएस से प्राप्त उपज दर एवं क्षेत्र/डाटा सत्यापन के आधार पर भुगतान किया गया था। सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि बीएओ, बीडीओ और डीएसओ ने इन दो प्रखंडों में सोयाबीन की फसल की खेती नहीं होने और सीसीई का संचालन नहीं होने की पुष्टि की थी। ऐसे में ₹8.09 लाख का भुगतान अनियमित था।

अनुशंसा 4: विभाग को संबंधित प्रखंडों में नहीं बोई गई फसलों के लिए लाभार्थियों को अस्वीकृत भुगतान की अनुमति देने की जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।

3.7 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक के संबंधित वित्तीय विवरणों में, 31 मार्च 2022 तक ₹1,554.33 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध किए गए ₹1,288.88 करोड़ (83 प्रतिशत) के व्यय का वर्णन किया गया। इसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ₹265.45 करोड़ का अभ्यर्पण (योजना के तहत भुगतान के लिए कम आवश्यकताओं के कारण), शामिल था जैसा कि तालिका 3.4 में बताया गया है।

तालिका 3.4: योजना के तहत वर्ष–वार आवंटन, व्यय और धनराशि का अभ्यर्पण

वर्ष	आवंटन (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	निधि अभ्यर्पण (₹ करोड़ में)
2018–19	318.23	318.23	—
2019–20	448.78	183.33	265.45
2020–21	416.84	416.84	—
2021–22	370.48	370.48	—
कुल	1,554.33	1,288.88	265.45

(स्रोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

वित्तीय प्रबंधन संबंधी अन्य अनियमितताओं पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.1 विफल लेनदेन

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि वित्त वर्ष 2018–19 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान योजना के तहत किए गए 24,08,275 लेनदेन में से 1,23,195 (पांच प्रतिशत) लेनदेन विफल हो गए थे। ये लेनदेन किसानों के बैंक खातों से आधार लिंक न होने, खाते बंद होने आदि के कारण विफल हो गए थे। इस प्रकार, विभिन्न मौसमों में पात्र किसानों को ₹ 51.11 करोड़ अंतरित नहीं किए गए थे, जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.5: मौसम–वार विफल लेनदेन (20.10.2022 तक)

मौसम	विफल लेनदेन की संख्या	राशि (₹ करोड़)
खरीफ 2018	2,403	1.44
रबी 2018–19	3,852	1.44
खरीफ 2019	21,235	12.10
रबी 2019–20	26,073	9.81
खरीफ 2020	43,182	15.27
रबी 2020–21	9,999	3.22
खरीफ 2021	16,451	7.83
कुल	1,23,195	51.11

(स्रोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

₹ 51.11 करोड़ की गैर-अंतरित राशि में से ₹ 46.41 करोड़ की राशि कोषागार में जमा की गई थी (जुलाई 2022 तक)।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) कुछ मामलों में बैंक खातों को आधार से लिंक न होने, निष्क्रिय आधार, तकनीकी मुद्दों के कारण भुगतान नहीं किया जा सका और (ii) ऐसे मामलों में, सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बैंकों ने लाभार्थियों को तीन बार सूचित किया था, और, यदि लेनदेन फिर भी विफल हो गया तो उस स्थिति में राशि को कोषागार में अंतरित कर दिया गया था।

सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सरकार विफल लेनदेन के मुद्दे को हल करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए ठोस उपायों, यदि कोई हो, के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अपर्याप्त कदम उठाए जाने के कारण, इच्छित लाभ लाभार्थियों को अंतरित नहीं किया गया था और इसके बजाय कोषागार में वापस कर दिया गया था।

3.7.2 आधार सत्यापन न होने के कारण योजना लाभों की लंबित स्थिति

योजना के राशि आवंटन पत्रों के अनुसार, पीएमयू द्वारा पदाधिकारियों (बीडीओ द्वारा प्रतिनियुक्त) के प्रतिवेदित की गयी राय के सत्यापन और उसके बाद एनआईसी द्वारा आधार के सत्यापन के बाद ही किसानों को लाभ का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि आधार के सत्यापन न होने के कारण 49,331 लाभार्थियों को योजना का लाभ अंतरित नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.6 में वर्णित किया गया है:

तालिका 3.6: गैर-सत्यापित आधारों का मौसम-वार विवरण

मौसम	किसानों की संख्या
ख़रीफ 2018	22,506
रबी 2018–19	5,057
ख़रीफ 2019	2,759
रबी 2019–20	9,913
ख़रीफ 2020	4,322
रबी 2020–21	1,851
ख़रीफ 2021	2,923
कुल	49,331

(स्रोत: सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

विभाग ने जवाब दिया कि किसानों के नाम/पिता के नाम में विसंगतियों के मामलों के कारण लाभार्थियों के आधार को एनआईसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। हालाँकि, विभाग और पीएमयू के बीच निष्पादित समझौते के अनुसार, पीएमयू को योजना कार्यान्वयन के लिए उपयोगी लाभार्थियों के डाटा, जैसे आधार, कृषि योग्य भूमि, बोया गया क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक जानकारी के वेब-आधारित सत्यापन की सुविधा प्रदान करनी थी। हालाँकि, इन 49,331 किसानों को लाभ का भुगतान नहीं किया गया था, क्योंकि न तो बीडीओ द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और न ही पीएमयू ने इस पर ध्यान देकर विसंगतियों को दूर किया था। विभाग ने लाभार्थियों को भुगतान के लिए शेष वास्तविक राशि से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए, लेखापरीक्षा इन मामलों में शामिल वास्तविक राशि का निर्धारण नहीं कर सका।

सरकार ने जवाब दिया कि आधार के सत्यापन न होने के मामलों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एनआईसी ने संबंधित किसानों को एसएमएस भेजे थे। सरकार का जवाब मान्य नहीं

था, क्योंकि विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई के अभाव में सहायता राशि संबंधित लाभार्थियों को अंतरित नहीं की गई थी।

3.8 निगरानी और मूल्यांकन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, विकास आयुक्त और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में क्रमशः एसएलसीसी और डीएलसीसी को योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य और जिला स्तर पर सौंपी गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने, संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कुछ मुद्दे अवलोकित किये, जैसे योजना का गैर-मूल्यांकन, एसएलसीसी की बैठकें आयोजित करने में देरी, डीएलसीसी बैठकों का आयोजन न होना, पीएमयू को अनुचित लाभ आदि, जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चा की गई है।

3.8.1 योजना के प्रभाव का मूल्यांकन न किया जाना

कार्यक्रमों एवं पहलों की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन उनकी सफलता की संभावना और उनके लाभों के वितरण के दायरे को मजबूत करता है।

हालाँकि, विभाग के अभिलेखों की जांच से पता चला कि उसने योजना का कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग ने प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर किसी भी मध्य सुधार को सुनिश्चित करने का अवसर खो दिया था।

सरकार ने जवाब दिया कि प्रभाव मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह निश्चित अवधि की परियोजनाओं के लिए आयोजित किया जाना था और यह योजना एक चालू योजना थी। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि किसी चालू योजना के मामले में भी प्रभाव मूल्यांकन से योजना का उद्देश्यों के साथ उचित संरेखण सुनिश्चित करने में मदद मिलती।

3.8.2 एसएलसीसी की बैठकें आयोजित करने में देरी

खरीफ और रबी मौसम के लिए एसएलसीसी की बैठक आयोजित करने की निर्धारित समय सीमा क्रमशः मार्च और अगस्त थी। हालाँकि, सभी मौसमों में सातों एसएलसीसी बैठकें आठ महीने तक की देरी से आयोजित की गईं। चूंकि एसएलसीसी को डीओईएस द्वारा अधिसूचित फसलों में से फसलों का चयन करना था, जो प्रत्येक मौसम के दौरान योजना के कार्यान्वयन की दिशा में पहला चरण था। इसलिए, एसएलसीसी बैठकों के आयोजन में देरी के परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से अन्य क्रमिक चरणों यथा अधिसूचना, पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान में देरी हुई (परिशिष्ट-3.5)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि, एसएलसीसी की सभी बैठकों के कार्यवृत्तों के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कई महत्वपूर्ण मामले, जैसे अन्यथा पात्र किसानों में से 52 प्रतिशत को लाभ से वंचित करना, लाभार्थियों को विलंबित भुगतान गैर-रैयत किसान के परिवार के निर्धारण की कमी, योजना हेतु एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना न होना आदि मुद्दे को इसकी किसी भी बैठक में नहीं उठाया गया था।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि: (i) कुछ मौसमों में (विशेषकर कोविड-19 अवधि के दौरान) एसएलसीसी बैठकें आयोजित करने में देरी हुई थी और (ii) एसएलसीसी ने (25.11.2020) आवेदनों की अस्वीकृति का मुद्दा उठाया था और अद्यतन एलपीसी के विकल्प के रूप में अद्यतन भू-राजस्व रसीदों को अपलोड करने की सिफारिश की।

सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि एसएलसीसी की बैठकें कोविड-19 से पहले भी देरी से आयोजित की गई थीं यथा 2018 और 2019 में। इसके अलावा, सरकार ने योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मामले के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया था, जो पिछले कंडिकाओं में लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये हैं।

3.8.3 नगण्य संख्या में डीएलसीसी बैठकों का आयोजन

योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता वाली डीएलसीसी, सीसीई के प्रबंधन की समीक्षा, योजना पोर्टल में डाटा प्रविष्टि की सटीकता, वास्तविक उपज दरों का निर्धारण आदि के साथ ही योजना के कार्यान्वयन की नियमित समग्र समीक्षा के लिए जिम्मेदार थी। समिति को योजना के तहत सहायता राशि की अनुमत्यता/भुगतान से संबंधित विवादों को निपटाने का भी अधिकार दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि: (i) यद्यपि जिलावार समितियों का गठन किया गया था, विभाग ने उनकी बैठकों के संचालन के लिए कोई आवृत्ति निर्धारित नहीं की थी (ii) डीएलसीसी की बैठकें पांच चयनित जिलों में से किसी में भी आयोजित नहीं की गई थीं (बांका जिले में, 2018 में हुई बैठक को छोड़कर)।

इसे इंगित किये जाने पर, सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि जिला सहकारिता पदाधिकारी डीएलसीसी के सदस्य-सचिव के रूप में काम करते थे जो जिला पदाधिकारियों के निर्देशन और नियंत्रण में काम करती थी।

सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि उसे डीएलसीसी बैठकें आयोजित करने की न्यूनतम आवृत्ति तय करनी चाहिए थी और ऐसा करने के बाद योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उसकी निगरानी करनी चाहिए थी।

3.8.4 परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के कार्यकलाप

विभाग ने (2018) मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) प्राइवेट लिमिटेड को पीएमयू के रूप में नियुक्त किया, जिसका पंजीकृत मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में था। पीएमयू को विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें योजना के कार्यान्वयन के लिए आधार, खेती योग्य भूमि और बोए गए क्षेत्र के डाटा के वेब-आधारित सत्यापन की सुविधा के साथ-साथ मौजूदा किस्म, कृषि विज्ञान और कृषि-पारिस्थिति की मापदण्ड के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की फसलों की उपज का पूर्वानुमान लगाना आदि सम्मिलित था। समझौते के अनुसार, 2018–22 की अवधि के लिए पीएमयू को ₹4.80 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान पीएमयू द्वारा किए गए कार्यों, जैसे कि फसल की पैदावार का पूर्वानुमान, कृषि विज्ञान, कृषि-पारिस्थितिकी पैरामीटर आदि, से संबंधित समर्थित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, जैसा कि **कंडिका 3.7.2** में बताया गया है, 49,331 लाभार्थियों से संबंधित डाटा का सत्यापन एवं साथ ही, उनकी खेती योग्य भूमि और बोए गए क्षेत्र से संबंधित डाटा की उपलब्धता, पीएमयू द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के दौरान विभाग द्वारा पीएमयू के प्रदर्शन की की गई किसी भी आवधिक समीक्षा को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं मिला। इस प्रकार, पीएमयू को भुगतान उसके द्वारा किए गए कार्यों, जो प्रासंगिक अभिलेख द्वारा समर्थित हों, के आधार पर नहीं किया गया था।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि पीएमयू को फसल की उपज का पूर्वानुमान, कृषि विज्ञान आदि से संबंधित तकनीकी कार्य सौंपे गए थे। तथापि, ऑनलाइन कैडस्ट्राल मानचित्र²³ और अन्य तकनीकों की अनुपलब्धता के कारण, पीएमयू निर्धारित कार्य करने में सक्षम नहीं था।

सरकार के जवाब से लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि पीएमयू ने समझौते के अनुसार निर्दिष्ट कार्य नहीं किए थे। इसलिए, पीएमयू को भुगतान, उसके द्वारा वास्तव में किए गए कार्यों के अनुसार, आनुपातिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए था।

3.8.5 यादृच्छिक सत्यापन का निष्पादन न किया जाना

योजना मार्गदर्शिका में स्वीकृत या अस्वीकृत आवेदनों के एक निश्चित प्रतिशत के यादृच्छिक सत्यापन (प्रमण्डल और जिला स्तर पर) की परिकल्पना की गई थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि खरीफ 2018 से खरीफ 2021 तक के मौसम के लिए यादृच्छिक सत्यापन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:

- डीसीओ का दायित्व था कि प्रत्येक पंचायत में किसानों के सत्यापित विवरणी के दो प्रतिशत की यादृच्छिक रूप से जांच करें। तथापि, पाँच नमूना जांच किए गए जिलों में से किसी में भी डीसीओ ने यह कार्य नहीं किया था।
तीन जिलों (बांका, गया और सुपौल) के डीसीओ ने कहा कि खरीफ 2018 से खरीफ 2021 तक के मौसम के लिए किसानों की सूची/अभिलेख सत्यापन हेतु उनके लॉगिन/कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। शेष दो जिलों (समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण) के डीसीओ ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर नहीं दिया।
- सहकारी समितियों के प्रमंडलीय संयुक्त निबन्धक (डीजेआर) को प्रत्येक पंचायत में किसानों के सत्यापित विवरणी के एक प्रतिशत की यादृच्छिक रूप से जांच करने की आवश्यकता थी। यद्यपि सभी पाँच चयनित जिलों के डीजेआर ने उत्तर दिया कि यादृच्छिक जांच की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।
- डीएलसीसी को प्रत्येक पंचायत में किसानों के सत्यापित विवरणी के दो प्रतिशत की यादृच्छिक रूप से जांच करने की आवश्यकता थी। यधपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएलसीसी यह कार्य नहीं कर रही थी। इस संबंध में डीएलसीसी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

सरकार ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि ये जांचें जिला पदाधिकारियों की जिम्मेदारी थीं। सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि जिला स्तर पर काम की निगरानी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। इसने जिला स्तर पर अप्रभावी निगरानी में योगदान दिया, जैसा कि पहले चर्चा की गई है।

3.8.6 लाभार्थियों की सूची का प्रकाशन

योजना के अंतर्गत निर्गत राशि स्वीकृति आदेशों के अनुसार, लाभार्थियों की सूची, उनके नाम, पते, आच्छादित किए गए क्षेत्र और योजना के तहत पात्र सहायता राशि को संबंधित बैंक एवं विभाग की वेबसाइटों पर प्रकाशित करना अनिवार्य था। आगे, विभाग ने, योजना की एक समीक्षा बैठक (जून 2019) में, विचार किया था कि कोई लोक आपत्ति प्राप्त होने पर, विसंगतियों को दूर करने के लिए, वेबसाइट के साथ-साथ जिला/प्रखंड स्तर के कार्यालयों में किसानों का विवरण प्रकाशित किया जाये।

²³ सरकार द्वारा किए गए भूखण्डों के आधार पर प्राप्त भूमि पार्सल का मानचित्र।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, उपरोक्त आदेशों के विपरीत, व्यवस्था में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए लाभार्थियों के विवरण के साथ—साथ वितरित की जाने वाली राशि की सूचियाँ, न तो संबंधित बैंक की वेबसाइट पर, न ही विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थीं। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए उनके आवेदनों की स्थिति जानने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

सरकार ने जवाब दिया कि: (i) लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करने के लिए कोई विभागीय निर्देश नहीं थे और (ii) आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित लिंक सक्रिय कर दिया गया था।

सरकार का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने अपने स्वीकृति पत्र²⁴ के माध्यम से लाभार्थियों की सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया था। इसके अतिरिक्त, किसानों को (दिसंबर 2022 तक) उनके आवेदनों की स्थिति की जांच करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

²⁴ संख्या 1541 दिनांक 14.02.2019 (कंडिका 9)।

अध्याय-IV

**बिहार के विश्वविद्यालयों में
प्रशासनिक और वित्तीय मामले**

अध्याय—IV

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

शिक्षा विभाग

4 बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और वित्तीय मामले

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में कुल 56 प्रतिशत की कमी थी और उपलब्ध शिक्षण कर्मचारियों को युक्तिसंगत तरीके से पदस्थापित नहीं किया गया था। परीक्षाओं के परिणाम अत्यधिक देरी (946 दिनों तक) के साथ घोषित किए गए थे और छात्रों द्वारा प्राप्त अंक सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए थे। कॉलेजों को उनकी संबद्धता की समाप्ति के बाद भी छात्रों को प्रवेश देने के साथ-साथ परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली को ठीक से लागू नहीं किया गया था। विश्वविद्यालयों ने ₹ 4,134.21 करोड़ की अनुदान राशि को अमर्पित कर दिया था। ₹ 101.53 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी समर्पित किए जाने थे और ₹ 77.30 करोड़ के अग्रिम समायोजन के लिए लंबित थे। पहले के अनुदानों का उपयोग न करने के कारण यूजीसी से ₹ 27.82 करोड़ का विकास अनुदान विश्वविद्यालयों को नहीं मिला था और अनुदानों का उपयोग न करने के कारण ₹ 1.88 करोड़ की ब्याज की परिहार्य देयता सृजित हुई। विभाग के वेतन सत्यापन प्रकोष्ठ से वेतन के सत्यापन के बिना, ₹ 48.28 करोड़ की बकाया वेतन राशि का भुगतान किया गया था और आयकर की कटौती के बिना ₹ 14.41 करोड़ का संवितरण किया गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या बनाया नहीं गया था और नियोक्ताओं के साथ-साथ कर्मचारियों का योगदान भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के पास जमा नहीं किया गया था। विश्वविद्यालयों ने बैंकों द्वारा कटौती किये गए ₹ 5.10 करोड़ के टीडीएस प्रतिदाय की मांग नहीं की थी। बिना निविदा आमंत्रित किए ₹ 7.96 करोड़ की लागत की वस्तुओं को खरीदा गया था। लेखापरीक्षा के दौरान बकाया वेतन, मकान किराया भत्ता के अधिक भुगतान, अधूरे कार्यों और निष्क्रिय/शिथिल बैंक खातों में ₹ 32.03 करोड़ के जमा होने के मामलों का भी अवलोकन किया गया।

4.1 परिचय

शिक्षा किसी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 246 के खंड (1) के तहत समवर्ती सूची में है। इस प्रकार, यह केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में आता है। विश्वविद्यालीय शिक्षा के लिए संस्थागत ढांचे में राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों एवं इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित कॉलेजों के साथ-साथ इन विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज शामिल हैं। कुछ विनियामक / मान्यता वाले निकाय हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)¹, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी)² आदि। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) को छोड़कर, बिहार के विश्वविद्यालय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (बीएसयू), 1976

¹ यूजीसी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है जो उच्च शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और मानकों को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार है। यह देश में विश्वविद्यालयों को भी मान्यता देता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उनके संघटक एवं संबद्ध कॉलेजों को राशि वितरित करता है।

² एनएएसी यूजीसी के अधीन एक स्वायत्त सरकारी संगठन है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है ताकि उनकी गुणवत्ता स्थिति को समझा जा सके।

एवं उसके विधान द्वारा शासित होते हैं। एकेयू एक अलग अधिनियम, नामतः आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 द्वारा शासित होता है। विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में बिहार वित्तीय नियमावली, 2005, बिहार कोषागार संहिता, 2011 आदि शामिल थे। बिहार राज्य में, उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 271 संघटक कॉलेज³ और 61 संबद्ध कॉलेज⁴ वाले 14 विश्वविद्यालय⁵ थे।

4.1.1 विश्वविद्यालयों के उद्देश्य एवं कार्य

बीएसयू अधिनियम, 1976 के अनुसार, विश्वविद्यालयों के उद्देश्य और प्रमुख कार्य हैं:

- अनुसंधान और ज्ञान की उन्नति एवं प्रसार के लिए प्रावधान करना
- परीक्षाएँ आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना
- उनके अधीन सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय विभागों का निरीक्षण करना
- संघटक कॉलेजों की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन करना
- शिक्षा के कला, विज्ञान और अन्य शाखाओं को विकसित करना और बढ़ावा देना
- राज्यों के अध्यादेशों के तहत शुल्क की मांग करना और प्राप्त करना और
- उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कॉलेजों को संबद्ध या असंबद्ध करना।

उपरोक्त कार्य विश्वविद्यालयों पर लागू विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधियों⁶, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन और अनुरूप हैं।

4.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

शिक्षा विभाग (विभाग), बिहार सरकार (बि.स.) के उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के विनियमन, प्रबंधन और प्रवर्तन करने के लिए जिम्मेदार है। बिहार के राज्यपाल राज्य के सभी 14 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के साथ—साथ सीनेट⁷ के अध्यक्ष भी हैं। विश्वविद्यालय की संपत्तियों और निधियों को सिंडिकेट⁸ द्वारा नियंत्रित और प्रशासित किया जाना था। कुलपति प्रमुख कार्यकारी और शिक्षण अधिकारी है जो विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखता है।

³ संघटक कॉलेज' का अर्थ है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और प्रशासित एक शैक्षणिक संस्थान।

⁴ संबद्ध कॉलेज' का अर्थ एक शैक्षणिक संस्थान है जो स्वतंत्र रूप से (किसी ट्रस्ट, सोसायटी आदि के माध्यम से) संचालित होता है लेकिन इसका एक विश्वविद्यालय के साथ औपचारिक सहयोगात्मक समझौता होता है।

⁵ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू), पटना; बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू), मुजफ्फरपुर; भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू), मधेपुरा; जय प्रकाश विश्वविद्यालय (जेपीयू), छपरा; कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (केएसडीएसयू), दरभंगा; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू), दरभंगा; मगध विश्वविद्यालय (एमयू), बोधगया; मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय (एमएमएचएपीयू), पटनाय मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर; पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू), पटना; पटना विश्वविद्यालय (पीयू), पटना; पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया; तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू), भागलपुर और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू), आरा।

⁶ संविधि सरकार द्वारा बनाया गया एक औपचारिक रूप से लिखित नियम या कानून है। विश्वविद्यालयों के लिए, "संविधिया" विश्वविद्यालय के उद्देश्य और शक्तियों को निर्धारित करते हैं और प्रशासनिक ढांचे और वैधानिक अधिकारियों के साथ—साथ समग्र शैक्षणिक संरचना को परिभाषित करते हैं।

⁷ सीनेट' किसी विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय है जो इसके सभी मामलों पर समग्र नियंत्रण रखता है।

⁸ एक विश्वविद्यालय का 'सिंडिकेट' उस विश्वविद्यालय की संपत्तियों और निधियों का धारण, नियंत्रण और प्रबंधन करता है।

उन्हें उपकुलपति⁹, वित्तीय सलाहकार¹⁰, रजिस्ट्रार¹¹ एवं वित्त अधिकारी¹² आदि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

4.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

"बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था कि क्या:

- विश्वविद्यालयों में परिचालन नियंत्रण सहित प्रशासनिक तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था और
- वित्तीय नियंत्रण तंत्र मौजूद और कुशल थे।

4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

इस एसएससीए के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों/अभिलेखों से प्राप्त किए गए:

- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (बीएसयू अधिनियम), 1976
- विश्वविद्यालयों के संविधियां, अध्यादेश और विनियमन
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 और संविधियां, 2011
- यूजीसी और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)¹³ द्वारा जारी दिशानिर्देश और अनुदेश पुस्तिका
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005
- बिहार कोषागार संहिता, 2011
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948
- बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र आदि
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और नियमावली, 2017
- आयकर अधिनियम, 1961
- बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 और
- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

4.1.5 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र, नमूनाकरण और कार्यप्रणाली

शिक्षा विभाग (विभाग), बिहार सरकार के अनुरोध पर अक्टूबर 2021 से नवंबर 2022 के दौरान बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर एसएससीए आयोजित किया

⁹ किसी विश्वविद्यालय का 'उपकुलपति' प्रवेश, परीक्षाओं के संचालन, परिणामों की घोषणा और छात्रों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है।

¹⁰ किसी विश्वविद्यालय का 'वित्तीय सलाहकार' बजट की तैयारी, लेखाओं के रखरखाव, लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होता है और उसकी सलाह वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्तावों के लिए अनिवार्य है।

¹¹ रजिस्ट्रार' सीनेट, सिंडिकेट का सचिव और विश्वविद्यालय के अभिलेखों का संरक्षक होता है।

¹² विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करना और कर्तव्यों का पालन करना था।

¹³ आरयूएसए, उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समग्र केंद्र प्रायोजित योजना 2013 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

गया। लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में से, 11¹⁴ के अभिलेखों की नमूना—जाँच की गई।

लेखापरीक्षित इकाई अर्थात् विभाग और सभी चयनित विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्गमन एवं बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित कीए गए (अक्टूबर 2021–नवंबर 2022)। एसएससीए जनवरी 2023 में विभाग को अग्रेषित किया गया था और विभाग द्वारा (जनवारी–मार्च 2024) में प्रेषित जवाब के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है।

4.1.6 इस लेखापरीक्षा की सीमाएँ

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020 के विनियम 19 (6) के अनुसार आंकड़ा, सूचना और दस्तावेज़ों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अनुरोधों, चाहे अग्रिम रूप से हो या लेखापरीक्षा के दौरान, का निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करना लेखापरीक्षित इकाई का वैधानिक कर्तव्य है। इसके अलावा, बीएफआर, 2005 के नियम 28 ने लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अभिलेखों के नियमित उपलब्धता को निर्धारित किया है। इसके अलावा, बीएसयू अधिनियम, 1976 की धारा 12ए के अनुसार, विश्वविद्यालय अपने लेखाओं के लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार थे।

सभी चयनित विश्वविद्यालयों के अभिलेखों की नमूना—जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 1,485 अभिलेखों/सूचनाओं की मांग की और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए अनुस्मारक जारी किया। हालाँकि, मांगे गए 1,485 अभिलेखों/सूचनाओं में से, 978 महत्वपूर्ण अभिलेख यथा, रोकड़ पंजी, वार्षिक लेखा, बजट अनुमान, स्टॉक पंजी, परिसंपत्ति पंजी, दूरस्थ शिक्षा, प्रवेश, स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियां, भर्ती और पदोन्नति, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रबंधन परीक्षा के लिए नियुक्त एजेंसियां, अनुबंध समझौते, गोपनीय मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद आदि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि तालिका 4.1 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.1: अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण का विश्वविद्यालय-वार विवरण

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	मांगे गए अभिलेखों की संख्या	प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की संख्या	प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की संख्या (प्रतिशत)
1.	एकेयू	36	31	05 (14)
2.	बीएनएमयू	126	47	79 (63)
3.	बीआरएबीयू	199	54	145 (73)
4.	जेपीयू	150	22	128 (85)
5.	केएसडीएसयू	105	47	58 (55)
6.	एलएनएमयू	146	54	92 (63)
7.	एमएमएचएपीयू	85	72	13 (15)
8.	पीपीयू	109	24	85 (78)
9.	पीयू	104	28	76 (73)
10.	टीएमबीयू	324	76	248 (77)
11.	वीकेएसयू	101	52	49 (49)
कुल		1,485	507	978 (66)

14 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू), भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (बीआरएबीयू), भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (बीएनएमयू), जय प्रकाश विश्वविद्यालय (जेपीयू), कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (केएसडीएसयू), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू), मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय (एमएमएचएपीयू), पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू), पटना विश्वविद्यालय (पीयू), तिलक माङ्गी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) और वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू)।

जैसा कि तालिका 4.1 से देखा जा सकता है, 978 (66 प्रतिशत) अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। महत्वपूर्ण अभिलेखों की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालयों का लेखापरीक्षा उस हद तक अपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण अभिलेख, जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और इन अभिलेखों के न प्रस्तुत करने से उत्पन्न सीमाओं का विवरण परिशिष्ट-4.1 में दिया गया है।

4.2 विश्वविद्यालयों की वित्तीय रूपरेखा

विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार, यूजीसी और आरयूएसए से अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा था। उन्होंने नामांकन शुल्क, अध्यापन शुल्क, निरीक्षण शुल्क (अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कॉलेजों से प्राप्त), जुर्माना, संपत्ति के किराये, बैंकों में सावधि/अवधि जमा से ब्याज आदि के माध्यम से अन्य स्रोतों से भी आय अर्जित की।

विभाग ने विश्वविद्यालयों को उनकी स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन आदि) को पूरा करने के लिए अनुदान विमुक्त किया था। राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के संबंध में वर्षवार वित्तीय स्थिति, अर्थात्, बजटीय प्रावधान, व्यय और निधियों का अभ्यर्पण, तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया व्यय	अभ्यर्पण (प्रतिशत)
2017-18	3,956.53	3,728.99	227.54 (6)
2018-19	5,784.35	4,178.60	1,605.75 (28)
2019-20	4,486.78	3,943.35	543.43 (12)
2020-21	3,811.56	3,275.63	535.93 (14)
2021-22	4,537.11	3,315.55	1,221.56 (27)
कुल	22,576.33	18,442.12	4,134.21 (18)

(स्रोत: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका 4.2 से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान निधि के अभ्यर्पण की प्रतिशतता छ: से 28 प्रतिशत के बीच थी। बजट प्रावधान में से कुल ₹ 4,134.21 करोड़ (18 प्रतिशत) राशि का उपयोग नहीं किया गया था और विभाग को अभ्यर्पित किया गया था, जिसने विश्वविद्यालयों में अवास्तविक बजट प्रस्तावों और अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को दर्शाया। 11 चयनित विश्वविद्यालयों में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान, टीएमबीयू और वीकेएसयू ने उनको प्रदान किये गये अनुदानों का क्रमशः 24 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया था, जैसा कि परिशिष्ट-4.2 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

अनुदानों का उपयोग नहीं होने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.3 वित्तीय तंत्र

4.3.1 बकाया वेतन के संवितरण में अनियमितताएं

विभाग ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सातवें सीपीसी) के अनुसार विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के जनवरी 2016 से प्रभावी संशोधित वेतनमान को मंजूरी दी (मार्च 2019)। विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय ने विश्वविद्यालयों को इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा स्थापित

वेतन सत्यापन सेल (पीवीसी) द्वारा उचित सत्यापन के बाद ही बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया (मई 2020)।

अनुदान स्वीकृति पत्र (मार्च 2020) की शर्त 6 के अनुसार, विभाग ने निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालयों को सातवें वेतन आयोग से संबंधित वेतन बकाया का भुगतान, संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में, समग्र वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस)¹⁵ के माध्यम से करना होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो “वेतन” शीर्ष के तहत कर योग्य आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे भुगतान के समय उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर आयकर की कटौती करनी होगी, जिसमें भुगतान किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा के दौरान: (i) सत्यापन के बिना बकाया वेतन भुगतान (ii) बकाया का अधिक भुगतान और (iii) बकाया वेतन के स्त्रोत से आयकर की कटौती न करने आदि विसंगतियाँ देखी गईं, जो निम्न हैं:

➤ बिना सत्यापन के बकाया वेतन का भुगतान

पाँच चयनित विश्वविद्यालयों के अभिलेखों के नमूना—जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बकाया वेतन ₹ 48.28 करोड़ का पीवीसी के माध्यम से उचित सत्यापन के बिना संवितरण किया गया था। बकाया वेतन के संवितरण का विश्वविद्यालय—वार विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: पीवीसी से सत्यापित किए बिना वितरित बकाया वेतन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	कर्मचारियों की श्रेणी	पीवीसी से सत्यापन के बिना वितरित बकाया वेतन की राशि	अवधि जिसके दौरान भुगतान किया गया
1	केएसडीएसयू	शिक्षण	16.39	मार्च से जुलाई 2021
2	एलएनएमयू	शिक्षण	9.38	सितंबर से दिसंबर 2021
3	एमएमएचएपीयू	गैर-शिक्षण	1.07	मार्च 2020 और मार्च 2021
4	पीयू	गैर-शिक्षण	9.60	उपलब्ध नहीं
5	वीकैएसयू	शिक्षण	11.84	उपलब्ध नहीं
कुल			48.28	

(झोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

तालिका 4.3 में उल्लिखित पाँच चयनित विश्वविद्यालयों ने कर्मचारियों का श्रेणी—वार विवरण यहां तक कि कर्मचारियों की कुल संख्या, जिन्हें इन ₹ 48.28 करोड़ का बकाया भुगतान किया गया था, प्रदान नहीं किया। पीवीसी द्वारा उचित सत्यापन के बिना, जिसे इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, कर्मचारियों को बकाया भुगतान के परिणामस्वरूप बकाया का अधिक भुगतान हुआ, जैसा कि अगले उप—कंडिकाओं में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तीन अन्य नमूना—जांचित विश्वविद्यालयों अर्थात् बीआरएबीयू, जेपीयू और टीएमबीयू ने संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

¹⁵ सीएफएमएस, वित्त विभाग, बिहार सरकार की एक ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त प्रबंधन जीवनचक्र (बजट तैयारी, कार्यान्वयन, राजस्व, व्यय, लेखांकन आदि) का पूर्ण स्वचालन करना है।

एलएनएमयू ने जवाब दिया कि शिक्षण संघ से दबाव के कारण बकाया वेतन के अंतर का भुगतान पीवीसी से सत्यापन के बिना किया गया था।

विभाग में जवाब दिया (जनवरी 2024) कि: (i) एमएमएचएपीयू में 2022 तक वेतन पीवीसी अस्तित्व में नहीं था, (ii) वीकेएसयू में पीवीसी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना बकाया वेतन का भुगतान किया गया और (iii) केएसडीएसयू में वेतन का सत्यापन पीवीसी द्वारा प्रक्रियाधीन था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों के लिए पीवीसी स्थापित किया गया था और आवश्यक सत्यापन के बिना भुगतान किए गए थे।

➤ कॉलेजों के खातें में बकाया वेतन का अनियमित अन्तरण

लेखापरीक्षा ने केएसडीएसयू में पाया कि 201 कॉलेज शिक्षणों के बकाया वेतन ₹ 14.41 करोड़ की राशी कोषागार से विश्वविद्यालय के बैंक खाते में सीएफएमएस के माध्यम से अंतरित की गई थी। उसके बाद इसे संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में सीधे जमा करने के बजाय अनियमित रूप से संबंधित कॉलेजों के बैंक खातें में अंतरित कर दिया गया।

विभाग ने (जनवरी 2024) में बताया कि तकनीकी त्रुटि के कारण इस अवधि के दौरान कुछ भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किए गए। वर्तमान में सभी भुगतान सीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं।

विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट था कि कर्मचारियों के बैंक खातों में सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान नहीं किए गए थे।

➤ बकाया भुगतान में स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं किया जाना

केएसडीएसयू के अभिलेखों के नमूना-जांच ने पाया गया कि विश्वविद्यालय ने सातवें सीपीसी के कारण जनवरी 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए 201 शिक्षकों के ₹ 14.41 करोड़ रूपये की बकाया वेतन राशि का भुगतान किया था (मई से जुलाई 2021)। बकाया वेतन का भुगतान करते समय स्रोत पर आयकर की कटौती निर्धारित दरों पर की जानी थी। हालांकि, आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, स्रोत पर आयकर ₹ 4.32 करोड़¹⁶ (30 प्रतिशत की दर से) की कटौती भुगतान के समय नहीं की गई थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय ने बकाया वेतन के भुगतान के समय आयकर में कटौती करने के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया था (फरवरी 2020)। यद्यपि, मार्च 2021 में, कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए एक और कार्यालय आदेश जारी किया गया, जिसमें वेतन के बकाया पर आयकर कटौती का उल्लेख नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने इस आदेश के मद्देनजर, स्रोत पर ₹ 4.32 करोड़ आयकर की कटौती के बिना, बकाया का भुगतान किया था।

जवाब में विभाग ने (जनवरी 2024) बताया कि आयकर की कटौती वित्तीय वर्ष 2021–2022 में संबंधित कॉलेजों के माध्यम से की गई थी।

विभाग के उत्तर के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त, वेतन का बकाया सीधे कॉलेजों के बैंक खातों में अंतरित किए गए, बजाय इसके कि संबंधित कर्मचारियों के

¹⁶ शिक्षणों को किए गए बकाया भुगतान सहित औसत सकल वेतन ₹15 लाख से अधिक था। इसलिए, ₹14.41 करोड़ के वेतन और बकाया भुगतान पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर की गणना की गई।

बैंक खातों में सीएफएमएस के माध्यम से अंतरित किए जाते, और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

➤ बकाया वेतन का अधिक भुगतान

पूर्ववर्ती कंडिका में उल्लिखित प्रावधान के संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि, केएसडीएसयू में ₹ 14.41 करोड़ की बकाया वेतन की राशि पीवीसी से उनके वेतन को सत्यापित कराए बिना संघटक कॉलेजों के 201 शिक्षणों को संवितरित की गई थी। आगे लेखापरीक्षा ने 52 शिक्षणों के वेतन पर्चियों की जांच की, जिनका वेतन पीवीसी द्वारा सत्यापित और निर्गत किया गया था, और पाया कि 22 शिक्षकों का वेतन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन की तुलना में पीवीसी द्वारा कम राशि पर सत्यापित और निर्धारित किया गया था। पीवीसी से सत्यापित वेतन पर्चियों के अनुसार, इन 22 शिक्षकों को केवल ₹ 1.21 करोड़ की बकाया राशि देय थी। हालाँकि, वास्तव में इन शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन के आधार पर गणना करके विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उनके वेतन के अनुसार, ₹ 1.80 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अतः पीवीसी द्वारा निर्धारित वेतन के उचित सत्यापन के बिना बकायों के भुगतान के कारण, 22 शिक्षकों¹⁷ को ₹ 0.59 करोड़ का भुगतान अनियमित रूप से और उनकी पात्रता से अधिक किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

अनुशंसा: विभाग सभी विश्वविद्यालयों में 7वें सीपीसी की अनुशंसा के आधार पर किए गए बकाया वेतन भुगतान के मामलों की जांच कर सकती है।

ऊपर वर्णित अनियमितताएँ, जैसे बकाया वेतन का भुगतान बिना पीवीसी से सत्यापन और/या बिना आयकर कटौती किए बकाया वेतन का अधिक भुगतान; और बकाया राशि को लाभार्थियों के खातों में जमा करने के बजाय कॉलेजों के खाते में अंतरित करना, विश्वविद्यालयों में कमजोर वित्तीय नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

4.3.2 राष्ट्रीय पेंशन योजना का कार्यान्वयन

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (अगस्त 2005) के अंतर्गत, सरकारी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों सहित राज्य सरकारी के कर्मचारी, जो 1 सितम्बर 2005 को और उसके बाद नियुक्त किये गये थे, के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू किया गया। आगे, एक अन्य संकल्प (जनवरी 2019) के अनुसार, वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती किया जाना और सरकार (नियोक्ता) द्वारा किए गए 14 प्रतिशत समतुल्य अंशदान (पहले, यह 10 प्रतिशत की दर से था) के साथ जमा किया जाना था। कटौती की गई राशि और समतुल्य अंशदान जमा न करने/देरी से जमा करने की स्थिति में, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर लागू दर से ब्याज के साथ राशि जमा की जानी थी।

¹⁷ रामवतार गौतम संस्कृत कॉलेज, अहिल्यास्थान, दरभंगा (एक कर्मचारी); अखिल भारतीय संस्कृत विद्यालय, खमर, बेगुसराय (एक कर्मचारी); बाबा साहेब राम संस्कृत कॉलेज, पचरही, दरभंगा (एक कर्मचारी); राजकीय संस्कृत कॉलेज, काजीपुर, पटना (चार कर्मचारी); एम.ए.रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज, दरभंगा (दो कर्मचारी); राघवेंद्र संस्कृत कॉलेज, तरेतपाली, पटना (दो कर्मचारी); भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज, छपरा (छ: कर्मचारी) और गुरुकुल संस्कृत कॉलेज, मैहियां, छपरा (पांच कर्मचारी)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने लगभग एक दशक के बीत जाने के बाद विश्वविद्यालयों को अपने पात्र कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू करने का निर्देश दिया था (मार्च 2015)। इन निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को अपने कर्मचारियों को रथायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन)¹⁸ बनाने के लिए पंजीकृत कराना था। इसके अलावा, उन्हें कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि को नियोक्ता के समतुल्य अंशदान के साथ-साथ दोनों राशियों के योग पर अद्यतन ब्याज देयता के साथ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास जमा करनी थी। इसके बाद, विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों (जुलाई-अगस्त 2022) को एनएसडीएल को देय होने वाले ब्याज के साथ नियोक्ताओं के समतुल्य अंशदान की मांग के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा से पता चला कि:

(i) सात¹⁹ चयनित विश्वविद्यालयों में, 1,795 पात्र कर्मचारियों में से केवल 342 (19 प्रतिशत) के लिए पीआरएएन का सृजन किया गया था और शेष 1,453 कर्मचारियों के लिए, विभाग के निर्देशों का उल्लंघन कर, पीआरएएन जारी नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-4.3 (क)** में वर्णित है।

विभाग ने (फरवरी-मार्च 2024) में बताया कि विश्वविद्यालयों के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पीआरएएन जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि सभी कर्मचारियों के संबंध में पीआरएएन जारी नहीं किया जा सका है।

(ii) आगे, एलएनएमयू, एमएमएचएपीयू और पीयू में, जनवरी 2015 से अक्टूबर 2022 के बीच 727 कर्मचारियों के वेतन से काटा गया ₹ 23.34 करोड़ का एनपीएस अंशदान इन विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में जमा रखा गया था। एनपीएस अंशदान की राशि जो कर्मचारियों के वेतन से काट ली गई थी, लेकिन नियोक्ता के समतुल्य अंशदान के साथ एनएसडीएल के पास जमा नहीं की गई थी, **परिशिष्ट-4.3 (ख)** में वर्णित है।

एनपीएस से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना और एनएसडीएल में नियोक्ता का समतुल्य अंशदान को जमा किए बिना, कर्मचारियों के अंशदान को बचत बैंक खातों में रखने के कारण कर्मचारी अपने योगदान की कटौती के बावजूद एनपीएस के लाभों को प्राप्त के लिए अयोग्य बने रहे। इसके अलावा, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान पर देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने का एक अतिरिक्त दायित्व का सृजन हुआ था, क्योंकि विश्वविद्यालयों ने कटौती की गई राशि सहित उनके समतुल्य योगदान को एनएसडीएल में जमा नहीं किया था।

विभाग ने (जनवरी 2024) में बताया कि संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण, पीयू में योगदान का जमा होना प्रक्रिया में है। एलएनएमयू और एमएमएचएपीयू के मामले में, नियोक्ता का योगदान अभी तक सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

¹⁸ पीआरएएन एक अद्वितीय 12-अंकीय संख्या है जो उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं।

¹⁹ बीएनएमयू कैसडीएसयू, एलएनएमयू, एमएमएचएपीयू, पीपीयू, पीयू और वीकैसयू।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जमा की जाने वाली राशि में जनवरी 2015 से की गई कटौती शामिल है।

4.3.3 भत्तों एवं वेतन के भुगतान में अनियमितताएँ

➤ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अधिक भुगतान

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (अक्टूबर 2017) में प्रावधानित था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके पदस्थापित स्थान के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) देय होगा। राज्य में एचआरए की दर आठ प्रतिशत और उससे कम पर निर्धारित की गई थी (16 प्रतिशत की दर को छोड़कर, जो पटना शहरी समूहों में देय होगी)। विभाग ने यह संकल्प विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए अपनाया था (मार्च 2019)।

एलएनएमयू दरभंगा के अभिलेखों की नमूना—जाँच में पाया गया कि मार्च 2020 से जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए छ: कॉलेजों के 39 से 128²⁰ कर्मचारियों को उनकी पात्रता (आठ प्रतिशत और नीचे) से अधिक ₹ 53.72 लाख की एचआरए की राशि का भुगतान किया गया था। इसी तरह, केएसडीएसयू में, फरवरी 2020 से जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए सात कॉलेजों के 38 से 42 कर्मचारियों को उनकी पात्रता से अधिक ₹ 34.11 लाख की एचआरए राशि का भुगतान किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-4.4** में विस्तृत रूप में बताया गया है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2024) कि जनवरी 2023 से कर्मचारियों के वेतन से वसूली शुरू की गई है।

हांलाकि विभाग का जवाब किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

➤ आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को एचआरए का अधिक भुगतान

पुनर्नियोजित डीजीआर सुरक्षा कर्मियों के लिए पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने एचआरए की दरों को परिभाषित किया (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से)। परिभाषित दरों के अनुसार, राज्य के श्रेणी 'सी' शहरों²¹ में, आठ प्रतिशत की दर से एचआरए का भुगतान किया जाना था। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 (बी) के अनुसार, आउटसोर्सिंग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड, सात दिनों की प्रत्येक अवधि में एक विश्राम दिवस का भुगतान पाने के हकदार थे। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 2 (एच) के अनुसार, वेतन में एक कर्मी को देय एचआरए सहित सभी पारिश्रमिक शामिल थे।

एलएनएमयू के अभिलेखों की नमूना—जाँच में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के उद्देश्य से एक आउटसोर्सिंग एजेंसी²² के साथ समझौता किया था (अप्रैल 2021)। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि न केवल निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में, बल्कि एजेंसी के साथ निष्पादित समझौते में भी, 16 प्रतिशत की दर से एचआरए के भुगतान का उल्लेख किया गया था यद्यपि एचआरए की गणना के उद्देश्य से दरभंगा शहरी समुदाय श्रेणी 'सी' के अंतर्गत था। तदनुसार, अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 के बीच पदस्थापित 68 से 85 सुरक्षा कर्मियों के संबंध

²⁰ कर्मचारियों की श्रेणी दी गई है, क्योंकि अलग—अलग महीनों में, अलग—अलग संख्या में कर्मचारियों को संबंधित कॉलेजों में पदस्थापित किया गया था।

²¹ वे शहर जो 'ए' और 'बी' श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बिहार में, पटना को छोड़कर, सभी शहर इस श्रेणी में हैं।

²² वे शहर जो 'ए' और 'बी' श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बिहार में, पटना को छोड़कर, सभी शहर इस श्रेणी में हैं।

में, एजेंसी को अनियमित रूप से एचआरए की राशि ₹ 24.74 लाख का भुगतान किया गया था, जैसा परिशिष्ट-4.5 में विस्तृत रूप में बताया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों में उल्लंघन कर दो विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों को उनके तैनाती के स्थानों के लिए निर्धारित दरों से अधिक दरों पर एचआरए के भुगतान ने विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को झंगित किया। इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों द्वारा कुल ₹ 1.17 करोड़ (कर्मचारियों को ₹ 92.48 लाख और सुरक्षा कर्मियों को ₹ 24.74 लाख) का अतिरिक्त व्यय किया गया।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

➤ सेवानिवृत्ति के बाद वेतन का भुगतान

केएसडीएसयू के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक बजटीय प्रस्ताव बनाते समय अपने दो सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए निधि की मांग की थी। इन दोनों शिक्षण कर्मचारियों को सितंबर 2018 से मार्च 2019 के महीनों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी कुल ₹ 7.56 लाख का वेतन भुगतान किया गया था, और एक गैर-शिक्षण कर्मचारी को फरवरी 2019 के महीने लिए ₹ 0.28 लाख का भुगतान किया गया था, जिसने विश्वविद्यालय के अपर्याप्त बजटीय और वित्तीय नियंत्रण प्रबंधन को दर्शाया।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि भुगतान अनजाने में किया गया था और बाद में संबंधित व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय को वापस कर दिया गया।

हालांकि, ₹1.03 लाख की राशि अभी भी संबंधित व्यक्ति से वसूलनी बाकी है।

4.3.4 यूजीसी, आरयूएसए अनुदान के संबंध में अनियमितताएं

➤ पिछले अनुदानों के उपयोग नहीं होने के कारण यूजीसी से नए अनुदानों की अप्राप्ति

यूजीसी के सामान्य विकास के दिशा-निर्देशों की कंडिका 4.1 (जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया जाना था) में सामान्य विकास अनुदानों को जारी करने के मूल उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है, जैसे कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। इसके अतिरिक्त, कंडिका 6.7 के अनुसार, अनुदान की अगले किस्तें तभी जारी की जानी थीं जब पहले जारी किए गए अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाए।

लेखापरीक्षा में पाया कि यूजीसी ने केएसडीएसयू, एलएनएमयू, पीयू और वीकेएसयू को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹ 46.35 करोड़ का सामान्य विकास अनुदान आवंटित किया था (अगस्त 2012 से जुलाई 2013)। इन अनुदानों का उपयोग 31.03.2017 तक किया जाना था। इसके बाद इन विश्वविद्यालयों को ₹18.53 करोड़ (40 प्रतिशत) की एक किस्त जारी की गई थी (अगस्त 2012 से जुलाई 2013) और आगे की किस्तें पहले जारी किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही जारी की जानी थी। हालांकि, जारी किए गए अनुदानों का विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था (नवंबर 2022 तक)। निर्धारित अवधि के भीतर पूर्व में जारी अनुदान की किस्तों का उपयोग न हो पाने के कारण, शेष अनुदान की किस्तों की कुल राशि ₹ 27.82 करोड़ (60 प्रतिशत), इन विश्वविद्यालयों को जारी नहीं की गई थी, जैसा कि तालिका 4.4 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.4: पीवीसी से सत्यापित किए बिना वितरित बकाया वेतन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	अवधि जिसमें अनुदान स्वीकृत किया गया था और किस्तें जारी की गई थी	आवंटित राशि	विमुक्त राशि	अप्रयुक्त राशि (वर्तमान में)	अप्राप्त अनुदान की राशि
1	केएसडीएसस्यू	अगस्त 2012 और जुलाई 2013	9.79	3.91	0.91 (जून 2022)	5.88
2	एलएनएमयू	जुलाई 2013	14.33	5.73	1.67 (नवंबर 2017)	8.60
3	पीयू	जून 2013	12.53	5.01	उपलब्ध नहीं	7.52
4	वीकेएसस्यू	अगस्त 2012 और जुलाई 2013	9.70	3.88	0.01 (सितंबर 2022)	5.82
कुल			46.35	18.53	2.59	27.82

(स्रोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/जानकारी)

जैसा कि तालिका 4.4 से स्पष्ट है, ये विश्वविद्यालय पहले के प्राप्त अनुदान का उपयोग न करने के कारण विकास अनुदान की शेष किस्तें की कुल राशि ₹ 27.82 करोड़ (60 प्रतिशत), प्राप्त करने में विफल रहे थे। उन्होंने अनुदान किस्तों की राशि ₹ 18.53 करोड़ के तुलना में केवल ₹ 2.59 करोड़ (14 प्रतिशत) का उपयोग किया था (नवंबर 2022 तक)। यह इन विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण तंत्र का सूचक था। इसके अलावा, इन विश्वविद्यालयों में वांछित बुनियादी ढाँचे के निर्माण करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। शेष सात²³ विश्वविद्यालयों ने यूजीसी अनुदान और उसके उपयोग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

➤ ब्याज देनदारी का परिहार्य सृजन

कोचिंग²⁴ और विकास²⁵ योजनाओं के लिए यूजीसी अनुदान के स्वीकृति पत्रों (अगस्त 2012 से जुलाई 2013) के खंड 6 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालयों को जारी किए गए निधि के लिए, वित्तीय वर्ष के समाप्त के बाद, जिसमें निधि जारी किया गया था, जल्द से जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। इसके अलावा, इन पत्रों के खंड 10 में निर्धारित किया गया है कि यदि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया या आंशिक रूप से किया गया, तो निकासी की तारीख से अप्रयुक्त राशि की वापसी की तारीख तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केएसडीएसस्यू, एलएनएमयू और पीयू को विकास और करियर-उन्मुख कोचिंग के लिए, ₹ 2.00 करोड़ की राशि का यूजीसी अनुदान प्राप्त हुआ था (अगस्त 2012 से जुलाई 2013)। हालाँकि, ₹ 199.66 लाख की राशि की राशि अप्रयुक्त रह गई थी और इन विश्वविद्यालयों में रखा गया था (नवंबर 2022 तक)। अनुदान स्वीकृति पत्रों की शर्तों के उल्लंघन कर इन निधियों को विश्वविद्यालयों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ की राशि के परिहार्य ब्याज देयता का सृजन हुआ, जैसा कि तालिका 4.5 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

²³ बीआरएबीयू, जेपीयू, बीएनएमयू, टीएमबीयू, पीपीयू, एकेयू और एमएमएचएपीयू।

²⁴ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा में उनकी रोजगार क्षमता और सफलता को बढ़ाने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाएं।

²⁵ मौजूदा बुनियादी ढाँचे के समेकन और शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता शामिल हैं।

तालिका 4.5: अनुदानों के उपयोग नहीं होने के कारण सृजित परिहार्य ब्याज

(₹ in lakh)

क्रम. सं.	विश्वविद्यालय	प्राप्त अनुदान	अप्रयुक्त अनुदान की राशि	तक अनुदान अप्रयुक्त रहा	वर्षों की संख्या (लगभग)	प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज
1	केएसडीएसयू	दिसंबर 2012	57.00	जून 2022	9.5	54
2	केएसडीएसयू	जुलाई 2013	91.21	जून 2022	9	82
3	एलएनएमयू	अगस्त 2012	22.50	नवंबर 2022	10	23
4	पीयू	अगस्त 2012	28.95	नवंबर 2022	10	29
कुल		199.66				188

(स्रोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/जानकारी)

जैसा कि तालिका 4.5 से स्पष्ट है, प्राप्त अनुदान का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप, ₹1.88 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता का सृजन हुआ। 11 चयनित विश्वविद्यालयों में से पाँच²⁶ ने यूजीसी अनुदान के उपयोग से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे।

इस संबंध में, यह उल्लेखनीय था कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु स्मारित किया (नवंबर 2017 से फरवरी 2022 तक) कि ऐसा करने में विफल रहने पर, विश्वविद्यालय दंडात्मक ब्याज की राशि के साथ अनुदान की पूरी राशि, वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लगभग 10 वर्षों तक अप्रयुक्त रहे अनुदानों ने इन विश्वविद्यालयों के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाया, क्योंकि इन अनुदानों का उपयोग न होने से हितधारकों को योजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ये विश्वविद्यालय दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिससे उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

विभाग ने (जनवरी 2024) केएसडीएसयू के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि की, लेकिन बाकी दो विश्वविद्यालयों के बारे में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

➤ एनएएसी से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण आरयूएसए से बुनियादी ढांचा अनुदान की अप्राप्ति

आरयूएसए दिशानिर्देशों के अध्याय 6 (जी) ने निर्धारित किया कि आरयूएसए के तहत बुनियादी ढांचे और उपकरण संबंधी वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के लिए एनएएसी से मान्यता अनिवार्य थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरयूएसए के योजना और अनुमोदन बोर्ड ने 11 नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों में से, पांच²⁷ को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, फरवरी 2015 और मई 2018 के बीच ₹100 करोड़ (प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए ₹ 20 करोड़) स्वीकृत किया और ₹ 65.00 करोड़ जारी किया था। शेष छह नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों²⁸ को आरयूएसए²⁹ से कोई अनुदान नहीं मिला था, क्योंकि उन्हें एनएएसी से मान्यता नहीं मिली थी।

इस प्रकार, एनएएसी मान्यता अनिवार्य कर देने के बावजूद, 11 चयनित विश्वविद्यालयों में से केवल पांच को एनएएसी मान्यता प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यह मान्यता नहीं रहने के कारण,

²⁶ वीकेएसयू, बीएनएमयू, बीआरएबीयू, जेपीयू और टीएमबीयू।

²⁷ एलएनएमयू (₹ 20 करोड़), बीआरएबीयू (₹ 15 करोड़), केएसडीएसयू (₹ 10 करोड़), टीएमबीयू (₹ 10 करोड़) और पीयू (₹ 10 करोड़)।

²⁸ पीपीयू, वीकेएसयू, जेपीयू, एकेयू, बीएनएमयू और एमएमएचएपीयू।

²⁹ विकास कार्यों संबंधी आरयूएसए अनुदान को केंद्र और राज्य के बीच 60 रु 40 के अनुपात में साझा किया जाना था।

शेष छः नमूना—जाँचित विश्वविद्यालयों को कोई आरयूएसए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था और इन विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्र उन सुविधाओं के लाभ से वंचित थे जो इन आरयूएसए अनुदानों से बनाई जा सकती थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

➤ **एलएनएमयू द्वारा बचत खाता संधारित नहीं करने के कारण ब्याज की हानि**

राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एसएचईसी)³⁰ ने एलएनएमयू को आरयूएसए के तहत प्राप्त राशि के लिए एक अलग बचत खाता खोलने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2015)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 2016–21 के दौरान अपने बचत खातों के जमा राशि पर 2.70 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज पेशकश की थी।

एलएनएमयू के अभिलेखों की नमूना—जांच में पाया गया कि परिषद से निर्देश प्राप्त होने के बावजूद, आरयूएसए के तहत प्राप्त (मई 2016 और मई 2018) ₹15.00 करोड़ का अनुदान, 2016 से 2021 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान एसबीआई के चालू खाते में रखा गया था। शेष ₹ 3.47 करोड़ का अनुदान परिषद के निर्देशानुसार राज्य उच्च शिक्षा परिषद को वापस कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय को ब्याज के रूप में ₹ 82.03 लाख का नुकसान हुआ, जो 2016–21 के दौरान अर्जित किया जा सकता था, जैसा कि परिशिष्ट 4.6 में वर्णित है। यदि विश्वविद्यालय ने एसएचईसी के निर्देशों का पालन करते हुए बचत खाता खोला होता तो ₹ 82.03 लाख का ब्याज नुकसान से बचा जा सकता था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2024) कि चालू बैंक खाते को बचत खाते में परिणत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

➤ **आरयूएसए अनुदान का विचलन**

पुनः एलएनएमयू के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि एसएचईसी ने, विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव (मई 2016) के आधार पर, विभिन्न उपकरणों यथा कैमरा, लाइट, प्रोजेक्टर (केवल ₹ 0.50 लाख तक), विभिन्न वाद्य उपकरण, कंप्यूटर इत्यादि की खरीद के लिए 'उपकरण' शीर्ष के तहत ₹ 15.51 लाख की एक राशि स्वीकृत की थी (जून 2016)। हालांकि, विश्वविद्यालय ने अनुदान का विचलन करते हुए अनुमोदित वस्तुओं को खरीदने के बजाय अनियमित रूप से ₹ 15.22 लाख की लागत की अन्य वस्तुओं (प्रोजेक्टर: ₹ 6.42 लाख; डीजी सेट: ₹ 8.68 लाख और सीलिंग पंखे: ₹ 0.12 लाख) की खरीद की थी।

इस प्रकार, यूजीसी, एसएचईसी और आरयूएसए के निर्धारित मानदंडों और निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय आरयूएसए/यूजीसी अनुदान से वंचित हुए, ब्याज की परिहार्य देयता का निर्माण हुआ और ब्याज की हानि हुई, जो बचत बैंक खाता खोलने से अर्जित होती।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

4.3.5 प्राप्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया जाना

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 271 में प्रावधानित है कि स्वीकृति प्राधिकारी को अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसी/संस्थान से उनको निधि जारी होने के 18 महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और अंकेक्षित लेखा प्राप्त करना था।

³⁰ एसएचईसी राज्य में आरयूएसए के दृष्टिकोण को साकार करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009–10 से 2020–21 की अवधि के दौरान नौ चयनित विश्वविद्यालयों (अर्थात्, एकेयू और टीएमबीयू को छोड़कर) को शिक्षा विभागों; अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार और एसएचईसी (आरयूएसए अनुदान), से पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कोचिंग आदि के संबंध में ₹ 252.74 करोड़ की कुल अनुदान राशि प्राप्त हुई थी। इन विश्वविद्यालयों को 18 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर इस राशि के लिए यूसी जमा करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, उन्होंने ₹ 101.53 करोड़ (नवंबर 2022 तक) की एक राशि के लिए यूसी प्रस्तुत नहीं किया था, जैसा कि **परिशिष्ट-4.7** में वर्णित है।

यूसी जमा न करने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उन्हें स्वीकृति दी गई थी। अनुदानों का उपयोग न करने का तात्पर्य यह था कि छात्र इन अनुदानों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

एकेयू और टीएमबीयू ने अनुदान की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।

हालांकि विभाग ने (जनवरी–मार्च 2024 में) उत्तर दिया कि: (i) बीएनएमयू, जेपीयू, पीयू और वीकेएसयू ने उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए हैं, और (ii) एलएनएमयू से संबंधित यूसी जल्दी ही प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बीएनएमयू, जेपीयू, पीयू और वीकेएसयू से संबंधित जवाब, किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

4.3.6 अग्रिमों का समायोजन नहीं होना

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 318 में प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अग्रिम का समायोजन लंबित नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा, पहले अग्रिम के समायोजन के बाद ही दूसरा अग्रिम स्वीकृत किया जाना था।

10 नमूना जांचित विश्वविद्यालयों में (अर्थात्, पीयू को छोड़कर, जिन्होंने इस संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं कराया था) अभिलेखों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि, वित्तीय वर्ष 2008 से 2022 के दौरान, इन विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को परीक्षाओं, खेल गतिविधियों और आकस्मिकताओं आदि का संचालन करने के लिये अग्रिम स्वीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2022 तक, ₹ 77.30 करोड़ की अग्रिम राशि असमायोजित रह गई थी। ₹ 77.30 करोड़ के इन अग्रिमों में से, कम से कम ₹ 14.83 करोड़ की अग्रिम राशि, पाँच वर्षों से अधिक समय के लिए असमायोजित थी (जैसा कि **परिशिष्ट 4.8** में वर्णित है)।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि: (i) कई मामलों में, पूर्व के अग्रिमों के समायोजन के बिना, उन्हीं अधिकारियों को बाद में अग्रिम दिए गए थे (ii) केएसडीएसयू और एलएनएमयू में जिन कर्मचारियों पर अग्रिम बकाया था, उनके नाम के बजाय केवल पदनाम का उल्लेख दर्ज पाया गया (iii) एलएनएमयू में, वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान, अन्य विश्वविद्यालयों³¹ के 11 कॉलेजों/पीजी विभागों और एक निजी एजेंसी³² को दिया गया ₹1.39 करोड़ का अग्रिम नवम्बर 2022 तक समायोजित नहीं किया गया था और (iv) वित्तीय वर्ष 2015–17 के दौरान, चार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वीकृत ₹ 39.85 लाख की अग्रिम राशि नवंबर 2022 तक बकाया रही थी। फलतः, इन मामलों में अग्रिम के रूप में स्वीकृत किए गए ₹1.79 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम थी।

³¹ उत्तर पुस्तिकारों के मूल्यांकन हेतु।

³² पिंकी टेंट हाउस, दरभंगा।

इतनी लंबी अवधि तक अग्रिमों का समायोजन न होना धन के दुरुपयोग का जोखिम पैदा करता है, और यह इन विश्वविद्यालयों में कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

विभाग ने (जनवरी—मार्च 2024 में) जवाब दिया कि अग्रिम समायोजन की प्रक्रिया बीएनएमयू जेपीयू केएसडीएसयू एलएनएमयू पीपीयू टीएमबीयू और वीकेएसय में प्रगति पर है। हालांकि, विभाग ने शेष तीन विश्वविद्यालयों से संबंधित समायोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं की।

4.3.7 बैंकों द्वारा काटे गए आयकर की छूट का दावा न करने के कारण निधि की हानि / अवरुद्धीकरण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iii एबी) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान जो केवल शिक्षण उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में है और लाभ के लिए नहीं, और जो पूरी तरह या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसे आयकर के भुगतान से पूरी तरह छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 197 में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय को आयकर विभाग से 'कर की कटौती नहीं' का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इसे संबंधित बैंक में प्रस्तुत करना होगा, ताकि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचा जा सके। हालांकि, यदि 'कर की कटौती नहीं' का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया और बैंक द्वारा कर काटा गया, तो विश्वविद्यालय को अधिनियम की धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करके वापसी का दावा करना होगा।

केएसडीएसयू एलएनएमयू और एमएमएचएपीयू में लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2021–22 के दौरान, संबंधित बैंकों द्वारा उनमें रखी गई सावधि जमा के कारण अर्जित ब्याज की राशि से स्रोत पर ₹ 5.10 करोड़ आयकर की राशि की कटौती की गई थी, जैसा कि तालिका 4.6 में वर्णित है।

तालिका 4.6: स्रोत पर काटे गए आयकर की छूट/प्रतिदाय का दावा न करने के कारण हानि

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विश्वविद्यालय	अवधि (वित्तीय वर्ष)	टीडीएस की राशि
1	केएसडीएसयू	2016-2017 to 2021-22	2.32
2	एलएनएमयू	2015-16 to 2020-21	2.37
3	एमएमएचएपीयू	2011-12, 2013-14, 2015-16 to 2021-22	0.41
कुल			5.10

(स्रोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/जानकारी)

इन तीन विश्वविद्यालयों ने न तो टीडीएस से छूट के लिए बैंकों के पास 'कर कटौती नहीं' का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही उन्होंने बैंकों द्वारा स्रोत पर पहले ही काटे गए कर की वापसी के लिए आईटीआर दाखिल किया था, और जिसके चलते ₹ 5.10 करोड़ की हानि/अवरुद्धीकरण हुआ था।

टीडीएस से छूट का दावा न करने से इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय प्रणालियों में कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत मिला। छ: नमूना—जाँचित विश्वविद्यालयों³³ ने बैंकों द्वारा काटे गए

³³ पीयू वीकेएसयू बीएनएमयू जेपीयू बीआरएबीयू और टीएमबीयू।

टीडीएस के संबंध में विवरण प्रदान नहीं किया था और शेष दो³⁴ विश्वविद्यालय में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देखा गया था।

उक्त मामले को संज्ञान में लाये जाने पर (सितंबर 2022), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (एलएनएमयू) ने (दिसंबर 2022) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आईटीआर दाखिल किया और ₹ 95.86 लाख के टीडीएस की वापसी का दावा किया, जिसके बदले में ₹ 1.01 करोड़ (जिसमें ₹ 5.75 लाख का ब्याज शामिल है) की वापसी के आदेश जारी किए गए (जून 2023 तक)।

विभाग ने (जनवरी 2024) जवाब दिया कि: (i) एमएमएचएपीयू और एलएनएमयू में टीडीएस की वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और (ii) केएसडीएसयू में कटौती की गई टीडीएस की राशि वापस कर दी गई है। हालाँकि, विभाग के इस जवाब के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण संलग्न नहीं था।

4.3.8 संपत्ति कर के संबंध में जुर्माने का परिहार्य भुगतान

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (मूल्यांकन, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 13 के अनुसार, प्रत्येक करदाता को मांग नोटिस की प्रतीक्षा के बिना यथासमय अपनी कर देयता का स्व-मूल्यांकन करते हुए और नगर पालिका को नियमित रूप से भुगतान करना अपेक्षित था। आगे, उक्त नियमावली के नियम 12 के अनुसार, यदि एक वित्तीय वर्ष की संपत्ति कर देयता का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के बाद किया जाता है, प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाना था।

पीयू के अभिलेखों की नमूना—जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों ने समय पर संपत्ति कर का मूल्यांकन और पटना नगर निगम को भुगतान नहीं किया था। तदनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष 1995–96 से वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों (छ:) के विरुद्ध ₹12.35 करोड़ (कुल ₹ 6.12 करोड़ के दण्ड सहित) का मांग नोटिस प्रस्तुत किया था (फरवरी 2019)। इस नोटिस के जवाब में, विश्वविद्यालय ने निगम को ₹ 11.23 करोड़ (₹ 6.04 करोड़ के दण्ड सहित) का भुगतान किया (मार्च 2019) था। विश्वविद्यालय समय पर संपत्ति कर का मूल्यांकन कर ₹ 6.04 करोड़ के इस भुगतान से बच सकता था।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि, दण्ड के भुगतान (मार्च 2019) के बावजूद, विश्वविद्यालय ने बाद के वर्षों के लिए भी समय पर संपत्ति कर का आकलन और भुगतान नहीं किया था, और इसके द्वारा बकाया राशि ₹ 4.51 करोड़ (दंडात्मक राशि ₹ 1.49 करोड़ सहित) का फिर से भुगतान किया (मार्च 2023)।

पाँच नमूना—जाँचित विश्वविद्यालयों³⁵ ने संबंधित नगर निगमों को संपत्ति कर के भुगतान से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

यदि विश्वविद्यालय ने संपत्ति कर के समय पर मूल्यांकन और भुगतान के लिए कार्रवाई की होती, तो ₹ 7.53 करोड़ की राशि के जुर्माने के भुगतान करने से बचा जा सकता था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

4.3.9 विद्युत विलंब अधिभार का परिहार्य भुगतान

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय—समय पर जारी प्रशुल्क के साथ पठित बिहार विद्युत प्रशुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 17, उल्लेख करती है कि बिल में निर्दिष्ट देय तिथि के बाद,

³⁴ एकेयू और पीपीयू।

³⁵ बीकेएसयू, बीएनएमयू, जेपीयू, बीआरएबीयू और टीएमबीयू।

पूर्ण रूप से उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा बिल के गैर-भुगतान के मामलों में, भुगतान के लिए मूल देय तिथि से बिल के बकाया मूलधन राशि पर एक विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस), लगाया जाना था, जब तक कि पूरा भुगतान नहीं हो जाता।

आठ चयनित विश्वविद्यालयों (अर्थात्, एकेयू, एमएमएचएपीयू और पीपीयू को छोड़कर) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये विश्वविद्यालय अपने बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर ₹ 3.01 करोड़ की राशि के डीपीएस का परिहार्य भुगतान हुआ, जैसा कि तालिका 4.7 में वर्णित गया है।

तालिका 4.7: बिजली बिलों पर विलंबित भुगतान अधिभार का परिहार्य भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विश्वविद्यालय	बिजली बिल की अवधि	डीपीएस का परिहार्य भुगतान
1	बीआरएबीयू	10/2013 to 02/2022	242.00
2	बीएनएमयू	02/2015 to 11/2021	7.73
3	जेपीयू	12/2016 to 07/ 2021	3.88
4	केएसडीएसयू	02/2017 to 02/2022	2.10
5	एलएमएनयू	02/2015 to 08/2021	1.57
6	पीयू	2018-19 to 2021-22	37.97
7	टीएमबीयू	04/2016 to 05/2017	0.83
8	वीकेएसयू	06/2015 to 03/2022	4.94
कुल			301.02

(झोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/जानकारी)

जैसा कि तालिका 4.7 से देखा जा सकता है, यदि विश्वविद्यालयों ने समय पर बिजली बिलों का भुगतान किया होता, तो वे डीपीएस के कारण किए गए ₹ 3.01 करोड़ के इन परिहार्य भुगतानों से बच सकते थे। हालाँकि, विश्वविद्यालय ऐसा करने में विफल रहे थे, जो उसमें कमज़ोर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सूचक था।

विभाग ने (जनवरी—मार्च 2024 में) जवाब दिया कि बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीएनएमयू, जेपीयू और वीकेएसयू के मामले में, बिजली बिल समय पर न मिलने के कारण अधिभार का भुगतान किया गया। तथापि, यह तथ्य है कि बिजली बिलों का समय पर भुगतान करने से अनावश्यक विलंब अधिभार (डीपीएस) का भुगतान बचाया जा सकता था।

4.3.10 जीएसटी भुगतान एवं कटौती में अनियमितताएं

भारत सरकार और बिहार सरकार ने क्रमशः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और बिहार वस्तु एवं सेवा कर नियमावली अधिसूचित किया (जून 2017), जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी थी। जीएसटी के संबंध में किए गए भुगतान और लगाई गई लेवी/कटौतियों से संबंधित अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

➤ जीएसटी का गलत भुगतान

केएसडीएसयू के अभिलेखों की जांच से पता चला कि परीक्षा से पहले और बाद के संबंधित कार्यों के लिए (छात्रों के पंजीकरण से लेकर परिणामों को अंतिम रूप देने तक) विश्वविद्यालय ने एक एजेंसी³⁶ को काम में लगाया था। वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि के

³⁶ एनआईसीटी कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना।

लिए भुगतान में हुई देरी के लिए एजेंसी ने ब्याज और दण्ड सहित ₹ 2.54 करोड़ की राशि का दावा किया था (मार्च 2021)। विश्वविद्यालय ने एजेंसी के साथ दावे पर बातचीत की थी और ₹ 1.15 करोड़ के भुगतान करने की सहमति व्यक्त की थी (अप्रैल 2021)।

तदोपरांत, विश्वविद्यालय ने एजेंसी को ₹ 1.15 करोड़ के सहमत बकाया भुगतान के साथ, जीएसटी (18 प्रतिशत की दर से) की मद में ₹ 20.66 लाख की एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया था (अप्रैल 2021)। चूंकि ₹ 1.15 करोड़ की बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि से संबंधित थी, तथा सेवाओं/वस्तुओं की आपूर्ति जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले की गई थी, अतएव विश्वविद्यालय इस राशि पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। ऐसा करके, हालांकि, विश्वविद्यालय ने ₹ 20.66 लाख के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किया था और इस मद पर एजेंसी को अनियमित रूप से ₹ 14.40 लाख (अप्रैल–सितंबर 2021) का भुगतान किया था।

इसलिए, जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले की अवधि के दौरान प्राप्त सेवाओं/वस्तुओं के लिए जीएसटी का भुगतान करने संबंधित विश्वविद्यालय के निर्णय के कारण ₹14.40 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और (जनवरी 2024) जवाब दिया कि एजेंसी के देय बिलों से ₹ 14.40 लाख की राशि रोक ली गई है।

➤ कर योग्य सेवाओं पर जीएसटी न लगाना

भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिसूचना 11/2017 (दर) जारी की (जून 2017), जिसमें तय किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने वाली एजेंसियों को किए गए भुगतान पर 18 प्रतिशत (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक नीं प्रतिशत की दर से) की दर से जीएसटी का शुल्क लगाया जाएगा।

एलएनएमयू के अभिलेखों की नमूना-जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान, विश्वविद्यालय को एक आउटसोर्सिंग एजेंसी³⁷ से सुरक्षा सेवाएँ प्राप्त हुई थीं। इन सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय ने एजेंसी को ₹ 39.48 लाख रुपये का भुगतान किया था। हालांकि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए था, विश्वविद्यालय ने इन बिलों के भुगतान करते समय जीएसटी नहीं लगाया। कर योग्य सुरक्षा सेवाओं पर जीएसटी न लगाने के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ₹ 7.10³⁸ लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

➤ जीएसटी टीडीएस की कटौती न होना

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (1) तथा बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान से, जहाँ आपूर्ति का कुल मान एक वर्ष में दो लाख और पचास हजार रुपये से ज्यादा है वस्तु एवं सेवा कर की कटौती का प्रावधान है। इसके अलावा, इन प्रावधानों को यथोचित परिवर्तनों सहित एकीकृत वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017³⁹ पर लागू किया जाना था।

³⁷ विश्वविद्यालय ने आउटसोर्सिंग एजेंसी की भर्ती से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जिसने सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की थी।

³⁸ एसजीएसटी और सीजीएसटी क्रमशः के मद में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार प्रत्येक को ₹3.55 लाख।

³⁹ आईजीएसटी (एक कर जो वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है) के प्रशासन और संग्रह को परिचालित करता है।

पीपीयू और पीयू के अभिलेखों के नमूना—जांच में पता चला कि कि सितंबर 2018 से अगस्त 2022 की अवधि के दौरान, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के कारण ₹ 19.74 करोड़ का भुगतान किया था। परंतु, विश्वविद्यालयों ने कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के विरुद्ध संबंधित आपूर्तिकर्ताओं की बिलों से ₹ 39.48 लाख के टीडीएस राशि की कटौती नहीं की जैसा **परिशिष्ट-4.9** में विस्तृत रूप से बताया गया है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, आपूर्तिकर्ताओं से कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति के मद में जीएसटी का टीडीएस काटने में विश्वविद्यालयों की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 39.48 लाख की कुल राशि के राजस्व का नुकसान हुआ।

बीएनएमयू, जेपीयू, टीएमबीयू और बीआरएबीयू ने वस्तुओं/सेवाओं की खरीद से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

जीएसटी से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने के ये मामले इन विश्वविद्यालयों में वित्तीय तंत्र की अपर्याप्तता और अप्रभावीता को दर्शाते हैं।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि पीपीयू ने जीएसटी काट लिया था। हालांकि, उत्तर के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं था। इसके अतिरिक्त, पीयू के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

4.3.11 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तथा रॉयल्टी की कटौती नहीं होना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 में प्रावधान है कि सभी सरकारी विभागों को भवन और अन्य निर्माण संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर एकत्र करना था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत की दर से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती का भी प्रावधान किया था। इसके अलावा, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 की धारा 12, भुगतान न करने की स्थिति में, उपकर की राशि से अधिक नहीं होने वाले दंड का प्रावधान है।

एलएनएमयू के अभिलेखों की नमूना—जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने 2019–21 के दौरान विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने हेतु 14 विभिन्न ठेकेदारों को ₹ 5.13 करोड़ का भुगतान किया था। यद्यपि, विश्वविद्यालय को इन ठेकेदारों को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती करनी थी, लेकिन उसने निर्धारित दर पर उक्त उपकर की कटौती किए बिना भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 5.13 लाख की राशि बिहार बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष में जमा नहीं की जा सकी (**परिशिष्ट-4.10**)।

इसके अलावा, उपकर का भुगतान न करने के कारण, विश्वविद्यालय देय उपकर के समतुल्य हर्जाना के लिए उत्तरदायी था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और (जनवरी 2024) कहा कि उपकर की कटौती प्रर्याप्त दिशानिर्देशों और जानकारी की कमी के कारण नहीं की गई।

➤ रॉयल्टी की कटौती नहीं किया जाना

निर्माण गतिविधियों में रेत, पत्थर के टुकड़ों और ईंटों के उपयोग के लिए बिहार खनिज (छूट, अवैध खनन की रोकथाम, ढुलाई तथा भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 51 (1) की अनुसूची-III ए में निर्दिष्ट दरों⁴⁰ पर रॉयल्टी की कटौती की जानी थी।

एलएनएमयू के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय ने 2019-21 के दौरान 14 अलग-अलग कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न ठेकेदारों को ₹ 5.13 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। इन कार्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को इन ठेकेदारों को भुगतान करते समय, उक्त नियम के तहत, निर्धारित दरों पर ₹ 3.47 लाख की प्रयोज्य रॉयल्टी राशि की कटौती करना आवश्यक था। हालांकि, विश्वविद्यालय ने बिहार खनिज नियमावली, 2019 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस राशि की कटौती नहीं की थी, परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा उपकर और रॉयल्टी की ₹ 8.60 लाख की कटौती न करने के कारण क्रमशः बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (₹ 5.13 लाख) एवं राज्य सरकार (₹ 3.47 लाख) को राजस्व की हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-4.10** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि इन कार्यों पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जानी थी। हालांकि, विभाग के उत्तर के साथ कोई उपयुक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.3.12 वस्तुओं की खरीद में अनियमितताएं

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 (आई) के अनुसार, सीमित निविदा पूछताछ को तब अपनाया जाना था जब खरीदे जाने वाले वस्तुओं का अनुमानित मूल्य ₹ 25 लाख तक हो। ऐसे मामलों में, बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले आपूर्तिकर्ताओं की संख्या तीन से अधिक होनी थी। इसके अलावा, उक्त नियमावली के नियम 131 (एच) में प्रावधान किया गया है कि ₹ 25 लाख और उससे अधिक के अनुमानित मान के वस्तुओं की खरीद के मामले में विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया को अपनाया जाना था।

➤ बिना निविदाएं आमंत्रित किये वस्तुओं की खरीद

चयनित विश्वविद्यालयों में से पाँच⁴¹ में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बिहार वित्तीय नियमावली, के प्रावधानों के उल्लंघन में निविदाएं (सीमित या विज्ञापित) आमंत्रित किए बिना ₹ 7.96 करोड़ के वस्तुओं का क्रय किया गया था, जैसा कि तालिका 4.8 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.8: निविदाएं आमंत्रित किए बिना वस्तुओं की खरीद

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विश्वविद्यालय	अवधि जिसके दौरान खरीद की गई	सामग्रियों का विवरण	राशि
1	बीआरएबीयू	2017-19	प्रश्नपत्र	58.62
		2019-20	उत्तर पुस्तिकाँ	31.50
2	एलएनएमयू	2017-18	कंप्यूटर	18.27
3	एमएमएचएपीयू	2017-22	प्रश्नपत्र	79.94
4	पीपीयू	2020-21	पुस्तक	450.00
5	टीएमबीयू	2017-22	प्रश्नपत्र	158.09
कुल				796.42

(स्रोत: नमूना-जांचित विश्वविद्यालयों के अभिलेख)

⁴⁰ रॉयल्टी की दरें : रेत (₹75/एम³); स्टोन चिप (₹150/एम³) और ईंटें (₹18/400)।

⁴¹ बीआरएबीयू एलएनएमयू एमएमएचएपीयू पीपीयू और टीएमबीयू।

बीएफआर के प्रावधानों का पालन किए बिना सामग्रियों की खरीद इन विश्वविद्यालयों में कमज़ोर आंतरिक वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण का घोतक थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में बताया गया है।

चयनित विश्वविद्यालयों में से दो (बीएनएमयू और जेपीयू) ने सामग्रियों की खरीद से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) पुष्टि की कि: (i) बीआरएबीयू और एलएनएमयू में निविदाएं आमंत्रित किए बिना क्रय किया गया, और (ii) पीपीयू में छात्रों के हित में कोविड-19 के दौरान क्रय किया गया। शेष दो विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई उत्तर प्रदान नहीं किया गया।

➤ उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद में अनियमितताएं

टीएमबीयू ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत, परीक्षाओं में उपयोग के लिए 14 लाख रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं खरीदने का निर्णय लिया (दिसंबर 2020 और मार्च 2021)। सीमित निविदा पूछताछ को अंतिम रूप देने के बाद, विश्वविद्यालय ने मेसर्स महेश्वरी प्रिंटर्स एंड सप्लायर्स से 2,55,000 रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के लिए एक आपूर्ति आदेश दिया (फरवरी 2021)। आपूर्ति आदेश के अनुसार, कुल ₹ 24.99 लाख की उत्तर पुस्तिकाएं ₹ 9.80 प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से खरीदी जानी थी। इसके बाद, विश्वविद्यालय ने वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना उत्तर पुस्तिकाओं की समान मात्रा की आपूर्ति के लिए बाद में उसी विक्रेता को दो आपूर्ति आदेश दिया (मार्च और जून 2021)। ये आदेश सीमित निविदा के आधार पर पहले तय की गई दर पर दिए गए थे। इस प्रकार से, विश्वविद्यालय ने कुल ₹ 74.97 लाख लागत की 7.65 लाख उत्तर पुस्तिकाएं खरीदीं। हालांकि, खरीद को तीन भागों में विभाजित किया गया था जिसमें प्रत्येक क्रय का मूल्य ₹ 24.99 लाख था। यह दर्शाता है कि विज्ञापित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद से बचने के लिए खरीद के अनुमानित मूल्य को ₹ 25 लाख की मौद्रिक सीमा से कम रखने के इरादे से आदेश की राशि ₹ 24.99 लाख रखी गई थी।

पुनः, विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद के लिए एक विज्ञापित निविदा आमंत्रित किया (अगस्त 2021) और प्रत्येक उत्तर पुस्तिका को बहुत कम दर ₹ 3.85 पर क्रय हेतु अंतिम रूप दिया गया। विश्वविद्यालय ने मात्र ₹ 14.63 लाख की लागत पर 3.80 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद की (सितंबर 2021)।

इस प्रकार, विज्ञापित निविदा के निर्धारित प्रावधान से बचने के लिए, विश्वविद्यालय ने बहुत अधिक दरों पर खरीद कर और खरीद को विभाजित कर 7.65 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के खरीद पर ₹ 45.52 लाख⁴² की हानि वहन की थी। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने इस संबंध में वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन बिना, कुल 11.45 लाख रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं खरीदी थी, क्योंकि वर्ष 2021–22 के दौरान, मात्र 40,000 (लगभग) उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया था।

इन विश्वविद्यालयों में बीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वस्तुओं की खरीद कमज़ोर वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण का घोतक था।

विभाग ने (मार्च 2024 में) जवाब दिया कि हालांकि उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद में कोई अनियमितता नहीं थी, भविष्य में ऑडिट निष्कर्ष को ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, विभाग ने अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

⁴² ₹ 45,51,750 = ₹ 5.95 (₹ 9.80 – ₹ 3.85) × 7,65,000 रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं।

4.3.13 आउटसोर्सिंग सेवाओं के चयन में अनियमितताएं

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 (जे) (सी) में प्रावधान है कि प्राप्त तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, वित्तीय मूल्यांकन के लिए केवल एक ही बोली की उपलब्धता की स्थिति में, नई निविदा आमंत्रित की जानी थी।

➤ निविदाओं के निष्पादन में विसंगतियाँ

पीपीयू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि, आउटसोर्सिंग के आधार पर सुरक्षा गार्ड सहित मानवबल की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की गई थी (अगस्त 2021)। निविदा की प्रक्रिया के दौरान, तीन बोलीदाताओं में से, केवल एक को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया (अगस्त 2021)। बीएफआर के अनुसार, विश्वविद्यालय को निविदा को रद्द करना और एक नए सिरे से निविदा जारी करना अपेक्षित था। हालाँकि, विश्वविद्यालय ने बीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना कोई कारण दर्ज किए दो बोलीदाताओं (जिसमें एक तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीदाता के साथ—साथ एक तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता शामिल है) की वित्तीय निविदा खोलने का निर्णय लिया था। इसके बाद न्यूनतम बोली वाले बोलीदाता⁴³ (जो तकनीकी रूप से भी योग्य बोलीदाता था) को कार्यादेश जारी कर दिया गया था तथा विश्वविद्यालय और एजेंसी के बीच सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए एकरारनामा किया गया था (सितंबर 2021)। इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा एजेंसी को दिया गया कार्य अवैध और अनियमित दोनों था। विश्वविद्यालय ने सितंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान एजेंसी को ₹ 2.90 करोड़ का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि पीपीयू में, आउटसोर्सिंग के आधार पर मानवबल (निजी सचिव, कंप्यूटर संचालक, एमटीएस, लेखापाल, चालक आदि) की नियुक्ति के लिए एक निविदा जारी की गई थी (अगस्त 2018)। निविदा दस्तावेज के खंड 1.19 में निविदा कार्यों के दायरे में विश्वविद्यालय के लिए सुरक्षा गार्ड के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, निविदा को मेसर्स साइबेक्स सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एजेंसी) के पक्ष में अंतिम रूप दिया गया और इस संबंध में एजेंसी से लिखित सहमति प्राप्त करने (सितंबर 2018) के उपरांत, सुरक्षा गार्ड सहित मानवबल की आपूर्ति के लिए कार्यादेश प्रदान किया गया था (सितंबर 2018)। तदनुसार, आउटसोर्सिंग एजेंसी को निविदा प्रक्रिया से गुजरे बिना सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किया गया था (क्योंकि इस आवश्यकता को न तो निविदा दस्तावेज में और न ही तकनीकी और वित्तीय बोलियों में शामिल किया गया था)। विश्वविद्यालय ने सितंबर 2018 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए मानवबल⁴⁴ उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी को ₹2.04 करोड़ का भुगतान किया था।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि: (i) तकनीकी मूल्यांकन समिति की संतुष्टि के अनुसार एकल निविदा को मंजूरी दी गई, (ii) हुई अनियमितताओं पर विचार किया जा रहा है और उनकी समीक्षा की जाएगी, और (iii) सरकार के नियमों और विनियमों का पालन किया जाएगा।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बीएफआर के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

⁴³ मेसर्स रिट्रिवर्सिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

⁴⁴ सुरक्षा गार्डों से संबंधित प्रस्तुत बिलों और किए गए भुगतानों की प्रतियां ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराई गईं।

4.3.14 अधूरे कार्यों पर निष्फल व्यय

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीएनएमयू में, ₹ 7.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ नए परिसर में चाहरदीवारी, मुख्य द्वार और भवनों के विस्तार के निर्माण से संबंधित तीन कार्य, क्रमशः नवंबर 2011 और मार्च 2015 में, प्रारंभ हुए थे। कार्यों को उनके प्रारंभ होने के तीन से नौ माह के भीतर पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, निर्धारित पूर्णता तिथि से सात से 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी, ये कार्य पूरे नहीं किये गये थे और 2013 और 2021 से रुके हुए थे। अप्रैल 2021 तक, विश्वविद्यालय ने इन कार्यों पर केवल ₹ 2.80 करोड़ का व्यय किया था जैसा कि तालिका 4.9 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.9: बीएनएमयू में अपूर्ण कार्य (अक्टूबर 2022 तक)

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	कार्य (नए परिसर में)	अनुबंध की राशि	कार्य शुरू करने की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	जब से कार्य बंद	वर्तमान तिथि तक किया गया व्यय	विलंब वर्षों (लगभग)
1	चाहरदीवारी का निर्माण	350.00	07.11.2011	06.08.2012	10.03.2013	113.00/ 26.02.2013	10
2	मुख्य द्वार का निर्माण	125.00	07.11.2011	06.08.2012	10.03.2013	48.95/ 13.03.2013	10
3	भवन का विस्तार	225.00	17.03.2015	16.06.2015	10.03.2021	118.28/ 28.04.2021	7
	कुल	700				280.23	

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

इन कार्यों को पूरा करने में असामान्य देरी (10 वर्षों तक) से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय ने उन्हें समय पर पूरा करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया था। इस प्रकार, अपूर्ण कार्यों पर किया गया ₹ 2.80 करोड़ का अधिकांश भाग निष्फल रहा था और इस व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों के क्षरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय के अंदर वित्तीय और अनुश्रवण तंत्र प्रभावी नहीं था।

विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2024) कि ठेकेदार से अधिक राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। अधूरे कार्यों के संबंध में कोई विशेष उत्तर प्रदान नहीं किया गया।

4.3.15 लेखाओं एवं अभिलेखों के रख-रखाव में अनियमितताएं

- वार्षिक लेखाओं को तैयार नहीं किया जाना

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, की धारा 34 (जे) में विश्वविद्यालय की आय और व्यय के लेखाओं के रख-रखाव का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 52 (2) ने प्रावधान किया है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा प्रतिवेदन की प्राप्ति के छः महीनों के अंदर राज्य सरकार, कुलपति और सीनेट को प्रस्तुत की जानी थी। कुलपति को इस प्रतिवेदन को राज्य सरकार के आधिकारिक गजट में प्रकाशित करना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में आठ नमूना जांचित विश्वविद्यालयों⁴⁵ द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गए थे। आगे की जांच से पता चला कि इन विश्वविद्यालयों ने अपना बैलेंस शीट, आय और व्यय लेखे तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखे भी तैयार नहीं किए थे। वार्षिक लेखाओं की तैयारी नहीं होने के कारण, राज्य सरकार, कुलपति और सीनेट, यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं थे कि: (i) लेन-देन वर्ष के दौरान हुआ और (ii) यह लेन-देन अनुमोदित बजट के अनुसार किया गया था।

विभाग ने (जनवरी–मार्च 2024 में) तीन विश्वविद्यालयों (जेपीयू, टीएमबीयू और वीकेएसयू) में वार्षिक खातों की अनुपस्थिति के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमति व्यक्त की, लेकिन शेष पांच विश्वविद्यालयों की स्थिति की जानकारी नहीं दी।

➤ एकाधिक बैंक खातों का रखरखाव

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 176 और 177 में प्रावधान है कि मांगों की प्रत्याशा में या अनुदानों का व्यपगत होने से रोकने के लिए कोषागार से कोई राशि का आहरण नहीं किया जाना था। इसके अलावा, वित्त विभाग, बिहार सरकार ने अनावश्यक बैंक खाते को बंद करने के निर्देश जारी किए थे (अगस्त 2017 से मई 2020)।

एलएनएमयू और पीपीयू के अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि:

- एलएनएमयू में, 80 बैंक खाते संचालित किये जा रहे थे। इन 80 बैंक खातों में से, 58 बैंक खाते, जिनमें ₹ 26.22 करोड़ की कुल राशि शेष थी (मार्च 2021 तक), निष्क्रिय⁴⁶ थे।
- पीपीयू में, 29 बैंक खाते संचालित किये जा रहे थे, जिनमें आठ खाते, जिनमें कुल ₹ 5.81 करोड़ की राशि शेष थी (नवम्बर 2022 तक), निष्क्रिय थे।

इस प्रकार, उपर्युक्त नियमों और निर्देशों के उल्लंघन में इन दोनों विश्वविद्यालयों के 66 निष्क्रिय बैंक खातों में ₹ 32.03 करोड़ पड़े थे।

यह इन विश्वविद्यालयों में कमजोर वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का द्योतक था। इसके अलावा, खातों की बहुलता के कारण संभवत इन विश्वविद्यालयों द्वारा इन खातों का प्रबंधन अनुचित तरीके से किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

➤ रोकड़ बही का गैर/अनियमित संधारण

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बोर्ड विविध नियमावली, 1958 (2017 तक संशोधित) के नियम 323 और 324 में मद-वार सहायक रोकड़-बही और एक सामान्य रोकड़-बही के संधारण का प्रावधान है। इन नियमों के अनुसार रोकड़-बही में सभी लेनदेन के लिए तिथि-वार प्रविष्टियां अंकित करने का भी प्रावधान किया। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों से संबंधित निधियों के संदर्भ में अलग-अलग बही-खातों, लेखाओं और अभिलेखों के संधारण करने की भी आवश्यकता थी।

10 चयनित विश्वविद्यालयों (एकेयू को छोड़कर) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि (i) उपर्युक्त नियम का उल्लंघन कर उनके द्वारा सामान्य रोकड़-बही का संधारण नहीं किया गया था (ii) इनमें से आठ

⁴⁵ बीआरएबीयू के एसडीएसयू जेपीयू एलएनएमयू एमएमएचएपीयू पीयू टीएमबीयू और वीकेएसयू।

⁴⁶ आरबीआई के अनुसार, एक बचत खाता और चालू खाता निर्दि क्रय माना जाएगा यदि खाते में दो वर्षों से अधिक अवधि तक कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

विश्वविद्यालयों के संबंध में, निर्धारित 142 सहायक रोकड़—बही या तो संधारित नहीं की गई थी अथवा अनुचित तरीके से संधारित की गई थी (iii) चार विश्वविद्यालयों में, प्रारंभिक और अंत शेष की गणना नहीं की गई थी और (iv) छ: नमूना—जाँचित विश्वविद्यालयों में, संबंधित डीडीओ द्वारा रोकड़—बही का सत्यापन नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-4.11**)।

रोकड़—बहियों के संधारण नहीं किये जाने, साथ ही उनके संधारण में अनियमितताएं, इन विश्वविद्यालयों में अपर्याप्त वित्तीय और अभिलेख—रक्षण तंत्र का घोतक था।

विभाग ने जवाब दिया कि (जनवरी—मार्च 2024) सभी विश्वविद्यालयों द्वारा रोकड़ बही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी।

4.4 प्रशासनिक तंत्र और परिचालन प्रबंधन

4.4.1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के परिणामों के प्रकाशन में देरी

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 30 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित परीक्षाओं के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए जाने चाहिए। इस अवधि को 60 दिनों से अधिक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते इसका कारण लिखित रूप में दर्ज किया गया हो।

चयनित विश्वविद्यालयों में से आठ (अर्थात्, एकेयू, जेपीयू और पीपीयू को छोड़कर) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि इन विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परिणाम चार से 946 दिनों की विलंब से प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान, परिणामों के प्रकाशन में विलंब का विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने में विलंब

क्रम. सं.	विश्वविद्यालय	आयोजित परीक्षाओं की कुल संख्या	60 दिनों के बाद प्रकाशित परिणामों की संख्या	विलंब से प्रकाशित परिणामों की प्रतिशतता	परिणाम प्रकाशन में विलंब (दिनों में)
1.	बीएनएमयू	231	210	91	04 से 946
2.	बीआरएबीयू	29	22	76	06 से 205
3.	केएसडीएसयू	36	13	36	05 से 504
4.	एलएनएमयू	11	11	100	11 से 194
5.	एमएमएचएपीयू	05	02	40	13 से 62
6.	पीयू	277	204	74	07 से 219
7.	टीएमबीयू	45	30	67	04 से 136
8.	वीकेएसयू	25	14	56	23 से 360
कुल		659	506	77	

(झोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया गया आंकड़े)

तालिका 4.10 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान इन आठ चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 506 परीक्षाओं (77 प्रतिशत) के परिणाम चार से 946 दिनों तक की देरी से प्रकाशित किए गए थे। इसके अलावा, एलएनएमयू के सभी परिणाम देरी से प्रकाशित

किये गये थे और दिनों की संख्या के मामले में बीएनएमयू में सबसे अधिक देरी हुई थी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात परिणामों का प्रकाशन, बीएसयू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करने में बिलंब का कारण उपलब्ध नहीं था, क्योंकि विश्वविद्यालयों द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, एकेयू के अधिनियम में, आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के परिणामों के प्रकाशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

परिणामों के प्रकाशन में देरी ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक नियंत्रण की कमी को दर्शाया, जिसका इन विश्वविद्यालयों के भविष्य के शिक्षण सत्रों के कार्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना थी। इसके अलावा, इन विलंबों से इन विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों की आगे की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी और उनकी आगे की पढ़ाई के साथ-साथ कैरियर-उन्मुख प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विभाग ने (जनवरी 2024) जवाब दिया कि: (i) एलएनएमयू, केएसडीएसयू, बीएनएमयू और वीकेएसयू में परिणामों के प्रकाशन में देरी कोविड-19 के कारण हुई (ii) परिणाम समय पर प्रकाशित किए जाएंगे, और (iii) टीएमबीयू में परिणाम समय पर प्रकाशित किए गए। विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि ऑडिट अवधि में 2017 से के 2022 बीच घोषित परिणाम शामिल थे और 506 विलंबित परिणामों में से 367 परिणाम कोविड-19 से पहले के थे। इसके अलावा, एमएमएचएपीपीयू, बीआरएबीयू और पीयू के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। टीएमबीयू के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं दिए गए।

4.4.2 परिणाम तैयार करने में अनियमितताएं

बिहार के विश्वविद्यालयों में सारणीकरण पंजी⁴⁷ (टीआर), परीक्षाओं से संबंधित बुनियादी, महत्वपूर्ण और स्थायी अभिलेखों में से एक है। इसमें छात्रों द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त अंक शामिल रहते हैं। छात्रों के परिणाम घोषित कर और टीआर में दर्ज किये जाते हैं तथा भविष्य के परिणाम/प्रमाणपत्र/डिग्री से संबंधित पूछताछ सारणीकरण पंजी के आधार पर किया जाता है। इसलिए, किसी भी परीक्षा से संबंधित टीआर का त्रुटिरहित और सही ढंग से प्रमाणित होना आवश्यक था ताकि कोई भी गलत प्रविष्टि न हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें दर्ज की गई जानकारी सही हो।

➤ एलएनएमयू की टीआर में अनियमितताएं

एलएनएमयू में, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी की स्नातकोत्तर परीक्षा (शिक्षण सत्र: 2017–19) से संबंधित टीआर की जांच से पता चला कि: (i) 23 छात्रों द्वारा प्रथम/द्वितीय छमाही की परीक्षाओं में प्राप्त अंक टीआर (अंतिम) में सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए थे (ii) इन 23 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को सही किए बिना परिणाम घोषित कर दिया गया और (iii) 23 मामलों में से दो में, छात्रों को सारणीकरण पंजी में गलत प्रविष्टि के कारण द्वितीय श्रेणी (कुल 1,600 अंकों में से 60 से कम लेकिन 45 प्रतिशत या उससे अधिक) में उत्तीर्ण घोषित किया गया था। यदि प्रथम छमाही में उनके द्वारा प्राप्तांक को अंतिम छमाही के सारणीकरण पंजी में सही तरह से दर्ज किया गया होता, ये दोनों छात्र प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत अंक और उससे अधिक) में उत्तीर्ण करते जैसा कि परिशिष्ट-4.12 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

⁴⁷ एक विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की जाने वाले 'सारणीकरण पंजी', उस विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट पाठ्यक्रम में, छात्रों के उनके पूर्ण शैक्षणिक इतिहास में परीक्षा के अंकों की एक सम्पूर्ण सूची है।

➤ केएसडीएसयू के टीआर में अनियमितताएं

वर्ष 2019 और 2020 के दौरान आयोजित शास्त्री (संस्कृत में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रयुक्त नामकरण) डिग्री के लिए अंतिम वर्ष भाग—III परीक्षाओं से संबंधित केएसडीएसयू की टीआर कि लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि: (i) शास्त्री की अंतिम परीक्षा 2020 के पांच मामलों में, परिणाम उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त तीन भागों में से केवल दो में, अंकों के योग के आधार पर तथ किए गए थे (ii) नौ मामलों में, उम्मीदवारों का विवरण अलग—अलग परिणामों के साथ दो बार अंकित किया गया था (**परिशिष्ट—4.13**) और (iii) 2019 और 2020 की शास्त्री की अंतिम परीक्षाओं के आठ मामलों में, एक ही कॉलेज से और एक ही परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने वाले दो अलग—अलग उम्मीदवारों के अनुक्रमांक एक ही थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति (i) के लिए, विभाग ने (जनवरी 2024) कहा कि आवश्यक परिवर्तनों के बाद संशोधित परिणाम प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें तीनों भागों में प्राप्त अंकों को जोड़ा गया है। शेष दो निरीक्षणों के संबंध में जवाब अभी भी लंबित थे (जून 2024)।

➤ एमएमएचएपीयू के टीआर में अनियमितताएं

एमएमएचएपीयू के 2020 के बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) की पार्ट—I परीक्षा की सारणीकरण पंजी की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि, चार मामलों में, अंक पृष्ठ⁴⁸ तथा सारणीकरण पंजी में अंकित किए गए अंक, छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए अंकों से अधिक थे, जैसा कि तालिका 4.11 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 4.11: उत्तर पुस्तिकाओं, अंक पृष्ठ और सारणीकरण पंजी में उल्लिखित अंकों के बीच अंतर

क्रम सं.	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या	उत्तर पुस्तिकाओं में दिए गए अंक	अंक पृष्ठ में अंकित अंक	सारणीकरण पंजी में अंकित अंक	उत्तर पुस्तिकाओं से विचलन
1.	20203150XXXX	1620193XXXX	43	53	53	10(+)
2.	20263150XXXX	1620193XXXX	44	57	57	13(+)
3.	20263150XXXX	1620193XXXX	42	54	54	12(+)
4.	20263150XXXX	1620193XXXX	53	53	55	02(+)

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि ये मानवीय और टंकण संबंधी गलतियाँ थीं और विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए उचित ध्यान देगा।

चूंकि परिणाम/प्रमाणपत्र/डिग्री टीआर के आधार पर तैयार किए जाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुचित रखरखाव विश्वविद्यालयों के अपर्याप्त प्रशासनिक तंत्र को दर्शाता है, जिसका उसमें नामांकित छात्रों के भविष्य की शिक्षण/कैरियर से संबंधित संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

⁴⁸ उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न कागज के एक टुकड़े पर परीक्षक द्वारा लिखे गए परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त उत्तर—वार अंकों को ‘अंक पृष्ठ’ कहा जाता है। जबकि ‘सारणीकरण पंजी’ (टीआर) एक अभिलेख है, जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थान में सभी परीक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विषयवार अंक शामिल होते हैं। ‘सारणीकरण पंजी’ का संकलन अंक पृष्ठ में दर्शाए गए अंकों के आधार पर किया जाता है।

4.4.3 संबद्धीकरण संबंधी मामले

➤ अपेक्षित शुल्क वसूल किए बिना संबद्धीकरण प्रदान करना

(i) एकेयू⁴⁹ से एक कॉलेज के संबद्धीकरण की संविधियों की धारा 4 के अनुसार, एक गैर-सरकारी संस्थान को उसके निरंतर और कुपल कामकाज के लिए बाहरी स्रोतों से किसी भी सहायता के बिना कम से कम तीन साल तक संस्थान को चलाने के लिए एक अक्षय निधि⁵⁰ (विश्वविद्यालय को गिरवी) होने की आवश्यकता थी। आगे, संविधियों की धारा 5.4 (एफ) यह निर्धारित करती है कि, गैर-सरकारी कॉलेजों/संस्थानों के मामले में, विश्वविद्यालय संबद्धीकरण शुल्क और अक्षय निधि प्राप्त होने के बाद ही संबद्धीकरण को अधिसूचित करेगा। इसके अलावा, एकेयू ने एक अधिसूचना जारी की (अगस्त 2018) जिसमें यह उल्लेखित था कि, उससे सम्बद्ध निजी कॉलेज को अपने अक्षय निधि को किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में कॉलेज के नाम पर सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा करेंगे। उक्त एफडी को एकेयू के पक्ष में गिरवी रखा जाना था।

लेखापरीक्षा में पता चला कि विश्वविद्यालय से संबद्ध 67 कॉलेजों ने सावधि जमा के रूप में विश्वविद्यालय के पास ₹ 9.83 करोड़ की अक्षय निधि जमा नहीं की थी। इसके अलावा, इन कॉलेजों को संबद्धीकरण प्रदान करने से पहले आवेदन शुल्क और संबद्धता शुल्क की राशि ₹ 0.64 करोड़ की वसूली भी नहीं की गई थी (**परिशिष्ट-4.14**)। इस प्रकार, ₹ 10.47 करोड़⁵¹ की कुल राशि विश्वविद्यालय निधि में जमा/प्राप्त नहीं की गई थी।

(ii) एकेयू अधिनियम के तहत बनाई गई संविधियों के अनुसार, एकेयू से संबद्धता के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गैर-वापसी योग्य निरीक्षण-सह-प्रसंस्करण शुल्क, आवेदनों के साथ जमा किया जाना था। हालाँकि, अभिलेखों की जांच से पता चला कि 31 कॉलेजों/संस्थानों ने एनओसी के लिए निरीक्षण शुल्क के साथ निरीक्षण-सह-प्रसंस्करण शुल्क (संबद्धता प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त), की ₹ 0.19 करोड़ की राशि विश्वविद्यालय को जमा नहीं की थी (**परिशिष्ट 4.15**)।

इसलिए, विश्वविद्यालय ने 69 कॉलेजों⁵² को अनिवार्य संबद्धता घर्तों को पूरा किए बिना, संबद्धता प्रदान की थी, परिणामस्वरूप शुल्क/अक्षय निधि की जमा/वसूली नहीं की जा सकी। यह विश्वविद्यालय में अप्रभावी नियंत्रण तंत्र का सूचक था।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि आवेदन, संबद्धता और एन्डोमेंट शुल्क, एनओसी और निरीक्षण-सह-प्रसंस्करण शुल्क के संबंध में बकाया राशि वसूली गई थी। हालाँकि, विभाग का जवाब किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

4.4.4 बिना संबद्धीकरण के नामांकन एवं परीक्षा लिया जाना

➤ सरकार की मंजूरी के बिना संबद्धीकरण प्रदान करना

बीएसयू अधिनियम, 1976 की धारा 21 की उप-धारा 2 (डी), 3 (आई) और 4(19) में प्रावधानित है कि अरबी एवं फारसी में उच्च मानक अध्ययन के विकास के लिए एमएमएचएपीयू, जिसका

⁴⁹ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को पारंपरिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में संस्थानों के संबद्धीकरण का संचालन करना और सहज बनाना अपेक्षित है।

⁵⁰ 'अक्षय निधि' एक पूल है, जहां 98 संबद्ध कॉलेजों से प्राप्त धन, या दान को एक साथ रखा जाता है और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिए निवेश किया जाता है।

⁵¹ ₹ 9.83 करोड़ अक्षय निधि के रूप में तथा ₹ 0.64 करोड़ आवेदन और संबद्धीकरण शुल्क के रूप में।

⁵² 62 कॉलेज + 30 कॉलेज = 92 कॉलेज। हालाँकि, दोनों में 23 कॉलेज उभय-निष्ठ थे।

सम्पूर्ण बिहार राज्य पर अधिकार क्षेत्र है, की स्थापना की जानी थी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय संविधियों के अनुसार विश्वविद्यालयों के पास विभाग के पूर्व स्वीकृति के अधीन कॉलेजों को संबद्ध या असंबद्ध करने की शक्तियाँ थीं।

एमएमएचएपीयू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय ने नौ कॉलेजों⁵³ को शिक्षण सत्र 2015–18 और 2016–19 के लिए डिग्री पाठ्यक्रमों में इन पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की प्रत्याशा में नामांकन लेने की अनुमति दी थी (जून 2015)। हालाँकि, विभाग ने इन नौ कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को प्रशासनिक कारणों से अस्वीकार कर दिया (मार्च 2019)।

इस प्रकार, हालाँकि विभाग ने नौ कॉलेजों को संबद्धता प्रदान नहीं की थी, विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, इन शैक्षणिक सत्रों में नामांकन लेने के लिए इन कॉलेजों को अनियमित रूप से अनुमति दी थी। परिणामस्वरूप, इन कॉलेजों ने 2015–18 और 2016–19 के शैक्षणिक सत्र के दौरान इस अवधि के दौरान संबद्धता के बिना, 8,624 छात्रों का नामांकन किया था। यह विश्वविद्यालय में अपर्याप्त प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण तंत्र का सूचक था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

➤ बिना संबद्धीकरण कॉलेज / पाठ्यक्रम चलाना

विभाग ने विश्वविद्यालयों को सूचित किया (जनवरी 1994) कि डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश, संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही दिया जाना था। इसके अतिरिक्त पुनः (मार्च 2005) स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना था कि उनसे संबद्ध कॉलेजों ने किसी पाठ्यक्रम/विषय के लिए कॉलेजों की संबद्धता समाप्त होने के बाद छात्रों को प्रवेश नहीं दिया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि:

(i) बीआरएबीयू ने एक कॉलेज⁵⁴ को केवल 1999 से 2006 के लिए विज्ञान और वाणिज्य संकाय में डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में अस्थायी संबद्धता प्रदान की थी। विभाग ने विज्ञान और वाणिज्य संकायों के लिए कॉलेज की आगे की संबद्धता (2007 और उसके बाद) हेतु आवेदन को अस्वीकार कर दिया (मार्च 2018) तथा कॉलेजों को मार्च 2022 तक इन पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता नहीं मिली थी।

हालाँकि, अस्थायी संबद्धता केवल 2006 तक थी और विभाग ने इसे उस अवधि से आगे नहीं बढ़ाया था, विश्वविद्यालय ने लगातार इस कॉलेज के छात्रों को विज्ञान और वाणिज्य संकायों में 2017 तक परीक्षा देने की अनुमति दी थी। विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए टीआर के अनुसार, 2018 तक 856 छात्र इन दोनों संकायों में आयोजित परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का (जून 2024 तक) कोई जवाब नहीं दिया।

(ii) टीएमबीयू के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए केवल नौ विषयों⁵⁵ में वर्ष 1996–97 में दीप नारायण सिंह कॉलेज, भुसिया (बांका) को स्थायी संबद्धता प्रदान की गई थी। हालाँकि, कॉलेज को इन नौ संबद्ध विषयों के अलावा अन्य विषयों में छात्रों को नामांकन लेने की अनुमति दी गई थी और विश्वविद्यालय ने 2017–20 के शिक्षण सत्र तक इन गैर-संबद्ध विषयों में परीक्षा आयोजित करना जारी रखा था। लेखापरीक्षा में पाया गया

⁵³ बाबा विश्वनाथ केदारनाथ विमला कॉलेज, समस्तीपुर; मिल्लत डिग्री कॉलेज समस्तीपुर; किसान डिग्री कॉलेज, पूर्णिया; निमी कॉलेज, शेखपुरा; क्रिसेंट डिग्री कॉलेज, बेतिया; सीबीआई कॉलेज, सीवान; शिव जनम राय कॉलेज, छपरा; ए एस कॉलेज, मुंगेर एवं चंद्राशेखर प्रसाद डिग्री कॉलेज, मधुबनी।

⁵⁴ महेश्वर नाथ महामाया महिला कॉलेज, बेतिया।

⁵⁵ हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन (श्रम और ससमाजिक कल्याण), संस्कृत, ग्रामीण अर्थशास्त्र और वाणिज्य।

कि शैक्षणिक सत्र 2017–20 के अंत में आयोजित भाग-III डिग्री–स्तरीय परीक्षाओं के लिए, 172 विद्यार्थियों में से 164 विद्यार्थी, जो 13⁵⁶ गैर–संबद्ध विषयों में उपस्थित हुए थे, विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया था।

विभाग ने (मार्च 2024 में) लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि गैर–संबद्ध विषयों में प्रवेश लिया गया था।

4.4.5 अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों को अनियमित रूप से बनाए रखना

विभाग ने अपने संकल्पों (अगस्त 2014 और अप्रैल 2021) के माध्यम से, यह प्रावधान किया कि नियमित शिक्षणों की नियुक्ति पर अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जानी थी।

जेपीयू के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय ने नियमित शिक्षणों की नियुक्ति (अगस्त 2019) के बाद, तीन महीने की देरी से 61 अतिथि शिक्षणों की सेवाएं समाप्त की गई थी। इसके परिणामस्वरूप इन शिक्षणों को ₹ 26.74 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया, जैसा कि तालिका 4.12 में बताया गया है।

तालिका 4.12: अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों को परिहार्य भुगतान

(राशि ₹ में)

क्रम. सं.	नियमित शिक्षणों की नियुक्ति की तिथि	अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों की सेवा समाप्ति की तिथि	नियमित शिक्षणों की नियुक्ति के बाद भी अतिथि शिक्षणों को प्रतिधारण की अवधि	बर्खास्त किए गए अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों की संख्या	अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों को किया गया परिहार्य भुगतान
1	03.08.2019	15.11.2019	03 माह (लगभग)	30	13,23,000
2	03.08.2019	15.11.2019	03 माह (लगभग)	23	10,51,000
3	03.08.2019	15.11.2019	03 माह (लगभग)	8	3,00,000
कुल				61	26,74,000

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए, अतिथि / अंशकालिक शिक्षणों को ₹ 26.74 लाख का परिहार्य भुगतान किया था।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि यूजीसी के जनवरी 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात किए गए थे। हालांकि, विभाग का जवाब किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था।

4.4.6 बिना सत्यापन सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति

विभाग ने विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया (मार्च 2017) कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति करने से पूर्व दस्तावेजों अर्थात् शिक्षण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, स्वारथ्य जांच आदि का सत्यापन किया जाना था।

एमएमएचएपीयू के अभिलेखों की नमूना-जांच में पता चला कि विश्वविद्यालय ने सात उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी और उर्दू के विभागों में दो-दो तथा इस्लामी अध्ययन विभाग में

⁵⁶ प्राचीन भारतीय इतिहास, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित (कला), गणित (विज्ञान), दर्शनशास्त्र, भौतिकी, मनोविज्ञान, उर्दू और प्राणीशास्त्र।

तीन) के रूप में नियुक्त किया था (मई 2017)। ये नियुक्तियाँ विभाग के निर्देशों के उल्लंघन कर की गई थीं क्योंकि इन सहायक प्रोफेसरों के दस्तावेजों का सत्यापन अभी भी लंबित था (मई 2022 तक)। विश्वविद्यालय ने इन शिक्षणों को मार्च 2022 तक वेतन के रूप में ₹ 1.45 करोड़ की राशि का भुगतान किया था।

विश्वविद्यालय ने जवाब दिया (मई 2022) कि सत्यापन की प्रक्रिया प्रगति पर है और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा।

विश्वविद्यालय का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही की जानी थी और सत्यापन लगभग पांच वर्षों से लंबित था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

4.4.7 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी एवं शिक्षण कर्मचारी की युक्तिसंगत तैनाती नहीं किया जाना

किसी भी संस्थान के कुषल कामकाज में पर्याप्त मानवबल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

11 चयनित विश्वविद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि इन विश्वविद्यालयों के साथ ही उनके संघटक कॉलेजों में, शिक्षण वर्ष 2021–22 में शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों, दोनों की अत्यधिक कमी थी।

इन नमूना-जाँचित विश्वविद्यालयों में, शिक्षण कर्मचारी के 9,240 पद स्वीकृत किये गये थे। इन 9,240 स्वीकृत पदों के विरुद्ध, चयनित विश्वविद्यालयों में केवल 3,998 (43 प्रतिशत) शिक्षकों को तैनात किया गया था और 5,242 पद (57 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे। शिक्षण स्टाफ की कमी 49 प्रतिशत (बीएनएमयू) से 86 प्रतिशत (एमएमएचएपीयू) तक थी।

इसी प्रकार, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए 9,970 पद स्वीकृत थे, जिसके विरुद्ध केवल 4,358 (44 प्रतिशत) कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार, इन चयनित विश्वविद्यालयों में 5,612 पद (56 प्रतिशत) रिक्त थे। गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी, 31 प्रतिशत (एमएमएचएपीयू) और 80 प्रतिशत (वीकेएसयू) के बीच थी। कुल मिलाकर 56 प्रतिशत की कमी थी, जैसा कि **परिशिष्ट-4.16** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

कुछ संघटक कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारी के संवर्ग में भारी कमी के बावजूद, विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कर्मचारी की तैनाती को युक्तिसंगत नहीं बनाया था। कुछ मामलों में, शिक्षण, शिक्षण कार्य करने की जगह, विशेष रूप से प्रशासन से संबंधित कार्य कर रहे थे। कुछ कॉलेजों में, स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षण पदस्थापित किए गए, जबकि कुछ मामलों में, स्वीकृत बल की तुलना में भारी कमी थी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- केएसडीएसयू में कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के बावजूद, विभिन्न कॉलेजों से 12 शिक्षकों को विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर प्रतिनियुक्त किया गया था (2010 से 2022 की अवधि के बीच)।
- पीयू के गृह विज्ञान विभाग में, 2021–22 के दौरान एक स्वीकृत पद की तुलना में पांच शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जबकि, विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में, 20 छात्रों के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था।
- वीकेएसयू में, 2022–23 के दौरान में, प्राणी विज्ञान और इतिहास विभाग में क्रमशः पांच स्वीकृत पदों के विरुद्ध छः शिक्षकों को और चार स्वीकृत पदों के विरुद्ध पांच शिक्षकों को पदस्थापित किया गया था।

- बीएनएमयू के एचपीएस कॉलेज (निर्मली, मधुबनी) में, 104 छात्रों के लिए दो शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी, जबकि विश्वविद्यालय के पीजी विभाग (पश्चिम परिसर) में चार छात्रों के लिए चार नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी। आगे, प्रत्येक दो कॉलेजों⁵⁷ से दो शिक्षकों को गैर-शिक्षण पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण वर्ष 2022–23 के दौरान विशेष संकाय के लिए कार्यरत बल 'शून्य' हुआ।

कर्मचारियों की युक्तिसंगत तरीके से पदस्थापना नहीं होने के कारण, पाठ्यक्रम और योजना गतिविधियाँ बाधित हुई होगी, जिसने पाठ्यक्रम का प्रबंधन और वितरण कठिन बनाया। कुछ कक्षाओं को शिक्षकों के बिना अथवा अतिरिक्त कार्यभार के साथ बहुत कम शिक्षकों पर छोड़ दिया गया था, जिससे अंततः शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) स्वीकार किया कि विश्वविद्यालयों में रिक्तियाँ थीं और बताया कि एलएनएमयू पीयू और पीपीयू में रिक्तियों को अतिथि और आउटसोर्स किए गए शिक्षकों की तैनाती के माध्यम से भरा गया है। केएसडीएसयू में, प्रशासनिक कर्मचारियों की रिक्तियों के सापेक्ष शिक्षकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था।

4.4.8 छात्र-शिक्षण का निम्न अनुपात

देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को दर्शाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 2010–11 से वार्षिक रूप में उच्च शिक्षा प्रदान करने में संलग्न देश में सभी संस्थानों को शामिल करते हुए उच्च शिक्षा पर "अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई)" आयोजित कर रहा था। एआईएसएचई प्रतिवेदन 2020–21 के अनुसार, विश्वविद्यालयों और उनके संघटक इकाइयों के लिए नियमित मोड़⁵⁸ में छात्र-शिक्षण अनुपात (पीटीआर) देश में 19:1 था। बिहार में, विश्वविद्यालयों और उसके संघटक कॉलेजों के लिए पीटीआर नियमित मोड में 31:1 था।

चार चयनित विश्वविद्यालयों के संघटक कॉलेजों में शिक्षणों के स्वीकृत बल (एसएस) और कार्यरत बल (पीआईपी) तथा नामांकित छात्रों से संबंधित अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि इन विश्वविद्यालयों में पीटीआर 49 से 507 तक था। यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। खराब पीटीआर का इन विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षण अनुपात का विवरण तालिका 4.13 में उल्लिखित है।

तालिका 4.13: संघटक कॉलेजों में पीटीआर

क्रम सं.	शिक्षण वर्ष	विश्वविद्यालय	कॉलेजों की संख्या	शिक्षणों की संख्या		छात्रों की संख्या	पीटीआर
				एसएस	एमआईपी		
1	2021-22	बीआरएबीयू	42	1,781	648	1,90,060	293:1
2	2020-21	केएसडीएसयू	31	316	89	4,367	49:1
3	2021-22	एलएनएमयू	43	1,514	674	3,41,645	507:1
4	2021-22	पीपीयू	29	1,473	747	1,74,281	233:1

(नोट: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

⁵⁷ टी.पी. कॉलेज एवं पीएस कॉलेज, मध्येरुरा।

⁵⁸ दूरस्थ शिक्षा के मुकाबले शिक्षा का 'नियमित तरीका' शिक्षा के पारंपरिक तरीके को संदर्भित करता है जहाँ छात्र एक शैक्षणिक संस्थान में शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेते हैं।

तालिका 4.13 से स्पष्ट है कि एआईएसएचई प्रतिवेदन के अनुसार, नमूना जाचित चार विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अखिल भारतीय अनुपात 19:1 की तुलना में पीटीआर बहुत खराब था।

पीपीयू के अंतर्गत, राजकीय डिग्री कॉलेज राजगीर, नालंदा के मामले में, कॉलेज बिना किसी नियमित शिक्षक के चल रहे थे, जबकि 3,311 छात्रों का नामांकन किया गया था। 51 शिक्षकों के स्वीकृत बल के विरुद्ध केवल दो शिक्षक (प्रतिनियुक्ति के आधार पर) उपलब्ध थे (मार्च 2022 तक)।

विभाग ने (जनवरी 2024 में) जवाब दिया कि पीपीयू में, कॉलेज की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए अन्य कॉलेजों से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कॉलेज बिना किसी नियमित शिक्षकों के कार्य कर रहा था। इसके अलावा, विभाग ने कम छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

4.5 आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

➤ यूएमआईएस का कार्यान्वयन नहीं किया जाना

शिक्षा विभाग ने बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए केंद्रीय रूप से पांच मॉड्यूल⁵⁹ के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (यूएमआईएस) को लागू करने का निर्णय लिया था (फरवरी 2018)। यूएमआईएस को विश्वविद्यालयों के कामकाज में एक एकीकृत दृष्टिकोण लाने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रक्रियाओं के मानकीकरण के उद्देश्य से लागू किया जाना था, जिसमें निगरानी और प्रशासन, बजट का विश्लेषण, कागज रहित कामकाज को सुगम करना, प्रबंधन नियंत्रण को स्वचालित करना और छात्रों की जानकारी का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करना आदि शामिल था। प्रारंभ में, यूएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए, शिक्षा विभाग को आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) प्रकाशित करना था और विक्रेता का चयन करना था। तथापि, माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में आयोजित कुलपतियों की बैठक (अगस्त 2018) में, विश्वविद्यालयों द्वारा 2018–19 शिक्षण सत्र से विकेंद्रीकृत तरीके से यूएमआईएस को स्वयं लागू करने का निर्णय लिया गया।

पाँच विश्वविद्यालयों⁶⁰ के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पता चला कि इन विश्वविद्यालयों ने यूएमआईएस के विभिन्न मॉड्यूल को लागू करने का निर्णय लिया था और सभी मॉड्यूल⁶¹ शिक्षण वर्ष 2021–22 तक लागू नहीं किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट-4.17 में बताया गया है। शेष छः चयनित विश्वविद्यालयों ने यूएमआईएस के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

यूएमआईएस के सभी मॉड्यूलों के कार्यान्वयन नहीं किए जाना एक कमजोर अनुश्रवण प्रणाली का द्योतक था। यदि इन विश्वविद्यालयों में एक पूर्णतः क्रियाशील यूएमआईएस होता तो वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित अनियमितताएं, जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है, को कम किया जा सकता था।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (जनवरी–मार्च 2024) कि यूएमआईएस के सभी मॉड्यूल विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किए जा सके।

⁵⁹ छात्र, शिक्षण, शैक्षणिक कार्य, विश्वविद्यालय/कॉलेज निगरानी और प्रशासन।

⁶⁰ बीएनएमयू केएसडीएसयू, एलएनएमयू, पीपीयू और पीयू।

⁶¹ छात्र संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, भंडार और पुस्तकालय प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन, छात्रावास प्रबंधन और अन्य/विविध।

➤ शिकायत निवारण तंत्र की अनुपलब्धता

राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों को शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए एक पेंशन प्रकोष्ठ, कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ और छात्र कल्याण प्रकोष्ठ का गठन करने का निर्देश दिया (जुलाई 2016)। उसने सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों में अभ्यावेदन की प्राप्ति और अनुपालन सुनिश्चित करने का पुनः निर्देश दिया (अगस्त 2018)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि:

- (i) शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए निर्धारित निर्देशों (जुलाई 2016 और अगस्त 2018) में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
- (ii) टीएमबीयू ने कोई शिकायत निवारण कोषांग का गठन नहीं किया था। बीएनएमयू, बीआरएबीयू और जेपीयू ने इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए, इन विश्वविद्यालयों में शिकायत निवारण कोषांगों के गठन और कामकाज की स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका। एलएनएमयू में, 860 शिकायतों में से जो 2015 से जुलाई 2022 तक प्राप्त हुई थी, 132 का निवारण नहीं किया गया था (नवंबर 2022 तक)। पीपीयू में, फरवरी 2019 से अक्टूबर 2022 के दौरान 578 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन 578 शिकायतों में से, नवंबर 2022 तक 78 शिकायतें लंबित थीं (वर्षवार और माहवार विवरण उपलब्ध नहीं था)। जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान 145 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 42 शिकायतें निराकरण के लिए लंबित थीं (नवंबर 2022 तक)।

शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन नहीं होने और शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा तय नहीं होने के कारण शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों और पेंशनभोगीयों की शिकायतों का समाधान करने तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों में अभ्यावेदन की प्राप्ति और अनुपालन सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया (जून 2024 तक)।

अध्याय-V
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अध्याय—V

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

योजना एवं विकास विभाग

5 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में गंभीर कमियों का मूल्यांकन करने हेतु आधारभूत सर्वेक्षण और स्थानिक मानचित्रण नहीं किया गया और दीर्घ कालिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। वार्षिक कार्य योजनाएं काफी विलंब के साथ तैयार की गई थीं और इनमें कई खामियां थीं, जैसे कि गैर-व्यवहार्य/गैर-स्वीकार्य कार्यों का चयन, जिन्हें अंततः रद्द कर दिया गया था। कई सृजित परिसंपत्तियों का उपयोग नहीं किया गया और वे अकार्यरत रहीं। इसके अलावा, अस्वीकार्य साथ ही अनियमित व्यय के कुछ मामले भी पाए गए। राज्य में कार्यक्रम शुरू होने के बाद से सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक रूप से प्राथमिकता वाले गांवों में से किसी को भी 'संतृप्त' होने के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

5.1 परिचय

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (कार्यक्रम) (बीएडीपी) स्थानीय आबादी के बीच आधारभूत सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधानों और सुरक्षा की भावना के प्रोत्साहन के जरिए, देश के पश्चिमी क्षेत्र के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दौरान शुरू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में, इस कार्यक्रम का विस्तार उन राज्यों तक किया गया, जिनकी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। तत्पश्चात, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान, इसे आगे म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों तक विस्तारित किया गया। बीएडीपी वर्तमान में 17 राज्यों को आच्छादित करता है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाएं हैं। बिहार राज्य को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल किया गया और इसमें बीएडीपी का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान शुरू किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य: (i) अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं और हितों को पूरा करना तथा (ii) इन सीमावर्ती क्षेत्रों को संपूर्ण आवश्यक आधारभूत संरचनाओं से परिपूर्ण करना है।


5.2 भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

भारत सरकार के स्तर पर सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नोडल विभाग है। इसे: (i) राज्यों से प्राप्त योजनाओं का अनुमोदन करना (ii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधि आवंटित करना और (iii) कार्यक्रम की वित्तीय और भौतिक प्रगति की निगरानी करना अपेक्षित था। योजना और विकास विभाग (पीडीडी), बिहार सरकार, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य में नोडल विभाग था। बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्कीनिंग समिति (एसएलएससी) को जिला स्तरीय समितियों (डीएलसी) द्वारा अनुशंसित कार्यों को अंतिम रूप देकर और अनुमोदित कर इसके अंतिम अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को भेजना था।

गृह मंत्रालय के तहत, सीमा सुरक्षा बलों (बीजीएफ) को प्राथमिकता वाले गांवों की पहचान सूची तैयार करनी थी और इसे डीएलसी को भेजना था। जिला अधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में डीएलसी, जिला स्तर पर कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजनाओं की मंजूरी के बाद, सीमावर्ती जिलों के जिला योजना पदाधिकारी (डीपीओ) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने एवं योजना और विकास विभाग (पीडीडी), बिहार सरकार के तहत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) के कार्य प्रमंडलों द्वारा कार्यक्रम के क्षेत्र स्तरीय कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, संबंधित जिलों के डीपीओ के साथ—साथ एलएईओ के कार्यपालक अभियंता प्राप्त निधि के उपयोग के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त, कुछ कार्य कुछ लाइन विभागों जैसे कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के संबंधित प्रमंडलों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे।

विभिन्न स्तरों पर संबंधित विभागों/समितियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व चार्ट 5.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 5.1: कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभागों/समितियों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व



5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि:

- योजना प्रक्रिया पर्याप्त और कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप थी
- कार्यों/योजनाओं को मौजूदा नियमों/प्रावधानों के अनुसार निष्पादित किया गया था, और
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी की गई थी।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उपलब्धि का आकलन करने के लिए मानदंड निम्नलिखित झोतों से लिए गए थे:

- भारत सरकार द्वारा 2005 और 2015 के दौरान जारी बीएडीपी दिशानिर्देश
- भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियमावली; बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार वित्तीय नियमावली; और बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार कोषागार संहिता
- बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार लोक निर्माण विभाग (बीपीडब्ल्यूडी) संहिता
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एसएलएससी की सशक्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और
- भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेश, अधिसूचनाएं और परिपत्र।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने समय—समय पर अपने दिशा—निर्देशों को पुनरीक्षित/संशोधित किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा अवधि पुनरीक्षित/संशोधित दिशा—निर्देश, 2015 के अंतर्गत थी।

5.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि को समाहित किया गया और लेखापरीक्षा को शामिल सभी सात¹ सीमावर्ती जिलों में जून से अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सात² प्रमुख घटकों के अंतर्गत निधियां जारी की गई थीं। लेखापरीक्षा ने इन घटकों में से चार³ पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें इन घटकों के लिए वित्तीय वर्ष 2017–20 के लिए अनुमोदित एएपी की राशि के आधार पर चुना गया था (जिसमें कुल अनुमोदित राशि का 77 प्रतिशत शामिल था)। लेखापरीक्षा ने, शीर्ष स्तर पर विभाग, सात सीमावर्ती जिलों के डीपीओ; एलएईओ के तहत आठ कार्य प्रमंडलों⁴ के कार्यपालक अभियंताओं और क्षेत्र स्तर पर अन्य संबंधित कार्यकारी एजेंसियां के अभिलेखों की जांच की। इन इकाइयों को प्रगतिरत कार्यों; उच्च अनुमानित लागत वाले कार्यों और कार्यों, जिनमें दिया गया प्रशासनिक


¹ अररिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, मधुबनी, सीतामढी, सुपौल और पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

² आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, खेल—कूद गतिविधियाँ और विशेष विशिष्ट क्षेत्र योजना।

³ शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक क्षेत्र।

⁴ कार्य प्रमंडल-1, अररिया; कार्य प्रमंडल-2, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण); कार्य प्रमंडल, किशनगंज; कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी; कार्य प्रमंडल-2, पुपरी (सीतामढी); कार्य प्रमंडल, सुपौल; कार्य प्रमंडल-1, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) और कार्य प्रमंडल-2, बगहा (पश्चिम चम्पारण)।

अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक/कम थी, की संख्या के आधार पर चुना गया था। निष्पादित किए जा रहे कार्यों की भौतिक और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 82 नमूना-जांचित कार्यों में से, 44 कार्य स्थलों (**परिशिष्ट-5.1**) पर संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) किया। लेखापरीक्षा के दौरान किए गए कार्य स्थलों के जेपीआई के परिणामों को गूगल अर्थ-प्रो सॉफ्टवेयर की मदद से जियो-टैग किया गया और **चित्र 5.1** में प्रस्तुत किया गया है।



चित्र 5.1: जियो टैग निरीक्षित कार्य स्थल

इस एसएससीए के लिए अंतर्गमन और बहिर्गमन सम्मेलन जुलाई से अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित किए गए और एसएससीए को दिसम्बर 2022 में विभाग को अग्रेषित किया गया। प्रतिवेदन में विभाग का जवाब (जुलाई 2023 और मई 2024) उपयुक्त रूप से शामिल है और प्रतिवेदन को विभाग द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर रूप दिया गया है (मई 2024 तक)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.6 योजना

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों की कंडिका 2.1 में परिकल्पना की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के भीतर स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जानी थी। सीमा सुरक्षा बलों (बीजीएफ) को इन गांवों की पहचान करनी थी। संबंधित जिलों की डीएलसी को बुनियादी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में कमियों का आकलन करने के लिए अपने संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सर्वेक्षण और स्थानिक मानचित्रण कार्यान्वयित करना था। इन सर्वेक्षणों के दौरान पहचान की गई कमियों को डीएलसी द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए एक विस्तृत ग्राम-वार दीर्घ कालिक कार्य योजना के जरिए पूरा करना था। डीएलसी द्वारा किए गए स्थानिक मानचित्रण के आधार पर बीजीएफ को: (i) प्राथमिकता वाले गांवों की एक सूची तैयार करनी थी, जिन्हें विकास संबंधी गतिविधियों के संबंध में पहले संतुष्ट किया जाना था, और (ii) इस सूची को डीएलसी को अग्रेषित करना था। प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को चुनने के बाद डीएलसी को दीर्घकालिक योजनाओं के आधार पर अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) तैयार करनी थीं। इसके बाद, डीएलसी को वार्षिक कार्य योजना एसएलएससी को अग्रेषित करनी थी जो योजनाओं को अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजती है।

कार्यक्रम की योजना से संबंधित कमियां, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई, की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

5.6.1 आधारभूत सर्वेक्षण का गैर-संचालन/दीर्घकालिक/परिप्रेक्ष्य योजनाओं की गैर-तैयारी

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी जिले में डीएलसी ने न तो आधारभूत सर्वेक्षण और स्थानिक मानचित्रण किया था, न ही उन्होंने कोई दीर्घकालिक योजना (वित्तीय वर्ष 2020–21 तक) बनाई थी। परिणामतः, बुनियादी ढांचे में मौजूदा कमियों का आकलन नहीं किया जा सका और गांवों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी, हालांकि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के तहत यह अपेक्षित था। जबकि 2017–22 के दौरान एएपी तैयार किए गए थे, उनमें गैर-व्यवहार्य/अस्वीकार्य कार्यों आदि के चयन जैसी कमियां थीं, जैसा कि आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई हैं।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि कार्यक्रम के दिशानिर्देश, 2020 के अनुसार, एसएलएससी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 (चार वित्तीय वर्ष के लिए) के लिए तैयार परिप्रेक्ष्य कार्य योजना गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई थी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि उसने कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रमशः 2019–20 तक और 2020–21 के दौरान ग्राम–वार दीर्घकालिक कार्य योजनाएं और परिप्रेक्ष्य कार्य योजना तैयार नहीं की थी। इसके अलावा, विलंब के साथ तैयार एवं प्रस्तुत की गई परिप्रेक्ष्य कार्य योजना अभी तक अनुमोदित की जानी बाकी थी (जुलाई 2023)।

5.6.2 वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन में विलंब

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि डीएलसी एएपी को तैयार कर एसएलएससी को उसके विचारार्थ प्रत्येक साल फरवरी तक अग्रेषित करेगी। बदले में, एसएलएससी को इसे उसी साल के मार्च/अप्रैल के महीना तक गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएलसी ने एक से आठ महीने तक के विलंब के साथ वित्तीय वर्ष 2017–20⁵ के लिए एएपी एसएलएससी को प्रस्तुत किया था। इसके बाद, एसएलएससी ने इन एएपी को दो से छह महीने तक की देरी के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा (परिशिष्ट-5.2)। यह भी देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के एएपी को वित्तीय वर्ष 2017–18 के एएपी के साथ गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था (06.11.2017)। एएपी के प्रस्तुतीकरण में विलंब के परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी देने में देरी और इसमें प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन में अनुर्वर्ती देरी हुई।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि कार्यक्रम के दिशानिर्देश एएपी को तैयार करते समय स्थानीय संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के साथ परामर्श निर्धारित करता है। इसके अलावा, एएपी में शामिल योजनाओं/कार्यों को संबंधित डीपीओ से यह दस्तावेज, कि योजना की गैर-पुनरावृत्ति थी, प्राप्त करने के बाद एवं सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद स्वीकृत और निष्पादित किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एएपी तैयार करते समय, इन डीएलसी को विलंब से बचने के लिए इन औपचारिकताओं को ठीक समय पर पूरा करना था।

⁵ गृह मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 12.04.2021 के अनुसार बीएडीपी के तहत कार्यों/परियोजनाओं के अनुमोदन और राज्य को निधि की स्वीकृति को विच्छेदित करने की जानकारी दी थी। यह भी बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य/परियोजनाएं जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान मंजूरी नहीं दी जा सकी उनपर वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विचार किया जाएगा।

5.6.3 गैर-व्यवहार्य कार्यों/अधिक संख्या में कार्यों का चयन

(i) अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि एसएलएससी ने एएपी 2017–18 से 2019–20 के लिए गृह मंत्रालय से ₹ 304.37 करोड़ की लागत के 925 कार्य अनुमोदित कराए थे। हालांकि, विभाग ने इन स्वीकृत 925 कार्यों में से अपने स्तर पर ₹ 26.49 करोड़ की लागत वाले 115 को रद्द कर दिया था (मार्च 2022) (परिशिष्ट-5.3) और इन्हे एसएलएससी के माध्यम से गृह मंत्रालय स्तर पर भी रद्द करने का अनुरोध करते हुए भेज दिया। इन कार्यों को भूमि की गैर-उपलब्धता, अन्य योजनाओं के तहत पहले से ही स्वीकृत संबंधित कार्य या अन्य विभागों द्वारा पहले से ही निष्पादित किये जा रहे संबंधित कार्य इत्यादि के कारण डीएलसी द्वारा गैर-व्यवहार्य पाये जाने के बाद रद्द किया गया था। संबंधित डीपीओ की सिफारिश पर एसएलएससी ने दो से चार साल बीत जाने के बाद इन कार्यों को रद्द कर दिया था। हालांकि, इन कार्यों को रद्द करने के लिए अंतिम अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतीक्षित था (सितंबर 2022 तक)।

इस प्रकार, एएपी में गैर-व्यवहार्य कार्य शामिल किये गये थे जो दर्शाता है कि इन एएपी को आधारभूत सर्वेक्षण और कमी-विश्लेषण किए बिना तैयार किया गया था और इसलिए, संबंधित डीपीओ द्वारा भूलवश अनुमोदित किए गए थे।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि: (i) वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के संबंधित कार्यों की अनुशंसा एसएलएससी द्वारा की गई थी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके उचित अनुमोदन के बाद निष्पादन के लिए लिया गया था (ii) एएपी स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया था (iii) जिला स्तर पर इसके चयन के पञ्चात गृह मंत्रालय, भारत सरकार से योजना स्वीकृत होने में काफी समय लगता है और (iv) चूंकि, एएपी के तहत अधिकांश योजनाएं कम लागत की और लोक कल्याण से संबंधित थी, उनमें से कुछ अन्य विभागों द्वारा निष्पादित/पूरे किए गए थे।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, चूंकि विभाग को इसे प्रस्तावित करने से पहले भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ कार्यों की व्यवहार्यता भी सुनिश्चित करना आवश्यक था। इस प्रकार, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप गैर-व्यवहार्य कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

(ii) कार्यक्रम दिशा-निर्देशों की कंडिका 9.1 में निर्धारित किया गया था कि गृह मंत्रालय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को आवंटित की जाने वाली निधियों की मात्रा बताएगा। तदनुसार, एसएलएससी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन के लिए लिये गये प्रस्तावित कार्यों के ब्यौरे सहित एएपी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु अग्रेषित करना था।

वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बीएडीपी कार्यक्रम के तहत ₹ 129.29 करोड़ की राशि बिहार सरकार को आवंटित की थी। बिहार सरकार ने बदले में योजना के ₹ 86.20 करोड़ का समतुल्य राज्यांश जारी किया था। इस प्रकार, बीएडीपी के लिए कुल उपलब्ध निधि ₹ 215.49 करोड़ थीं। यह देखा गया कि, यद्यपि एसएलएससी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली निधियों की मात्रा के बारे में पहले से ही पता था, इसने उपलब्ध निधियों से अधिक यानी ₹ 321.26 करोड़ की धनराशि के 1,033 कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजा था। इन अग्रेषित कार्यों में से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 108 कार्यों (₹ 16.89 करोड़) को

⁶ (2017–18: 69, 2018–19: 29, तथा 2019–20: 10)।

अस्वीकार्य पाया था और उन्हें अनुमोदित नहीं किया था। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शेष 925 कार्यों ($\text{₹} 304.37$ करोड़) में, $\text{₹} 215.49$ करोड़ की उपलब्ध निधि की तुलना में $\text{₹} 88.88$ करोड़ से अधिक वित्तीय निहितार्थ था। इन 925 अनुमोदित कार्यों में से, विभाग निष्पादन के लिए 132 कार्य ($\text{₹} 57.04$ करोड़) नहीं ले सका था (अक्टूबर 2022 तक)। इसलिए, उपलब्ध निधियों की तुलना में विभाग द्वारा अधिक संख्या में कार्यों के चयन ने इसके तरफ से अनुचित योजना को दर्शाया था और परिणामस्वरूप इन कार्यों का गैर-निष्पादन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित क्षेत्रों के लाभार्थी योजना के वांछित उद्देश्यों से वंचित रहे थे।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2024 तक)।

5.6.4 मॉडल/स्मार्ट गांवों का विकास न होना

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (फरवरी 2017) अवधारणा नोट की कंडिका 4(i) में सीमा के समीप पांच, छः या अधिक गांवों से घिरे हुए बड़ी आबादी के कम से कम एक गांव के विकास की परिकल्पना की गई थी। मॉडल गांव, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थायी आजीविका और रोजगार के लिए बेहतर संप्रकृता, खाद्य सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति, दूरसंचार और नागरिक बुनियादी सुविधाएं होनी थीं। राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षों में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान प्रत्येक जिला में स्थापित किए जाने वाले कम से कम एक मॉडल गांव के विकास के लिए योजनाएं तैयार करनी थीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य सरकार ने 2017–22 के दौरान अररिया (वित्तीय वर्ष 2017–18) और सीतामढ़ी (वित्तीय वर्ष 2018–19) जिलों में दो मॉडल गांवों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। गृह मंत्रालय, ने अररिया जिला में $\text{₹} 159$ लाख की राशि के मॉडल/स्मार्ट गांव के केवल एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था (वर्ष 2017) जिसके सापेक्ष संप्रकृता घटक पर $\text{₹} 155.60$ लाख व्यय किया गया। इस प्रकार, सीमा के करीब पांच, छः या अधिक गांवों से घिरे बड़ी आबादी के कम से कम एक गांव के समग्र विकास का निहित उद्देश्य हासिल नहीं किया गया था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि संबंधित जिलों ने इस संबंध में कार्रवाई की थी। इसके अलावा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने मॉडल गांवों के बजाय 'वाइब्रेंट गांवों' को विकसित करने का निर्देश दिया था और संबंधित जिले तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर रहे थे।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित कोई भी मॉडल गांव किसी भी सीमावर्ती जिला में विकसित नहीं किया गया था और वाइब्रेंट गांवों को विकसित करने का निर्देश नवीनतम था। जवाब ने इस तथ्य की पुष्टि की कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पहले के निर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया था।

5.7 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2015–16 तक, बीएडीपी 100 प्रतिशत केंद्र वित्तपोषित कार्यक्रम था। वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगे, इस कार्यक्रम को एक मुख्य केंद्र⁷ प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में वर्गीकृत किया गया था और कार्यक्रम का वित्तपोशण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जा रहा था। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 तक जारी निधि के अव्ययित शेष को वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपयोग करने का निर्णय लिया।

⁷ केन्द्र द्वारा मुख्य वित्तपोषित योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियत सीमा तक हिस्सेदारी के साथ केन्द्र द्वारा मुख्य रूप से वित्तपोषित होती हैं और जो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, विभाग द्वारा बनाए गई निधियों के मंजूरी के प्रस्तावों के साथ–साथ, इसके द्वारा निधियों की प्राप्ति एवं संबंधित डीपीओं को विमोचन को तालिका 5.1 में दिखाया गया है।

तालिका 5.1: निधियों के प्रस्ताव, प्राप्ति और विमोचन

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रस्ताव		भारत सरकार व बिहार सरकार से स्वीकृत एवं प्राप्त			डीपीओ को विमुक्त		
	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
2017.18	54.39	36.06	46.00	30.67	76.67	46.00	30.67	76.67
2018.19	53.18	36.75	32.20	21.47	53.67	32.20	21.47	53.67
2019.20	74.40	49.61	51.09	34.06	85.15	51.09	34.06	85.15
2020.21	62.85	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.22			6.26	4.17	10.43 ⁸	0.00	0.00	0.00
कुल	244.82	164.32	135.55	90.37	225.92	129.29	86.20	215.49

(स्रोत: योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार)

5.7.1 जिला योजना पदाधिकारी के पास अव्ययित भोश राशि

सभी सात चयनित डीपीओ के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि, वे कार्यक्रम के तहत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान, उन्हें विमुक्त की गई निधि का उपयोग करने में सफल नहीं हुए थे। यद्यपि विभाग को वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान गृह मंत्रालय से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई थी, मार्च 2022 के अंत तक डीपीओ के पास ₹ 88.35 करोड़ (ब्याज राशि सहित) की अव्ययित शेष राशि थी। सात डीपीओ में से, पश्चिम चंपारण के पास अधिकतम अव्ययित शेष राशि ₹ 27.24 करोड़ थी (मार्च 2022 तक)। यह शेष राशि विभिन्न कारणों से यथा भूमि की गैर–उपलब्धता/विवादित भूमि, कार्यों के परित्याग इत्यादि से कार्यों के गैर–निष्पादन के कारण थी, जैसा अनुवर्ती कंडिकाओं में विस्तृत रूप से बताया गया है।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उन कार्यों को शुरू नहीं करने का निर्देश दिया था (अप्रैल 2022) जिनके लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, लेकिन जिन्हें अभी तक शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, ऐसे कार्य शुरू नहीं किए गए थे और योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था। आगे, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, नई निधि प्रवाह प्रणाली के तहत एकल नोडल खाता⁹ में ₹ 59.52 करोड़ जमा किए गए थे।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था। यदि संबंधित डीपीओ ने गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यों को समय पर ढंग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की होती, और बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के अनुसार अविवादित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की होती तो उन्हें उनके निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सकता था और अव्ययित शेष के मामलों से बचा जा सकता था।

⁸ यह राशि राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नई निधि प्रवाह प्रणाली के तहत खोले गए एकल नोडल खाते में जमा की गई है।

⁹ एकल नोडल एजेंसी के लिए एकल नोडल खाता केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खोला जाता है।

5.7.2 ब्याज का अवरुद्धिकरण

दिशा—निर्देशों के कंडिका 12 में परिकल्पना की गई है कि किसी भी स्तर पर, कार्यक्रम निधियों की जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज को अतिरिक्त संसाधनों के रूप में माना जाना था और कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों पर उपयोग किया जाना था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को बीएडीपी के तहत जारी निधियों पर उपार्जित ब्याज (यदि कोई हो) को जमा करने का निर्देश दिया (सितम्बर 2021)।

पाँच डीपीओ, पाँच एलएईओ के कार्यपालक अभियंताओं और एक पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि वित्तीय वर्ष 2007–22 के दौरान कार्यक्रम निधि पर उपार्जित ₹ 26.11 करोड़ की ब्याज राशि में से, केवल ₹ 7.26 करोड़ भारत सरकार को वापस किए गए थे (जनवरी 2022) (**परिशिष्ट-5.4**)। ₹ 18.85 करोड़ की शेष राशि संबंधित डीपीओ/एलएईओ के कार्यपालक अभियंता और पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता द्वारा रोक कर रखी गई थी। विभाग उपार्जित ब्याज की राशि का उपयोग या तो उन कार्यों पर कर सकता था जो निधि के अभाव के कारण शुरू नहीं किए जा सके थे या यह इस राशि को भारत सरकार को वापस कर सकता था।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2023) कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में, बीएडीपी निधियों पर उपार्जित कुल ब्याज ₹ 29.02 करोड़ की राशि में से, ₹ 20.40 करोड़ भारत की संचित निधि में जमा किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.55 करोड़ की ब्याज राशि (केंद्रीय निधि: ₹ 0.33 करोड़ और एकल नोडल खाता में राज्य निधि: ₹ 0.22 करोड़) संबंधित भारत सरकार की संचित निधि और राज्य सरकार की संचित निधि में जमा की गई थी। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बीएडीपी निधियों पर उपार्जित ₹ 8.07 करोड़ की राशि का ब्याज अभी तक निर्दिष्ट निधियों में जमा किया जाना बाकी था (जुलाई 2023 तक)।

5.7.3 उपयोगिता प्रमाण पत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण

दिशानिर्देशों की कंडिका 9 में परिकल्पना की गई कि राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाएंगी। स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत वहन करने वाली पहली किस्त पिछले वर्ष को छोड़कर, उसके पिछले वर्षों में जारी की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की प्राप्ति के बाद जारी की जानी थी। स्वीकृत राशि के 10 प्रतिशत की दूसरी किस्त, पिछले वर्ष के दौरान जारी की गई राशि के कम से कम 50 प्रतिशत की सीमा तक यूसी प्रस्तुत करने के बाद अक्टूबर के महीने में जारी की जानी थी। इस प्रकार, विभाग को कम से कम 12 महीनों के बाद उसे जारी की गई निधियों के लिए यूसी समर्पित करना था।

विभाग के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि इसने वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान प्राप्त ₹ 215.49¹⁰ करोड़ की राशि के सापेक्ष केवल ₹ 157.38 करोड़ का यूसी समर्पित किया था। संविक्षण में आगे उद्घाटित हुआ कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान एलएईओ/लाइन विभागों के कार्य प्रमंडलों के डीपीओ/कार्यपालक अभियंता को जारी किये गये ₹ 58.11 करोड़¹¹ की शेष राशि के लिए यूसी प्राप्त/हासिल नहीं किया था, यद्यपि वे लंबित थे (फरवरी 2022)।

¹⁰ 2017–2022 के दौरान प्राप्त ₹ 225.92 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 135.55 करोड़ और राज्यांश: ₹ 90.37 करोड़) में से केवल ₹ 215.49 करोड़ के यूसी लंबित है क्योंकि मार्च 2022 में ₹ 10.42 करोड़ प्राप्त हुए थे और इसलिए इस राशि के यूसी लेखापरीक्षा तक लंबित।

¹¹ वित्तीय वर्षों 2017–18: ₹ 9.93 करोड़; 2018–19: ₹ 9.91 करोड़ और 2019–20: ₹ 38.26 करोड़।

विभाग को जारी की गई निधियों के लिए यूसी के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उसे जारी की गई राशि का इस्तेमाल अभीष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि 2017–20 की अवधि के ₹ 49.03 करोड़ के यूसी अभी तक लंबित हैं (जुलाई 2023)।

विभाग के जवाब से लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि हुई। आगे, विभाग ने उन राशियों के वर्ष–वार पृथक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे, जिसके लिए यूसी समर्पित किये गये थे।

5.8 कार्यों का क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आधारभूत संरचना, सामाजिक प्रक्षेत्र, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कृषि आदि से संबंधित 925 कार्यों (₹ 304.37 करोड़) की स्वीकृति दी थी। इन अनुमोदित कार्यों में से, विभाग ने निष्पादन के लिए 793 कार्य लिया था (132 कार्य निष्पादन के लिए नहीं लिये जा सके)। निष्पादन के लिए, लिये गए कार्यों में से, अगस्त 2022 तक 598 (75 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुके थे, 80 प्रगति पर थे और 115 कार्य रद्द कर दिए गए थे (**परिशिष्ट–5.5**)। लेखापरीक्षा ने 925 अनुमोदित कार्यों में से, ₹ 38.05 करोड़ की राशि के 82 (नौ प्रतिशत) की नमूना–जांच की, जबकि 44 कार्यों में, लेखापरीक्षा के निश्कर्षों की संपुष्टि के लिए संयुक्त भौतिक निरीक्षण किए गए थे।

5.8.1 अनुमोदित एएपी के अनुरूप प्रशासनिक अनुमोदन नहीं होना

गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए, संबंधित डीपीओ को ऐसे कार्यों पर व्यय की जाने वाली निधियों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना था। किशनगंज, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में, यह देखा गया था कि 265 कार्यों में से, 19 में, वित्तीय वर्ष 2017–20 के दौरान संबंधित डीपीओ द्वारा प्रदान किए गए प्रशासनिक अनुमोदन की राशि, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक थी, यह अधिकता 27 प्रतिशत से 216 प्रतिशत तक थी (**परिशिष्ट–5.6**)। अन्य 22 कार्यों में, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि की तुलना में प्रशासनिक अनुमोदन की राशि कम थी, यह कमी 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक थी (**परिशिष्ट–5.7**)। यह उचित आकलन के बिना कार्यों के चयन का सूचक था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) कि चूंकि योजनाएं/कार्य लोक हित में थे, ये संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्राप्त आकलनों के आधार पर अनुमोदित किए गए थे।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन उनसे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एएपी के अनुरूप नहीं था।

5.8.2 अधूरे कार्य

छ: विभिन्न जिलों में स्थित एलएईओ के छ: कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 4.99 करोड़ की राशि के 19 कार्य उनके पूरा होने की निर्धारित तिथि के पाँच माह से 45 माह तक बीत जाने के बावजूद पूरा नहीं हुए थे (**परिशिष्ट–5.8**)। विलम्ब के लिए मुख्य रूप से अनुबंध करने में देरी, समय पर भूमि की अनुपलब्धता आदि जिम्मेवार थी। एलएईओ के लिए मुख्य कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए कार्य स्थलों की जेपीआई के दौरान भी इन

विलंबों की पुष्टि हुई थी। इन अधूरे कार्यों में अतिथि गृह, किसान प्रशिक्षण केंद्र, गोदाम, शौचालय, सभागार, स्टेडियम, वॉली बॉल ग्राउंड आदि का निर्माण शामिल था।

मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के उमगांव ग्राम में सभागार के अधूरे भवन की एक तस्वीर चित्र-5.2 (जेपीआई के दौरान ली गई) में दिखाई गई है। इस भवन को जुलाई 2021 में पूरा किया जाना निर्धारित था।



चित्र 5.2: मधुबनी के हरलाखी में सभागार का अधूरा भवन

इन कार्यों के समय पर पूरा नहीं होने के कारण वांछित लाभार्थी उन लाभों से वंचित थे जो इन कार्यों से परिसम्पत्तियों के सृजन द्वारा उन्हें मिलना था।


इस पर पृच्छा किए जाने पर विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) की 19 कार्यों में से, 11 पूरे कर लिए गए थे और शेष आठ प्रगति पर थे। हालांकि, विभाग का जवाब किसी भी दस्तावेज जैसे कि समापन प्रमाण पत्र, जियो टैगड चित्रों इत्यादि द्वारा पुष्ट नहीं था।

5.8.3 कार्यों पर निष्क्रिय व्यय

कार्यक्रम के निष्पादन के लिए संशोधित निर्देशों (जून 2014) की कंडिका 20 के अनुसार कार्यकारी एजेंसी को संबंधित विभाग को पूरे किए गए कार्य को हस्तान्तरित करना था और इसके बाद संबंधित विभाग को इसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होना था।

एलएईओ के पांच कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि उन्होंने ₹ 2.73 करोड़ की राशि के 10 कार्यों को निष्पादित किया था। यद्यपि, इन कार्य प्रमंडलों के संबंधित कार्यपालक अभियंता ने इन कार्यों के समापन के चार महीने से 41 महीने के बाद भी, उपयोगकर्ता विभाग को इन निष्पादित कार्यों से सृजित की गई परिसम्पत्तियों/संरचनाओं को हस्तान्तरित नहीं किया था (**परिशिष्ट-5.9**) जिसने कार्यकारी एजेंसी की तरफ से लापरवाही को दर्शाया। परिसम्पत्तियों/संरचनाओं को हस्तान्तरित करने में विलंब की पुष्टि लेखापरीक्षा सहित एलएईओ के कर्मियों द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान की गई। इन पूर्ण लेकिन हस्तान्तरित नहीं किये

गये कार्यों में किसान मार्केट, अतिथिगृह, सार्वजनिक शौचालय, वृद्धाश्रम आदि का निर्माण शामिल था। किशनगंज के ठाकुरगंज में एक मार्केट शेड, जो पूर्ण हो गया था (सितंबर 2021), लेकिन अभी तक हस्तांतरित किया जाना बाकी था (जुलाई 2022 तक), को चित्रः 5.3 (संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान लिया गया) में दर्शाया गया है।



चित्र 5.3: ठाकुरगंज, किशनगंज में पूर्ण लेकिन अभी तक हस्तांतरित किया जाना बाकी मार्केट शेड इन पूर्ण परिसम्पत्तियों/संरचनाओं को समय पर न सौंपे जाने के कारण, वाछित लाभार्थी उन लाभों से वंचित रहे, जो उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन से मिलना था। इसके अलावा, समय बीतने के साथ सृजित परिसंपत्तियों की अधोगति को भी खारिज नहीं किया जा सकता था। इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (मई 2024) की 10 कार्यों में से आठ सौंप दिए गए थे।

विभाग का जवाब किसी दस्तावेजी साक्ष्य यथा हस्तांतरण प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं था और शेष दो कार्यों के लिए, इसने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

5.8.4 अस्वीकार्य व्यय

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों की कंडिका 5(सी) का अनुलग्नक-III प्रावधानित करता है कि सीमा चौकियों के अंदर बैरकों, मचान, वॉच टावरों, आवासों, सामान्य अवसंरचना आदि के निर्माण सहित किसी भी प्रकार के आधारभूत संरचना स्वीकार्य नहीं थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मधुबनी के डीपीओ ने मधुबनी की सीमा चौकी में जलापूर्ति से संबंधित पांच कार्यों हेतु ₹ 50 लाख की राशि स्वीकृत की थी और इन कार्यों पर ₹ 43.10 लाख का अस्वीकार्य व्यय किया था।

इस इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (मई 2024) कि सभी योजनाएं/कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए और कार्यकारी एजेंसी द्वारा पूरे किए गए।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के कार्य कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के तहत अनुमेय नहीं थे।

5.8.5 अनियमित व्यय

दिशानिर्देशों की कंडिका 7.5 में निर्धारित है कि किसी विशेष वर्ष के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यों/योजनाओं को सामान्यता, बदला नहीं जाएगा और यदि योजनाओं/परियोजनाओं में कोई परिवर्तन हो, केवल विशेष परिस्थितियों में, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि परिहार (सीतामढ़ी) में ₹ 81.75 लाख की लागत से 2,118 मीटर लंबी एक पक्की सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) सड़क का निर्माण किया जाना था। जबकि, एलएईओ, पुपरी, (सीतामढ़ी) के कार्यपालक अभियंता ने, एक अलग संरेखण के साथ 1,194 मीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया था (जुलाई 2020) और ₹ 1.23 करोड़ (सड़क: ₹ 1.06 करोड़ और पुलिया: ₹ 0.17 करोड़) के व्यय के साथ दो पुलियों (अतिरिक्त कार्य) का निर्माण किया था। सड़क के संरेखण, साथ ही कार्य के दायरे में बदलाव, गृह मंत्रालय से अनुमोदित किया जाना था। हालांकि, ऐसे अनुमोदनों के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

एलएईओ, पुपरी के कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (जुलाई 2022) कि कार्योत्तर अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। इस संबंध में, विभाग का, जवाब प्रतीक्षित था (मई 2024 तक)।

(ii) इसी तरह, गृह मंत्रालय ने किशनगंज के ठाकुरगज में ₹ 90 लाख की 1,500 मीटर लंबी पीसीसी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी थी (2019–20)। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपीओ, किशनगंज ने कार्य के लिए ₹ 1.63 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी (जून 2020), लेकिन कार्य पर होने वाले व्यय को केवल ₹ 90 लाख तक सीमित कर दिया। यद्यपि कार्यपालक अभियंता, एलएईओ, किशनगंज ने ₹ 1.19 करोड़ की लागत से कार्य पूरा किया था जिसके चलते अनुमोदित राशि, साथ ही साथ डीपीओ द्वारा तय की गई सीमा से ₹ 29 लाख अधिक व्यय हुआ और जिससे इस अधिक व्यय की सीमा तक एक दायित्व का सृजन हुआ था।

इसे इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, एलएईओ, किशनगंज ने जवाब दिया कि शेष ₹ 29 लाख की राशि की स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके अलावा, विभाग में जवाब दिया (मई 2024) कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा के भीतर संवेदक को भुगतान किया गया था।

कार्यपालक अभियंता, एलएईओ और विभाग के जवाब लेखापरीक्षा तक की पुष्टि कर रहे थे कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति से अधिक निष्पादित किए जा रहे कार्यों द्वारा ₹ 29 लाख के दायित्व का सृजन हुआ था।

5.8.6 प्राथमिकता वाले गांवों की गैर-संतुष्टि

दिशानिर्देशों की कंडिका 2.1 में परिकल्पना की गई है कि उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी के भीतर स्थित थे। इस सीमा के भीतर के गांवों की पहचान सीमा सुरक्षा बलों (बीजीएफ) द्वारा की जानी थी। उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी थी और उन्हें 'रणनीतिक' गांवों के रूप में चिह्नित किया जाना था। ऐसे गांवों को पहले सड़क संपर्क, बिजली,

पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों आदि जैसे विकासात्मक कार्यकलापों के संबंध में संतुष्ट किया जाना था। डीएलसीको संतुष्ट गांवों को सत्यापित करना था और राज्य सरकार को ऐसे संतुष्ट गांवों की एक सूची गृह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करनी थी। केवल 0–10 किमी गांवों की संतुष्टि के बाद ही, राज्य सरकारें 0–20 किमी की दूरी के अंदर और फिर 0–30 किमी की दूरी के अंदर और इसी तरह 0–50 किमी तक गांवों के अगले समूह को ले सकती थी।


लेखापरीक्षा ने देखा कि बीजीएफ ने 568 रणनीतिक गांवों की एक सूची विभाग को भेजी थी (मार्च 2016), जिसे बाद में इसे सभी संबंधित डीपीओ को प्रेषित किया था (अप्रैल 2016)। हालांकि, प्राथमिकता वाले गांवों में से किसी को भी संतुष्ट नहीं किया गया था (अक्टूबर 2022 तक), जिसने दर्शाया कि कार्यक्रम के इच्छित लाभों को इन रणनीतिक गांवों तक विस्तारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि योजनाओं का चयन और निष्पादनः (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रिक्त, दूरस्थ और दूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने (ii) उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और (iii) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार 0–10 किमी के सीमावर्ती क्षेत्रों को संतुष्ट करने, के लिए किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0–10 किमी की दूरी के भीतर स्थित कोई भी सीमावर्ती गांव 1999–2000 से राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रम के बावजूद संतुष्ट नहीं किये गये थे।

5.8.7 आवश्यकता के बिना मल्टी-जिम उपकरणों की खरीद

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 27.11.2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से योजना और विकास विभाग के लिए केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीपीओ, सीतामढ़ी ने वित्त विभाग, बिहार सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए सीधे एक आपूर्तिकर्ता¹² को कार्यादेश निर्गत करते हुए जिम उपकरण खरीदे। 21 विद्यालयों की जेपीआई (जून–जुलाई 2022) के दौरान, यह अवलोकन किया गया कि किसी भी विद्यालय ने जिम उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया था। अनुचित तरीके से कमरों में उपकरणों के गैर-संस्थापन और संग्रहण के मामले थे जैसे जेपीआई के दौरान लिए गए चित्रों 5.4 से 5.7 में दर्शाए गए हैं।



चित्र 5.4: श्री शंकर 10+2 राजकीय उच्च विद्यालय, मेजरगंज

चित्र 5.5: उत्क्रमित राजकीय उच्च विद्यालय, मारपा कचोर

¹² पुस्तक भवन, शिवपूरी, पटना।



इसके अलावा, डीपीओ, सीतामढी ने ₹ 3.35 करोड़ (प्रत्येक विद्यालय ₹ 11.98 लाख) की राशि छः¹³ सीमावर्ती प्रखंडों के 28 विद्यालयों के लिए मल्टी-जिम उपकरण खरीदे (जुलाई-अगस्त 2020), हालांकि, गृह मंत्रालय ने केवल 18 विद्यालयों के लिए ₹ 1.80 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत किया था।

संबंधित विद्यालयों के प्राध्यापकों ने बताया (जून-जुलाई 2022) कि जिम प्रशिक्षकों की गैर-उपलब्धता के कारण, जिम उपकरणों को उपयोग में नहीं लाया गया था और उपकरणों की आपूर्ति से पहले उनसे परामर्श नहीं लिया गया था।

उपकरणों की आवश्यकता के लिए जरूरत आधारित मूल्यांकन के अभाव में तथा किसी प्रशिक्षक की अनुपलब्धता में, ₹ 3.35 करोड़ का व्यय लगभग दो वर्षों से निष्फल रहा था।

संबंधित डीपीओ ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और जवाब दिया कि 18 विद्यालयों की मंजूरी के बावजूद 28 विद्यालयों के लिए जिम उपकरण खरीदे गए थे। विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) कि जिम उपकरण क्रमशः डीपीओ, सीतामढी और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), सीतामढी से प्राप्त प्रतिवेदन/सूचियों के आधार पर खरीदे और स्थापित किए गए थे। गुणवत्ता प्रतिवेदन शारीरिक शिक्षा उपाधीकार (डीएसपीई), सीतामढी; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, सीतामढी एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त हुई थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि: (i) संबंधित जीएम, डीआईसी और डीएसपीई ने आवश्यक संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जेपीआई) नहीं किया था (ii) जीएम, डीआईसी ने केवल चार स्कूलों के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी और (iii) स्वीकृत 18 स्कूलों के मुकाबले 28 स्कूलों के लिए जिम उपकरण खरीदने के लिए विभाग ने कोई कारण नहीं बताया।

अनुशासा: विभाग निम्नलिखित के लिए ज़िम्मेदारी तय कर सकता है: (i) अनुमोदन से अधिक जिम उपकरण खरीदना और (ii) उनका उपयोग न करने से व्यर्थ व्यय होना।

5..8.8 मुआवजे की गैर-कटौती

बिहार लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी फॉर्म एफ-2 (₹ दो करोड़ तक के अनुबंध समझौतों के लिए सामान्य और विशेष शर्तें सहित) के खंड दो में प्रावधान किया गया था कि निविदा में दर्ज किए गए कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत्य समय का संवेदक द्वारा सख्ती से अनुसरण किया जाना था और गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन कार्य प्रारंभ करने का लिखित आदेश दिया

¹³ बैरगनिया-2, मेजरगंज-3, परिहार-8, सोनवर्षा-9, सुप्पी-2 एवं सुरसंड-4.

गया था। यदि कार्य अधूरा रह जाता है एजेंसियों को, प्रति दिन 0.5 प्रतिशत के बराबर लेकिन, कार्य की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं, मुआवजा देना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि छ: जिलों में एलईओ के सात कार्य प्रमंडलों द्वारा निष्पादित 82 कार्यों के नमूना—जांच में से, 14 कार्यों में तीन से 36 महिनों तक की देरी से संवेदकों ने 8 काम पूरे कर लिए थे। शेष छ: कार्य अधूरे थे, हालांकि उनके समापन की निर्धारित तिथियां पहले ही छ: से 46 महीने तक बीत चुकी थीं (अक्टूबर 2022 तक)। इन विलम्बों के लिए, एलईओ कार्य प्रमंडलों के संबंधित कार्यपालक अभियंता को संवेदकों से ₹ 58.52 लाख की वसूली करना अपेक्षित था। तथापि, संवेदकों से उक्त वसूली नहीं की गई थी (**परिशिष्ट-5.10**), परिणामस्वरूप राज्य सरकार को इस सीमा तक हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (मई 2024) कि: (i) 14 में से, एक कार्य समय पर पूरा हो गया था (ii) शेष पांच कार्यों के लिए मुआवजे की वसूली की गई थी और (iii) दो कार्यों के लिए कार्रवाई की जा रही थी।

विभाग का जवाब किसी अभिलेख से पुष्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसने शेष छ: कार्यों के लिए प्रासंगिक जवाब नहीं दिया था।

5.9 अनुश्रवण

5.9.1 एसएलएससी की बैठकों का आयोजन न होना

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि एसएलएससी को हर साल मार्च/अप्रैल और नवंबर/दिसंबर में बैठक करनी थी। नवंबर/दिसंबर में आयोजित होने वाली बैठक में, एसएलएससी को बीएडीपी के तहत कार्यों की प्रगति, यूसी और त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन आदि की समीक्षा करनी थी। इस प्रकार, एसएलएससी को सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसकी पांच बैठकें आयोजित करनी थीं। लेखापरीक्षा ने, तथापि अवलोकन किया कि एसएलएससी ने वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान उक्त उद्देश्यों के लिए कोई बैठक आयोजित नहीं की थी।

परिणामस्वरूप, निष्पादन के लिए किए गए कार्यों के साथ—साथ समग्र रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, यूसी के समर्पण की भी निगरानी नहीं की गई थी, यद्यपि, दिशानिर्देशों के तहत इसकी परिकल्पना की गई थी। विभाग का जवाब, इस संबंध में, प्रतीक्षित था (मई 2024)।

5.9.2 निगरानी के लिए नोडल/प्रभारी अधिकारियों की गैर-नियुक्ति

कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्येक सीमावर्ती प्रखंड में क्रियान्वित कार्यों के निरीक्षण के लिए एक प्रखंड—वार उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जो प्रखंडों में नियमित भ्रमण करें, की नियुक्त करके एक संस्थागत प्रणाली विकसित करनी थी। अधिकारी को सीमावर्ती क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों पर स्वतंत्र प्रतिपुष्टि प्रदान करनी थी और उस पर त्रैमासिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभाग ने नियमित दौरे करने और उस पर उनकी अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार के किसी भी उच्च—स्तरीय नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया था। निगरानी के लिए नोडल/प्रभारी अधिकारियों की गैर-नियुक्ति ने कार्य अधूरे, निष्क्रिय आदि रहने के मामलों में योगदान दिया था। विभाग का जवाब, इस संबंध में, प्रतीक्षित था (मई 2024)।

अध्याय-VI

नीर निर्मल परियोजना का

कार्यान्वयन

अध्याय—VI

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

6 नीर निर्मल परियोजना का कार्यान्वयन

विभाग ने नीर निर्मल परियोजना (एनएनपी) के संबंध में नीति नियमन, वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की थी। योजनाओं के अनुमोदन/कार्यान्वयन में देरी हुई थी, जिसके कारण परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने में विफलता के अलावा अंततः योजनाओं का गैर-समापन/उनके समापन में विलंब हुआ। एसपीएमयू के अंतर्गत, योजनाओं की लागत के अधिक आकलन; वस्तुओं जैसे कि मल्टी-जेट वॉटर मीटर की खरीद पर निशफल व्यय; बहु-ग्राम योजनाओं पर परिहार्य व्यय और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी के मामले थे। इसके अलावा, एनएनपी के तहत स्वच्छता गतिविधियां बीआरएलपीएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने में देरी, साथ ही आच्छादित किये जाने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) की सूची प्रदान करने और एनएनपी के तहत, एसपीएमयू द्वारा बीआरएलपीएस को निधि के संवितरण में देरी के कारण बाधित हुई। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के तहत एसएलडब्ल्यूएम कार्यों का खराब कार्यान्वयन हुआ, इस परिणाम के साथ कि विकेंद्रीकृत सेवा वितरण प्रणालियों के माध्यम से चयनित ग्रामीण समुदायों के लिए योजना का समग्र उद्देश्य, यानी “पाइप जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार करना” पूरा नहीं हुआ।

6.1 परिचय

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस), भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) प्रारंभ किया था और 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों को पाइप जलापूर्ति कनेक्शन से आच्छादित करने के उद्देश्य के साथ एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना (2011–22) तैयार की थी। हालांकि, 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार, झारखण्ड एवं असम जैसे कम-आय वाले राज्यों में, केवल 2.6 से 6.8 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाइप जल कनेक्शन की पहुंच थी। अतः, विश्व बैंक के साथ साझेदारी में, भारत सरकार ने कम आय वाले राज्यों¹ के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (आरडब्ल्यूएसएसपी—एलआईएस) का प्रस्ताव दिया था (2012)। इस परियोजना का उद्देश्य पाइप जलापूर्ति योजना के कम आच्छादन और जल गुणवत्ता की चुनौतियों पर काबू पाकर एनआरडीडब्ल्यूपी के प्रयासों को सुदृढ़ करना था। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2019–20 थी। तत्पश्चात्, (जनवरी 2015) परियोजना का नाम बदलकर नीर निर्मल परियोजना (एनएनपी) कर दिया गया, जिसका समग्र उद्देश्य चयनित ग्रामीण समुदायों के लिए “पाइप जल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार” करना था। इस परियोजना का उद्देश्य : (i) पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और समुदायों की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत सेवा वितरण प्रणालियों और (ii) स्वामित्व की भावना विकसित करने के लिए, सभी स्तरों पर जवाबदेही बढ़ाने, के लिए प्रोत्साहित करना था।


¹ असम, बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदेश।

6.2 भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, विश्व बैंक, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच एक एकरारनामा निष्पादित किया गया था (फरवरी 2014)। परियोजना को, इसके सात साल के परिप्रेक्ष्य योजना जिसे परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) कहा जाता है और इसकी वार्षिक योजना जिसे वार्षिक कार्य योजना (एडब्ल्यूपी) कहा जाता है, के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था। इसे मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था।

प्रत्येक कार्यान्वयन सत्त्वों की योजना प्रक्रिया को “नीचे से ऊपर” (बॉटम अप) दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक था। यह प्रक्रिया ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) से शुरू किया जाना था, जिसे वार्षिक कार्य योजना (एडब्ल्यूपी) तैयार करनी थी और उसे जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) को इसके स्तर पर एडब्ल्यूपी के समेकन के लिए भेजना था, जिसे, बदले में, इसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा अनुमोदन के लिए, राज्य की एडब्ल्यूपी की तैयारी के लिए, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) को अग्रेषित करना था। राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) को राज्य एडब्ल्यूपी का अनुमोदन करना था। विश्व बैंक को इस एडब्ल्यूपी को अंतिम रूप देने से पहले इसकी समीक्षा करनी थी। वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया प्रवाह चार्ट-6.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-6.1 : वार्षिक कार्य योजना (एडब्ल्यूपी) के लिए प्रक्रिया प्रवाह




(स्रोत: पीएचईडी, बिहार के अभिलेख)

‘बुनियादी ढांचा’ घटक अंतर्गत, योजनाओं का चयन राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिए जाने के बाद शुरू किया जाना था, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस), भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भी सदस्य था। इसके बाद, एनएनपी के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति देनी थी।


6.3 संगठनात्मक संरचना

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी), बिहार सरकार एनएनपी के लिए नोडल विभाग था। एनएनपी के अंतर्गत परियोजनाओं को राज्य और जिला स्तर पर, क्रमशः बिहार राज्य जल और स्वच्छता मिशन (बीएसडब्ल्यूएसएम) और जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) के अधीन स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) और जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, जैसा कि चार्ट 6.2 और 6.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: एसपीएमयू की संगठनात्मक संरचना



चार्ट 6.3: डीपीएमयू की संगठनात्मक संरचना



जैसा कि चार्ट 6.2 और 6.3 से देखा जा सकता है, एसपीएमयू और डीपीएमयू स्तरों पर, परियोजना निदेशक और परियोजना प्रबंधकों को तकनीकी, लेखा और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, और राज्य और जिला स्तरों पर क्रमशः बीडब्ल्यूएसएम और डीपीएमयू को प्रतिवेदित करना था और परियोजना की प्रगति पर प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करना था। एसपीएमयू और डीपीएमयू को, उनके अपने—अपने संबंधित क्षेत्रों में समन्वय सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों/सलाहकारों द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी।

6.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिए की गई थी:

- जिलों का चयन निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया गया था
- योजना के आयोजन एवं उनके कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास किया गया था
- बुनियादी ढांचे का विकास प्रावधानों के अनुसार किया गया था
- निधियों का प्रबंधन एनएनपी के वित्तीय मैनुअल के अनुसार था और
- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र मौजूद थे।

6.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड, अन्यों के साथ—साथ, निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- एनएनपी एवं जेजेएम² के कार्यान्वयन के लिए, विश्व बैंक, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार; और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार; द्वारा जारी दिशानिर्देश,
- विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित एनएनपी की परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी); एनएनपी की वित्तीय मैनुअल; और बिहार वित्तीय नियमावली 2005
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) का डेटा/जानकारी और
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियंत्रण संगठन (सीपीएचईओ) मैनुअल।

6.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2021–22 की अवधि के लिए एनएनपी/जेजेएम के कार्यान्वयन पर जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान एसएससीए सम्पादित किया गया। मुख्य अभियंता—सह—विशेष सचिव, पीएचईडी, बिहार सरकार और राज्य के 11 चयनित जिलों³ के अंतर्गत सभी 13 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों⁴ के अभिलेखों की नमूना—जांच के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई थी, जहां एनएनपी लागू की गई थी। 13 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में, लेखापरीक्षा ने एनएनपी की 60 जल आपूर्ति योजनाओं⁵ से संबंधित अभिलेखों की नमूना—जांच की थी। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की नमूना—जांच, लेखापरीक्षा मेमो/प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना एवं एनएनपी के तहत योजनाओं का संयुक्त भौतिक निरीक्षण शामिल था। लेखापरीक्षा की गई संस्था यानी विभाग और सभी चयनित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ अंतर्गमन एवं

² एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति करना है।

³ मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, छपरा, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, मधुबनी और पटना।

⁴ मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और हिलसा (नालंदा), नवादा, सारण (छपरा), मुंगेर, बेतिया, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय, पटना पूर्व और पटना पश्चिम (पटना) और मधुबनी।

⁵ पीएच डिवीजन, बिहारशरीफ (नालंदा): 4; पीएच डिवीजन, हिलसा (नालंदा): 7; पीएच डिवीजन, नवादा: 4; पीएच डिवीजन, मधुबनी: 1; पीएच डिवीजन, बांका: 4; पीएच डिवीजन, पटना पूर्व: 6; पीएच डिवीजन, पटना पश्चिम: 3; पीएच डिवीजन, मुंगेर: 2; पीएच डिवीजन, मुजफ्फरपुर: 2; पीएच डिवीजन, छपरा (सारण): 4 पीएच डिवीजन, बेतिया (पश्चिम चंपारण): 4; पीएच डिवीजन, पूर्णिया: 9; पीएच डिवीजन, बेगूसराय: 10

बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया (जुलाई–दिसंबर 2022)। विभाग द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है (जून 2023)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.7 परियोजना योजना

6.7.1 परियोजना कार्यान्वयन की बैच–वार चरणबद्धता

पीआईपी के अनुसार, योजना चक्र में शामिल पूर्व–योजना, योजना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद के चरणों के साथ, योजनाओं को तीन बैचों में लागू किया जाना था। बैच– I, II और III के तहत योजनाएं क्रमशः फरवरी 2014, फरवरी 2016 और फरवरी 2017 से शुरू और मार्च 2017, मार्च 2019 और मार्च 2020 तक पूर्ण की जानी थी।

प्रत्येक बैच की पूर्व–योजना, योजना, कार्यान्वयन और कार्यान्वयन के बाद के चरणों को निर्दिष्ट माहों के अंदर पूर्ण किया जाना था, जैसा कि तालिका 6.1 में दिया गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त योजना चक्र के तहत, प्रत्येक चरण में परिकल्पित लक्ष्य और उनके सापेक्ष उपलब्धियों को तालिका 6.1 में भी दिखाया गया है।

तालिका 6.1: बैच–I, II और III के लिए चरण–वार कार्यान्वयन का लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष उपलब्धियाँ

योजना चक्र	चक्र पूरा करने की अवधि	बैच–I		बैच–II		बैच–III	
		योजना चक्र को पूर्ण करने का लक्ष्य	उपलब्धि	योजना चक्र को पूर्ण करने का लक्ष्य	उपलब्धि	योजना चक्र को पूर्ण करने का लक्ष्य	उपलब्धि
पूर्व–योजना चरण (सहायक संगठन का चयन)	2–3 माह	मई 2014	नवम्बर 2016 से अक्टूबर 2017	बैच–I के अंतर्गत पूर्ण		बैच–I के अंतर्गत पूर्ण	
योजना चरण (तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति)	3–4 माह	सितम्बर 2014	जुलाई 2015	मई 2016	जनवरी 2018 से फरवरी 2019	मई 2017	आरम्भ नहीं हुआ
कार्यान्वयन चरण (निर्माण संवेदक का चयन एवं योजना का क्रियान्वयन)	6–10 माह	जुलाई 2015	मई 2017 से अगस्त 2021	मार्च 2017	नवम्बर 2019 से अक्टूबर 2021	मार्च 2018	आरम्भ नहीं हुआ
कार्यान्वयन के बाद का चरण (ओएंडएम)	17–24 माह के बाद	जुलाई 2017	जारी	मार्च 2019	जारी	मार्च 2020	आरम्भ नहीं हुआ

(झोत: पीआईपी तथा पीएचईजी, बिहार सरकार)

तालिका 6.1 दर्शाता है कि एसपीएमयू पीआईपी समय सीमा के भीतर, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चक्र को पूरा नहीं कर सका था। इसके कारणों में एसपीएमयू और डीपीएमयू में सहायता संगठन और विशेषज्ञों के चयन; प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने; निर्माण ठेकेदारों का चयन; और राज्य प्रायोजित योजना “हर घर नल का जल” के प्राथमिकीकरण में देरी आदि शामिल था, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.7.2 जिलों का अनुचित चयन

एनएनपी की पीआईपी में परिकल्पना की गई थी कि जिलों का चयन इस आधार पर किया जाना था: (i) पाइप जल की आपूर्ति और स्वच्छता से कम आच्छादन वाले जिले, (ii) जिला, जहां भूजल आधारित पेयजल स्रोत रासायनिक संदूषण से प्रभावित हैं, (iii) जल की कमी वाली बड़ी संख्या में बस्तियों वाले जिले और (iv) बड़ी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित आबादी वाले जिले।

पीआईपी के अनुसार (नवम्बर 2013), विभाग ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दस जिलों का चयन किया था। इसके बाद, (फरवरी 2019), एक और जिला (मधुबनी) को एनएनपी में शामिल किया गया। यद्यपि, मधुबनी जिले से संबंधित योजनाओं को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने नल जल कनेक्शन से आच्छादित जिलेवार आबादी; बड़ी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित आबादी वाले जिले; जल गुणवत्ता संबंधी समस्या वाले जिले और भूजल की सकल उपलब्धता वाले जिले को ध्यान में रखते हुए चयन मानदंड से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया (परिशिष्ट-6.1 से 6.4)। विश्लेषण ने दर्शाया कि विभाग ने नालंदा और सारण जिलों का चयन किया था, जो उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर दस सबसे योग्य जिलों में नहीं थे।

यह पूछे जाने पर, विभाग ने जवाब दिया (सितम्बर 2022 और जून 2023) कि एनएनपी के तहत जिलों का चयन विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये मानदंडों और इस तथ्य के आधार पर किया गया था कि कुछ जिलों में पहले ही पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की गई थीं।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि पीआईपी मानदंड विश्व बैंक के मानदंडों से भिन्न नहीं था। हालाँकि, जिलों के चयन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज और स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

6.7.3 सेवा वितरण प्रणाली का गैर-विकेन्द्रीकरण

पीआईपी के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा, एकल ग्राम पंचायत/गांव/बस्ती योजनाओं के निष्पादन के लिए, नीति और योजना गतिविधियों में, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की पर्याप्त भागीदारी के साथ विकेन्द्रीकृत सेवा वितरण व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए परियोजना का रूपांकन किया जाना था। इसके अलावा, डीपीएमयू को संबंधित ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समितियों (जीपीडब्ल्यूएससी) को योजना-वार त्रैमासिक आवंटन करना था और उन्हें भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए डीपीएमयू के बैंक खाते से जुड़ी, चेक बुक प्रदान करनी थी।

लेखापरीक्षा ने, तथापि, अवलोकन किया कि:

- विभाग ने एनएनपी योजनाओं के संबंध में, नीति निर्माण प्रक्रिया, वार्षिक कार्य योजनाओं और निष्पादन के भुगतान में ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया था। दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एसपीएमयू द्वारा मुख्यालय स्तर पर वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की गई और, तत्पश्चात, कार्यान्वयन के लिए डीपीएमयू को भेज दी थी।
- डीपीएमयू ने न तो निधि का त्रैमासिक आवंटन किया था, न ही उन्होंने संबंधित जीपीडब्ल्यूएससी को चेक बुक प्रदान की थी। इसके विपरीत, भुगतान डीपीएमयू के माध्यम से किया जा रहा था।

इस प्रकार, पीआरआई की भागीदारी के साथ विकेन्द्रीकृत वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2023) कि इसने एनएनपी दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं को लागू किया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजनाएँ परिकल्पित नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के बजाय ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के माध्यम से तैयार और कार्यान्वित की जा रही थीं।

6.7.4 एसपीएमयू और डीपीएमयू में विशेषज्ञों/सलाहकारों की कमी

पीआईपी के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम और डीडब्ल्यूएसएम को विभिन्न क्षेत्रों⁶ में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों/सलाहकारों के साथ, क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर एसपीएमयू और डीपीएमयू द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। इन विशेषज्ञों/सलाहकारों को निम्नलिखित में सहायता प्रदान करनी थी : (i) बजट की तैयारी (ii) एजेंसियों की सहभागिता एवं मानक बोली दस्तावेजों का विकास (iii) पर्यावरणीय रक्षोपाय (iv) क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी (v) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की समीक्षा करना और अंतिम रूप देना (vi) संरक्षण विकास और (vii) परियोजनाओं की प्रगति को प्रतिवेदित करना और एसडब्ल्यूएसएम/डीडब्ल्यूएसएम और एसपीएमयू/डीपीएमयू के मुद्दों को विनिहित करना।

लेखा परीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि, यद्यपि, बीएसडब्ल्यूएसएम ने क्रमशः फरवरी और सितंबर 2013 में एनएनपी के तहत राज्य और 10 चयनित जिलों में एसपीएमयू और 10 डीपीएमयू के गठन की मंजूरी दे दी थी, एसपीएमयू और डीपीएमयू ने परियोजना अवधि में विशेषज्ञों/सलाहकारों के आवश्यक बल के बिना काम किया था। एसपीएमयू ने केवल दिसंबर 2014 के दौरान सात विशेषज्ञों के पूर्ण बल के साथ काम किया था। तत्पश्चात, पीआईपी के अनुसार आवश्यक सात विशेषज्ञों में से, केवल चार⁷ विशेषज्ञ परियोजना अवधि के अंत (मार्च 2020) तक एसपीएमयू के साथ बने रहे थे। 10 जिलों के डीपीएमयू के संबंध में, जहां एनएनपी के तहत जल आपूर्ति योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना था, विशेषज्ञों/सलाहकारों की भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी। तथापि, डीपीएमयू ने वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2019–20 के बीच विशेषज्ञों के पूर्ण बल के बिना भी काम किया था। 60 के स्वीकृत बल के विरुद्ध (प्रत्येक डीपीएमयू में छह), 10 एनएनपी जिलों (मध्युबनी में कोई डीपीएमयू नहीं था) के 10 डीपीएमयू में, जहां एनएनपी के तहत जल आपूर्ति योजनाएं क्रियान्वित की गई थीं, केवल 20 से 44 विशेषज्ञ ही मौजूद थे।

इस प्रकार, एसपीएमयू एवं डीपीएमयू परियोजना अवधि के दौरान विशेषज्ञों के अपने पूरे कार्यबल के साथ काम नहीं किया था। यह निम्नलिखित में देरी के कारण था: (i) योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने (ii) निधि के विमोचन, (iii) निर्माण संवेदकों के चयन और (iv) योजनाओं के समापन आदि, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया।

विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि कार्यबल की कमी प्रक्रियात्मक देरी का एक परिणाम था और समय के साथ स्थिति में सुधार हुआ था। विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि एसपीएमयू के साथ—साथ डीपीएमयू के पास परियोजना अवधि के दौरान विशेषज्ञों की कमी थी।

⁶ वित्तीय प्रबंधन, खरीददारी, पर्यावरण, सामाजिक, तकनीकी, संरक्षण विकास और निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एवं ई) विशेषज्ञ।

⁷ निगरानी और मूल्यांकन (एम एवं ई), संरक्षण विकास, पर्यावरण और खरीददारी।

6.7.5 सहायता संगठनों के चयन में देरी (पूर्व-योजना चरण)

पीआईपी के अनुसार, एसपीएमयू को गांव और पंचायत स्तरों पर जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में सहायक गतिविधियां प्रदान करने में विशेषज्ञता रखने वाले जिला परियोजना प्रबंधन सलाहकार (डीपीएमसी⁸) नियुक्त करना था। डीपीएमसी (सहायक संगठन) को जिला मुख्यालय में डीपीएमयू के साथ परियोजना गतिविधियों की सहायता और समन्वय करने, जीपी/गांवों में उपलब्ध होने वाले उनके अधिकांश कर्मचारियों के साथ, दस डीपीएमयू की क्षेत्रीय शाखा के रूप में काम करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना चक्र के विरुद्ध, जिसमें संबंधित समझौतों की तारीखों से दो से तीन महीने (मई 2014) के भीतर सहायक संगठनों की नियुक्ति निर्धारित की गई थी, सहायक संगठनों को छह⁹ जिलों में दो साल से अधिक और चार¹⁰ जिलों में तीन वर्ष से अधिक की देरी से नियुक्त किया गया था। सहायक संगठनों के चयन में देरी के कारण, बैच-I योजनाओं के लिए, योजना में सहायक गतिविधियाँ सुनिश्चित नहीं की जा सकीं, क्योंकि उन्हें सहायक संगठनों के चयन (नवंबर 2016) के पहले, जुलाई 2015 के दौरान स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, परियोजना अवधि के दौरान, योजनाओं का आयोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक सहायता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई विशेष जवाब प्रदान नहीं किया।

6.7.6 डीपीआर तैयार करने के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण आकड़ों का उपयोग नहीं किया जाना

पीआईपी के अनुसार, एनएनपी के तहत योजनाओं के शुरुआत से पहले कार्यान्वयन विभाग द्वारा एक बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाना था। यह सर्वेक्षण परियोजना क्षेत्रों में घरों की संख्या, गांवों/बस्तियों, संस्थानों, पेयजल स्रोतों, शौचालयों की स्थिति और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) की व्यवस्था का आकलन करने के उद्देश्य से किया जाना था। इसके अलावा, विभाग (मई 2016), साथ ही साथ विश्व बैंक ने एसपीएमयू और डीपीएमयू को डीपीआर की तैयारी के लिए बेसलाइन डेटा का उपयोग करने का निर्देश दिया (मई 2019)।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि विभाग ने डीपीएमयू को बेसलाइन सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया था (अगस्त 2014) और इसे अक्टूबर 2014 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, डीपीएमयू ने अगस्त 2016 तक (बैच-I के तहत शुरू की जाने वाली योजनाओं के लिए) सर्वेक्षण पूरा नहीं किया था। इस प्रकार, बेसलाइन सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किए बिना बैच-I के तहत, 133 एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) को मंजूरी दे दी गई (मार्च 2015)। परिणामस्वरूप, डीपीएमयू ने अतिशयोक्त डीपीआर के आधार पर अनुबंध निष्पादित किया, क्योंकि बेसलाइन सर्वेक्षण आंकड़ा ने इन एसवीएस में 1,58,525 घर दर्शाया, जबकि इन योजनाओं के डीपीआर ने 1,89,219 घर दर्शाया। इसी प्रकार, डीपीआर और बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या क्रमशः 10.68 लाख और 9.23 लाख थी।

विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि जलापूर्ति योजनाएं एनआरडीडब्ल्यूपी आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई थीं, जबकि छूटे हुए घरों और क्षेत्रों के संबंध में भिन्नता के अनुमोदन

⁸ डीपीएमसी में समुदाय की गतिशीलता, तकनीकी, सामाजिक और पर्यावरण, संचार, खरीददारी, वित्तीय प्रबंधन आदि में विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ होने थे।

⁹ पटना, नालंदा, नवादा, मुजफ्फरपुर, सारण और बेगूसराय।

¹⁰ मुंगेर, बांका, पूर्णिया और पूर्व चंपारण।

के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि डीपीआर की तैयारी के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया जाना था।

6.7.7 योजनाओं की मंजूरी में देरी

पीआईपी के अनुसार, जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्यों को तीन बैचों में कार्यान्वित किया जाना था। इसके अलावा, एनएनपी के परियोजना वित्तीय प्रबंधन मैनुअल के अनुसार, 'बुनियादी ढांचा' घटक के तहत, कोई भी योजना एसएलएसएससी से तकनीकी मंजूरी के बिना शुरू नहीं की जानी थी, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि भी सदस्य था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बैच-I के तहत, 152 एसवीएस में से, 133 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2015 में अर्थात् 10 महीने के विलम्ब से प्रदान की गई थी। इसी प्रकार, बैच-II (बैच-I की शेष योजनाओं सहित) के तहत 557 एसवीएस/लघु एकल ग्राम योजनाओं (एसएसवीएस¹¹) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति क्रमशः बैच-I के लिए सितंबर 2014 एवं बैच-II के लिए जून 2016 की निर्धारित तिथि से 19 से 32 महीने देरी के साथ अर्थात् जनवरी 2018 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान प्रदान किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बैच-III के तहत योजनाओं को अनुमोदन के लिए लिया नहीं गया था।

बैच-I के अंतर्गत योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में देरी के मुख्य कारण थे: (i) तकनीकी विशेषज्ञों (एसपीएमयू और डीपीएमयू स्तरों पर डीपीआर की समीक्षा करने और अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी) को नियुक्त करने में देरी एवं (ii) हर घर नल का जल योजना (बिहार सरकार के सात निश्चयों में से एक) के तहत 2015–20 के दौरान राज्य की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को घरेलू कनेक्शन और शौचालय सुविधाओं के साथ पाइप से जलापूर्ति के लिए एक योजना की तैयारी को प्राथमिकता देने का विभाग का निर्णय। इसलिए, एसपीएमयू ने जनवरी 2018 तक, एनएनपी के तहत कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं की थी एवं बैच-I की शेष 19 योजनाओं को एसएलएसएससी द्वारा जनवरी 2018 में अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, बैच-I की योजनाओं के कार्यान्वयन में 10 महीने तक की देरी हुई थी एवं बैच-II योजनाओं की मंजूरी में भी क्रमशः 20 से 33 माह तक की देरी हुई थी तथा परियोजना अवधि के दौरान केवल 81 योजनाएं पूरी की गई थीं।

विभाग ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब को स्वीकार किया (जून 2023) और इसके लिए: (i) योजनाओं को लागू करने में ठेकेदारों के अनुभव की कमी (ii) निविदा प्रक्रिया के कई दौर, जो संभावित बोलीदाताओं की सीमित उपलब्धता संख्या के कारण हुई और (iii) खरीद प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बैलट्रॉन) को स्थानांतरित करना को जिम्मेदार बताया।

हालाँकि, विभाग ने एनएनपी पर राज्य योजना (हर घर नल का जल) को प्राथमिकता देने के संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

6.7.8 परियोजनाओं की रेटिंग में गिरावट

परियोजना वित्तीय प्रबंधन मैनुअल के अनुसार, विश्व बैंक के वित्तपोषण समझौतों में प्रलेखित लागत का घटक-वार विवरण अनुल्लंघनीय था और इसकी पूर्व अनुमोदन के बिना बदला नहीं जा सकता था।

¹¹ छोटी एकल गांव योजनाएँ वार्ड स्तर की योजनाएँ हैं जो एक पंचायत के एक वार्ड को कवर करती हैं।

पीआईपी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 तक 330 योजनाएं शुरू की जानी थी। यद्यपि, एसपीएमयू ने इस अवधि के दौरान केवल 137 योजनाओं (133 एसवीएस और 4 एमवीएस) को मंजूरी दी थी। इसके अतिरिक्त, इसने वित्त वर्ष 2019–20 अर्थात् परियोजना अवधि के केवल अंतिम वर्ष में 557 योजनाओं को मंजूरी दी थी, जैसा कि तालिका 6.2 में बताया गया है।

तालिका 6.2: पीआईपी के अनुसार और एसपीएमयू द्वारा यथा स्वीकृत योजनाओं की संख्या

स्रोत	वित्तीय वर्ष							कुल
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
पी.आई.पी.	53	103	83	63	28	0	0	330
प्र.स्वी	0	0	137	0	0	0	557	694

लेखापरीक्षा ने भी अवलोकन किया कि कि एसपीएमयू ने विश्व बैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना, बैच-II के तहत ₹ 65.54 करोड़ की 557 योजनाएं प्रस्तावित की थीं। हालाँकि, विश्व बैंक ने बाद में इन प्रस्तावित 557 योजनाओं में से 213 योजनाओं को मंजूरी दे दी, इसने पहले परियोजना को “संतोषजनक श्रेणी” से “मध्यम असंतोषजनक” में अवक्रमित किया, तब विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अंततः मार्च 2020 तक परियोजना को बंद कर दिया। इस प्रकार, बैच-II की योजनाओं की मंजूरी में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप विश्व बैंक परियोजना से हट गया और संभावित वित्तीय सहायता वंचन हो गया, जैसा कि कंडिका 6.8.1 में चर्चा की गई है।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर नहीं दिया।

6.8 वित्तीय प्रबंधन

पीआईपी के अनुसार, परियोजना लागत को विश्व बैंक (50 प्रतिशत), भारत सरकार (33 प्रतिशत), बिहार सरकार (16 प्रतिशत) और सामुदायिक योगदान (एक प्रतिशत) द्वारा वित्तपोषित किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2020–21 के दौरान एनएनपी के अंतर्गत एसपीएमयू के पास निधि की प्राप्ति, व्यय और शेष का विवरण तालिका 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: एसपीएमयू के पास निधियों की प्राप्तियां, व्यय और शेष

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	परियोजना लागत का वर्षवार विवरण	प्रारंभिक शेष	एसपीएमयू को विमुक्त राशि				व्याज एवं अन्य आय	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय	अंत शेष
			विश्व बैंक	भारत सरकार	बिहार सरकार	कुल				
2013-14	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	204.44	0.00	9.99	12.49	4.30	26.78	0.22	27.00	1.27	25.73
2015-16	374.89	25.73	39.49	10.42	32.40	82.31	0.21	108.25	30.11	78.14
2016-17	384.05	78.14	53.51	42.33	21.18	117.02	1.35	196.51	132.11	64.40
2017-18	321.50	64.40	90.61	45.36	37.02	172.99	2.81	240.20	147.56	92.64
2018-19	169.88	92.64	57.50	29.18	11.65	98.33	4.91	195.88	84.78	111.10
2019-20	87.51	111.10	75.00	43.77	30.11	148.88	3.07	263.05	159.60	103.45
2020-21 (सितंबर 2020 तक) ¹²		0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	2.25	105.70	100.67	5.03
कुल	1,605.91		326.10	183.55	136.66	646.31	14.82	661.13	656.10	

(स्रोत: पी.एच.ई.डी., बिहार सरकार के अभिलेख)

¹² इस परियोजना के तहत विश्व बैंक को फंड के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (मार्च 2020 तक पूर्ण कार्यों से संबंधित) सितंबर 2020 थी।

जैसा कि **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है, यद्यपि एसपीएमयू उपलब्ध निधि का 99 प्रतिशत उपयोग कर पाया था, यह एनएनपी के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण, विश्व बैंक से परिकल्पित ₹ 803 करोड़ की पूरी राशि की प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाया था।

6.8.1 विश्व बैंक सहायता की गैर-प्राप्ति के कारण राज्य के राजकोष खजाने पर अतिरिक्त बोझ

पीआईपी के अनुसार, विश्व बैंक को ₹ 1,606 करोड़ की कुल परियोजना लागत के विरुद्ध लगभग ₹ 803.00 करोड़ (परियोजना लागत का 50 प्रतिशत) योगदान देना था। चूंकि योजनाएं देरी से लागू हुई थीं, एवं मार्च 2020 तक कुल परियोजना लागत का मात्र ₹ 656.10 करोड़ (41 प्रतिशत) व्यय किया जा सका था, बिहार सरकार को विश्व बैंक से केवल ₹ 326.10 करोड़ प्राप्त हुआ था। ऐसे में राज्य सरकार विश्व बैंक की ₹ 476.90 करोड़ की सहायता से वंचित रह गई थी।

तत्पश्चात्, एसएलएसएससी ने भारत सरकार के साथ 50:50 साझाकरण के आधार पर मार्च 2020 के बाद से जल जीवन मिशन (जेजेएम) निधियों के माध्यम से उन जारी एनएनपी योजनाओं को पूरा करने का निर्णय लिया (मई 2020)। साझाकरण स्वरूप में बदलाव के कारण, बिहार सरकार को व्यय का 34 प्रतिशत (जेजेएम के तहत 50 प्रतिशत—एनएनपी के तहत 16 प्रतिशत) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। एसएलएसएससी ने एनएनपी की इन अधूरी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 432.46 करोड़ की राशि स्वीकृत की (मई 2020)। तदनुसार, बिहार सरकार को जेजेएम साझाकरण स्वरूप के अनुसार ₹ 216.23 करोड़ की राशि जारी करनी पड़ी थी। अगस्त 2022 तक, बिहार सरकार ने एनएनपी के अंतर्गत निर्धारित ₹69.19 करोड़ (16 प्रतिशत) के मुकाबले ₹ 186.43 करोड़ जारी किया था। अतः, राज्य सरकार को एनएनपी के तहत योजनाओं को पूरा करने में देरी के कारण ₹ 117.24 करोड़ (₹ 186.43 करोड़ – ₹ 69.19 करोड़) की राशि का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

विभाग लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत था (जून 2023)।

6.8.2 एसपीएमयू को धनराशि जारी करने में देरी

भारत सरकार के स्वीकृत आदेश के अनुसार, राज्य सरकार को विश्व बैंक का हिस्सा की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर, एसपीएमयू को निधि का विमोचन/अंतरण सुनिश्चित करना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एसपीएमयू को निधि जारी/हस्तांतरित करते समय निर्धारित समय—रेखा का पालन नहीं किया गया था। एसपीएमयू को निधि के विमोचन में देरी का विवरण **तालिका 6.4** में दिया गया है।

तालिका 6.4 : एसपीएमयू को निधि जारी करने में विलम्ब

(₹करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विश्व बैंक, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के हिस्सों का तिथि-वार विमोचन				एसपीएमयू के बैंक खाते में निधि की प्राप्ति की तिथि					
	तिथि	विश्व बैंक का हिस्सा	भारत सरकार का हिस्सा	बिहार सरकार का हिस्सा	विश्व बैंक का हिस्सा		भारत सरकार का हिस्सा		बिहार सरकार का हिस्सा	
					तिथि	देरी (दिनों में)	तिथि	देरी (दिनों में)	तिथि	देरी (दिनों में)
2013-14	31.03.2014	9.99	5.49	4.30	05.05.2014	20	26.09.2014	164	13.10.2014 से 22.11.2014	181 से 221
2014-15	12.12.2014	58.63	32.25	25.21	30.12.2015 से 04.02.2017	368 से 770	08.01.2015 से 22.02.2017	89 से से 865	06.11.2015 से 31.12.2015	369
2016-17	10.01.2017	25.00	13.75	10.75	20.02.2017 से 17.08.2017	28 से 160	22.2.2017 से 30.12.2017	18 से 261	31.12.2015 से 28.07.2017	6 से 106
	23.02.2017	25.00	13.75	10.75						
	29.03.2017	32.48	17.86	13.97						
2017-18	22.09.2017	50.00	27.50	21.50	13.12.2017 से 29.03.2019	84 से 370	30.12.17 to 12.09.2018	84 से 614	28.11.2017 से 29.03.2019	70 से 550
	09.03.2018	50.00	29.18	20.07						
2019-20	03.10.2019	25.33	14.79	10.17	28.11.2019	41	28.11.19 to 04.02.2020	40 से 74	26.11.2019	38

(स्रोतः पीएचआईडी, बिहार सरकार के अभिलेख)

जैसा कि तालिका 6.4 से स्पष्ट है, विभाग ने, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके, 770 दिनों तक की अत्यधिक देरी के साथ विश्व बैंक का हिस्सा एसपीएमयू को जारी/अंतरित किया था जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई होगी ।

विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अवलोकन को माना (जून 2023) कि नीति और योजनाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण निधि देरी से जारी किया गया था।

6.8.3 सामुदायिक सहभागिता

विश्व बैंक ने निर्देश दिया था (2014) कि लाभार्थियों को, परियोजना के स्वामित्व की भावना डालने और सृजित सुविधाओं को ठीक से बनाए रखने के लिए, ₹ 450 (अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए ₹ 225) की दर से एक-बार सामुदायिक अंशदान करना था ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान, एसपीएमयू ₹ 14.32 करोड़ के अनुमानित सामुदायिक अंशदान के मुकाबले केवल ₹ 1.71 करोड़ एकत्र करने में सफल रहा था । इसके अलावा, विभाग ने विश्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करके सामुदायिक अंशदान को बंद करने और पहले से एकत्र किए गए ₹ 1.71 करोड़ संबंधित लाभार्थियों (**परिशिष्ट-6.5**) को वापस करने का निर्णय (फरवरी 2019) यह आश्वासन देते हुए लिया कि यह राज्य योजना निधि से 'सामुदायिक अंशदान' के तहत निधि प्रदान करेगा । विश्व बैंक ने निर्णय पर चिंता व्यक्त की (अप्रैल 2019) और राज्य सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया । हालांकि, राज्य सरकार ने न तो निर्णय की समीक्षा की, न ही अंशदाताओं को राशि लौटाई ।

इस संबंध में, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023), कि: (i) एनएनपी परियोजना क्षेत्रों के घरों से ₹ 450 (एससी/एसटी व्यक्तियों के लिए ₹ 225) एकत्र करना मुश्किल हो गया था (ii) विश्व बैंक टीम और भारत सरकार से उचित परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार सामुदायिक अंशदान की राशि का भुगतान करेगी और (iii) समुदाय को कोई राशि हालांकि, वापस नहीं की गई थी ।

विभाग का उत्तर, हालांकि, संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि विश्व बैंक ने स्वयं अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की थी।

6.8.4 परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) एवं अपात्र योजनाओं पर भुगतान के लिए एनएनपी निधि का विचलन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएनपी फंड से ओ एंड एम पर कोई व्यय नहीं किया जाना था, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, एनएनपी फंड का उपयोग केवल उन योजनाओं के लिए किया जाना था जो विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित थीं। हालांकि, रिकॉर्ड की नमूना जांच से यह पता चला कि, ₹ 12.90 करोड़ एनएनपी फंड को पांच डीपीएमयू¹³ में संबंधित योजनाओं के ओ एंड एम पर खर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएनपी के तहत 142 गैर-योग्य योजनाओं (जो विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं थीं) पर ₹ 51.31करोड़ व्यय किए गए। इस प्रकार, ₹ 64.21 करोड़ का एनएनपी फंड ओ एंड एम और गैर-योग्य योजनाओं के भुगतान की ओर निदर्शित किया गया था, जो दिशानिर्देशों के प्रावधानों के खिलाफ था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि परिचालन और रखरखाव पर व्यय इस धारणा पर किया गया था कि इन योजनाओं को विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हालांकि, इन योजनाओं को अंततः विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और अपात्र घोषित कर दिया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि परिचालन और रखरखाव पर व्यय और विश्व बैंक द्वारा योजनाओं की मंजूरी अलग-अलग है। योजनाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, विश्व बैंक की मंजूरी के बिना योजनाओं पर व्यय तक्रसंगत नहीं था।


6.9 परियोजना घटकों का कार्यान्वयन

परियोजना के घटकों के कार्यान्वयन में देखी गई कमियों की चर्चा अगले कंडिकाओं में की गई है।

6.9.1 परियोजना के घटकों पर अपर्याप्त व्यय

एनएनपी को तीन घटकों में विभाजित किया गया था यथा क: क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास; ख: बुनियादी ढांचे का विकास और ग: परियोजना प्रबंधन सहायता। पीआईपी के अनुसार परिकल्पित घटक-वार व्यय, और वास्तव में किया गया व्यय (सितंबर 2022 तक) चार्ट 6.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 6.4: परियोजना में घटक-वार व्यय (₹ करोड़ में)



¹³ नालंदा (₹ 1 करोड़), नवादा (₹ 0.65 करोड़), मुंगेर (₹ 6.20 करोड़), मुजफ्फरपुर (₹ 4.95 करोड़) और बेगूसराय (₹ 0.10 करोड़)।

जैसा कि चार्ट 6.4 में दर्शाया गया है, पीआईपी में परिकल्पित व्यय का केवल 12 प्रतिशत, 44 प्रतिशत और 25 प्रतिशत, क्रमशः घटक क, ख और ग के अंतर्गत व्यय किया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

6.9.2 क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास गतिविधियों का अभाव

'क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास' घटक के अंतर्गत, राज्य, जिला, ब्लॉक और जीपी स्तर के पदाधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जानी थी। एसपीएमयू और डीपीएमयू को उनमें उपलब्ध विशेषज्ञों की मदद से इस गतिविधि में समग्र सहायता प्रदान करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ उप-घटकों जैसे कि 'एसडब्ल्यूएसएम (कार्यशालाओं) के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण', 'डीडब्ल्यूएसएस/डीडब्ल्यूएससी के लिए कार्यशालाएं सहित जिला/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम' आदि (**परिशिष्ट-6.6**) पर कोई व्यय नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसपीएमयू और डीपीएमयू के पास आवश्यक संख्या में विशेषज्ञ नहीं थे, जिसके कारण क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास की गतिविधियों की भी कमी हुई थी।

विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी।

6.9.3 बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों का अपर्याप्त कार्यान्वयन

पीआईपी के अनुसार, आच्छादित गांवों की बस्तियों में सभी घरों को सुरक्षित और पर्याप्त पाइप जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास घटक के तहत निवेश किया जाना था। एनएनपी के योजना चक्र के अनुसार, कार्यान्वयन चरण जिसमें निर्माण ठेकेदारों का चयन शामिल था, छह से 10 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। मार्च 2020 तक, पीआईपी में परिकल्पित, राज्य द्वारा प्रस्तावित और पूर्ण की गई योजनाओं की बैच-वार संख्या का विवरण तालिका 6.5 में दिया गया है।

तालिका 6.5: पीआईपी में परिकल्पित, राज्य द्वारा प्रस्तावित और पूर्ण की गई योजनाओं की बैच-वार संख्या (मार्च 2020 तक)

बैच	कार्यान्वयन की अवधि	पीआईपी में परिकल्पित योजनाओं की संख्या	राज्य द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की संख्या	विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजनाओं की संख्या	एनएनपी के अंतर्गत पूर्ण की गयी योजनाओं की संख्या (मार्च 2020 तक)
I	फरवरी 2014 से मार्च 2017	156	137 (एसवीएस-133 + एमवीएस-4)	137	81 (77 एसवीएस + 2 एमवीएस)
II	फरवरी 2016 से मार्च 2019	117	557 (एसवीएस-556 + एमवीएस-1)	213	0
III	फरवरी 2017 से मार्च 2020	57	0	0	0
कुल		330	694	350	81

(झोतः: पीएचआरडी, बिहार सरकार के अभिलेख)

तालिका 6.5 इंगित करती है कि विश्व बैंक ने राज्य द्वारा प्रस्तावित 694 योजनाओं में से, केवल 350 योजनाओं को मंजूरी दी थी। इनमें से, राज्य ने केवल 81 योजनाएं ही पूरी कीं थी। अतः, मार्च 2020 तक, 613 योजनाएं अधूरी थीं। इन 613 योजनाओं में से, बैच-I की नौ और चार योजनाओं को क्रमशः बैच-II योजनाओं में शामिल और 'हर घर नल का जल' योजना में स्थानांतरित किया

गया। शेष 600 योजनाओं में से, 557 योजनाएँ जेजेएम निधियों से पूरी की जा चुकी थीं (अगस्त 2022 तक), जबकि 43 योजनाएं अभी भी अधूरी थीं।

एनएनपी के तहत परिकल्पित योजनाओं की तुलना में कम संख्या में कार्यान्वयन/देरी से कार्यान्वयन के कारण थे: (i) प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के प्रकाशित करने में देरी (ii) एनआईटी के बाद निविदाओं को अंतिम रूप देना और (iii) एनआईटी के प्रकाशन के बाद, बोली दस्तावेजों की षट्ठी में बदलाव के कारण उन्हें पुनर्प्रकाशित करना। परिणामस्वरूप, बैच-I की 137 योजनाओं में से, केवल 81 (59 प्रतिशत) निर्धारित तिथि (मार्च 2020) तक पूरी हुई थीं और बैच-II की कोई भी योजना पूरी नहीं हुई थी।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि जून 2023 तक, बैच-I की 121 योजनाएं और 252 एसवीएस पूरी की गई थीं।

विभाग के उत्तर ने पुष्ट किया कि सभी योजनाएं पूरी नहीं हुई थीं।

6.9.4 अवास्तविक घरेलू कनेक्शन

पीआईपी के अनुसार, मुख्य परियोजना विकास उद्देश्य विकेंद्रीकृत वितरण प्रणालियों के माध्यम से लक्षित राज्यों में चयनित ग्रामीण समुदायों के लिए पाइप जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार करना था।

एनएनपी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग के प्रगति प्रतिवेदन (जनवरी 2022) ने दर्शाया कि एनएनपी के बैच-I और II दोनों के तहत, पाइप जलापूर्ति कनेक्शन वाले घरों की समग्र आच्छादन लक्षित घरों का 91 प्रतिशत था (जनवरी 2022 तक), जैसा कि तालिका 6.6 में दर्शाया गया है।

**तालिका 6.6: विभागीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार घरों का आच्छादन
(जनवरी 2022 तक)**

बैच	एनएनपी से सम्बन्धित विभागीय प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार आच्छादित घर की संख्या		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि की प्रतिशतता
I	1,39,215	1,33,456	96
II	14,19,58	1,21,182	85
कुल	2,81,173	2,54,638	91

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार सरकार के अभिलेख)

उपरोक्त के आलोक में, लेखापरीक्षा ने बैच-I योजनाओं की डीपीआर से इन प्रगति प्रतिवेदनों की तुलना की और देखा कि डीपीआर के अनुसार, आच्छादित किए जाने वाले वास्तविक घर 1.89 लाख थे। हालांकि, विभाग ने 39 प्रतिशत से 97 प्रतिशत के बीच तक की जिलावार आच्छादन प्रतिशत दर (मुंगेर को छोड़कर) के साथ केवल 1.33 लाख घरों (70 प्रतिशत) को आच्छादित किया था (जनवरी 2022)।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने, विभाग के डीपीआर साथ ही साथ प्रगति प्रतिवेदनों में दर्शाये गए लक्ष्यों के साथ 10 जिलों की 37 नमूना-जांचित पूर्ण योजनाओं (बैच-I) की माप पुस्तिकाओं (एमबी) के अनुसार, घरों के आच्छादन की उपलब्धि की दुतरफी जांच की। तुलना ने दर्शाया कि, विभाग की डीपीआर, प्रगति प्रतिवेदनों और माप पुस्तिकाओं के अनुसार घरेलू कनेक्शनों की

संख्या क्रमशः 71,451, 45,441 और 34,848 थी (**परिशिष्ट-6.7**)। इसने इंगित किया कि घरेलू कनेक्शन का अच्छादन, जैसा कि विभाग ने अपनी प्रगति प्रतिवेदन एवं डीपीआर में दिखाया था, वास्तविक नहीं था और आच्छादित घरों की वास्तविक संख्या डीपीआर में परिकल्पित संख्या का केवल 49 प्रतिशत थी।

6.9.5 बहु-ग्रामीण योजनाओं पर परिहार्य व्यय

एनएनपी के तकनीकी मैनुअल में स्थानीय भूजल स्रोतों जैसे कि गहरे ट्यूबवेल के साथ एसएचएस/एसजीएस/एसवीएस¹⁴ को प्रावधान की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, मैनुअल में निर्धारित किया गया है कि सतही जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों आदि के साथ बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना¹⁵ (एमवीएस) को वहां प्रस्तावित किया जाना था, जहां स्थानीय उपलब्ध भूजल में गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित समस्याएं थीं और जहां पानी लंबी दूरी से पहुंचाया जाना था। पीआईपी के अनुसार, एमवीएस की प्रति व्यक्ति लागत¹⁶ एसवीएस की तुलना में बहुत अधिक थी।

एनएनपी के तहत स्वीकृत चार एमवीएस¹⁷ में से, दो एमवीएस यथा घोघा घाट (पश्चिम चंपारण) और सिलाव (नालंदा) के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि इन दोनों एमवीएस में तकनीकी मैनुअल के अनुसार सतही जल का उपयोग करने की बजाय उनके तकनीकी अनुमोदन में गहरे ट्यूबवेल संस्थापित कर के भूजल के निकासी की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, तकनीकी मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत, घोघा घाट एमवीएस को ऐसे स्थानों पर निष्पादित किया गया था जहाँ भूजल के संबंध में गुणवत्ता/मात्रा संबंधी कोई समस्या नहीं थी और इस प्रकार, इन दोनों एमवीएस में, सतही जल स्रोतों का उपयोग करने के बजाय भूजल का उपयोग करके घरों को जल की आपूर्ति प्रदान की गई थी।

इन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच से पता चला कि भंडारण प्रणालियों को स्रोतों से पानी पहुंचाने के लिए एसवीएस विनिर्देशों के तहत केवल 50 से 100 मीटर पाइप की आवश्यकता थी। चूंकि एसपीएमयू ने इन स्थानों पर एमवीएस का विचार किया था, इसलिए जल स्रोतों (गहरे ट्यूबवेल) से पानी को छ: भंडारण प्रणालियों (आंचलिक उन्नत सेवा जलाशय-जेडईएसआर¹⁸) तक पहुंचाने के लिए 35.22 किमी¹⁹ लंबी राईजिंग²⁰ मेन पाइपों का प्रावधान किया गया था, क्योंकि भंडारण प्रणाली जल स्रोतों के स्थानों से बहुत दूर स्थित थीं। यदि विभाग ने इन एमवीएस में आच्छादित छ: स्थानों पर एसवीएस का विचार किया होता, तो ट्यूबवेलों से संबंधित जेडईएसआर तक पानी पहुंचाने के लिए केवल 600 मीटर की अधिकतम लंबाई वाले राईजिंग मेन पाइपों की आवश्यकता होती।

¹⁴ एकल आवास योजना (एसएचएस), एकल ग्राम योजना (एसजीएस), और एकल गांव योजना (एसवीएस) के तहत, जल आपूर्ति को एक ही ग्राम पंचायतों/गांवों में आने वाले छोटी संख्या के आवासों के लिए गहरे ट्यूबवेल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

¹⁵ मल्टी-विलेज स्कीम (एमवीएस) के तहत, जल आपूर्ति को कुछ ग्राम पंचायतों/गांवों में आने वाले बड़े संख्या के आवासों के लिए सतही जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

¹⁶ बड़े मल्टी-विलेज स्कीम (एमवीएस) के लिए प्रति व्यक्ति लागत ₹ 6,650 थी, छोटे एमवीएस के लिए ₹ 5,430 और एसवीएस के लिए ₹ 2,900 थी।

¹⁷ सिलाओ (नालंदा), राजौली (नवादा), चेरिया (बेगुसराय) और गोघा घाट (पश्चिम चंपारण)।

¹⁸ जोनल एलीवेटेड सर्विस रिजर्वायर, पंचायत/गांव/बस्ती स्तर पर पानी को संग्रहित करने और इसे घरों में वितरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अंतिम स्तर का रिजर्वायर है।

¹⁹ घोघा घाट (पश्चिम चंपारण): ₹ 10.85 किमी और सिलाओ (नालंदा): 24.37 किमी।

²⁰ राईजिंग मेन: मास्टर एलीवेटेड सर्विस रिजर्वायर से जोनल एलीवेटेड सर्विस रिजर्वायर तक पानी ले जाने के लिए एक पाइपलाइन।

इस प्रकार, एनएनपी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर, इन योजनाओं के तहत भूजल के उपयोग की परिकल्पना के होने के बावजूद, न तो एमवीएस के लिए सतही जल का उपयोग किया गया था और न ही इन स्थानों पर एसवीएस कार्यान्वित किया गया था। परिणामस्वरूप, 34.62 किमी लंबी राइजिंग मुख्य पाइप बिछाने पर व्ययित ₹19.44 करोड़²¹ की राशि परिहार्य थी।

कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, पश्चिम चंपारण ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) कि राइजिंग मुख्य पाइपों पर किया गया व्यय परिहार्य था। हालाँकि, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि: (i) पश्चिम चंपारण एक जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित जिला था (ii) वहां कोई व्यापक पाइप जलापूर्ति प्रणाली नहीं थी और पूरी ग्रामीण आबादी पेजयल के लिए हैंडपंप एवं अन्य साधनों पर निर्भर थी, (iii) इसलिए, क्षेत्र में जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए उप-सतह के पानी का दोहन किया गया था और (iv) सिलाव एक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र था एवं (v) पेयजल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, के लिए बड़ी जलापूर्ति योजनाएँ अधिक लाभकारी थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि केवल सतही जल स्रोतों के माध्यम से एमवीएस के कार्यान्वयन को निर्धारित किये जाने के तकनीकी दिशानिर्देशों में बावजूद, इन दोनों एमवीएस को भूजल का उपयोग करके निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, गहरे ट्यूबवेलों के माध्यम से भूजल निकालने का कोई औचित्य नहीं था, जो जेडईएसआर के स्थानों से बहुत दूर थे, परिणामस्वरूप राइजिंग मेन पर किया गया ₹ 19.44 करोड़ की राशि का परिहार्य व्यय हुआ।

6.9.6 एमवीएस में मल्टी जेट वाटर मीटर में निष्क्रिय व्यय

एनएनपी के तकनीकी मैनुअल के पैरा 3.11.2 में एमवीएस के तहत सभी घरों में मीटर कनेक्शन के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इन मीटरों की लागत परियोजना में शामिल की जानी थी। इन मीटरों का उद्देश्य लाभार्थी के प्रयोजन में पानी की हानि से बचना था। लाभार्थियों से उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से पूर्ण परिचालन और रखरखाव लागत वसूली प्राप्त करने के लिए, एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाना था।

तीन एमवीएस²² के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए, ₹ 4.11 करोड़ की लागत से 24,123 मल्टी-जेट वॉटर मीटर लगाए गए थे। उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के संबंध में, लेखापरीक्षा ने समीक्षा किया कि विभाग ने प्रत्येक कनेक्शन के लिए ₹ 30 प्रति माह की एक निश्चित दर पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का निर्णय लिया था (जून 2021)। विभाग के निर्णय से 24,123 जल मीटरों की संस्थापना पर किया गया ₹ 4.11 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा, लाभार्थी के प्रयोजन में पानी की हानि को रोकने का उद्देश्य भी हासिल नहीं किया जा सका था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि परिचालन और रखरखाव एजेंसी उपयोगकर्ता स्तर पर स्थापित मल्टी-जेट जल मीटरों के उपयोग के लिए जिम्मेदार थी एवं उन्हें मासिक मीटर रीडिंग लेने और उसे मासिक उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को देने का निर्देश दिया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उसने एक निश्चित जल उपभोक्ता शुल्क निर्धारित कर दिया था। इस प्रकार, मीटर रीडिंग लेने से न तो जल उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह पर कोई प्रभाव पड़ेगा न ही यह उपयोगकर्ताओं के प्रयोजन में पानी की बर्बादी को रोकेगा, जैसा कि दिशानिर्देशों में कहा गया था।

²¹ घोघा घाट (पश्चिम चंपारण): ₹ 4.44 करोड़ (10.55 किमी) और सिलाओ (नालंदा): ₹15 करोड़ (24.07 किमी)।

²² राजौली (नवादा), घोघा घाट (पश्चिम चंपारण) और सिलाओ (नालंदा)।

6.9.7 योजनाओं के अंतर्गत आवश्यकताओं का अधिक आकलन

जैसा कि कंडिका 6.7.6 में चर्चा की गई है, जनसंख्या और परिवारों की संख्या के आधारभूत सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग डीपीआर की तैयारी में नहीं किया गया था और बढ़े हुए डीपीआर आंकड़ों के आधार पर एकरारनामा को निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मापी पुस्तके अनुसार, निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा डीपीआर में परिकल्पित घरेलू कनेक्शनों की संख्या के आधार पर निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक कार्य की मात्रा से कम थी। हालाँकि, परिकल्पित योजनाओं के तहत निष्पादित किए जाने वाले ट्यूबवेलों, मोटर पंपों, भंडारण प्रणालियों आदि की क्षमता की गणना डीपीआर डेटा के आधार पर की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मात्रा का अधिक आकलन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप ईएसआर की अधिक संस्थापित क्षमता, ओएंडएम का अधिक आकलन आदि हुआ था, जैसा कि नीचे कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

(i) ईएसआर पर अधिक व्यय

केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल में 8 घंटे की पंपिंग के साथ दैनिक पानी की मांग का 33 प्रतिशत के रूप में एक ईएसआर की न्यूनतम संचयन क्षमता की परिकल्पना की गई है। जनसंख्या से गुणा करके, प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) 81 लीटर²³ होने के रूप में दैनिक पानी की मांग की गणना की गई थी।

पांच प्रमंडलों²⁴ के 15 एसवीएस के अभिलेखों की नमूना—जांच ने दर्शाया कि घरेलू कनेक्शनों की वास्तविक संख्या (डीपीआर के आधार पर निष्पादित) आधारभूत सर्वेक्षण आंकड़ा में इंगित घरेलू कनेक्शनों की संख्या से अधिक थी। 15 नमूना—जांचित योजनाओं के आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे ट्यूबवेल, मोटर पंप, ईएसआर आदि की क्षमता की गणना डीपीआर डेटा के आधार पर की गई थी। परिणामस्वरूप, इन जल आपूर्ति योजनाओं के घटकों को अधिक अनुमानित क्षमता के आधार पर तैयार किया गया था। अधिक आकलन की गणना करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जनसंख्या के आंकड़ों और माप पुस्तकों के अनुसार प्रदान किए गए घरेलू कनेक्शनों की संख्या के रु—बरु डीपीआर में परिकल्पित संबंधित संख्याओं के आधार पर ईएसआर की आवश्यक क्षमता की गणना की। गणना ने दर्शाया कि 15 नमूना—जांचित एसवीएस के डीपीआर/एकरारनामा में, ईएसआर की 6,653 किलो लीटर (केएल) क्षमता के प्रावधान के मुकाबले, वास्तव में केवल 3,374 केएल आवश्यक थी। इसलिए, इन योजनाओं में, वास्तव में निष्पादित कार्य के अनुसार वास्तव में आवश्यक क्षमता की तुलना में अधिक क्षमता के ईएसआर होने के कारण, ₹ 7.20 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.57 करोड़ (**परिशिष्ट 6.8**) का अधिक व्यय हुआ।

विभाग ने जवाब दिया कि (जून 2023) कोई अधिक आकलन नहीं था और सभी आकलन जमीनी स्थिति के अनुसार तैयार किए गए थे।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि कार्यों को जमीनी स्तर के सर्वेक्षण, यानी आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर बनाया नहीं गया था, और डीपीआर को बनाने में उपयोग किया गया डेटा बढ़ा हुआ और अधिक अनुमानित था।

²³ 70 एलपीसीडी 15 प्रतिशत बर्बादी।

²⁴ हिलसा, नालंदा (2 योजनाएँ) य पूर्णिया (6 योजनाएँ); पश्चिम चंपारण (2 योजनाएँ); बैगूसराय (4 योजनाएँ) और सारण (1 योजना)।

(ii) परिचालन और रखरखाव (ओएंडएम) लागत का अधिक आकलन

रजौली (नवादा) और सिलाव (नालंदा) के एमवीएस के एकरारनामा में कहा गया कि इन एमवीएस के तहत आने वाले क्षेत्र के घरों को आपूर्ति की गई जल के वास्तविक परिमाण के आधार पर ओ एंड एम लागत देय थी। आपूर्ति की गई जल के वास्तविक परिमाण को मापने के लिए, जल वितरण प्रणाली से बल्क मीटर जुड़े हुए थे। समझौतों की संविक्षा ने दर्शाया कि जनसंख्या साथ ही डीपीआर की तैयारी के लिए ध्यान में रखी गई जल की आवश्यकता की मात्रा आधारभूत सर्वेक्षण डेटा में उल्लिखित मात्रा से अधिक थी। इसके अलावा, बल्क मीटर के अनुसार आपूर्ति की गई जल के वास्तविक परिमाण सुनिश्चित किए बिना, ओ एंड एम लागत का भुगतान किया गया था। एमबी में, बल्क मीटर की वर्तमान और पिछली रीडिंग का उल्लेख किए बिना आपूर्ति किए गए पानी के मासिक परिमाण दर्ज की गई थी। इसलिए, आधारभूत सर्वेक्षणों की तुलना में डीपीआर और एमबी में ओ एंड एम प्रभारों का अधिक प्रावधान और भुगतान, जैसा कि देखा गया, तालिका 6.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.7: आधारभूत सर्वेक्षण एवं डीपीआर के अनुसार जल की आवश्यकता का अनुमान (₹ करोड़ में)

योजना का नाम	डीपीआर के अनुसार जनसंख्या	आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार जनसंख्या	प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता का आयतन तथा किया गया भुगतान राशि (केएल में)						आधारभूत सर्वेक्षण की तुलना में डीपीआर में की गई ओएंडएम लागत के कारण किया गया अधिक भुगतान (कॉलम 8* कॉलम 9)	आधारभूत सर्वेक्षण की तुलना में ओएंडएम लागत का अधिक भुगतान (कॉलम 8* कॉलम 9)
			डीपीआर के अनुसार जल की आवश्यकता	आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार जल की वास्तविक आवश्यकता	मापी पुस्त के अनुसार जल के आयतन पर किया गया भुगतान	डीपीआर में अनुमानित अत्यधिक जल की आवश्यकता (कॉलम 4 – कॉलम 5)	आधारभूत सर्वेक्षण की तुलना में जल के आयतन पर किया गया अधिक भुगतान (कॉलम 6 – कॉलम 5)	ओ एंड एम प्रभार का दर (₹ / कि.ली.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
एमवीएस, रजौली, नवादा	86,096	59,075	24,78,273	15,09,366	23,56,039	9,68,907	8,46,673	10	0.96	0.85
एमवीएस, सीलाव, नवादा	66,787	50,579	18,39,702	12,92,293	18,62,955	5,47,409	5,70,662	11	0.60	0.63
कुल	1,52,883	1,09,654	43,17,975	28,01,659	42,18,994	15,16,316	14,17,335		1.56	1.48

(स्रोतः: पीएचईडी, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका 6.7 से देखा जा सकता है, जल की आवश्यकताओं के अधिक आकलन के कारण, वार्षिक ओएंडएम लागत ₹ 1.56 करोड़ बढ़ा दी गई थी और संबंधित ठेकेदारों को जल आपूर्ति के बढ़े हुए परिमाण के आधार पर ₹ 1.48 करोड़ के ओ एंड एम लागत का भुगतान किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2023) कि: (i) डीपीआर के अनुसार सभी गणना की गई थी और समझौतों के प्रावधानों के अनुसार सभी भुगतान किए गए थे। इसलिए, ओएंडएम एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था (ii) ओएंडएम बिल को आपूर्ति किए गए जल के आधार पर तैयार किया जाना था, जो संस्थापित फ्लो मीटर से दर्ज किया जाता था, जिसकी निगरानी एससीएडीए के माध्यम से की गई थी। इसलिए, अनियमित बिलिंग या भुगतान की कोई गुंजाइश नहीं थी।

विभाग का जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि लाभार्थियों को वास्तविक रूप से जल आपूर्ति पहुंचने के लिए घरेलू स्तर पर साथ ही साथ मापी पुस्त में कोई जल मीटर रीडिंग दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए, वास्तविक रूप से आपूर्ति की गई जल के परिमाण के आधार पर भुगतान नहीं किया गया था।

(iii) अनुमान से अधिक कार्यों का निष्पादन

पूर्णिया में, लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों ने हरेक बस्ती के लिए परिकल्पित ईएसआर और लौह निष्कासन संयंत्र (आईआरपी) की समान क्षमता के साथ, उन्हें एक पैकेज में शामिल करके, दो या दो से अधिक बस्तियों के एसवीएस के लिए निर्माण ठेकेदारों के चयन के लिए एनआईटी प्रकाशित (2019–20) किया था। हालांकि, पांच डीपीआर से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्रत्येक बस्ती के लिए जल आपूर्ति योजनाएं ईएसआर और आईआरपी की विभिन्न क्षमताओं के साथ डिजाइन की गई थीं। लेखापरीक्षा ने इन प्रमंडलों के पांच योजनाओं की नमूना-जांच की और पाया कि आठ डीपीआर में, ईएसआर और आईआरपी के क्रमशः 1,990 केएल और 845 किलो लीटर प्रति घंटे (केएलपीएच) के समग्र प्रावधान के मुकाबले, इन प्रमंडलों ने 2,951 केएल और 1,365 केएलपीएच, अर्थात् क्रमशः 961 केएल और 520 केएलपीएच की अधिक क्षमता के साथ एकरारनामा/कार्य निष्पादित किया था। परिणामस्वरूप, संबंधित समझौतों (**परिशिष्ट-6.9**) में ₹ 2.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया कि ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था और योजनाएं विभाग के पास उपलब्ध एनआरडीडब्ल्यूपी डेटा के आधार पर तैयार की गई थी।

जवाब ने स्वयं पुष्टि की कि इन योजनाओं में आधारभूत सर्वेक्षण डेटा का उपयोग नहीं किया गया था। इसके अलावा, डीपीआर की तैयारी में, एनआरडीडब्ल्यूपी डेटा के उपयोग को इंगित करने वाली कोई सामग्री अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाई गई।

6.9.8 एकल ग्राम योजनाओं की ओएंडएम लागत का अनियमित भुगतान

एनएनपी के मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में उल्लिखित भुगतान की शर्तों और प्रक्रियाओं में परिकल्पित है कि ओएंडएम भुगतानों को, विशिष्ट प्रदर्शन संकेतकों²⁵ की पूर्ति पर देय होने वाले शेष 40 प्रतिशत प्रदर्शन शुल्क के साथ, आपूर्ति किए गए जल (ओएंडएम लागत के निर्धारित शुल्क का 60 प्रतिशत) के परिमाण से गुणा करके, ऑपरेटर द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर, मासिक आधार पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 60 नमूना-जांचित योजनाओं में से (**परिशिष्ट-6.10**), 28 योजनाओं से संबंधित ओएंडएम लागत के कारण, ₹ 8.29 करोड़ का भुगतान, संबंधित ठेकेदारों से प्राप्त की जाने वाली जल प्रवाह मीटरों की वास्तविक रिपोर्ट के बिना, केवल एकरारनामा में उल्लिखित जल आपूर्ति के परिमाण के आधार पर, किया गया था। इसके अलावा, ओएंडएम के लिए समझौतों में जल के परिमाण की गणना, डीपीआर में उल्लिखित जनसंख्या आंकड़ा के आधार पर निकाली गई थी, हालांकि घरेलू कनेक्शनों की संख्या डीपीआर में परिकल्पित संख्या से कम थी। इस आलोक में, एकरारनामा में उल्लिखित जल के परिमाण के बजाय, घरों को आपूर्ति किए जाने वाले जल के वास्तविक परिमाण के अनुसार भुगतान किया जाना था।

²⁵ 90 प्रतिशत घरों की कवरेज: 10 प्रतिशत; सभी नमूना पानी का परीक्षण: 10 प्रतिशत; घरों को निर्बाध जल आपूर्ति: 8 प्रतिशत; शिकायतों का संतोषजनक समाधान: 7 प्रतिशत; और बिलिंग दक्षता: 5 प्रतिशत।

लेखापरीक्षा ने आगे चार प्रमंडलों (हिल्सा, पूर्णिया, सारण और बेगुसराय) की नौ योजनाओं के ओएंडएम भुगतान की नमूना-जांच की और देखा कि ओएंडएम का भुगतान निर्धारित और प्रदर्शन शुल्क की गणना के बिना किया गया था। मापी पुस्त में बल्क जल मीटरों के वर्तमान और पिछली पठनों को इंगित किए बिना, केवल आपूर्ति किए गए जल के परिमाण के आधार पर भुगतान किया गया था। इसलिए, जिस अवधि के दौरान ओएंडएम लागत का भुगतान किया गया था, आपूर्ति की गई जल का वास्तविक परिमाण सही नहीं था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने मापी पुस्त के अनुसार और इन योजनाओं के डीपीआर में उल्लिखित घर की आबादी के अनुसार घरेलू कनेक्शनों की संख्या के आधार पर, आपूर्ति की गई जल के वार्षिक परिमाण की गणना की। इस गणना ने दर्शाया कि योजनाओं के माप पुस्तकों के अनुसार, 5,969 घरेलू कनेक्शनों के मुकाबले, कुल आबादी 38,063 (डीपीआर में उल्लिखित प्रति घर की आबादी के आधार पर) आंकी गई थी। आबादी की इस गणना पर आधारित, पानी के परिमाण की कुल वार्षिक आवश्यकता 9.72 लाख घन मीटर आंकी गई थी, जिसके सापेक्ष ₹ 48.58 लाख का भुगतान किया जाना था। हालांकि, नमूना-जांचित प्रमंडलों ने बल्क जल मीटरों के वर्तमान और पिछली पठनों का उल्लेख करते हुए, अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए जल के वास्तविक परिमाण की गणना किए बिना, 19.15 लाख घन मीटर पानी के लिए ओएंडएम लागत पर ₹ 86.11 लाख का भुगतान किया था (**परिशिष्ट-6.11**)। परिणामस्वरूप, ओएंडएम लागत के तहत वास्तविक जल आपूर्ति का आकलन किए बिना, ₹ 37.53 लाख का भुगतान किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को किए गए भुगतानों को सत्यापित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और अधिक भुगतानों, यदि कोई हो, को ठेकेदारों के अगले विपत्रों में समायोजित किया जाएगा या प्रतिभूति जमा से वसूल किया जाएगा।

6.9.9 पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं किया जाना

एनएनपी के तकनीकी मैनुअल के पैरा 8.6.6 (i) और 3.9.2 के अनुसार, जल जनित बीमारियों के संचरण के सापेक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पानी के कीटाणुशोधन हेतु क्लोरीनेटर²⁶ संस्थापित किया जाना था और रासायनिक जांच के लिए पानी का परीक्षण वर्ष में कम से कम दो बार किया जाना था। इसके अलावा, अनुबंध की ओएंडएम सेवा के परिशिष्ट-III बी में उल्लिखित खंड के अनुसार, घरों को आपूर्ति की जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, पानी के टंकियों की सफाई संबंधित कार्यान्वयन प्रमंडलों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार की जानी थी।

दस जिलों में 44 एसवीएस, 12 लघु एकल ग्राम योजनाओं (एसएसवीएस) और चार एमवीएस के लिए संबंधित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ सितंबर से दिसंबर 2022 के दौरान किए गए संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह समीक्षा किया गया कि क्रमशः छ: 20 और आठ योजनाओं में क्लोरीनेटर्स या तो संस्थापित नहीं किए गए थे या वे गैर-क्रियाशील थे या उन्हें संस्थापित किया गया था पर जल आपूर्ति से नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा, पानी टंकियों के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण और सफाई, साल में दो बार नहीं की जा रही थी, हालांकि, तकनीकी मैनुअल के अनुसार यह आवश्यक था। इसलिए, 34 नमूना-जांचित योजनाओं में पानी का कीटाणुशोधन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि: (i) पानी की गुणवत्ता की निगरानी परिभाषित प्रोटोकॉल के अनुसार की गई थी और जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाओं साथ ही अनुमंडलीय जल परीक्षण

²⁶ एक उपकरण जिसमें क्लोरीन रसायन भरा होता है, जो पानी के स्रोत के स्थान पर पानी में क्लोरीन मिलाता है।

प्रयोगशालाओं को नमूने एकत्र करने और पानी के परीक्षण करने का जिम्मा दिया गया था (ii) मानसून से पहले और बाद दोनों में टैक सफाई अभियान चलाए गए थे (iii) ओएंडएम एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया था जहां क्लोरीनेटर क्रमशः गैर-क्रियाशील, संस्थापित नहीं और आपूर्ति प्रणाली से जुड़े नहीं, पाए गए थे और (iv) क्लोरीनेटर्स की कार्यप्रणाली और आपूर्ति किए गए पानी के परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किए गए थे।

6.10 स्वच्छता गतिविधियाँ

एनएनपी ने जलापूर्ति, घरलै एवं संस्थागत स्वच्छता और समुदाय-व्यापी पर्यावरण स्वच्छता के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया, जिसे एनआरडीडब्ल्यूपी और निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अभिसरण से कार्यान्वित किया जाना था।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने राज्य में स्वच्छ भारत मिषन—ग्रामीण (एसबीएम—जी)²⁷ के तहत एनएनपी की ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) निधि को कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को अंतरित करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2015)। ये निधियाँ एसएलडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन में, राज्य की कार्यान्वयन एजेंसी के प्रयासों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत थीं। मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया कि एसबीएम (जी) के तहत कार्यान्वयन एजेंसी एसएलडब्ल्यूएम अवयव के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होगा।

बिहार में, केंद्र प्रायोजित एसबीएम (जी) के साथ राज्य प्रायोजित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए) के तहत एसएलडब्ल्यूएम से संबंधित कार्य शुरू में विभाग के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा था। बाद में (जून 2016), इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) को हस्तांतरित कर दिया गया। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (बीआरएलपीएस)—जीविका, आरडीडी के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, एसबीएम(जी) और एलएसबीए कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी।

6.10.1 समुचित योजना का अभाव

मंत्रालय के निर्देशों (नवंबर 2015) के आलोक में, विभाग को निम्नांकित साधनों को अपनाना था:

- एकबार पेयजल आपूर्ति योजना के निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया शुरू होने के बाद, एसपीएमयू को एबीएम (जी) के कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आच्छादित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों/गांवों/टोलों के नामों को सूचित करना था।
- कार्यान्वयन एजेंसी को ओडीएफ हेतु ऐसे टोलों को चिन्हित करना था तथा एसएलडब्ल्यूएम योजनाओं हेतु विस्तृत कार्ययोजना की तैयारी करना था।
- एसपीएमयू को एनएनपी के तहत टोलों में एसएलडब्ल्यूएम के निष्पादन के संबंध में मंत्रालय के निर्देशों (नवंबर 2015) के दो सप्ताह के अंदर कार्यान्वयन एजेंसी को एसएलडब्ल्यूएम के तहत निधि को अंतरित करनी थी।
- एनएनपी के एसएलडब्ल्यूएम अवयव के निष्पादन के लिए, बिहार में परियोजना की शुरुआत होने के पश्चात, बीआरएलपीएस (जीविका) और एसपीएमयू के बीच एक एमओयू किया जाना था।

²⁷ स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) अक्टूबर 2014 में भारत सरकार, के निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कार्यक्रम को पुनर्गठित करके ग्रामीण स्वच्छता के लिए शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी गांवों के लिए खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करना था।

लेखापरीक्षा ने एनएनपी के एसएलडब्ल्यूएम अवयव के तहत योजनाओं के आयोजन में निम्नांकित विसंगतियों का अवलोकन किया :

- (i) **एमओयू के निष्पादन में विलम्ब** : एसपीएमयू तथा बीआरएलपीएस के बीच केवल मई 2018 में एमओयू किया गया था, हालांकि, पीआईपी के अनुसार, ग्राम पंचायतों के परियोजना के तहत एसएलडब्ल्यूएम को वित्तीय वर्ष 2014–15 में शुरू किया जाना था।
- (ii) **स्वच्छता सेल का गैर–गठन** : एमओयू के शर्तों के तहत, राज्य, जिला, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर विस्तृत कार्यान्वयन रूपरेखाओं तथा वार्षिक योजनाओं को विकसित करने हेतु बीआरएलपीएस को एक स्वच्छता सेल का गठन करना था। हालांकि, सेल का गठन नहीं किया गया था, जिससे एसएलडब्ल्यूएम के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ। प्रमुख अभियंता, पीएचईडी, बिहार सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि स्वच्छता सेल का गठन नहीं किया गया है।
- (iii) **ग्राम पंचायतों की सूचियां उपलब्ध कराने में विलंब** :— एमवीएस घोघा घाट (पश्चिम चम्पारण), चेरिया बरियारपुर (बेगुसराय) तथा बैच—I के एसवीएस की जलापूर्ति योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया क्रमशः अक्टूबर 2013, दिसम्बर 2013 तथा मई 2016 में शुरू की गई थी। हालांकि, एसपीएमयू ने एक बार जलापूर्ति योजनाओं की निविदा प्रक्रिया शुरू होने के बाद, कार्यान्वयन एजेंसी को सूची उपलब्ध कराने के मंत्रालय के निर्देश का उल्लंघन करते हुए, योजना की निविदा प्रक्रिया के शुरुआत से छः माह से तीन वर्ष के बाद यानी केवल अक्टूबर 2016 में, बीआरएलपीएस परियोजना के तहत सम्मिलित की जाने वाली 160 ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई थी। इसके परिणामस्वरूप आगे परियोजना के तहत एसएलडब्ल्यूएम से संबंधित कार्यों का खराब कार्यान्वयन हुआ।
- (iv) **बीआरएलपीएस को निधि उपलब्ध कराने में देरी:** परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (पीएडी) के अनुसार, बड़े गांवों की प्राथमिकता के साथ, अनुमानित 65 प्रतिशत आबादी के लिए प्रति व्यक्ति ₹ 825 [एसबीएम (जी) निधि पर एक अतिरिक्त राशि] एसएलडब्ल्यूएम के लिए रखा गया था। तदनुसार, 10 चयनित जिलों की 160 पंचायतों में, एसएलडब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 167 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई थी। इन निधियों का उपयोग वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2019–20 के दौरान किया जाना था। हालांकि, एसपीएमयू ने बीआरएलपीएस को केवल ₹ 11 करोड़ (दिसंबर 2016 में ₹1 करोड़ और सितंबर 2018 में ₹ 10 करोड़) प्रदान किया था। इस प्रकार, एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के तुरंत निष्पादन के लिए, मंत्रालय द्वारा ऐसा करने के निर्देश दिए जाने (नवंबर 2015) के बावजूद, एसपीएमयू ने बीआरएलपीएस को पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराई थी।

परिणामस्वरूप: (i) कार्यान्वयन एजेंसी (बीआरएलपीएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने (ii) कार्यान्वयन एजेंसी को एनएनपी के तहत कवर किए जाने वाले जीपी की सूची प्रदान करने और (iii) कार्यान्वयन एजेंसी को निधि प्रदान करने, में एसपीएमयू की ओर से देरी के कारण, परियोजना जीपी के तहत एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के कार्यान्वयन में नुकसान उठाना पड़ा था।

6.10.2 एसएलडब्ल्यूएम कार्यों का प्रभावहीन कार्यान्वयन

पीआईपी के तहत, एसएलडब्ल्यूएम अवयव को तीन मुख्य क्षेत्रों: (i) एसएलडब्ल्यूएम आधारभूत संरचना का निर्माण करने (ii) एसएलडब्ल्यूएम हेतु सतत सामुदायिक प्रबंधन मॉडल विकसित करने तथा (iii) कचरा प्रबंधन व्यवहार हेतु आईईसी कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छता योजना पर आधारित गांवों में परियोजना मोड में शुरू किया जाना था। इसके अतिरिक्त परियोजना अवधि के दौरान, एसएलडब्ल्यूएम अवयव पर चरणबद्ध तरीके से व्यय किया जाना था।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने निम्नांकित का अवलोकन किया :

• **गैर/अपर्याप्त व्यय :**

(i) जैसा कि पूर्वोक्त कांडिका 6.10.1 (iv) में वर्णित है, एसपीएमयू ने बीआरएलपीएस को निधि प्रदान नहीं किया था, जिसके कारण परिणामस्वरूप बीआरएलपीएस वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान कोई भी व्यय करने में असफल रहा था। हालांकि, बीआरएलपीएस के पास निधि की उपलब्धता के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान भी एसएलडब्ल्यूएम अवयव पर व्यय काफी खराब रहा था जैसा कि तालिका-6.8 में वर्णित है।

तालिका 6.8: वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान एनएनपी के तहत एसएलडब्ल्यूएम पर अवयव—वार व्यय

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई/ सामग्री का क्रय	आईईसी	क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण	परियोजना प्रबंधन तथा प्रशासनिक लागत	अचल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति	कुल व्यय
2017-18	0	0.77	0	2.83	18.13	21.73
2018-19	0	4.29	0.34	26.56	0	31.19
2019-20	0	6.28	10.75	29.93	0	46.96
2020-21	381.22	123.53	0.10	16.82	0	521.67
कुल	381.22	134.87	11.19	76.14	18.13	621.55

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

तालिका 6.8 से यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान, एसएलडब्ल्यूएम कार्यों पर व्यय किए गए ₹ 6.22 करोड़ में से, एसएलडब्ल्यूएम कार्य पर ₹ 5.22 करोड़ की राशि का अधिकांश (84 प्रतिशत) व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया था, जो परियोजना अवधि नहीं था (एनएनपी के तहत एसएलडब्ल्यूएम क्रियाकलाप वित्तीय वर्ष 2014–15 में शुरू किए जाने थे तथा मार्च 2020 तक पूरे किए जाने थे)। इसके अतिरिक्त, ₹ 11 करोड़ की उपलब्ध निधि में से, बीआरएलपीएस मात्र ₹ 6.22 करोड़ ही खर्च करने में सफल रहा था।

- (ii) लेखापरीक्षा समीक्षा से आगे पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान बीआरएलपीएस द्वारा एसएलडब्ल्यूएम पर किये गए ₹ 6.22 करोड़ के व्यय में से, परियोजना अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2019–20 तक, मात्र ₹ 99.88 लाख (16 प्रतिशत) एसएलडब्ल्यूएम के सभी अवयवों पर और मात्र ₹ 18.13 लाख (2.92 प्रतिशत) तथा ₹ 11.34 लाख (1.82 प्रतिशत) क्रमशः अचल संपत्ति/भवन आधारभूत संरचना के अधिप्राप्ति तथा आईईसी गतिविधियों पर खर्च किया गया था, जैसा कि तालिका 6.8 में दर्शाया गया है। इसने, परियोजना अवधि के दौरान, इन एसएलडब्ल्यूएम अवयवों के तहत निधियों के उपयोग से संबंधित पीआईपी के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, एनएनपी के अंतर्गत, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा आईईसी पर अपर्याप्त/दयनीय व्यय और सतत सामुदायिक प्रबन्धन मॉडल विकसित करने पर कोई व्यय नहीं, दर्शाया।
- **विस्तृत स्वच्छता योजना की गैर—तैयारी:** पीआईपी के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी) को घरेलू स्वच्छता कार्यों और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों को आरंभ करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के लिए एक विस्तृत स्वच्छता योजना

तैयार करनी थी। हालांकि, जैसा कि कंडिका 6.7.3 में वर्णित है, एनएनपी के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत को समिलित नहीं किया गया था। तदनुसार, परियोजना ग्राम पंचायत के तहत, घरेलू स्वच्छता कार्यों और एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों को आरंभ करने हेतु जीपीडब्ल्यूएससी द्वारा कोई स्वच्छता योजना तैयार नहीं की गई थी।

- **अपर्याप्त आच्छादन:** मंत्रालय ने समीक्षा की (सितंबर 2016 तथा जून 2018) कि परियोजना के एसएलडब्ल्यूएम अवयव में लगभग शून्य प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक को समर्पित एसपीएमयू के समापन प्रतिवेदन में वर्णित था कि इसने क्रमशः 39 लाख और 27 लाख लोगों को उन्नत स्वच्छता सुविधाएं और उन्नत शौचालय प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि, मार्च 2020 तक, यह मात्र क्रमशः 13.05 लाख (33.47 प्रतिशत) तथा 12.83 लाख (47.52 प्रतिशत) आबादी के लिए लाभ लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा था।
- **अभिलेखों / आंकड़ों का गैर-संधारण:** लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बीआरएलपीएस को दिए जाने वाली 160 ग्राम पंचायत की सूची के सापेक्ष वास्तविक रूप से आच्छादित ग्राम पंचायतों साथ ही बीआरएलपीएस द्वारा एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का मद-वार विवरण के संदर्भ में, एसएलडब्ल्यूएम की निगरानी सक्षम करने के उद्देश्य के लिए एसपीएमयू के पास भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार एनएनपी के तहत एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के कमजोर निष्पादन के कारण, एसएलडब्ल्यूएम हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों की समग्र सफाई सुनिश्चित करने के लिए जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजना का आयोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन करने के लिए एनएनपी के तहत परिकल्पित एकीकृत दृष्टिकोण प्राप्त नहीं किया गया था।

विभाग ने जवाब दिया कि ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग को अंतरित कर दिया गया है (जून 2016)। विभाग ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकनों को बीआरएलपीएस को अग्रसारित कर दिया गया है एवं इसका जवाब प्रतीक्षित है (जून 2023)।

6.11 अनुश्रवण

पीआईपी के अनुसार, एनएनपी के तहत अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, चयनित और परिभाषित मापकों तथा रणनीतिक संकेतकों के बारे में समय पर तथा उत्तरदायी तरीके से विष्लेषित सूचना प्रदान करना था।

6.11.1 अकार्यशील ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली

विभाग ने बड़ी संख्या में जल आपूर्ति योजनाओं के वास्तविक समय में अनुश्रवण हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)²⁸ के प्रयोग करने की परिकल्पना की थी (दिसंबर 2019)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चार²⁹ एजेसियों से किए गए एकरारनामाओं के तहत, आवश्यक 10,347 आईओटी उपकरण के सापेक्ष 9,233 आईओटी उपकरण संस्थापित किये गये थे (जुलाई 2022)। इसके अतिरिक्त, प्रमंडल स्तर पर संस्थापित आईओटी डैशबोर्ड या तो अकार्यशील पड़ा था या आवश्यक सूचना प्रदर्शित नहीं कर पाया था। यह एजेसियों द्वारा विभिन्न जिलों में विभिन्न विनिर्देशों/अनुश्रवण डैशबोर्ड वाले उपकरण के संस्थापन के कारण था। परिणामस्वरूप, वास्तविक समय में अनुश्रवण हेतु एसपीएमयू के मुख्यालय स्तर पर एक समान डैशबोर्ड सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

²⁸ इस संदर्भ में, एक जीपीएस सक्षम प्रणाली जो मोटर के चलने के समय, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिजली की उपलब्धता और पानी की आपूर्ति की मात्रा की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती है।

²⁹ मेसर्स ऐनिक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद; मेसर्स जेरोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद; मेसर्स हबर्डॉयर इंडिया प्रा. लि., कोलकाता; और मेसर्स सूर्यदीप, जयपुर।

66³⁰ आईओटी उपकरणों वाली 60 योजनाओं के संबंधित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (सितंबर 2022 से दिसंबर 2022), यह देखा गया कि आईओटी उपकरण 29 योजनाओं में अकार्यशील थी; 19 योजनाओं में संस्थापित नहीं किए गए थे; तथा मात्र 18 योजनाओं (30 प्रतिशत) में कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशील आईओटी उपकरण भी योजनाओं के अनुश्रवण हेतु उपयोगी प्रतिवेदन/आंकड़े प्रदान नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें कार्यशील योजनाओं को अकार्यशील या ऑफलाइन दिखाये जाने आदि सहित कई विसंगतियां थीं। इस प्रकार, एनएनपी की योजनाओं का वास्तविक समय में अनुश्रवण संस्थापित आईओटी उपकरण के माध्यम से सुनिश्चित नहीं किया गया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि: (i) चयनित एजेसियों ने योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कार्य प्रमंडलों में डैशबोर्ड संस्थापित किया गया था और (ii) राज्य स्तर पर आईओटी उपकरणों का समकालीकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को सुपुर्द किया गया था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एनएनपी योजनाओं का आईओटी उपकरणों द्वारा चल समय में अनुश्रवण नहीं किया जा रहा था।

6.11.2 एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों के अनुश्रवण का अभाव

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि (i) बीआरएलपीएस द्वारा किए गए सतत अनुश्रवण (ii) ओडीएफ आच्छादन की उपलब्धि तथा (iii) परियोजना के एसएलडब्ल्यूएम अवयव के तहत पर किए गए कार्य, से संबंधित एसपीएमयू के अनुश्रवण प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे, जिसने एसपीएमयू द्वारा स्वच्छता गतिविधियों के खराब अनुश्रवण को दर्शाया।

विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2022) कि लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करा दी जाएंगी। यद्यपि, सूचनाएँ अभी भी प्रतीक्षित थीं (जून 2023)।

6.11.3 अकार्यशील एससीएडीए (स्काडा) प्रणालियां

सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (स्काडा) प्रणाली केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से प्रत्येक ईएसआर में आंकड़े के पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निगरानी करने; प्रणाली के 'एलार्म' को जांचने; तथा जलापूर्ति के आंकड़े को जांचने एवं संग्रहण करने की एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली है। विभाग को जलापूर्ति तथा अनुश्रवण हेतु विशिष्ट स्काडा टर्मिनलों के साथ प्रत्येक ईएसआर के बीच एक सम्प्रक्र स्थापित करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की संवेदीक्षा ने दर्शाया कि चार एमवीएस यथा घोघा घाट, रजौली, चेरिया बरियारपुर तथा सिलाव में ₹ 4.74 करोड़ की कुल लागत से स्काडा प्रणालियां स्थापित की गई थीं। संबंधित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ इन योजनाओं के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (सितंबर से दिसंबर 2022) के दौरान यह देखा गया कि स्काडा प्रणालियां अक्रियाशील थीं। स्काडा प्रणालियों के अक्रियाशील होने का मुख्य कारण इंटरनेट सुविधाओं का अभाव (घोघा घाट) तथा केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ जोनल स्काडा प्रणालियों का गैर-एकीकरण था (रजौली तथा चेरिया बरियारपुर)। इस प्रकार, प्रत्येक ईएसआर में, जलापूर्ति का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निगरानी करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था और स्काडा प्रणालियों के अधिग्रहण तथा संस्थापन पर खर्च की गई ₹ 4.74 करोड़ की राशि काफी हद तक निष्फल रही थी।

विभाग ने जवाब दिया (जून 2023) कि: (i) प्रत्येक एमवीएस में स्काडा प्रणालियां क्रियाशील थीं और (ii) अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण प्रमुख और छोटी विफलता की संभावना हो सकती है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान स्काडा प्रणालियां गैर-क्रियाशील पाई गईं।

³⁰ 56 आईओटी डिवाइस 56 एसवीएस/एसएसवीएस पर और 10 आईओटी डिवाइस 4 एमवीएस पर।

अध्याय-VII
लेखापरीक्षा कंडिकाएं

अध्याय—VII

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

भवन निर्माण विभाग

7.1 व्यर्थ व्यय

अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण पर ₹4.89 करोड़ के व्यय का कोई लाभ नहीं मिल सका क्योंकि निर्मित भवन को पिछले दस सालों से परित्यक्त और बेकार छोड़ देने के कारण खराब हो रहा था।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 126 के साथ पठित बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 205 निर्धारित करता है कि कोई कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे, जब तक विभिन्न मदों के विस्तृत विनिर्देश और मात्रा को सम्मिलित करते हुए एक आकलन तैयार नहीं कर लिया गया है। विस्तृत आकलन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से अवश्य स्वीकृत किया जाना चाहिए। आगे कैबिनेट सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) की कंडिका 7.5 के अनुसार, तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बेगूसराय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (जनवरी 2022) कि मझोल, बेगूसराय में 75 बिस्तर वाले अनुमंडलीय अस्पताल (एसडीएच) के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा ₹ 4.91 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था (मार्च 2007)। निर्माण कार्य के लिए एजेंसी¹ के साथ कार्यपालक अभियंता, द्वारा ₹4.44 करोड़ का एक अनुबंध किया गया (मई 2008) और ₹4.89² करोड़ भवन के निर्माण कार्य पर व्यय किय गये थे (सितंबर 2012 तक)। प्रमण्डल के भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन (जून 2021) के अनुसार, निधि की कमी के कारण एजेंसी द्वारा कार्य रोक³ दिया गया था (सितंबर 2012)।

संवीक्षा ने आगे उद्घाटित किया कि न केवल एजेंसी के साथ अनुबंध बल्कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। भवन की मौलिक संरचना कार्य के निष्पादन के बाद ही, मुख्य अभियंता (डिज़ाइन), भवन निर्माण विभाग (बीसीडी), बिहार, पटना द्वारा ₹5.52⁴ करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2013)।

भवन के शेष कार्य के लिए प्राककलन तैयार कर लिया गया था और अनुमोदन के लिए, प्रमण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया था (अक्टूबर 2013, जनवरी 2017 और फरवरी 2021)। हालांकि, न तो इन प्राककलनों को भवन निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त हुआ था (जुलाई 2022), और न ही कार्य पूरा करने के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन/आवंटन/तकनीकी स्वीकृति, प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू की गई थी। कार्यपालक अभियंता ने भवन में संरचनात्मक दोष की संभावना के बारे में सूचित किया (दिसम्बर 2016, सितंबर 2020 और जुलाई 2022) और मुख्य अभियंता, उत्तर, को भवन पर किये जाने वाली किसी अन्य व्यय के पूर्व, वरिष्ठ तकनीकी

¹ मेसर्स अमरेन्स फ्रेसोस एंड सिंह।

² भवन निर्माण (₹ 4.50 करोड़), इलेक्ट्रिकल केशन (₹ 38.58 लाख), अनिदान (₹ 0.75 लाख)।

³ अनुबंध में उल्लेखित पैटिंग, विंडो, पलोरिंग से संबंधित कार्य नहीं कराया गया।

⁴ इसमें भवन निर्माण (₹ 4.60 करोड़), स्वच्छता अधिस्थापन और जल आपूर्ति कार्य (₹ 20.70 लाख), इलेक्ट्रिकल केशन (₹ 38.58 लाख), सीमा/मुख्य द्वारा (₹ 29.26 लाख) शामिल था।

पदाधिकारियों के एक दल द्वारा निरीक्षण के माध्यम से भवन की अवस्था का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया। हालांकि, ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था (जुलाई 2022 तक)।

रखरखाव की अनुपस्थिति में, भवन की कुछ विशिष्टताएँ⁵ 16 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो गई थीं और कुछ फिक्सचर⁶ 30 प्रतिशत तक चोरी हो गए थे, जैसा कि शेष कार्य के लिए तैयार किए गए प्राक्कलन में दर्ज था (जनवरी 2017) और लेखापरीक्षा के साथ विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त भौतिक निरीक्षण (मार्च 2022) में भी अवलोकन किया गया था। इसके अलावा, गैर-रखरखाव के कारण अस्पताल का भवन क्षतिग्रस्त हो रहा था, जैसा कि चित्र 1 एवं 2 में दर्शाया गया है।



चित्र 1 : एसडीएच, मंझौल, बेगूसराय का अधूरा भवन



चित्र 2 : क्षतिग्रस्त दीवारे एवं खिडकियाँ (रखरखाव के अभाव के कारण)

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, सचिव, बीसीडी ने कहा (मई 2023) कि अस्पताल का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था (सितंबर 2022), जिसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग से संशोधित प्राक्कलनों पर ₹ 10.53 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन मांगा गया था। प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एक नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।

जवाब ने इस प्रकार के कार्यों के निष्पादन की तरफ विभाग के उदासीन दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित किया क्योंकि कई प्राक्कलन⁷ बनाने के बाद भी, संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका और कार्य दुबारा शुरू नहीं किया जा सका (मई 2023)। इसलिए, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय तक भवन को परित्यक्त और बेकार छोड़ दिया गया था जिसके कारण भवन खराब हो रहा था और इस निष्क्रिय परियोजना पर किया गया ₹ 4.89 करोड़ का व्यय व्यर्थ साबित हो रहा है। इसके अलावा, अस्पताल के भवन के निर्माण का उद्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

⁵ मूलाधार/प्लिंथ में ईंट का काम (10 प्रतिशत), टेराजो (मोजैक) टाइल्स (10 प्रतिशत), विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स (10 प्रतिशत), सफेद ग्लेज़ड टाइल्स (16 प्रतिशत), और प्लास्टर (10 प्रतिशत)।

⁶ पूरी तरह से ग्लेज़ड स्टील के दरवाजे/खिडकियाँ (30 प्रतिशत), माइल्ड स्टील ग्रिल्स (30 प्रतिशत)।

⁷ अक्टूबर 2013, जनवरी 2017, फरवरी 2021 और सितंबर 2022।

उद्योग विभाग

7.2 नीरा परियोजना का कार्यान्वयन

यह परियोजना उचित योजना और परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किए बिना शुरू की गई थी क्योंकि नियमित आधार पर नीरा की आवश्यक मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी। परियोजना के अप्रभावी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सभी चारों प्लांट के लिए संयंत्र भवनों का निर्माण/नवीनीकरण हुआ, लेकिन उत्पादन की नाममात्र की श्रृंखला के साथ केवल दो प्लांट के लिए संयंत्र स्थापित किए गए थे और अंततः लगभग पिछले तीन वर्षों से अकार्यरत थे। ताड़ उत्पादों की उच्च उत्पादन लागत के कारण काफी नुकसान के मामले थे जिसके परिणामस्वरूप अलाभकारी एवं अविवेकपूर्ण व्यय हुए। विभाग अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और संबंधित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्दिश्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

7.2.1 परिचय

ताड़ नीरा⁸ एवं उसे विभिन्न प्रकार के मूल्य वर्धित उत्पादों नामतः गुड़, पेय पदार्थ इत्यादि के प्रसंस्करण करने एवं उसे आकर्षक उपभोक्ता पैक में उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत परियोजना उद्योग विभाग (विभाग), बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत की गयी (2016–2017)। यह भी कल्पना की गई थी कि इससे ताड़ के किसानों को अच्छी आय मिलेगी और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

विकास आयुक्त, बिहार, की अध्यक्षता में, परियोजना को चार जिलों (गaya, वैशाली, बिहारशरीफ और भागलपुर) में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया (सितंबर 2016)। बिहार राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ (कॉम्फेड) द्वारा आवश्यक संयंत्र/मशीनरी की स्थापना की जानी थी। भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) द्वारा असैनिक कार्य निष्पादित किये जाने थे और इन उत्पादों के मानकीकरण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बिक्री की समयसीमा जनवरी 2017 के रूप में की गई थी।

लेखापरीक्षा ने उद्योग विभाग, इसके दो क्षेत्रीय कार्यालयों (महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) वैशाली और बिहारशरीफ); कार्यपालक अभियंताओं के कार्यालय, बीसीडी (गaya, हाजीपुर और बिहारशरीफ और नीरा सयंत्रों के प्रभारियों के कार्यालय (हाजीपुर और बिहारशरीफ के अभिलेखों का विश्लेषण किया था (अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022)।

₹ 50.00 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन (मार्च 2017) के विरुद्ध, विभाग ने ₹ 56.00 करोड़ आवंटित किया। विभाग ने परियोजना पर ₹ 56.75 करोड़ के व्यय होने की बात कही है (जुलाई 2023), जबकि इस अभिकथन का समर्थन करने वाले अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।

⁸ ताड़ के पेड़ के फलों से प्राप्त तरल।

7.2.2 योजना की कमी

- विभाग के संकल्प (अप्रैल 2016) के अनुसार, उन लोगों/समूहों की आर्थिक स्थिति/आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना था, जो अपनी आजीविका के लिए ताड़ के पेड़ आधारित उत्पादों पर निर्भर थे। इसके अलावा, ताड़ नीरा का प्रसंस्करण करने के लिए उपरोक्त एकीकृत परियोजना के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना की रूपरेखा बनाने के लिए विकास आयुक्त, बिहार, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था।
अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि न तो ऐसा कोई सर्वेक्षण किया गया था, न ही कोई विस्तृत कार्य योजना सूत्रबद्ध की गई थी। इसके अलावा, 2016–22 के दौरान, ॲफ–सीजन के दौरान संयंत्रों के उपयोग के लिए कोई पहल नहीं की गई थी।
- परियोजना के लिए डीपीआर मेसर्स राज इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन (आरआईटीसीओ)⁹ ने तैयार की थी (अक्टूबर 2016) जिसने निष्कर्ष निकाला कि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी क्योंकि डीपीआर में परिकल्पित चार¹⁰ संयंत्रों के माध्यम से पूरे राज्य को आच्छादित करने के लिए अधिशेष नीरा/गुड़ की उपलब्धता, संग्रह मार्गों की संख्या और क्लस्टर केन्द्र बनाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, इसने यह भी निष्कर्ष निकाला कि, नीरा अवधि के तीन महीनों के विरुद्ध, डीपीआर में नौ महीने की अवधि को ध्यान में रखा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री, लाभ आदि के आंकड़ों का बढ़ा हुआ अनुमान सामने आया है। आगे, परियोजना के संचालन में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में कॉम्फेड ने भी पुष्टि किया (जनवरी 2019) कि परियोजना व्यवहार्य नहीं थी। हालाँकि, विभाग ने लेखापरीक्षा की तिथि यानी नवंबर 2022 तक डीपीआर और कॉम्फेड के प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर कोई निर्णय (उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार) नहीं लिया था।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, उपरोक्त अवलोकन पर विभाग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

7.2.3 निष्क्रिय व्यय

चार स्थानों (गया, भागलपुर, बिहारशरीफ और हाजीपुर)¹¹ में नीरा प्लांट के लिए भवनों का निर्माण/नवीनीकरण का कार्य ₹ 5.93¹² करोड़ के व्यय के साथ बीसीडी द्वारा पूरा किया गया था (जनवरी 2017 से नवंबर 2018)। कॉम्फेड ने उसमें ₹ 5.75 करोड़ (बिहारशरीफ: ₹ 2.73 करोड़ और हाजीपुर: ₹ 3.02 करोड़) के एक व्यय के साथ संयंत्र और मशीनरी लगाया (दिसंबर 2018)।

- लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बिहारशरीफ और हाजीपुर (वैशाली) में उत्पादन वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुरू हुआ था। हालाँकि, इन प्लांटों से उत्पादित नीरा और गुड़ मानव

⁹ इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा एक निजी फर्म को काम पर रखा गया था।

¹⁰ बिहारशरीफ, गया, हाजीपुर और भागलपुर में।

¹¹ दो स्थानों (भागलपुर और गया) में, नीरा संयंत्रों के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया, जबकि शेष दो स्थानों पर, उपलब्ध कराए गए भवनों (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कंपनी लिमिटेड का गोदाम और हाजीपुर: रसवंती संयंत्र का भवन) का नवीनीकरण नीरा संयंत्र के रूप में उपयोग हेतु किया गया।

¹² भागलपुर: ₹ 1.86 करोड़; हाजीपुर: ₹ 1.37 करोड़; गया: ₹ 2.01 करोड़ और बिहारशरीफ: ₹ 0.69 करोड़।

उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये। यह हाजीपुर संयंत्र में निर्धारित अधिकतम तापमान (4° सेल्सियस) और पीएच मान (6.5 से 8.5 तक) से परे नीरा के संग्रहण एवं भंडारण के कारण था। इसके अलावा, बिहारशरीफ प्लांट में प्रसंस्करण करने के लिए एकत्र किये जा रहे नीरा की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी।

- इसके अलावा, जून 2017 के बाद हाजीपुर प्लांट में नीरा प्राप्त नहीं हुई थी (नवंबर 2022 तक), जबकि बिहारशरीफ प्लांट को वित्तीय वर्ष 2018.19 के दौरान भी नीरा प्राप्त हुई थी और उससे गुड़ तैयार किया गया था। हालाँकि, बहुत अधिक उत्पादन लागत के कारण, इसे बेचा नहीं जा सका और यह समय के साथ एक्सपायर हो गया। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2019.22 के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ था।
- कॉम्फेड ने लगभग ₹1.50 करोड़ के एकमुश्त पूंजीगत व्यय के अलावा, ₹ 5.18 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ बिहारशरीफ और हाजीपुर प्लांट के लिए मौजूदा पाश्चराइजेशन तकनीक को स्टरलाइजेशन तकनीक से बदलने का निर्णय लिया (जनवरी 2022)। उसने इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा और विभाग से स्वीकृति और अनुमोदन मांगा, जो प्रतीक्षित था (नवंबर 2022 तक)।

डीआईसी, वैशाली के अधिकारियों और प्रभारी, नीरा प्लांट, हाजीपुर के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान (7/11/2022), प्लांट का भवन बंद और अकार्यशील पाया गया।

- चूंकि हाजीपुर और बिहारशरीफ प्लांट में नीरा पेय/गुड़ की उत्पादन लागत बहुत अधिक थी (**कंडिका 7.2.6**), गया और भागलपुर प्लांट में मशीनरी के संस्थापन का निर्णय रोक दिया गया। विभाग ने गया में नीरा प्लांट का भवन बिहार राज्य खादी और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, गया को सौंपने और कॉम्फेड से भागलपुर नीरा प्लांट का भवन वापस लेने (दिसंबर 2019) का निर्णय लिया (अप्रैल 2019)। इस प्रकार नीरा, प्लांट लगाने के लिए बनाये गये भवन लगभग तीन वर्षों से बेकार पड़े थे।

इस प्रकार, हाजीपुर में नीरा प्लांट के भवन का उपयोग जून 2017 से नहीं किया गया था और बिहारशरीफ में प्लांट ने वित्तीय वर्ष 2019.22 के दौरान कोई विपणन योग्य उत्पाद का उत्पादन नहीं किया था। इसके अलावा, गया और भागलपुर में भवनों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, इन भवनों के साथ-साथ उनमें संस्थापित संयंत्र और मशीनरी पर किया गया ₹ 11.68 करोड़ का व्यय काफी हद तक निष्क्रिय रहा था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, उपरोक्त अवलोकन पर विभाग द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी।

7.2.4 रेफिजरेटेड वैन के क्रय पर निष्फल/परिहार्य व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 9 में निर्धारित किया गया है कि सरकारी खरीद, सरकार के किसी भी अन्य व्यय की तरह, वित्तीय औचित्य के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी से सार्वजनिक निधि से किए गए व्यय के संबंध में वैसी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है, जैसे विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, कॉम्फेड ने गया और भागलपुर में संयंत्र और मशीनरी संस्थापित नहीं होने (नवंबर 2022 तक) के बावजूद, नीरा की खरीद के लिए ₹ 2.20¹³ करोड़ में 20 रेफ्रिजरेटेड वैन (प्रत्येक संयंत्र के लिए पाँच) का क्रय किया (फरवरी 2017)। इसलिए, गया और भागलपुर के लिए ₹ 1.10 करोड़ की राशि की 10 रेफ्रिजरेटेड वैन की खरीद परिहार्य थी और वैन का उपयोग केवल विभिन्न स्थानों पर अन्य कॉम्फेड इकाइयों में अन्य ऑफ-सीजन संबंधित कार्यों (डेयरी उद्देश्यों) के लिए किया जा रहा था।

इस प्रकार, बिना किसी तत्काल आवश्यकता के वैन खरीदी गई थीं। इस सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने पर, विभाग ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी (जून 2023 तक)।

7.2.5 किराये पर अविवेकपूर्ण व्यय

विकास आयुक्त, बिहार, ने जिला मजिस्ट्रेट, बिहारशरीफ को भूमि के एक नए टुकड़े की तलाश करने के लिए कहा (फरवरी 2017), जिसमें नीरा संयंत्र को इसके अपने भवन के बाद स्थानांतरित किया जा सके। हालाँकि, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई थी।

इसी बीच में, अभिलेख पर बिना किसी विशेष कारण का उल्लेख किए, प्लांट बिहार राज्य भंडार निगम लिमिटेड (बीएसडब्ल्यूसीएल) के गोदाम में संस्थापित कर दिया गया था (जनवरी 2017)। विभाग के अनुमोदन से, कॉम्फेड ने बिहारशरीफ नीरा प्लांट के भवन के लिए किराये के मद में ₹ 2.55 करोड़ की एक राशि का भुगतान किया था (जनवरी 2017 से फरवरी 2022)।

इस प्रकार, हालाँकि 2017.19 के दौरान, वहाँ नगण्य उत्पादन गतिविधियाँ थीं और 2019.22 के दौरान कोई उत्पादन नहीं था, कॉम्फेड ने बीएसडब्ल्यूसीएल को किराए के रूप में ₹ 2.55 करोड़ का भुगतान किया। यह दायित्व के सतत सृजन के साथ अविवेकपूर्ण व्यय का सूचक था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने कहा (जनवरी 2023) कि उपयुक्त भूमि की गैर-उपलब्धता के कारण बीएसडब्ल्यूसीएल को किराये का भुगतान किया जा रहा था।

7.2.6 अवमानक/एक्सपायरी गुड़ से हानि

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, उत्पादित गुड़ (बिहारशरीफः 3,331.50 किलोग्राम और हाजीपुरः 582.99 किलोग्राम) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था और इसे अंततः नष्ट कर दिया गया था। बिहारशरीफ और हाजीपुर प्लांट में गुड़ की उत्पादन लागत क्रमशः ₹ 1,278.84 प्रति किलोग्राम और ₹ 8,262.46 प्रति किलोग्राम थी फलस्वरूप, विभाग को इस उत्पादन के लिए ₹ 90.77 लाख का नुकसान सहना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में उच्च उत्पादन लागत और गुड़ की बाजार दर (₹ 150 से ₹ 200 प्रति कि.ग्रा.) में भारी अंतर के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहारशरीफ प्लांट में फिर से उत्पादन शुरू किया गया और अप्रैल–मई 2018 में 555.50 किलोग्राम गुड़ का उत्पादन किया गया। इसमें से, ₹ 20,211.90 प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत के विरुद्ध, केवल 11.20 किलोग्राम, ₹ 590.00 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.20 लाख का नुकसान हुआ।

¹³ ₹ 2.20 करोड़: ₹ 2.15 करोड़ (रेफ्रिजरेटेड वैन की लागत) + ₹ 0.05 करोड़ (बीमा लागत)।

शेष 544.30 किलोग्राम बिना बिके रह गया और बेकार हो गया परिणामस्वरूप ₹ 1.10¹⁴ करोड़ का नुकसान हुआ।

इस प्रकार, उचित गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू नहीं करने और उत्पादन लागत एवं बाजार दर के बीच भारी अंतर पर विचार नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का नुकसान हुआ।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी (जून 2023 तक)।

7.2.7 बिना कार्य के भुगतान

विभाग ने कॉम्फेड को गया में बीसीडी के माध्यम से एक एजेंसी¹⁵ द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजना के भवन निर्माण कार्यों की निगरानी का जिम्मा सौंपा (दिसंबर 2018)। नीरा परियोजना, गया के प्रभारी ने कॉम्फेड को प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2018), कि ₹ 27.38 लाख की लागत वाली आंतरिक पहुँच पथ का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि, कॉम्फेड ने पहुँच पथ की लागत सहित भवन निर्माण के लिए निधि (₹ 2,401 करोड़), बीसीडी को अंतरित कर दी, जिसने एजेंसी को इसका भुगतान किया (मार्च 2019), यद्यपि आंतरिक पहुँच पथ का निर्माण नहीं किया गया था (दिसंबर 2022 तक)।

इस प्रकार, एजेंसी को अनुचित लाभ दिया गया, क्योंकि जिस कार्य के लिए ₹ 27.38 लाख का भुगतान किया गया उसे निष्पादित ही नहीं किया गया था।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया था (जून 2023 तक)।

7.2.8 अनुश्रवण तंत्र का अभाव

परियोजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, माननीय मंत्री, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक पाम बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया था (नवंबर 2016)। तथापि, 'बिहार पाम डेवलपमेंट बोर्ड' की संरचना, इसके कर्तव्यों और कार्य के साथ, अभी तक अनुमोदित की जानी थी (नवंबर 2022 तक)। जमीनी कार्य का अनुश्रवण करने; परियोजना का कार्यान्वयन; और विभिन्न हितधारकों, जैसे कॉम्फेड, भवन निर्माण विभाग, उपभोक्ताओं आदि के साथ समन्वय के लिए किसी अन्य तंत्र के अस्तित्व का साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया।

इस पर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने कहा कि इस संदर्भ में, निर्णय उच्च स्तर पर प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2023)।

¹⁴ 544.30 किग्रा x ₹ 20,211.90 (उत्पादन लागत प्रति किग्रा)।

¹⁵ श्री बालाजी इंटरप्राइजेज, भोजपुर, बिहार।

पथ निर्माण विभाग

7.3 व्यर्थ व्यय

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग (पटना) द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन कर एक टोल प्लाजा के निर्माण के कारण ₹ 1.48 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार, ने व्यापक जनहित में ₹ 100.00 करोड़ से कम की परियोजना निर्माण लागत (निर्माण पूर्व गतिविधि, उपयोगिता स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण इत्यादि की लागत को छोड़कर) के साथ सभी सड़क परियोजनाओं, स्वायत्त संरचनाओं और सड़क विस्तारों पर उपभोक्ता शुल्क संग्रह की छूट को अनुमोदित किया (सितंबर 2016)।

कार्यालय कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच) प्रमंडल, गुलजारबाग (पटना), के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2022) ने उद्घाटित किया कि एमओआरटीएच ने बिहार राज्य में, उच्च पथ 19 पर किलोमीटर 132 पर मौजूदा सतही चौराहा के बदले, सड़क उपरी पुल¹⁶ (आरओबी) के निर्माण के लिए, ₹ 77.38 करोड़¹⁷ (₹ 7.42 करोड़ के टोल प्लाजा के निर्माण सहित) का प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी (दिसम्बर 2015)। उपरोक्त कार्य के लिए एक एजेंसी¹⁸ के साथ ₹ 44.13 करोड़ का एकरारनामा किया गया (मई 2017)। कार्य समापन के लिए निर्धारित अवधि 24 माह थी। एजेंसी को टोल प्लाजा के निर्माण के लिए ₹ 1.48 करोड़ सहित उसके द्वारा निष्पादित किये गये कार्य के लिए ₹ 7.75 करोड़ का भुगतान किया गया (अप्रैल 2023 तक)।

इस प्रकार, उपभोक्ता शुल्क के संग्रह से उपर्युक्त छूट (सितंबर 2016) के विपरीत, ऐसे मामलों में, जहां परियोजना की लागत ₹100 करोड़ से कम थी, प्रमंडल ने एक टोल प्लाजा के निर्माण के लिए एकरारनामा किया। उपरोक्त छूट (सितंबर 2016) के संदर्भ में, टोल प्लाजा का निर्माण परिहार्य था और परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया (जुलाई 2022) कि विभाग से प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, टोल प्लाजा पर कार्य रोक दिया गया है और एजेंसी द्वारा किये गये कार्य के अनुसार भुगतान किया गया है। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि सितंबर 2016 के निर्देशों के निर्गमन से लगभग नौ महीने बाद एकरारनामा किया गया था, जिसमें ऐसी परियोजनाओं पर उपभोक्ता शुल्क के संग्रह से छूट दी गई थी।

¹⁶ सड़क उपरी पुल (आरओबी) रेलवे लाइनों पर बने पुल हैं, जहां सड़क संरेखण रेलवे संरेखण को पार करते हैं।

¹⁷ ₹ 77.38 करोड़: ₹ 44.13 करोड़ (कार्य लागत); ₹ 1.24 करोड़ (आकस्मिकता); ₹ 9.63 करोड़ (रखरखाव, मूल्य वृद्धि आदि) और ₹ 22.38 करोड़ (भूमि अधिग्रहण लागत आदि)।

¹⁸ गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड।

ग्रामीण कार्य विभाग

7.4 निष्क्रिय व्यय

पात्र बसावटों और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, एक उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के कारण ₹ 3.33 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र¹⁹ असम्बद्ध बसावटों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों के माध्यम से सम्बद्धता प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि राज्य सरकार/जिला पंचायत यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि प्रस्तावित सड़क कार्य प्रारंभ करने हेतु भूमि उपलब्ध है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल (आरडब्ल्यूडी), बाढ़ (पटना) के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्टूबर 2021) ने दर्शाया कि प्रमण्डल ने घोसवरी प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव से कुम्हरा गांव तक सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ₹ 8.03²⁰ करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई के तहत सड़क और उच्च स्तरीय पुल²¹ (एचएलबी) के निर्माण के लिए एक योजना शुरू की थी। सड़क के निर्माण के लिए ₹ 4.04 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी (मार्च 2009), जबकि एचएलबी के लिए क्रमशः ₹ 2.97 करोड़ (अक्टूबर 2013) और ₹ 3.34 करोड़ (दिसंबर 2013) का प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य के संरेखण के अनुसार, सड़क का निर्माण कुल 7.088 किलोमीटर (दो भागों में, यानी लक्ष्मीपुर गांव से उच्च स्तरीय पुल तक: 3.00 किलोमीटर और एचएलबी से कुम्हरा गांव तक: 4.088 किलोमीटर) में किया जाना था। सड़क के दोनों पथांशों को 52 मीटर लम्बाई के एक एचएलबी से जोड़ा जाना था। दिसम्बर 2010 को समापन की निर्धारित तिथि के साथ ₹ 4.61 करोड़ की लागत पर उक्त सड़क के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया गया (दिसम्बर 2009)। एचएलबी के निर्माण के लिए, ₹ 3.42 करोड़ की लागत पर, एक और अनुबंध किया गया था (मार्च 2014)।

एचएलबी का निर्माण ₹ 3.32 करोड़ का व्यय होने के बाद जून 2018 में पूर्ण हुआ। हालाँकि, एजेंसी की ओर से शिथिलता के कारण, सड़क का काम पूरा नहीं हो सका और ₹ 0.73²² करोड़ का व्यय होने के बाद, मार्च 2016 में एकरारनामा रद्द कर दिया गया।

शेष सड़क का कार्य²³ पूरा करने के लिए, ₹ 4.45 करोड़ का एक अनुबंध किया गया (अक्टूबर 2018)। हालाँकि, चूंकि अनुबंध करने से पूर्व, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी, ₹ 1.12 करोड़ का व्यय होने के बाद, सड़क का निर्माण पुल के केवल एक तरफ (लक्ष्मीपुर की तरफ) यानि 3.00 किलोमीटर की लंबाई में, किया गया था (अक्टूबर 2019)। भूमि की

¹⁹ मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली बसावटें।

²⁰ सड़क कार्य की एकरारनामा राशि ₹ 4.61 करोड़ थी, जबकि उच्च स्तरीय पुल की एकरारनामा राशि ₹ 3.42 करोड़ थी।

²¹ उच्च स्तरीय पुल एक ऐसा पुल है जो उचित ऊर्ध्वाधर निकासी के साथ सड़क को एक चैनल (एफलक्स सहित) के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से ऊपर ले जाता है।

²² ₹ 4.61 करोड़ की एकरारित राशि के विरुद्ध, केवल आंशिक मिट्टी कार्य (तटबंध, सब ग्रेड और अर्थन शोल्डर) और सड़क भूमि आदि की सफाई और खुदाई जिसका मूल्य ₹ 73.59 लाख था, निष्पादित किया गया था।

²³ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति क्रमशः ₹ 5.90 करोड़ (मई 2018) और ₹ 5.20 करोड़ (जून 2018) के लिए प्रदान की गयी।

गैर-उपलब्धता के कारण, पुल के दूसरी तरफ (कुम्हरा की तरफ) पर कार्य (4.088 किलोमीटर) प्रारंभ नहीं किया गया था (अक्टूबर 2022 तक)। इससे राज्य सरकार की ओर से शिथिलता प्रदर्शित हुई, क्योंकि एजेंसी के साथ अनुबंध करने के चार साल बाद भी, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

संवीक्षा में आगे उद्घाटित हुआ कि कार्यपालक अभियंता, आरडब्ल्यूडी, बाढ़ ने प्रतिवेदित किया था (अप्रैल 2020) कि: (i) इस योजना के तहत, 3.00 किलोमीटर की लंबाई में निर्मित पथांश के माध्यम से लक्ष्मीपुर गांव को सम्पर्कता²⁴ मिल गई थी, जबकि कुम्हरा गांव को दूसरी सड़क²⁵ से सम्पर्कता मिल गई थी और (ii) इसलिए, शेष लंबाई में, सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को छोड़े जाने की आवश्यकता थी। कार्यपालक अभियंता ने यह कहते हुए कि सड़क की शेष लंबाई में कोई योग्य बसावट उपलब्ध नहीं थी, अनुबंध के पुरोबंध की भी सिफारिश की थी।



चित्र 3 : उच्च स्तरीय पुल की तरफ (कुम्हरा की तरफ) बिना जुड़े रह गयी (30.09.2021 तक जबकि दूसरी तरफ (लक्ष्मीपुर की तरफ) की 3 किमी. लंबी सड़क बन चुकी थी)



चित्र 4 : पुल का दूसरा हिस्सा (लक्ष्मीपुर की तरफ) सड़क से जुड़ा था (30.09.2021 तक)

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, पटना ने बताया (अक्टूबर 2022) कि आवश्यक भूमि के लिए कार्रवाई की जा रही थी। जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि आवश्यक भूमि के अभाव में, योजना के तहत, सड़क के शेष भाग का निर्माण नहीं किया जा सका और यह त्रुटिपूर्ण योजना का एक उदाहरण था। इसलिए, सड़क के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाए गए उच्च स्तरीय पुल पर किया गया ₹ 3.33²⁶ करोड़ का व्यय निष्क्रिय रहा।

7.5 परिहार्य भुगतान

बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने उच्च ब्याज दरों पर ऋण लिया, जिसके कारण ₹7.08 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना (जीटीएसएनवाई) में बिहार के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगे 100–249 के बीच की आबादी वाली छूटी हुई बस्तियों²⁷ को हर मौसम में संपर्कता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), बिहार

²⁴ इस योजना के माध्यम से लक्ष्मीपुर गांव को पहले से निर्मित पैजाना–समयगढ़ सड़क से जोड़ दिया गया है।

²⁵ कुम्हरा गांव को पैकेज आरआर– 23117 के तहत एनएच 82 से कुम्हरा तक निर्मित सड़क से सम्पर्कता प्रदान की गई है।

²⁶ ₹ 3.33 करोड़: ₹ 3.32 करोड़ (निर्माण लागत) और ₹ 0.01 करोड़ (रखरखाव के लिए)।

²⁷ बसावट जो एकल बारहमासी सड़क से नहीं जुड़ी हैं।

सरकार के संकल्प (सितंबर 2016) मे प्रावधानित है कि जीटीएसएनवाई को राज्य के स्वयं की निधि या अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि से कार्यान्वित किया जाएगा।

ग्रामीण कार्य विभाग के प्रमुख अभियंता के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (बीआरआरडीए) के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2021) ने प्रकट किया कि 4,643 योजनाओं के माध्यम से टोलों²⁸/बस्तियों को संपर्कता प्रदान करने के लिए ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, एक विस्तृत प्रस्ताव प्रतिवेदन (डीपीआर) नाबार्ड को प्रेषित की गयी थी (अप्रैल 2017)। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, ₹ 3,826.53 करोड़ की कुल निधि की आवश्यकता थी। नाबार्ड बुनियादी ढांचा विकास सहायता (एनआईडीए) ने 15 साल की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर²⁹ पर ₹ 2,820.41 करोड़ (कुल आवश्यक निधि का 73.70 प्रतिशत) का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया (सितंबर 2017)। बीआरआरडीए और नाबार्ड ने इस उद्देश्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये (मार्च 2018)। ₹ 1,006.12 करोड़ की शेष राशि (26.30 प्रतिशत) सहायता अनुदान के रूप में बीआरआरडीए को विमुक्त की जाने वाली, राज्य सरकार की उपांत राशि थी।

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प की कंडिका 7 (मार्च 2018) के अनुसार, वित्त विभाग, बिहार सरकार को एनआईडीए और बाजार से ऋण के ब्याज दरों की तुलना करने के बाद, नाबार्ड से राशि की निकासी के लिए अपनी सहमति प्रदान करनी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि एनआईडीए ऋण की ब्याज दर, ऋण की पहली किस्त (₹ 500.00 करोड़) के आहरण (मार्च 2018) के दौरान, वैसे ही ऋण की दूसरी किस्त (₹ 100.00 करोड़) के आहरण (फरवरी 2019) के दौरान, 10 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। ऋण की तीसरी किस्त (₹ 500.00 करोड़) की निकासी (अक्टूबर 2019) के दौरान, ब्याज दर 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। यद्यपि, पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों की मंजूरी और विमुक्ति के समय, राज्य द्वारा बाजार उधार पर प्रचलित ब्याज दरें क्रमशः 8.15 प्रतिशत, 8.27 प्रतिशत और 7.17 प्रतिशत प्रति वर्ष थीं।

अनुबंध के खंड 5 के अनुसार, नाबार्ड द्वारा जारी की गई ऋण राशि पर देय ब्याज दर को समय—समय पर उसके द्वारा निर्धारित किया जाना था। पहली और दूसरी किस्त आहरण करने के समय, वित्त विभाग ने कहा कि एनआईडीए ऋण की ब्याज दरें प्रचलित बाजार दरों से काफी अधिक थीं। तीसरी किस्त के आहरण के समय, वित्त विभाग ने बीआरआरडीए को सलाह दी कि एनआईडीए ऋण तभी ले, जब नाबार्ड राज्य विकास ऋण³⁰ (एसडीएल) के लिए लागू दर के समान ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव दे। सचिव, बीआरआरडीए ने नाबार्ड से नाबार्ड ऋण पर ब्याज दरों में नीचे की ओर संशोधन पर विचार करने का अनुरोध किया (जुलाई 2019)। वार्ता के बाद, नाबार्ड ने ब्याज दर घटाकर 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी (अक्टूबर 2019)। नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ब्याज दर को अभी भी ऊंचा मानते हुए वित्त विभाग ने संकेत दिया कि वह एनआईडीए ऋण को एसडीएल+1.5 प्रतिशत अर्थात् 8.57 प्रतिशत वार्षिक की दर पर लेने का विचार करेगा। नाबार्ड प्रस्ताव पर इन शर्तों

²⁸ इस योजना के प्रयोजन के लिए एक टोला गाँव के किसी मोहल्ले/बस्ती/बसावट मे से एक है, जिसकी जनसंख्या 100 से अधिक है।

²⁹ प्रति वर्ष अर्धवार्षिक देय।

³⁰ एसडीएल आरबीआई के मार्गदर्शन में खुले बाजार से धन जुटाने के लिए राज्यों के लिए एक बाजार उन्मुख साधन है।

के साथ सहमत हुआ कि: (i) बीआरआरडीए का वर्तमान ऋण खाता बंद किया जाये और (ii) राज्य सरकार नाबार्ड के साथ एक नया समझौता करे। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि, बाजार उधार की दरों और एनआईडीए ऋण की ब्याज दरों के बीच पर्याप्त अंतर होने के बावजूद, बीआरआरडीए/आरडब्ल्यूडी ने पहली दो किस्तों के आहरण के समय, ब्याज की दर को कम करने के लिए नाबार्ड के साथ वार्ता नहीं की थी। नाबार्ड से ऋण की अगली किस्त के आहरण के प्रस्ताव के समय, वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा था (मई 2020) कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ)³¹ (2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष) से ऋण की तुलना में एनआईडीए ऋण की ब्याज दर बहुत अधिक (8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष) थी। इसलिए, उन्होंने सलाह दी कि जीटीएसएनवाई के तहत बाकी कार्य आरआईडीएफ से ऋण लेकर या राज्य सरकार की निधि से किया जा सकता है। तदनुसार, बीआरआरडीए ने आरआईडीएफ ऋण से तुलना में, प्रति वर्ष 8.75 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर का हवाला देते हुए, नाबार्ड से ऋण खाता बंद करने का अनुरोध किया (जुलाई 2020)।

नाबार्ड द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले (सितंबर 2019) के अनुसार, अगर बीआरआरडीए ने ब्याज दर कम करने के लिए नाबार्ड के साथ पहले वार्ता की होती तो ब्याज भुगतान के कारण ₹ 7.08 करोड़ (**परिशिष्ट-7.1**) के नुकसान से बचा जा सकता था।

विभाग ने जवाब दिया कि: (i) ₹ 2,820.41 करोड़ के कुल स्वीकृत ऋण के विरुद्ध, विभाग ने ₹ 1,100.00 करोड़ के बाद आगे ऋण नहीं लिया है, क्योंकि ब्याज दर 8.75 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं की गई है और (ii) आरडब्ल्यूडी लिए गए ऋण की राशि लौटाने के लिए वित्त विभाग को एक प्रस्ताव सौंपेगी।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नाबार्ड के साथ सहमत फॉर्मूले पर वार्ता से, ₹ 7.08 करोड़ बचाये जा सकते थे, जिसका भुगतान पहले ही ब्याज के रूप में किया जा चुका था।

³¹ आरआईडीएफ की स्थापना सरकार द्वारा 1995–96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई थी।

जल संसाधन विभाग

7.6 परिहार्य व्यय

बाढ़ नियंत्रण कार्य में पुराने खाली सीमेंट के बोरों के स्थान पर नए खाली सीमेंट के बोरों के इस्तेमाल करने के जल संसाधन विभाग के निर्णय के कारण ₹ 21.98 करोड़ का परिहार्य व्यय और ₹ 14.13 करोड़ की देयता का सृजन हुआ।

बीएफआर का नियम 126 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक प्राधिकारी जिसे सार्वजनिक हित में वस्तुओं की खरीद के लिए वित्तीय शक्तियाँ सौपी गई हैं, सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में निपुणता, मितव्ययिता और पारदर्शिता लाने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। खरीद करने वाले संगठन की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता, प्रकार आदि के संदर्भ में विनिर्देश और खरीदे जाने वाले वस्तु की मात्रा भी स्पष्ट रूप से बतायी जानी चाहिए।

जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), बिहार सरकार, प्रतिवर्ष बाढ़ नियंत्रण कार्य निष्पादित करता है। इस उद्देश्य के लिए खाली सीमेंट के बोरों, नायलोन क्रेट्स, जियो बैग आदि का क्रय करता है। निदेशक, खरीद, भंडार और सामग्री प्रबंधन निदेशालय (डीपीएम), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, द्वारा आपूर्ति आदेश दिये जाते हैं।

डब्ल्यूआरडी, डीपीएम और उसके अधीन दो प्रभागों³² के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2021 एवं सितम्बर 2021) से पता चला कि डीपीएम ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए ₹ 4.31 प्रति बोरा की दर³³ से पुराने खाली सीमेंट के बोरों (ओईसीबी)³⁴ का क्रय किया था। इसके बाद, डब्ल्यूआरडी ने इन आधारों पर वर्ष 2021 के लिए नये खाली सीमेंट के बोरों (एनईसीबी) के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया (जुलाई 2020) कि: (i) यह पहचान के लिए ओईसीबी पर विभागीय मुहर लगाने में कठिनाईयों का सामना कर रहा था और (ii) एनईसीबी ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ थे। विभागीय अनुसूची दर निर्धारित कमेटी (डीएसआरएफसी) ने करों सहित प्रति बोरा ₹ 9.11 के रूप में एनईसीबी का दर निर्धारित की (सितम्बर 2020)।

प्रमुख अभियंता (ईआईसी) डब्ल्यूआरडी ने एनईसीबी के क्रय का प्रस्ताव रखते समय (जून 2020) प्रस्तुत किया कि: (i) यह संभव है कि ओईसीबी की अपेक्षा एनईसीबी अधिक उपयोगी हो (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों में कम संख्या में एनईसीबी की आवश्यकता होगी और (iii) एनईसीबी और ओईसीबी की लागत में अंतर ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा, मुख्य अभियंता ने एक बैठक (अक्टूबर 2016) में लिए गए एनईसीबी के उपयोग के संबंध में एक विभागीय निर्णय को भी संदर्भित किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्वोक्त निर्णय केवल कटाव-निरोधक³⁵ के संबंध में लिया गया था और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए नहीं था।

³² पुनर्पुन बाढ़ सुरक्षा प्रभाग पटना सिटी एवं गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रभाग, दीघा, पटना।

³³ ओईसीबी की दर ₹ 4.07 + प्रति बैग विभागीय स्टाम्प के लिए 0.24।

³⁴ ओईसीबी : एक बार उपयोग किए गए सीमेंट बैग।

³⁵ 'कटाव निरोधक कार्य' वह सुरक्षा कार्य है जो बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन और जल निकासी नियमावली, 2003 के नियम 4.9 के अनुसार, पूर्ववर्ती बाढ़ अवधि में नदी के व्यवहार के आधार पर, अगले बाढ़ के मौसम से पहले किया जाना है।

तदनुसार, डीपीएम ने एनईसीबी के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मई 2021)। प्राप्त निविदाओं के आधार पर, डीपीएम ने ₹ 14.45 (डीएसआरएफसी द्वारा निर्धारित दर की तुलना में 59 प्रतिशत अधिक) प्रति बोरा की दर को अंतिम रूप दिया (जून 2021) और 57 बाढ़ नियंत्रण प्रभागों के लिए 4,75,20,000 बोरों की आपूर्ति आदेश दिया (वर्ष 2021 के दौरान)। डब्ल्यूआरडी ने 57 बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को विक्रेता द्वारा इन प्रभागों को किए गए एनईसीबी की वास्तविक आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान करने के लिए ₹ 42.86 करोड़ आवंटित किया (सितम्बर 2021)। डीपीएम द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के अनुसार, विक्रेता ने ₹ 68.67 करोड़ की लागत के 4,75,20,000 एनईसीबी की आपूर्ति की। इन आपूर्तियों के विरुद्ध, विभिन्न प्रभागों ने विक्रेता को 2,89,24,040 एनईसीबी (₹ 14.45 प्रति एनईसीबी की दर से) के लिए ₹ 41.80 करोड़ (जनवरी 2022 तक) का भुगतान किया था।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए, ओईसीबी का उपयोग करते समय, उपयोगिता और देखी गई समस्याओं, यदि कोई हो, के संबंध में दो नमूना—जांचित प्रभागों से पूछताछ पर, दोनों प्रमंडलों ने यह कहते हुए किसी भी समस्या का उल्लेख नहीं किया, कि: (i) यह डब्ल्यूआरडी द्वारा तय किया गया नीतिगत मामला था और (ii) विभागीय निर्देश के अनुसार एनईसीबी की खरीद की गई थी (सितम्बर 2021)। इन दोनों प्रमंडलों ने वर्ष 2021 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 13,54,145 ओईसीबी (पहले से ही स्टॉक में) का उपयोग किया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि दो नमूना—जांचित प्रभाग उनके अभिलेखों में बिना किसी दोष का उल्लेख किये, पिछले कई वर्षों से ओईसीबी का उपयोग कर रहे थे। आगे, विभाग ने बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को ओईसीबी का उपयोग करने के लिए लगातार निर्देशित किया था जो वर्ष 2021 के दौरान, 2020 के बाढ़ नियंत्रण कार्यों के बाद उनके पास स्टॉक में पड़े थे। तदनुसार, 57 बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों ने 2021 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 1,27,39,204 ओईसीबी का उपयोग किया था।

विभाग से पूछताछ करने पर कि क्या किसी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल ने हाल के वर्षों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए ओईसीबी का इस्तेमाल करने के दौरान देखी गई कमियों का व्यौरा भेजा था, विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि ऐसे प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं। उसने आगे कहा (जुलाई 2022) कि उसने तकनीकी और वित्तीय पहलुओं, साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञों की अनुशंसा को ध्यान में रखे हुए, ओईसीबी के जगह एनईसीबी का इस्तेमाल करने का नीतिगत निर्णय लिया था, क्योंकि एनईसीबी ज्यादा प्रभावशाली, मजबूत और टिकाऊ थे। इसने, यद्यपि, इसके दावे का समर्थन करने के लिए किसी तकनीकी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन नहीं प्रदान किया। लेखापरीक्षा ने देखा की इसने लागत—लाभ विश्लेषण किये बिना, एक ही समय पर दोनों प्रकार के बोरों के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था।

इसलिए, बाढ़ नियंत्रण कार्यों में ओईसीबी³⁶, की जगह एनईसीबी का इस्तेमाल करने के डब्ल्यूआरडी के निर्णय के कारण, ₹ 21.98 करोड़³⁷ का परिहार्य व्यय और ₹ 14.13 करोड़³⁸ की देयता का सृजन हुआ।

विशाल बंसल

पटना

दिनांक : 11 नवम्बर 2024

(विशाल बंसल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 12 नवम्बर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

³⁶ वर्ष 2021 के लिए ओईसीबी की दर (₹ 6.85) दर (₹ 4.31) में 59 प्रतिशत की वृद्धि के बाद निकाली गई थी, क्योंकि एनईसीबी ने इतने प्रतिशत के लिए मूल्य वृद्धि देखी थी।

³⁷ ₹ 21,98,22,704 = 2,89,24,040 × ₹ 7.60 (₹ 14.45 - ₹ 6.85)।

³⁸ ₹ 14,13,29,296 = 1,85,95,960 (4,75,20,000 - 2,89,24,040) × ₹ 7.60 (₹ 14.45 - ₹ 6.85)।

परिशिष्ट

परिशिष्ट—1.1
(संदर्भ: कंडिका 1.3.1)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन / कंडिकाएं

(राशि ₹ करोड में)

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	राशि
2012-13	601	3,852	43,732.91
2013-14	879	5,680	41,284.68
2014-15	923	5,810	42,333.25
2015-16	934	6,742	28,495.06
2016-17	1,017	8,247	76,378.56
2017-18	766	6,797	1,29,047.34
2018-19	127	1,256	1,5413.99
2019-20	280	3,189	98,602.73
2020-21	91	953	1,00,531.55
2021-22	338	3,844	2,07,708.47
कुल	5,956	46,370	7,83,528.54

परिचय-१२

(संदर्भः कठिनिका 1.3.1)

बंधित निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं में अनियमिताओं के प्रकार

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कांडिका 1.3.3)

मार्च 2022 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए पीए/एसएससीए से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापन की स्थिति

क्रम. सं.	पीए/एसएससीए	पीए/एसएससीए का नाम	पीए/एसएससीए पर संबंधित विभाग से प्राप्त उत्तर	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या, जिसने कुछ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए	जारी किए गए लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसने ज्ञापनों की संख्या जिस पर आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसने ज्ञापनों की संख्या जिस पर पूरा उत्तर प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षा ज्ञापनों की संख्या जिसने ज्ञापनों की संख्या जिस पर आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	
1	पीए	भवन और अन्य सञ्जन्मण कर्मकारों का कल्याण	हाँ	31	8	8	201	132	0	69
2	एसएससीए	नीर निर्मल परियोजना का कार्यान्वयन	हाँ	14	12	12	274	215	59	0
3	एसएससीए	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन	हाँ	15	15	15	214	173	0	41
4	एसएससीए	बिहार राज्य फसल सहायता योजना का कार्यान्वयन	हाँ	16	16	16	123	117	0	6
5	एसएससीए	बिहार के विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले	हाँ	11	11	11	193	109	15	69
कुल				87	62	1,005	746	74	185	

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कांडिका 1.4)

लेखापरीक्षा सौंपने और स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने/जारी करने की स्थिति

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं का प्रतिपादन	एसएआर जारी करना	विधानमंडल में रखे जाने की स्थिति	अभियुक्ति
		लेखाओं का वर्ष	तारीख	लेखाओं का वर्ष	तिथि	
1	बिहार राज्य खादी और ग्रामेभाग बोर्ड, पटना (उद्योग विभाग)	2009-10	29/08/2013	2009-10	21/04/2014	विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है (14/02/2019) कि 2002-03 से 2009-10 की अवधि से बिहार राज्य विधानमंडल को नियुक्ति के लिए भेजा गया है।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना (शहरी विकास और आवास विभाग)	2015-16	2015-16	एनए*	2015-16	एनए अभी तक नहीं।
3	बिहार विद्युत विनियामक आयाग (ऊर्जा विभाग)	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 104 के अनुसार आवधक नहीं है	2020-21	21/03/2022	2019-20	20/09/2021 अभी तक नहीं। शीर्षआरसी के खातों पर एसएआर न लगाने पर कार्रवाई करने और स्थिति से अवगत करने के लिए प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, जीओबी को पत्र भेजा (जुलाई 2022)।
4	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (विधि विभाग)	स्थायी	2020-21	17/08/2022	2020-21	19/12/2022 अभी तक राज्य विधानमंडल के समझ रखा जाना है।
5	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग)	शून्य (बीएसडीएमए की लेखापरीक्षा अभी तक नहीं सौंपी गई है)				
6	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर विभाग, अब यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है)	वर्ष 2012-13 से 5 वर्षों के लिए।	2015-16	07/02/2018	2014-15 एवं 2015-16	21/09/2022 एवं 09/11/2022 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए एसएआर को बिहार विधान परिषद में 03.03.2023 को और बिहार विधान सभा में 24.03.2023 को रखा गया है।

क्र.सं.	स्वायत निकाय का नाम	सौंभे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं का प्रतिपादन		एसएआर जारी करना	विधानमंडल में रखे जाने की तिथि	अभियुक्ति
			लेखाओं का वर्ष	तारीख			
7	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सर्बेर, भगलपुर (कृषि विभाग)	2021–22 तक	2015–16 से 2019–20	19/01/2018 (2015-16 एवं 2016-17)	15/03/2019 (2017-18)	16/03/2020 (2018-19)	11/08/2021 (2019-20)

* एनएः अनुपलब्ध

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कांडिका 2.5)

लेखापरीक्षा नमूना का विवरण

क्र.सं.	जिला	श्रम संसाधन विभाग का कार्यालय	कार्य प्रमंडल	यूएलबी	अपांजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)	पंजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)
1	दरभंगा	उप श्रम आयुक्त, दरभंगा	1. कार्यपालक अभियंता (ईई), सड़क प्रमंडल दरभंगा 2. ईई, सड़क प्रमंडल, बैनीपुर	1. नगर निगम, दरभंगा 2. न ग र पा लि का परिषद, बैनीपुर	1. अशोक बैरोलिया (वाणिज्यिक भवन का निर्माण) 2. राम सर्ती कुमारी (एवी सिंगेचर दरभंगा) 3. श्री श्याम होम्स प्रा. लिमिटेड, दरभंगा (वाणिज्यिक भवन का निर्माण) 4. यूनिवर्सल बिल्डकॉन (वाणिज्यिक भवन का निर्माण) 5. मेसर्स सिंहि विनायक (एकमीधाट से कालीघाट रोड, दरभंगा)	1. मेसर्स आद्याशाज मैक्रो रंजन कंस्ट्रक्शन, दरभंगा (अस्पताल का निर्माण) 2. मेसर्स अदानी एप्री लॉजिस्टिक्स, दरभंगा (गौहू साइलो का निर्माण) 3. मेसर्स उमिला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, दरभंगा (जी डी गोयनका स्कूल में स्थानिंग पूल का निर्माण) 4. मेसर्स एचएससीसी (ईडिया) लिमिटेड
2	गया	उप श्रम आयुक्त, गया	1. ईई, तिलेया नहर प्रमंडल, वजीरगंज 2. ईई, बिल्डिंग प्रमंडल, गया	1. नगर निगम, गया 2. नगर परिषद, बोधगया	1. मेसर्स दीपानसु प्रमोटर एवं बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड (पॉलिटेक्निक लड़का एवं पड़की का छात्रावास, गया) 2. मेसर्स सरयुग गोतम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया) 3. ब्रज किशोर मिश्रा (उषा-ईश्वरी ब्रिडा रेजीडेंसी, गया) 4. ब्रज किशोर मिश्रा (श्री राम बुंदा रेजीडेंसी, गया) 5. शकील अहमद (इम्फेरियल हाउट्स, गया)	1. अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड केवी फीडर और विस्तार का निर्माण) 2. मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गया (पेयजल परियोजना, मानपुर, गया) 3. अहलवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, गया (स्टेट गेट हाउस, बोधगया) 4. एनसीसी लिमिटेड
3	मुजफ्फरपुर	उप श्रम आयुक्त, मुजफ्फरपुर	1. ईई, सड़क प्रमंडल नंबर 1, मुजफ्फरपुर -1, मुजफ्फरपुर भवन 2. ईई, मुजफ्फरपुर	1. नगर मुजफ्फरपुर 2. नगर काति	1. मेसर्स सीमेंस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एमआईटी) में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास का निर्माण) 2. सचिवदा नंद सिंह (लड़कों के छात्रावास, सरकारी पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर का निर्माण) 3. श्री संजीव शर्मा (जिला उत्ताद शुल्क कार्यालय, मुजफ्फरपुर का निर्माण) 4. मेसर्स आदित्य बिल्ड मैक्स प्रा. लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (ओवरसीय-सह-वाणिज्यिक भवन का निर्माण) 5. शिशिर किरण और सत्य किरण (आवासीय भवन का निर्माण)	1. तोशिबा वाटर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (भूमिगत सीवेज सिस्टम का विकास) 2. मेसर्स अशोका बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (पर्क ब्लॉक में इलोविट्रकल वर्क) 3. आशा विहार ग्रॉपटीज प्रा. लिमिटेड 4. अशोक कुमार सिंह

क्र.सं.	जिला	श्रम संसाधन विभाग का कार्यालय	कार्य प्रमंडल	यूएलबी	आपंजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)	पंजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)
4	पटना	उप श्रम आयुक्त, पटना	1. ईई, निर्माण प्रमंडल-1, पटना 2. ईई, सड़क प्रमंडल, गुलजारधारा, पटना शहर	1. नगर परिषद, 2. नगर दानापुर	निगम, 1. यूपीआरएनएन लिमिटेड (दाइप बी कवार्टर्स, पटना का निर्माण) 2. राम कृष्णल सिंह कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (दाइप ए क्वार्टर्स का निर्माण) 3. मेसर्स विनीत होन्स प्रा. लिमिटेड (विकाश पैराडाइस) 4. मेसर्स नूतन कंस्ट्रक्शन (लोटस प्लाजा) 5. संकल्प निर्माण (दास एन्चलेज)	1. अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स (इंडिया) लिमिटेड, पटना (बिहार पश्चिम विजयविद्यालय, पटना का निर्माण) 2. एनजे होन्स प्राइवेट लिमिटेड, पटना (माधुरी एन्चलेज) 3. क्रेटस पाराक इंफा एलएलपी, पटना (सन स्क्वायर रेजीडेंशियल-कम-कमशियल कॉम्प्लेक्स) 4. कौस्तुभ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, पटना (पन्ना उद्यान)
5	सारण	सहायक श्रम आयुक्त, छपरा	1. ईई, सड़क प्रमंडल, छपरा 2. ईई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी प्रमंडल, छपरा	1. नगर छपरा 2. नगर पंचायत, सिविलगंज छपरा	निगम, 1. श्री ब्रजकिशोर सिंह (भवन निर्माण) 2. श्रीमती नीलू सिंह (भवन निर्माण) 3. श्रीमती मीना देवी (भवन निर्माण) 4. जे के एंडोजिकॉन प्रा. लिमिटेड (एकमा से मशराख रोड) 5. बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (जनता बाजार सिकटिया से पेंगांबरपुर रोड)	1. मेसर्स अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, सारण (मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सारण) 2. एनसीसी लिमिटेड, सारण (वितरण बुनियादी ढांचे का विकास, खेता फीडर, छपरा ग्रामीण) 3. एनसीसी लिमिटेड, सारण (डबल डेकर ओवरब्रिज, मिक्रो टाकुर चौक से बस स्टैंड) 4. संजय निर्माण कंपनी, सारण (कालू घाट पर इंटर मॉडल टार्मिनल का निर्माण)

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	जिला	श्रम संसाधन विभाग का कार्यालय	कार्य प्रमङ्गल	यूएलबी	आपंजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)	पंजीकृत प्रतिष्ठान (कार्य का नाम)	
6	परिचम चंपारण	सहायक श्रम आयुक्त, बैतिया	1. ईई, सडक बैतिया 2. ईई, सडक बैतिया	1. नगर बैतिया 2. नगर बैतिया बगहा	परिषद, परिषद,	<ol style="list-style-type: none"> मेसर्स दीपांशु प्रमोटर एंड बिल्डर प्रा. लिमिटेड (कन्वेशन सेंटर, वालभीकि नगर) आदित्य उद्यम (लौरिया सुगोली रोड) सत्येन्द्र कुमार कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (आईटीआई सेमरा बाजार) स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड मेसर्स सी के इच्छास्ट्रक्चर लिमिटेड सुधांशु शेखर सिंहा (भवन निर्माण) बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (भवन निर्माण) 	<ol style="list-style-type: none"> लासैन एंड ट्रो लिमिटेड बिलिंग एंड फैक्ट्रीज आईसी, वेस्ट चंपारण (गवनमेंट मेडिकल कॉलेज, काली बाग, बैतिया का निर्माण) स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड

(झोत: बोर्ड / कार्य इकाइयें / यूएलबी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.2
(संदर्भ: कॉडिका-2.5)
नमूनाकरण पद्धति

क्र.सं.	इकाई के प्रकार	चयन पद्धति
1	जिला	38 जिलों में से 7: (15 प्रतिशत) का चयन किया गया था। तीन जिलों का चयन कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों की अधिकतम राशि के आधार पर किया गया था, जबकि शेष तीन का चयन उपकर निधि में उनके उच्च योगदान के आधार पर किया गया था।
2	कार्य प्रमंडल	12 कार्य प्रमंडलों (प्रत्येक नमूना जिले से 2) का चयन प्रमंडलों द्वारा किए गए उच्चतम व्यय के आधार पर किया गया था।
3	स्थानीय निकाय / शहरी विकास प्राधिकरण	जिला मुख्यालय से एक यूलबी लेकर 12 यूलबी (प्रत्येक नमूना जिले से 2) का चयन किया गया था और एक का चयन अइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बाटुचिक प्रतिव्यवहार के आधार पर किया गया था।
5	पंजीकृत प्रतिष्ठान	आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, प्रत्येक नमूना जिले में चार पंजीकृत प्रतिष्ठानों को यादुचिक रूप से चुना गया था।
6	अपंजीकृत प्रतिष्ठान	प्रत्येक नमूना जिले में चाल रहे पांच अपंजीकृत प्रतिष्ठानों का चयन भवन/निर्माण परियोजनाओं के उच्चतम मूल्य के आधार पर किया गया था।
7	योजना	15 कल्याणकारी योजनाओं में से, 10 का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्तरीकृत यादुचिक प्रतिव्यवहार के आधार पर किया गया था। इन 10 चयनित योजनाओं में से, पांच ¹ का चयन वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि के आधार पर किया गया था, जबकि तीन ² योजनाओं का भी चयन मध्यम ³ वित्तीय सहायता वाले में से था। इसके अलावा तीन योजनाओं में से दो ⁴ योजनाओं का भी चयन किया गया, जिनके कोई लाभार्थी नहीं था।

(ओत: बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 और बिहार बीओसीडब्ल्यू नियम, 2005)

¹ वार्षिक व्याकुलता सहायता, भवन मरम्मत अनुदान मृदु लाभ, विवाह एवं मातृत्व लाभ के लिए वित्तीय सहायता।

² नकद पुरस्कार, अत्येक्षि सहायता एवं पेशन।

³ 12 योजनाओं में से 7: मैं जिनका व्यय मध्य सीमा से ले कर न्यूनतम सीमा तक घटता है।

⁴ विकलांगता पेशन एवं चिकित्सा सहायता।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.7.1)

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान चयनित कार्य प्रमङ्गलों द्वारा निष्पादित (प्रतिष्ठान) कार्य

क्र.सं.	जिला	विभाग	इकाई	प्रतिष्ठानों की संख्या	
				कुल	पंजीकृत
1	पटना	भवन निर्माण विभाग (बीसीटी)	ईंट, निर्माण प्रमङ्गल-1, पटना	40	03
2		सड़क निर्माण विभाग (आरसीटी)	ईंट, सड़क प्रमङ्गल, गुलजारबाग, पटना शहर	103	शून्य
3	मुजफ्फरपुर	आरसीटी	ईंट, सड़क प्रमङ्गल नंबर-1, मुजफ्फरपुर	55	शून्य
4		बीसीटी	ईंट, भवन प्रमङ्गल, मुजफ्फरपुर	109	शून्य
5	पश्चिम चंपारण	आरसीटी	ईंट, सड़क प्रमङ्गल, बेतिया	132	शून्य
6		बीसीटी	ईंट, भवन प्रमङ्गल, बेतिया	607	शून्य
7	गया	जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी)	तिलैया नहर प्रमङ्गल, वजीरगाज	16	02
8		बीसीटी	ईंट, भवन प्रमङ्गल, गया	260	शून्य
9	सारण	आरसीटी	ईंट, सड़क प्रमङ्गल, छपरा	79	शून्य
10		डब्ल्यूआरडी	ईंट, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी प्रमङ्गल, छपरा	16	शून्य
11	दरभंगा	आरसीटी	ईंट, सड़क प्रमङ्गल, दरभंगा	418	शून्य
12		आरसीटी	ईंट, सड़क प्रमङ्गल, बेनीपुर	40	शून्य
योग				1,875	05

(चीत: कार्य इकाइयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.8.3)

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान चयनित यूएलबी द्वारा विभिन्न दरों पर उपकर का संग्रहण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	यूएलबी	नमूना मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें उपकर का कम संग्रहण था	संग्रहित किये जाने वाले उपकर*	उपकर का वास्तविक संग्रहण	उपकर के संग्रहण में कमी
1	दरभंगा	नगर निगम, दरभंगा	10	10	0.17	0.10	0.07
2	गया	नगर निगम, गया	10	10	0.05	0.02	0.03
3	मुजफ्फरपुर	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	10	10	0.96	0.55	0.41
4	पटना	नगर निगम, पटना	10	10	2.53	1.91	0.62
5		नगर परिषद, दानापुर	10	02	1.57	1.31	0.26
6	सारण	नगर निगम, छपरा	10	05	0.02	0.01	0.01
7	पश्चिम चंपारण	नगर निगम, बोतिया	10	07	0.06	0.02	0.04
8		नगर परिषद, बगहा	10	10	0.08	0.03	0.05
कुल			80	64	5.44	3.95	1.49

(अंगत: यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

* सीपीडब्ल्यूडी की मौजूदा स्थिति एविया दरों के अनुसार निर्माण की लागत का आकलन किया गया है। इसके बाद, आकलित राशि का एक प्रतिशत “एकत्र किए जाने वाले उपकर” के रूप में निधारित की गई है।

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.8.4)

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा उपकर का संग्रहण नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निला	यूएलबी	नमूना मामलों की संख्या	मामलों की सख्ता जिनमें उपकर संग्रहित नहीं किये गए	संग्रहित नहीं की गई उपकर की राशि
1.	दरभंगा	नगर परिषद, बैरीपुर		10	10
2.	मुजफ्फरपुर	नगर परिषद, काटि		03*	03
3.	पटना	नगर परिषद, दानापुर		10	08
4.	सारण	नगर निगम, छपरा		10	05
5.		नगर पंचायत, रिविलांज		05*	05
6.	पश्चिम चंपारण	नगर निगम, बेतिया		10	03
		कुल	48	34	6.85

(झोत: यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

* लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नगर परिषद, काटी में केवल तीन मामले प्रदान किए गए थे और नगर पंचायत, रिविलांज, सारण में केवल पांच भवन योजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.8.6 (i))

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना–जांचित इकाइयों द्वारा कटौती/सम्माहित की गई उपकर का प्रेषण नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिला	कार्य प्रमंडल/यूएलबी	अपेक्षित उपकर राशि
1	दरभंगा	नगर परिषद, बेनीपुर	0.69
2		सड़क निर्माण प्रमंडल (आरसीडी), बेनीपुर	3.14
3		आरसीडी, दरभंगा	3.44
4	गया	ईई, तिलेया नहर प्रमंडल, वजीरगंज, गया	6.46
5		ईई, भवन निर्माण प्रमंडल, गया	1.60
6		कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद, बोधगया, गया	0.17
7	मुजफ्फरपुर	ईई, आरसीडी-1, मुजफ्फरपुर	1.38
8		ईई, भवन निर्माण प्रमंडल (बीसीडी), मुजफ्फरपुर	1.95
9		आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर	0.06
10	पटना	आरसीडी, पटना सिटी	7.87
11		बीसीडी-1, पटना	2.45
12		नगर परिषद, दानापुर	0.37
13	सारण	आरसीडी, छपरा	6.59
14		बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी प्रमंडल, छपरा	2.57
15		नगर निगम, छपरा	0.25
16		नगर पंचायत, सिविलगंज	0.12
17	पश्चिम चंपारण	बीसीडी, बेतिया	2.73
		कुल	41.84

(झोत: निर्माण इकाइयों/यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.8.6 (ii))

**वित्तीय वर्ष 2017-22 (मार्च 2022 तक) के दौरान नमूना-जांचित इकाइयों द्वारा कठोरी / संग्रहित की गई उपकर के प्रेषण में विलंब
(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	जिला	कार्य प्रमाणल / यूएलबी	बोर्ड को प्रेषित उपकर राशि	विलंब की सीमा (दिनों में)
1	दरभंगा	नगर निगम, दरभंगा	0.81	06 से 405
2	गaya	नगर निगम, गaya	0.01	216 से 350
3	मुजफ्फरपुर	ईई, आरसीडी-1, मुजफ्फरपुर	0.61	5 से 373
4		आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर	2.90	06 से 1,034
5		नगर परिषद, काटी	0.05	611 से 940
6	पटना	आरसीडी, पटना सिटी	0.85	30 से 240
7		बीसीडी-1, पटना	10.04	08 से 1,212
8	रारण	आरसीडी, छपरा	0.98	30 से 180
9		नगर निगम, छपरा	0.09	30 से 1,290
10		नगर पंचायत, रिविलगंज	0.04	30 से 240
11	पश्चिम चंपारण	आरसीडी, बेतिया	1.64	30 से 510
12		बीसीडी, बेतिया	0.20	30 से 143
13		नगर निगम, बेतिया	0.23	30 से 210
14		नगर परिषद, बगहा	0.57	30 से 690
		कुल	19.02	

(झोत: बोर्ड / कार्य इकाइयों / यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट-2.8 क

(संदर्भ: कांडिका 2.11 एवं 2.11.3.1 (ii))

वित्तीय वर्ष 2017-22 के दोरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रवितारित मौद्रिक लाभ

क्र.सं.	योजना	वित्तीय वर्ष 2017-22 के दोरान कल्याणकारी योजनाओं पर लाभ						कुल (20,45,472)*	
		2017-18 (4,88,405)**		2018-19 (8,21,059)*		2019-20 (13,72,238)*			
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)		
1	शिवाह के लिए वित्तीय सहायता	40	0.20	341	1.71	1,081	5.38	898	4.49
2	मातृत्व लाभ	10	0.01	46	0.05	151	0.25	218	0.47
3	पितृत्व लाभ	0	0.00	0	0.00	12	0.01	46	0.03
4	नकद पुस्तकार	0	0.00	0	0.00	100	0.14	245	0.31
5	साइफिल क्रय अनुदान	0	0.00	0	0.00	58	0.02	104	0.04
6	मध्यन मरम्मत अनुदान	40,681***	61.02	371	0.74	466	0.93	82	0.16
7	वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना	0	0.00	2,57,345	77.20	6,70,532	282.48	9,89,853	296.96
8	शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.0003
9	पेंशन	6	0.01	11	0.01	0	0.00	20	0.02
10	मृत्यु लाभ	3	0.03	59	1.10	379	6.42	684	13.51
11	अंत्येष्टि सहायता	3	0.0003	37	0.0004	195	0.07	502	0.24
12	कोविड-19 विशेष अनुदान योजना	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11,07,696	221.54
13	अशालगता पेंशन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	चिकित्सा सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	पारिवारिक पेंशन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	40,743 (8,34)***	61,2703 (31,45)***	2,58,210 (31,45)***	80,8104 (49,04)***	6,72,974 (49,04)***	295,70 (66,60)***	21,00,350 (66,60)***	537,7703 (48,70)***
									9,96,233 (48,70)***
									338.00
									40,68,510
									1,313,53

झोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

* बोर्ड में पंजीकृत कामकारों की कुल संख्या

** आवास मरम्मत और उपकरणों तथा साइकिल की खरीद के लिए अनुदान (एक संयुक्त योजना)

कुल पंजीकृत कामकारों के संदर्भ में लाभार्थियों की प्रतिशतता

वार्षिक चिकित्सा सहायता के तहत लाभार्थियों को छोड़कर लाभार्थियों का प्रतिशत क्योंकि उन्हें कोविड-19 विशेष अनुदान योजना का लाभ भी मिला था।

परिशिस्ट—2.8 ख

(संदर्भ: कॉडिका 2.11.3.1 (ii))

वित्तीय वर्ष 2017–22 के दौरान नमूना जिलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित मौद्रिक लाभ

(₹ लाख में)

जिला	दरमांगा (57,467)*	गया (89,033)*	मुजफ्फरपुर (1,00,093)*	पटना (2,30,521)*	सारण (57,959)*	पश्चिम चंपारण (1,35,776)*
योजना का नाम	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
नकद पुरस्कार	26	3.05	20	2.45	62	8.15
अंत्योष्ठि सहायता	83	4.15	7	0.35	345	16.61
मृत्यु लाभ	137	271.00	70	138.00	362	785.00
विवाह हेतु वित्तीय सहायता	262	131.00	104	52.00	864	432.00
शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता	1	0.05	0	0.00	0	0.00
भवन सरमत अनुदान	2	0.40	0	0.00	26	5.20
मातृत्व लाभ	45	11.05	25	6.16	122	29.53
पितृत्व लाभ	11	0.66	0	0.00	5	0.30
कुल	567	421.36	226	198.96	1,786 (1.78)*	1,276.79 (0.22)*
	(1)*	(0.25)*			333.53 (0.21)*	122 (0.21)*
					671 (0.49)*	481.09

(खोतः बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

* जिले में पंजीकृत कामकारों की कुल संख्या

लाभाधिकारी का प्रतिशतता

परिशिष्ट-3.1
(संदर्भ: कॉडिका-3.5)
नमूना जिला, प्रखंड एवं पंचायत

क्रम सं.	जिला	प्रखंड	पंचायत
1	बाँका	बौंसी	कर्मा मंदार चीलकारा खरिया पंजवारा
2	पूर्वी चंपारण	घोडासहन कल्याणपुर	कर्वैया श्रीपुर दिलावरपुर पिपरा खेम
3	गाया	दुमरिया गुरुआ	मझौली सेवारा कोलौना रघुनाथ खाप
4	समस्तीपुर	हसनपुर सिंधिया	भटवन परीदह हरदिया वर्योटहर
5	सुपौल	सरायगढ़. भपटियाही सुपौल	ढोली सरायगढ़ बलवा लौकहा

(अंत: सांख्यिकी परामर्शी द्वारा अनुमोदित नमूने)

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुयालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कांडिका-3.6.3)

विभिन्न गौमां के दोरान अस्वीकृत आवेदन

गौमां	खरीफ 2018	रबी 2018-19	खरीफ 2019	रबी 2019-20	खरीफ 2020	रबी 2020-21	खरीफ 2021	कुल (प्रतिशत)
अस्वीकृति के विवरण	जी	एफ	जी	एफ	जी	एफ	जी	एफ
क. एलपीसी से संबंधित मामले								
i. एलपीसी उपलब्ध /अपलोड नहीं किया जाना	7,470	--	3,594	--	74,163	--	88,004	--
ii. पुराना एलपीसी/भूमि राजस्व रसीद अपलोड किया जाना	11,587	--	2,117	--	17,034	--	79,407	--
iii. एलपीसी प्रखंड कार्यालयों द्वारा निर्गत नहीं/एलपीसी के स्थान पर भूमि राजस्व रसीद अपलोड किया जाना	--	--	24,889	--	--	1,34,414	--	1,43,031
iv. खाता नं० एलपीसी के अनुरूप नहीं	--	--	--	--	4,502	--	4,473	--
"क" का कुल	--	--	--	--	--	--	--	8,975
ख. स्व-घोषणा से संबंधित मामले	--	--	--	--	4,573	--	5,186	--
i. स्व-घोषणा वाई सदस्य/ किसान सलाहकार द्वारा अभि-प्रमाणित नहीं	--	--	--	--	--	1,47,778	25,747	29,938
ii. स्व-घोषणा या तो अपलोड नहीं या गलत	1,447	--	608	--	14,951	--	20,006	--
"ख" का कुल	--	--	--	--	--	--	--	31,160
								1,63,484
								4,48,349
								(17 प्रतिशत)

मौसम	खरीफ 2018	रबी 2018–19	खरीफ 2019	रबी 2019–20	खरीफ 2020	रबी 2020–21	खरीफ 2021	कुल (प्रतिशत)
	डो	एफ	डो	एफ	डो	एफ	डो	एफ
अस्वीकृति के विवरण								
ग किसान / प्रतिनिधि उपस्थित नहीं	--	--	--	--	33,217	--	52,235	--
घ. कारण वर्णित नहीं	--	65,067	--	26,745	--	--	1,94,948	--
i. क्षेत्र द्वारा अस्वीकृत							42,743	72,171
ii. डेर्सक रियू में अस्वीकृत	6,046	--	--	--	--	--	--	91,812
घ का कुल	--	--	--	--	--	--	--	6,046
उ. गैर-रैपत श्रेणी में एक परिवार द्वारा एकाधिक आवेदन	58	--	13	--	20,032	--	19,051	--
च. विविध	12	--	246	--	21,154	--	30,742	--
i. फसल की बुआई नहीं							61,665	--
ii. सर्वेक्षक की अभियुक्ति स्पष्ट नहीं	5,434	--	--	--	--	--	15,501	--
iii. भुगतान बंद होने तक यूआईडी प्रमाणित नहीं	4,028	--	--	--	--	--	--	18,196
iv. गलत अभिलेख अपलोड किया जाना / गलत रकवा के घोषणा के कारण अभिलेख अमान्य/ किसान श्रेणी में बदलाव	462	--	1,038	--	1,080	--	238	--
"च" का कुल	--	--	--	--	--	--	157	--
कुल योग	36,544	65,067	32,505	26,745	1,11,801	2,13,319	1,92,841	2,49,532
							7,75,368	3,94,408
							1,51,711	71,528
							1,88,870	1,20,223
							--	--
							--	1,62,830
							--	(06 प्रतिशत)
								26,30,462

(झोतः—सहकारिता विभाग, बिहार सरकार के साप्ताहिक प्रतिवेदन)
टिप्पणी: "डो" डेर्सक रियू के वैरान विभागीय स्तर पर निरस्त आवेदनों को निरुपित करता है।

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कांडिका-3.6.4)

लाभार्थियों को विलम्बित भुगतान

(राशि ₹ में)

क्रम सं	मौसम	भुगतान का देय माह	भुगतान का वार्त्तविक माह	महीनों में विलंब	लाभार्थियों की सं0	भुगतान की गई कुल राशि	विलम्बित भुगतान की राशि
1	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	मार्च 2019	0	1,24,748	1,31,27,62,496	0
2	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	मई 2019	1	2,32,031	1,61,49,69,415	1,61,49,69,415
3	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	जून 2019	2	28,338	24,53,36,203	24,53,36,203
4	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	जुलाई 2019	3	14,777	14,38,80,721	14,38,80,721
5	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	अगस्त 2019	4	12,083	2,89,19,257	2,89,19,257
6	खरीफ 2018	मार्च-अप्रैल 2019	सितम्बर 2019	5	41,028	34,06,20,171	34,06,20,171
7	रबी 2018-19	अगस्त-सितम्बर 2019	अगस्त 2019	0	18,754	14,25,04,766	0
8	रबी 2018-19	अगस्त-सितम्बर 2019	सितम्बर 2019	0	1,34,189	44,93,37,579	0
9	रबी 2018-19	अगस्त-सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	1	36,947	15,21,74,719	15,21,74,719
10	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	अप्रैल 2020	0	2,89,442	2,06,49,21,912	0
11	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	मई 2020	1	84,158	63,27,11,731	63,27,11,731
12	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	जुलाई 2020	3	2,838	2,23,99,997	2,23,99,997
13	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	सितम्बर 2020	5	10,179	7,37,06,111	7,37,06,111
14	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	अक्टूबर 2020	6	163	13,22,908	13,22,908
15	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	जून 2021	14	6,507	4,55,37,030	4,55,37,030
16	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	अगस्त 2021	16	7,126	4,21,99,871	4,21,99,871
17	खरीफ 2019	मार्च-अप्रैल 2020	जनवरी 2022	21	4	31,231	31,231
18	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	सितम्बर 2020	0	2,06,118	93,05,15,408	0
19	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	नवंबर 2020	2	1,03,889	38,62,12,500	38,62,12,500
20	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	दिसम्बर 2020	3	34,137	35,44,87,850	35,44,87,850
21	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	फरवरी 2021	5	28,035	9,64,65,461	9,64,65,461
22	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	मार्च 2021	6	9	57,576	57,576
23	रबी 2019-20	अगस्त-सितम्बर 2020	मई 2021	8	8,143	3,31,16,581	3,31,16,581

क्रम सं	मौसम	भुगतान का देय माह	भुगतान का वार्त्तिक माह	महीनों में विलंब	लाभार्थियों की सं0	भुगतान की गई कुल राशि	विलम्बित भुगतान की राशि
24	रबी 2019-20	अगस्त–सितम्बर 2020	अगस्त 2021	11	13,188	5,05,35,082	5,05,35,082
25	रबी 2019-20	अगस्त–सितम्बर 2020	मार्च 2022	12	1	15,378	15,378
26	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	मई 2021	1	1,90,486	98,08,46,001	98,08,46,001
27	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	जुलाई 2021	3	1,97,464	96,14,37,906	96,14,37,906
28	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	अगस्त 2021	4	5,640	2,51,08,953	2,51,08,953
29	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	दिसम्बर 2021	8	72,533	30,48,07,949	30,48,07,949
30	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	जनवरी 2022	9	1,327	47,07,622	47,07,622
31	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	फरवरी 2022	10	1,409	60,36,584	60,36,584
32	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	मार्च 2022	11	2,806	1,39,80,088	1,39,80,088
33	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	जून 2022	14	694	74,60,262	74,60,262
34	खरीफ 2020	मार्च–अप्रैल 2021	जुलाई 2022	15	15	1,40,415	1,40,415
35	रबी 2020-21	अगस्त–सितम्बर 2021	दिसम्बर 2021	3	42,180	17,50,71,011	17,50,71,011
36	रबी 2020-21	अगस्त–सितम्बर 2021	जनवरी 2022	4	1,35,724	52,06,94,806	52,06,94,806
37	रबी 2020-21	अगस्त–सितम्बर 2021	फरवरी 2022	5	1,457	62,85,641	62,85,641
38	रबी 2020-21	अगस्त–सितम्बर 2021	जुलाई 2022	10	354	23,84,261	23,84,261
39	खरीफ 2021	मार्च–अप्रैल 2022	मार्च 2022	0	39,335	28,09,48,653	0
40	खरीफ 2021	मार्च–अप्रैल 2022	अप्रैल 2022	0	68,270	39,14,01,829	0
41	खरीफ 2021	मार्च–अप्रैल 2022	जून 2022	2	1,76,159	1,13,31,77,853	1,13,31,77,853
42	खरीफ 2021	मार्च–अप्रैल 2022	जुलाई 2022	3	35,590	26,67,72,483	26,67,72,483
			कुल		24,08,275	14,24,60,04,271	8,67,36,11,628

(झोत: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत समाहिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.6.5)

गैर-रैयत श्रेणी के परिवारों में एक से अधिक लाभार्थियों के मामले

क्रम संख्या	जिला	प्रखण्ड	पंचायत	लाभार्थी का पति / पिता का नाम				लाभार्थी का पंजीकरण संख्या				आधार संख्या		खाता संख्या		भूगतान की गई राशि (₹ में)	फसल मौसम
				लाभार्थी का नाम	पति / पिता का नाम	पंजीकरण संख्या	आधार संख्या	खाता संख्या	भूगतान की गई राशि (₹ में)	फसल मौसम							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	बौंका	बौंसी	चिलकारा	प्रदीप कुमार यादव	गणपत यादव	225002361766	7347**5167	0069****0292	25/03/2022	7,588	खरीफ 2021						
2	बौंका	बौंसी	चिलकारा	प्रदीप कुमार यादव	गणपत यादव	225002361766	7347**5167	0069****0292	18/12/2021	8,094	रबी 2020-21						
3	बौंका	बौंसी	चिलकारा	प्रदीप कुमार यादव	गणपत यादव	225002361766	7347**5167	0069****0292	09/09/2020	10,117	रबी 2019-20						
4	बौंका	बौंसी	चिलकारा	जय प्रकाश सिंह	ललित सिंह	225002570344	8533****1066	381****7989	09/09/2020	4,047	रबी 2019-20						
5	बौंका	बौंसी	चिलकारा	जय प्रकाश सिंह	ललित सिंह	225002570344	8533****1066	381****7989	18/12/2021	8,094	रबी 2020-21						
6	बौंका	बौंसी	कसबा मंदार	संतोष पंजियारा	मंदिर पंजियारा	225007885426	7350**1308	33****8585	25/03/2022	4,553	खरीफ 2021						
7	बौंका	बौंसी	कसबा मंदार	भुमेश्वर मंडल	राधे मंडल	225003182862	6825****9303	326****1351	18/12/2021	7,588	रबी 2020-21						
8	बौंका	बौंसी	कसबा मंदार	भुमेश्वर मंडल	राधे मंडल	225003182862	6825****9303	326****1351	09-09-2020	13,759	रबी 2019-20						
9	बौंका	बाराहट	छरियारा	बीबी कुंटारा	गो० इसतियाक	225008066394	3118**7901	35588****10672	25/03/2022	7,487	खरीफ 2021						
10	बौंका	बाराहट	छरियारा	असमा	हाफीज	225005697577	2793**6193	0069****4939	25/03/2022	10,117	खरीफ 2021						
11	पूर्वी कल्याणपुर	दिलावरपुर	राजमंगल ठाकुर	नागा ठाकुर	204000567166	5204****6096	350****1335	29/06/2022	10,117	खरीफ 2021							

ਕਮ ਸं0	ਜ਼ਿਲਾ	ਪ੍ਰਾਂਤ	ਪੰਚਾਇਤ	ਲਾਭਾਰੀ ਕਾ ਨਾਮ	ਪਤਿ / ਪਿਤਾ ਕਾ ਨਾਮ	ਪੱਜੀਕਰਣ ਸਂ0	ਲਾਭਾਰੀਂ ਕਾ ਵਿਵਰਣ			ਮੁਗਤਾਨ ਕੀ ਗੱਈ ਰਾਸ਼ (₹ ਮੌ)	ਫਸਲ ਮੈਸਮ
							ਆਧਾਰ ਸਂ0	ਖਾਤਾ ਸਾਂ0	ਮੁਗਤਾਨ ਕੀ ਗੱਈ ਰਾਸ਼ (₹ ਮੌ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ਪੂਰੀ ਚਾਪਾਣ	ਕਲਾਣਪੁਰ	ਦਿਲਾਵਰਪੁਰ	ਯਾਮਸੁਕਰ ਪਾਡੇਘ	ਬਦੀ ਪਾਡੇਘ	204003387465	6529****2632	324****6389	19/05/2021	6,070	ਖਰੀਫ 2020
13	ਪੂਰੀ ਚਾਪਾਣ	ਕਲਾਣਪੁਰ	ਪੀਪਾਖੇਮ	ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ	ਰਾਧੀ ਪ੍ਰਸਾਦ	204005388554	3524****2972	72110001****2563	20/07/2021	1,518	ਖਰੀਫ 2021
14	ਸਮਸਤੀਪੁਰ	ਹਸਨਪੁਰ	ਭਟਵਾਨ	ਕੌਪੜੀ ਦੇਵੀ	ਸ਼ਾਤੁਧਨ ਸਾਹੂ	221001554499	4409**6215	306****0961	25/05/2021	3,035	ਖਰੀਫ 2020
15	ਸਮਸਤੀਪੁਰ	ਹਸਨਪੁਰ	ਭਟਵਾਨ	ਕੌਪੜੀ ਦੇਵੀ	ਸ਼ਾਤੁਧਨ ਸਾਹੂ	221001554499	4409**6215	306****0961	24/11/2020	3,035	ਰਾਬੀ 2019- 20
16	ਸਮਸਤੀਪੁਰ	ਸਿੰਘਿਆ	ਹਰਦਿਦਾ	ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਹ	ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਹ	221002031458	*****1560	317****3617	25/05/2021	14,569	ਖਰੀਫ 2020
17	ਸਮਸਤੀਪੁਰ	ਸਿੰਘਿਆ	ਹਰਦਿਦਾ	ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਹ	ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਹ	221002031458	*****1560	317****3617	24/06/2022	14,164	ਖਰੀਫ 2021
18	ਸੁਪੋਲ	ਸਰਾਧਾਂਡ ਭਪਟਿਆਹੀ	ਸਰਾਧਾਂਡ	ਸੋਨਵਤੀ ਦੇਵੀ	ਮਹੌਰਤ੍ਰ ਮੰਡਲ	208000673929	2135****3756	24910001****7442	13/05/2020	2,185	ਖਰੀਫ 2019
19	ਸੁਪੋਲ	ਸਰਾਧਾਂਡ ਭਪਟਿਆਹੀ	ਸਰਾਧਾਂਡ	ਧੁਗਾਨਂਦ ਸਾਹ	ਜਨਕ ਸਾਹ	208001113629	2133****0854	10073010****1229	14/05/2020	4,553	ਖਰੀਫ 2019
20	ਸੁਪੋਲ	ਸਰਾਧਾਂਡ ਭਪਟਿਆਹੀ	ਸਰਾਧਾਂਡ	ਧੁਗਾਨਂਦ ਸਾਹ	ਜਨਕ ਸਾਹ	208001113629	2133****0854	10073010****1229	04/10/2019	10,886	ਰਾਬੀ 2019
										1,51,576	
											ਕੁੱਲ

आधार सं० 13	पंजीकरण सं० 14	लाभार्थियों के पति / पत्नी का विवरण खाता सं० 15	भुगतान की तिथि भुगतान की गई राशि 16	फसल मौसम 17	फसल मौसम 18
6860***3077	225002958623	072001****2035	25/03/2022	9,105	खरीफ 2021
6860***3077	225002958623	072001****2035	18/12/2021	8,094	रबी 2020-21
6860***3077	225002958623	072001****2035	09/09/2020	8,094	रबी 2019-20
6169***6715	225002930453	371101****4822	09/09/2020	4,856	रबी 2019-20
6169***6715	225002930453	371101****4822	18/12/2021	8,094	रबी 2020-21
4430***9536	225001930500	127632****6466	05/07/2022	6,374	खरीफ 2021
2841****6396	225004303999	127601****2383	18/12/2021	6,070	रबी 2020-21
2841****6396	225004303999	127601****2383	09-09-2020	12,343	रबी 2019-20
4362***9256	2250008043335	355881****2577	25/03/2022	16,187	खरीफ 2021
8214***8241	225007948033	355881****1068	25/03/2022	5,059	खरीफ 2021
8268***4612	204005718425	358****8613	28/06/2022	10,117	खरीफ 2021
2386***1248	204006401322	345****1045	07/07/2021	4,047	खरीफ 2020
7046***2953	204004313316	72110001****2355	19/05/2021	1,518	खरीफ 2021
4243***6318	221004367893	357****9578	25/05/2021	3,035	खरीफ 2020
4243***6318	221004367893	357****9578	26/11/2020	3,035	रबी 2019-20
*****4456	221002131539	348****6033	25/05/2021	11,534	खरीफ 2020
*****4456	221002131539	348****6033	27/06/2022	10,117	खरीफ 2021
7623***5999	208000708800	2491001****5448	13/05/2020	4,553	खरीफ 2019
5332***3639	208001120592	101****6639	05/04/2020	6,070	खरीफ 2019
5332***3639	208001120592	101****6639	16/08/2019	8,660	रबी 2019-20
कुल					1,46,962

(झोत: सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए औकड़े एवं नमूना लाभार्थियों के भौतिक सच्चायन के दौरान संग्रहित औकड़े)

परिशिष्ट:-3.5

(संदर्भ: कांडिका 3.8.2)

एसएलसीसी की बैठकें आयोजित करने एवं लाभार्थियों के भुगतान में विलंब

एसएलसीसी की बैठक का निधारित तिथि (मार्च / अगस्त) के विलहु एसएलसीसी की बैठक आयोजित करने की वास्तविक तिथि	एसएलसीसी बैठक को आयोजित करने में विलंब (महीना में)	किसानों के पंजीकरण हेतु निधारित तिथि	किसानों के पंजीकरण की वास्तविक तिथि	सहायता राशि का निधारित भुगतान	भुगतान करने की वास्तविक तिथि
खरीफ 2018 / मार्च 2018	जून-2018 एवं अगस्त -2018	3	31.07.2018	15.11.2018	मार्च-अप्रैल 2019
रबी 2018-19 / अगस्त 2018	नवम्बर -2018	3	31.12.2018	26.02.2019/28.03.2019	अगस्त-सितम्बर 2019
खरीफ 2019 / मार्च 2019	जुलाई-2019	4	31.07.2019	30.09.2019/15.11.2019	मार्च-अप्रैल 2020
रबी 2019-20 / अगस्त 2019	नवम्बर-2019	3	31.12.2019	26.02.2020/28.03.2020	अगस्त-सितम्बर 2020
खरीफ 2020 / मार्च 2020	नवम्बर-2020 [#]	8	31.07.2020	31.08.2020	01.09.2020 से 27.01.2022
रबी 2020-21 / अगस्त 2020	नवम्बर-2020	3	31.12.2020	26.02.2021/28.03.2021	मार्च-अप्रैल 2021
खरीफ 2021 / मार्च 2021	नवम्बर-2021 [#]	8	31.07.2021	31.07.2021	अगस्त-सितम्बर 2021
					मार्च-अप्रैल 2022
					16.03.2022 से 20.07.2022

[झोत: सहकारिता विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचना (# खरीफ 2020 एवं 2021 मौसम के लिए एसएलसीसी बैठकें बाद में आयोजित की गयी)]

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कंडिका 4.1.6) लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना और अप्रस्तुतीकरण के कारण सीमाएँ

क्र.सं.	अभिलेख	लेखापरीक्षा जांच जो नहीं किया जा सका
1	सामान्य रोकड़ बही, वार्षिक लेखा	राशियों की प्राप्ति एवं व्यय, बजट बनाने का आधार, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की दशा का सत्य एवं निष्क्र आलोकन
2	अभिश्व	किए गए वास्तविक व्यय
3	उपर्योगिता प्रमाणपत्रों की प्रति	व्यय की वास्तविकता
4	प्रत्येक बैंक खातों के चेक, भंडार पंजी एवं बैंक विवरणी की संख्या एवं श्रृंखला	जारी किए गए चेक का बैंक विवरणी से तुलना। जारी किए गए चेकों की विशुद्धता। राशियों के मध्य विसंगतियों को चिह्नित करना
5	भंडार, वितरण एवं निर्गत पंजी	किया गया क्रय, निर्गत भंडार एवं भुगतान की गई राशि
6	परिसंपत्ति पंजी	परिसंपत्तियों की विधि, रथान एवं मूल्य का निर्धारण
7	नामांकन से संबंधित अभिलेख / ऑकड़े	वसूल किए गए शुल्क की राशि तथा नामांकित एवं पंजीकृत छात्रों की संख्या
8	परीक्षा से संबंधित अभिलेख / ऑकड़े	क्या परीक्षा सारणी का अनुकरण किया गया था; क्रय / मुद्रण हेतु संविदा के नियमों का अनुपालन, परीक्षा के आयोजन के साथ इस पर व्यय की गई राशि, छात्रों की संख्या जो परीक्षा में सम्मिलित हुए, वसूल किए गए शुल्कों के प्रकार, उत्तर-पूर्तिका का उपयोग
9	परिणाम से संबंधित अभिलेख / ऑकड़े	परिणामों की घोषणा, पंजीकृत छात्र एवं परीक्षा में सम्मिलित छात्रों से संबंधित सूचनाओं की तुलना, परिणामों की घोषणा एवं उनका सारणीकरण
10	संबद्धता से संबंधित संचिकाओं की सूची, अभिलेख / ऑकड़े	संबद्ध कॉलेजों की संख्या, संधारित संचिका, निरीक्षण हेतु वसूल की गई राशि, रिजर्व शुल्क इत्यादि, तत्कालीन नियम तथा प्रक्रियाओं के अनुसार संबद्धता दिया जाना
11	भर्ती / वेतन / प्रोन्नति	क्या नियुक्ति, प्रोन्नति इत्यादि नियमानुसार दी गई तथा भुगतान नियमित थे।
12	संविदा अनुबंध / संवेदक / गैर-सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन	क्या संविदा / समझौता ज्ञापन नियमानुसार थे तथा भुगतान नियमित थे।
13	आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण	जांच एवं नियंत्रण और निगरानी के उद्देश्य से संचालित चौनलों की संख्या। निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में आश्वासन।

(झोत: लेखापरीक्षा के दौरान जारी माँग-पत्र एवं पृच्छाएं)

परिशिष्ट-4.2
(संदर्भ: कंडिका 4.2)

**11 नमूना—जाँचित विश्वविद्यालयों द्वारा निधियों का विश्वविद्यालयवार बजट प्रावधान,
व्यय और अभ्यर्पण**

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए				
विश्वविद्यालय	बजट प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत)
एकेयू	160.70	131.68	29.02	18
बीएनएमयू	1,806.58	1,459.74	346.84	19
बीआरएबीयू	3,057.50	2,510.39	547.11	18
जेपीयू	1,329.95	1,143.13	186.82	14
केएसडीएसयू	1,444.77	1,392.19	52.58	4
एलएनएमयू	3,116.48	2,573.57	542.91	17
एमएमएचएपीयू	16.94	13.70	3.24	19
फीपीयू	1,739.30	1,465.35	273.95	16
पीयू	1,334.28	1,120.29	213.99	16
टीएमबीयू	2,157.49	1,643.02	514.47	24
वीकेएसयू	1,688.90	1,347.01	341.89	20
कृत	17,852.89	14,800.07	3,052.82	17

(स्रोत: शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

परिशिष्ट-4.3 (क)
(संदर्भ: कंडिका 4.3.2)
पीआरएएन के लिए कर्मचारियों का पंजीकरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	पीआरएएन के लिए पात्र कर्मियों की संख्या	बनाए गए पीआरएएन की संख्या	नहीं बनाए गए पीआरएएन	
				संख्या	प्रतिशत
1	बीएनएमयू	233	116	117	50
2	केएसडीएसयू	36	0	36	100
3	एलएनएमयू	746	0	746	100
4	एमएमएचएपीयू	40	40	0	0
5	पीपीयू	401	0	401	100
6	पीयू	275	186	89	32
7	वीकेएसयू	64	0	64	100
	कुल	1,795	342	1,453	81

परिशिष्ट-4.3 (ख)
(संदर्भ: कंडिका 4.3.2)
कटौती की गई एनपीएस की राशि एवं बैंक में रखा जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम. संख्या	विश्वविद्यालय	एनपीएस के लिए पात्र कर्मियों की संख्या	बनाए गए पीआरएएन की संख्या	कर्मियों की संख्या जिनके अंशदान की कटौती की गई	कर्मियों की प्रतिशतता जिनके एनपीएस अंशदानों की कटौती की गई	कटौती की अवधि	कटौती की गई राशि जिसे बैंक में रखा गया	10 प्रतिशत की दर से प्राक्कलित नियोक्ता का अंशदान ⁵
1	एलएनएमयू	746	0	523	70	जनवरी 2019 से अक्टूबर 2022 तक	11.93	93.93
2	एमएमएचएपीयू	40	40	40	100	नवंबर 2016 से अक्टूबर 2022 तक	0.99	99.99
3	पीयू	275	186	164	60	जनवरी 2015 से सितंबर 2022 तक	10.42	10.42
कुल		1,061	226	727			23.34	23.34

⁵ संकल्प (जनवरी 2019) के अनुसार, कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत एनपीएस के लिए योगदान के रूप में काटा जाना था और नियोक्ता के 14 प्रतिशत समतुल्य (पहले 10 प्रतिशत की दर से) योगदान के साथ जमा किया जाना था।

परिशिष्ट—4.4
(संदर्भ: कंडिका 4.3.3)
कर्मचारियों को एवआरए का अधिक भुगतान
(राशि ₹ में)

विश्वविद्यालय	कॉलेज	फरवरी 2020 से जुलाई 2022 तक			
		कर्मचारियों का मूल वेतन	भुगतान की गई एवआरए (प्रतिशत दर पर)	देय एवआर (प्रतिशत दर पर)	अधिक भुगतान
केएसडीएसयू	ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत कॉलेज, वेदिवन, मधुबन, पूर्वी चंपारण	59,48,400	4,75,872 (8)	2,37,936 (4)	2,37,936
केएसडीएसयू	महंथ केशव संस्कृत कॉलेज फतुहा, पटना	1,03,74,225	16,59,876 (16)	6,17,004 (6)	10,42,872
केएसडीएसयू	लक्ष्मीश्वरी प्रिया संस्कृत कॉलेज, समौल, मधुबनी	2,31,01,300	18,48,104 (8)	9,24,052 (4)	9,24,052
केएसडीएसयू	श्री गणेश गिरिवर्धारी संस्कृत कॉलेज, बच्छित्यारपुर, पटना	1,23,05,785	9,84,463 (8)	7,41,562 (6)	2,42,901
केएसडीएसयू	गुरुकुल संस्कृत कॉलेज, महियाँ, छपरा	2,08,48,230	16,67,858 (8)	8,33,929 (4)	8,33,929
केएसडीएसयू	सरस्वती विलास संस्कृत कॉलेज, शोखरा, बरौनी, बेगूसराय	32,26,200	2,58,096 (8)	1,29,048 (4)	1,29,048
उप—योग (क)		7,58,04,140	68,94,269	34,83,531	34,10,738
एलएनएमयू	बीएसजे कॉलेज, राजनगर, मधुबनी	3,16,57,000	25,32,560 (8)	12,66,280 (4)	12,66,280
एलएनएमयू	बीएम कॉलेज, रहिका, मधुबनी	3,38,17,500	27,05,400 (8)	13,52,700 (4)	13,52,700
एलएनएमयू	डीबी कॉलेज, जयनगर, मधुबनी	2,70,58,400	21,64,672 (8)	16,23,504 (6)	5,41,168
एलएनएमयू	एपीएसएम कॉलेज, बरौनी, बेगूसराय	3,19,05,400	25,52,432 (8)	19,14,324 (6)	6,38,108
एलएनएमयू	आरसीएस कॉलेज, मंझौल, बेगूसराय	4,42,94,674	26,57,680 (6)	17,71,787 (4)	885,894
एलएनएमयू	केवी साइन्स कॉलेज, उछैठ—बेनीपट्टी, मधुबनी	3,43,63,135	27,49,051 (8)	20,61,788 (6)	687,263
योग (बी)		20,30,96,109	1,53,61,795	99,90,383	53,71,413
महायोग		27,89,00,249	2,22,56,064	1,34,73,914	87,82,151

(झोत: संबंधित विश्वविद्यालयों के अभिलेख)

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.3.3)

आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों को एचआरए का अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान
(राशि ₹ में)

क्रम सं.	माह	श्रेणी	कार्य-दिवस	कुल राशि	भुगतान किया गया एचआरए	भुगतेय एचआर	अधिक एचआरए का भुगतान
1.	अप्रैल 2021	भूतपूर्व सैनिक सुपरवाइजर	45	61,129.35	5,831.78	2,915.89	2,916.00
		बंदूक के साथ भूतपूर्व सैनिक	45	53,887.05	5,140.80	2,570.40	2,570.00
		बंदूक के बिना भूतपूर्व सैनिक	195	1,99,165.20	19,000.80	9,500.40	9,500.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	780	4,88,826.00	48,048.00	0.00	48,048.00
2.	मई 2021	भूतपूर्व सैनिक सुपरवाइजर	93	1,26,333.99	12,052.35	6,026.18	6,026.00
		बंदूक के साथ भूतपूर्व सैनिक	93	1,11,366.57	10,624.32	5,312.16	5,312.00
		बंदूक के बिना भूतपूर्व सैनिक	403	4,11,608.08	39,268.32	19,634.16	19,634.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,550	9,71,385.00	95,480.00	0.00	95,480.00
3.	जून 2021	भूतपूर्व सैनिक सुपरवाइजर	90	1,22,258.70	11,663.57	5,831.78	5,832.00
		भूतपूर्व सैनिक गार्ड	350	3,57,476.00	39,984.00	19,992.00	19,992.00
		बंदूक के साथ भूतपूर्व सैनिक	89	1,06,576.71	8,672.16	4,336.08	4,336.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,541	9,65,744.70	94,925.60	0.00	94,926.00
4.	जुलाई 2021	भूतपूर्व सैनिक सुपरवाइजर	71	97,407.00	9,201.26	4,600.63	4,601.00
		बंदूक के साथ भूतपूर्व सैनिक	84	1,01,586.00	9,596.16	4,798.08	4,798.00
		भूतपूर्व सैनिक गार्ड	124	1,27,910.00	12,082.56	6,041.28	6,041.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,840	11,99,919.00	1,13,344.00	0.00	1,13,344.00
5.	अगस्त 2021	सुपरवाइजर	93	1,23,474.00	12,052.35	6,026.18	6,026.00
		गनर	93	1,08,843.00	10,624.32	5,312.16	5,312.00
		सुरक्षा गार्ड	434	4,33,244.00	42,288.96	21,144.48	21,144.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,612	10,17,317.00	99,299.20	0.00	99,299.00
6.	सितंबर 2021	सुपरवाइजर	90	1,23,474.00	11,663.57	5,831.78	5,832.00
		गनर	90	1,08,842.00	10,281.60	5,140.80	5,141.00
		सुरक्षा गार्ड	420	4,33,243.00	40,924.80	20,462.40	20,462.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,560	10,17,323.00	96,096.00	0.00	96,096.00
7.	अक्टूबर 2021	सुपरवाइजर	93	1,23,474.00	12,210.68	6,105.34	6,105.00
		गनर	93	1,08,843.00	10,773.12	5,386.56	5,387.00
		सुरक्षा गार्ड	465	4,64,190.00	45,904.80	22,952.40	22,952.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,612	10,17,328.00	1,00,072.96	0.00	1,00,073.00

क्रम सं.	माह	श्रेणी	कार्य-दिवस	कुल राशि	भुगतान किया गया एचआरए	भुगतेय एचआर	अधिक एचआरए का भुगतान
8.	नवम्बर 2021	सुपर्वाइजर	90	1,25,097.00	11,816.78	5,908.39	5,908.00
		गनर	90	1,10,370.00	10,425.60	5,212.80	5,213.00
		सुरक्षा गार्ड	450	4,70,280.00	44,424.00	22,212.00	22,212.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,530	10,05,516.00	94,982.40	0.00	94,982.00
9.	दिसंबर 2021	सुपर्वाइजर	93	1,25,097.00	12,210.68	6,105.34	6,105.00
		गनर	155	1,83,950.00	17,955.20	8,977.60	8,978.00
		सुरक्षा गार्ड	465	4,70,280.00	45,904.80	22,952.40	22,952.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,644	10,52,796.00	1,02,059.52	0.00	102,060.00
10.	जनवरी 2022	सुपर्वाइजर	93	1,25,097.00	12,210.68	6,105.34	6,106.00
		गनर	155	1,83,950.00	17,955.20	8,977.60	8,978.00
		सुरक्षा गार्ड	465	4,70,280.00	45,904.80	22,952.40	22,952.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,581	10,05,516.00	98,148.48	0.00	98,148.00
11.	फरवरी 2022	सुपर्वाइजर	84	1,25,097.00	11,029.00	5,514.50	5,514.00
		गनर	140	1,83,950.00	16,217.60	8,108.80	8,109.00
		सुरक्षा गार्ड	616	7,29,248	60,811.52	30,405.76	30,406.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,540	10,98,586	95,603.20	0.00	95,603.00
12.	मार्च 2022	सुपर्वाइजर	93	1,25,097	12,211.00	6,105.00	6,106.00
		गनर	155	1,83,950.00	17,955.20	8,977.60	8,978.00
		सुरक्षा गार्ड	682	7,29,248	67,327.04	33,663.52	33,664.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,705	10,98,576	1,05,846.40	0.00	105,846.00
13.	अप्रैल 2022	सुपर्वाइजर	90	1,26,717.00	11,970.00	5,985.00	5,985.00
		गनर	150	1,86,490.00	17,616.00	8,808.00	8,808.00
		सुरक्षा गार्ड	660	7,38,714	66,000.00	33,000.00	33,000.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,666	11,54,028	1,07,423.68	0.00	107,424.00
14.	मई 2022	सुपर्वाइजर	93	1,26,717.00	12,369.00	6,184.50	6,185.00
		गनर	155	1,86,490.00	18,203.20	9,101.60	9,102.00
		सुरक्षा गार्ड	682	7,38,714	68,200.00	34,100.00	34,100.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,705	11,41,140.00	1,09,938.40	0.00	1,09,938.00
15.	जून 2022	सुपर्वाइजर	90	1,26,717.00	11,970.00	5,985.00	5,985.00
		गनर	150	1,86,490.00	17,616.00	8,808.00	8,808.00
		सुरक्षा गार्ड	660	7,38,714	66,000.00	33,000.00	33,000.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,736	11,95,560	1,11,937.28	0.00	1,11,937.00

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्रम सं.	माह	श्रेणी	कार्य-दिवस	कुल राशि	भुगतान किया गया एचआरए	भुगतेय एचआर	अधिक एचआरए का भुगतान
16.	जुलाई 2022	सुपर्वाइजर	94	1,28,325.00	12,502.00	6,251.00	6,251.00
		गनर	155	1,86,490.00	18,203.20	9,101.60	9,102.00
		सुरक्षा गार्ड	682	7,38,714	68,200.00	34,100.00	34,100.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,741	11,54,351	1,12,259.68	0.00	1,12,260.00
17.	अगस्त 2022	सुपर्वाइजर	93	1,26,717.00	12,369.00	6,184.50	6,185.00
		गनर	155	1,86,490.00	18,203.20	9,101.60	9,102.00
		सुरक्षा गार्ड	682	7,38,714	68,200.00	34,100.00	34,100.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,705	11,26,290.00	1,09,938.40	0.00	1,09,938.00
18.	सितंबर 2022	सुपर्वाइजर	90	1,26,717.00	11,970.00	5,985.00	5,985.00
		गनर	150	1,86,490.00	17,616.00	8,808.00	8,808.00
		सुरक्षा गार्ड	660	6,98,698.00	66,000.00	33,000.00	33,000.00
		असैनिक गार्ड (नॉन-डीजीआर)	1,470	10,03,422.00	94,785.60	0.00	94,786.00
कुल							24,73,893

(स्रोत: एलएनएमयू द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.3.4)

एलएनएमयू द्वारा बचत बैंक खाते का सधारण नहीं किए जाने के कारण ब्याज की हानि

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अवधि	खाते में औसत शेष राशि	महीनों की संख्या (लगभग)	ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	ब्याज की राशि
1	04.05.16 से 03.01.17 तक	10,00,00,000	08	3.50	23,33,333
2	04.01.17 से 05.01.18 तक	2,19,86,075	12	3.50	7,69,513
3	07.01.18 से 12.04.18 तक	85,34,083	03	3.50	74,673
4	13.04.18 से 03.05.18 तक	70,71,834	01	3.50	20,626
5	04.05.18 से 03.07.18 तक	5,70,71,834	02	3.50	3,32,919
6	04.07.18 से 20.07.18 तक	5,59,58,526	0.5	3.50	81,606
7	21.07.18 से 13.02.19 तक	5,74,58,491	07	3.50	11,73,111
8	14.02.19 से 04.10.19 तक	5,52,63,222	08	3.00	11,05,264
9	05.10.19 से 16.12.19 तक	5,46,33,145	02	3.00	2,73,166
10	17.12.19 से 06.01.20 तक	4,38,58,237	01	3.00	1,09,646
11	07.01.20 से 25.02.20 तक	4,30,00,000	1.5	3.00	1,61,250
12	26.02.20 से 05.03.20 तक	4,25,67,134	0.67	3.00	71,299
13	06.03.20 से 13.05.20 तक	3,98,82,231	2.5	2.75	2,28,492
14	14.05.20 से 27.08.20 तक	3,56,48,756	3.5	2.70	2,80,734
15	28.08.20 से 11.02.21 तक	3,55,61,830	5.5	2.70	4,40,078
16	12.02.21 से 17.06.21 तक	3,55,61,182	3.5	2.70	2,80,044
17	18.06.21 से 21.12.21 तक	3,46,59,243	06	2.70	4,67,900
कुल				82,03,654	

(ओत-एलएनएमयू के अमिलेख)

परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: कंडिका 4.3.5)

उपयोगिता प्रमाणपत्र का अप्रस्तुतीकरण

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय	वित्तीय वर्ष	द्वारा विमुक्त अनुदान	विमुक्त राशि	राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित था (₹ लाख में)
1.	एलएनएमयू	2018-19	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आरयूएसए	116.02 234.00 39.20	116.02 10.00 234.00 39.20
2.	केएसडीएसयू	2019-20	आरयूएसए	857.00	857.00
3.	पीयू	2018-19	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आरयूएसए	62.00 62.00 25.00 30.00	62.00 62.00 25.00 30.00
4.	वीकेएसयू	2018-19	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आरयूएसए	1,000.00 15.00	1,000.00 15.00
5.	बीएनएमयू	2018-19	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आरयूएसए	39.00	39.00
6.	जेपीयू	2018-19	शिक्षा विभाग, बिहार सरकार आरयूएसए	102.00	102.00
7.	एमएमएचएपीयू	2009-10 से 2020-21	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार बिहार सरकार	1,059.27 13,300.00	1,059.27 6,793.57
8.	पीपीयू	2018-19	बिहार सरकार बिहार सरकार	791.19 7,318.11	791.19 7,318.11
9.	बीआरएचीयू	2018-19 2019-20			54.56
			कुल	25,273.79	10,152.90

(ज्ञोत: विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: कांडिका 4.3.6)

आग्रीमों का असमायोजन (नवंबर 2022 तक)

विश्वविद्यालय	जिसके लिए दिया गया आग्रीम	अब तक बकाए आग्रीम की राशि (वर्षों की संख्या)	राशि जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	कुल	
		0-5	05-10	10-15	15 से अधिक
एकेयू	परीक्षा	32,98,565	0	0	0
बीएनएमयू	परीक्षा, खेल, आकस्मिकता	7,67,26,564	1,55,84,914	0	0
बीआरएबीयू	परीक्षा, खेल, आकस्मिकता	3,58,02,801	1,64,13,407	0	1,12,38,700
जेपीयू	परीक्षा, खेल, आकस्मिकता	3,09,71,257	46,42,625	0	0
केएसडीएसयू	परीक्षा, खेल, आकस्मिकता	86,45,255	5,21,300	0	0
एलएनएमयू	परीक्षा, आकस्मिकता	20,18,61,920	7,30,04,198	0	0
एमएमचार्चपीयू	परीक्षा	2,36,54,699	48,93,158	3,45,600	0
पीपीयू	परीक्षा, आकस्मिकता	12,35,60,730	0	0	0
पीयू	परीक्षा, आकस्मिकता	0	0	0	0
टीएमबीयू	परीक्षा, खेल, आकस्मिकता	2,32,06,107	2,14,47,240	29,46,350	46,11,000
वीकेएसयू	परीक्षा, वीकेएसयू निधि और खेल निधि	1,26,45,130	38,64,026	0	0
	कुल	54,03,73,028	14,03,70,868	32,91,950	46,11,000
				8,43,90,220	77,30,37,066

(ज्ञोत: संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख और आँकड़े)

परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: कॉडिका 4.3.10)

जीएसटी पर टीडीएस की कटौती नहीं किया जाना

(राशि ₹ लाख में)

विश्वविद्यालय	क्र. सं.	अवधि	आपूर्ति की गई वस्तुओं / सेवाओं का विवरण	भुगतान की गई कुल राशि	कटौती नहीं की गई टीडीएस की राशि
पीपीयू	01	मई 2019 से अगस्त 2022 तक	उत्तर पत्रक एवं आठ पृष्ठों का प्रायोगिक परीक्षा पत्रक	303.68	6.07
	02	मई 2020 से मई 2021 तक	यूएमआईएस सॉफ्टवेयर का विकास	121.29	2.43
	03	मई 2020 से मई 2022 तक	प्रश्न पत्र का मुद्रण	644.00	12.87
	04	नवंबर 2021	ई-बुक एवं ई-रिसर्च जर्नल	165.00	3.31
	05	सितंबर 2018 से नवंबर 2021	मानवबल की आउटसोर्सिंग	658.90	13.18
	06	2021-22	एसी और कंप्यूटर	81.09	1.62
		कुल		1,973.96	39.48

(चोत: संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अग्रिमेण्य)

પરિશ્લેષ-4.10

(संदर्भः कठिनिका ४.३.११)

2019–20 से 2020–21 की अवधि के द्वारा भवन एवं अन्य सनिमिण कर्मकार कल्याण उपकरणों की गैर-कटौती

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की लागत	कर्तौती किए जाने योग्य लेबर सेस @ 1 प्रतिशत	मात्रा (मी. ³ में)	रॉयलटी @ ₹ 75 प्रति मी. ³	पत्थर के चिप्स वालू	पत्थर के चिप्स मात्रा (मी. ³ में)	रॉयलटी @ ₹ 150 प्रति मी. ³	मात्रा (मी. ³ में)	रॉयलटी @ ₹ 18 प्रति 400	ईंटो
											कर्तौती योग्य लेकिन कर्तौती नहीं की गई कल रॉयलटी (खपत की गई रेत पत्थर की चिप्स ईंटों पर) 3,47,427.00
1	कक्षा के आरसीसी छत स्लैब में जीसीआई शीट शेड छत शेड का उन्नयन	64,20,000.00	64,200.00	205.00	15,375.00	190.00	28,500.00	80,000.00	3,600.00	3,600.00	5,12,656.00
2	जन्तु विज्ञान पीजी विभाग से नगरोना पेलेस तक पीसीसी सड़क का निर्माण	6,82,890.00	6,828.90	37.70	2,827.50	75.40	11,310.00	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
3	परीक्षा विभाग का निर्माण	2,53,481.80	2,53,481.80	576.00	43,200.00	585.00	87,750.00	3,35,000.00	3,35,000.00	15,075.00	5,12,656.00
4	कुलपति आवासीय कार्यालय के गेरेज का नवीनीकरण एवं उन्नयन	13,97,618.00	13,976.18	20.00	1,500.00	23.00	3,450.00	6,000.00	6,000.00	270.00	3,47,427.00
5	प्रथम तल पर गृह विज्ञान विभाग का निर्माण	43,37,504.00	43,375.04	120.00	9,000.00	76.00	11,400.00	79,000.00	79,000.00	3,555.00	3,47,427.00
6	श्रमा मंदिर से चोरंचिप तक पीसीसी सड़क का निर्माण	21,33,532.00	21,335.32	115.15	8,636.25	227.00	34,050.00	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
7	भौतिकी विज्ञान, पीजी विभाग भवन में नवीनीकरण एवं मरम्मत का कार्य	30,08,551.00	30,085.51	11.78	883.50	5.33	799.50	7,215.00	7,215.00	324.68	3,47,427.00
8	जन्तु विज्ञान पीजी विभाग भवन में नवीनीकरण कार्य	23,31,645.00	23,316.45	4.43	332.25	1.98	297.00	3,985.00	3,985.00	179.33	3,47,427.00
9	गणित विभाग में जीर्णद्वार एवं पीसीसी सड़क	8,30,257.00	8,302.57	26.26	1,969.50	52.52	7,878.00	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
10	गंडक छात्रावास के सामने से मुख्य सड़क तक पीसीसी सड़क का निर्माण	90,908.00	909.08	4.99	374.25	9.99	1,498.50	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
11	मुख्य सड़क से बागमती बालक छात्रावास तक पीसीसी सड़क का निर्माण	7,50,088.00	7,500.88	28.88	2,166.00	57.76	8,664.00	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
12	पुलिया (प्रेस भवन के पास) से पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क तक पीसीसी सड़क का निर्माण	13,66,520.00	13,665.20	83.00	6,225.00	166.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	3,47,427.00
13	नवनिर्मित कन्या छात्रावास का उन्नयन	9,79,300.00	9,793.00	20.00	1,500.00	11.00	1,650.00	10,000.00	10,000.00	450.00	3,47,427.00
14	गांधी सदन के सामने चारदीवारी का ध्वस्त कर पुनर्निर्माण एवं फिसलनरोधी टाइल वाले फुटपाथ कुल	15,88,585.00	15,885.85	37.50	2,812.50	31.50	4,725.00	6,650.00	6,650.00	299.25	3,47,427.00
		5,12,655.78	5,12,655.78		96,801.75		2,26,872.00			23,753.26	

(झोटः एलाननामय के अभिलेख)

परिशिष्ट-4.11

(संदर्भ: कंडिका 4.3.15)

रोकड़ बही का गेर / अनियमित संधारण

क्रम संख्या	अनियमितता	विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय / (आईईएस)
1.	असंधारित सामान्य रोकड़ बही	10	बीएनएमयू बीआरएबीयू जेपीयू केएसडीएसयू एलएमएनयू एमएचएपीयू पीपीयू टीएमबीयू और वीकेएसयू
2.	सहायक रोकड़ बही (142) का गेर-संधारण / गलत तरिके से संधारण किया जाना	08	बीएनएमयू (18), केएसडीएसयू (14), एलएमएनयू (22), पीपीयू (29), पीयू (01), (26), टीएमबीयू (31) और वीकेएसयू (01)
3.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया जाता	06	बीएनएमयू जेपीयू पीयू बीआरएबीयू टीएमबीयू और वीकेएसयू
4.	आरंभ शेष / अंतशेष की गणना नहीं किया जाना	03	बीएनएमयू पीयू बीआरएबीयू और वीकेएसयू
5.	रोकड़ बही का गेर-सत्यापन	05	बीएनएमयू जेपीयू पीयू टीएमबीयू बीआरएबीयू और वीकेएसयू

(झोत: संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिलेख)

परिशिष्ट-4.12

(संदर्भ: कंडिका 4.4.2)

एलएनएमयू की टेबुलेशन पंजी में अनियमितताएं

क्र.सं.	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या / वर्ष	कॉलेज / विभाग	विषय	पीजी प्रथम सेमेस्टर / द्वितीय सेमेस्टर में वास्तविक प्राप्तांक (टीआर के अनुसार), सत्र: 2017–19	सत्र 2017–19 का चतुर्थ सत्र टेबुलेशन पंजी (अंतिम) के अनुसार पीजी में लिया गया प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक को
1.	18001230XXXXX	132118XXXXX/2013	पीजी विभाग	प्राणी विज्ञान	227	275
2.	18103230XXXXX	109080XXXXX/2009	जीडी कॉलेज, बेगूसराय	प्राणी विज्ञान	217	209
3.	18103230XXXXX	141038XXXXX/2014	जीडी कॉलेज, बेगूसराय	प्राणी विज्ञान	255	215
4.	17204236XXXXX	421106XXXXX/2013	सीएम विज्ञान कॉलेज, दरभंगा	प्राणी विज्ञान	44	235
5.	18204230XXXXX	132298XXXXX-2013	सीएम विज्ञान कॉलेज, दरभंगा	प्राणी विज्ञान	254	179
6.	161XXXXX	101100XXXXX-2010	जीडी कॉलेज, बेगूसराय	भौतिक विज्ञान	38	264
7.	18204230XXXXX	132098XXXXX-2013	सीएम विज्ञान कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	258	235

क्र.सं.	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या / वर्ष	कॉलेज/विभाग	विषय	पीजी प्रथम सेमेस्टर/द्वितीय सेमेस्टर में वास्तविक प्राप्तांक (हीआर के अनुसार), सत्र: 2017-19	सत्र 2017-19 का चतुर्थ सत्र के टेब्युलेशन पंजी (आंतिम) के अनुसार पंजी में लिया गया प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक को
8.	17211235XXXXX	124128XXXXX -2012	एमआरएम कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	21	223
9.	17211235XXXXX	133058XXXXX -2013	एमआरएम कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	32	222
10.	17211235XXXXX	134128XXXXX -2013	एमआरएम कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	15	234
11.	18211230XXXXX	122118XXXXX -2012	एमआरएम कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	245	227
12.	18211230XXXXX	124128XXXXX -2012	एमआरएम कॉलेज, दरभंगा	भौतिक विज्ञान	294	264
13.	18311230XXXXX	222101XXXXX -2010	आरके कॉलेज, मधुबनी	भौतिक विज्ञान	243	200
14.	18311230XXXXX	124088XXXXX -2012 (*यदि प्राप्त अंकों को सुधार/अद्यतन किया गया होता, तो प्रथम विभाजन प्राप्त होता)	आरके कॉलेज, मधुबनी	भौतिक विज्ञान (*यदि प्राप्त अंकों को सुधार/अद्यतन किया गया होता, तो प्रथम विभाजन प्राप्त होता)	222 (1 st + 2 nd +3 rd +4 th सेमेस्टर अंक 222 + 239+ 229 + 273 = 963, 1 st डिवीजन) 229 + 273 = 951, 2 nd डिवीजन)	210 (1 st + 2 nd +3 rd +4 th सेमेस्टर अंक 222 + 239+ 229 + 273 = 951, 2 nd डिवीजन)
15.	18409230XXXXX	124108XXXXX -2012	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	भौतिक विज्ञान	230	193
16.	18409230XXXXX	134068XXXXX -2013	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	भौतिक विज्ञान	278	240
17.	161XXXXX	124108XXXXX -2012	जीडी कॉलेज, बैगूसराय	वनस्पति विज्ञान	39	207
18.	18103230XXXXX	131028XXXXX -2013 (*यदि प्राप्त अंकों को सुधार/अद्यतन किया गया होता, तो प्रथम विभाजन प्राप्त होता)	जीडी कॉलेज, बैगूसराय (*यदि प्राप्त अंकों को सुधार/अद्यतन किया गया होता, तो प्रथम विभाजन प्राप्त होता)	वनस्पति विज्ञान (*यदि प्राप्त अंकों को सुधार/अद्यतन किया गया होता, तो प्रथम विभाजन प्राप्त होता)	241 (1 st + 2 nd +3 rd +4 th सेमेस्टर अंक 241 +223 + 236 + 261 = 961, 1 st डिवीजन 236 + 261 = 948, 2 nd डिवीजन)	228 (1 st + 2 nd +3 rd +4 th सेमेस्टर अंक 228 + 223 + 236 + 261 = 948, 2 nd डिवीजन)
19.	17409235XXXXX	124218XXXXX -2012	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	वनस्पति विज्ञान	48	270
20.	18103230XXXXX	144088XXXXX -2014	जीडी कॉलेज, बैगूसराय	रसायन विज्ञान	219	203
21.	18103230XXXXX	144038XXXXX -2014	जीडी कॉलेज, बैगूसराय	रसायन विज्ञान	232	212
22.	18204230XXXXX	144108XXXXX -2014	सीएम अनुसूचित जाति कॉलेज, दरभंगा	रसायन विज्ञान	251	238
23.	18409230XXXXX	124028XXXXX -2017	समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर	भौतिक विज्ञान	251	265

(झोत: एलएनएमयू का अधिकारी)

परिशिष्ट-4.13

(संदर्भ: कांडिका 4.4.2)

कैण्सडीएस्यू की टैब्युलेशन पंजी में अनियमितताएं

(क) शास्त्री अंतिम वर्ष पाठ-III परीक्षा के टीआर में देखे गये मामले, जिसमें परिणाम परीक्षा के तीन भागों में से केवल दो भागों में प्राप्त किये गये अंकों के आधार

क्र.सं.	छात्रों की अनुक्रमांक / पंजीकरण संख्या	कॉलेज का नाम	कॉलेज का नाम	भाग III प्राप्तांक	भाग II प्राप्तांक	भाग I प्राप्तांक	कुल प्राप्तांक	परिणाम / श्रेणी
1	173XXXXX / 10 XXXXX /2016	संस्कृत कॉलेज पोतिया, काठिहार	संस्कृत कॉलेज पोतिया, काठिहार	235	123	रिक्त	$358+2$ (235+123)	उत्तीर्ण (हितीय)
2	163XXXXX / 31XXXXX /-	स्वामी कामदेव पुरुषोत्तम गिरि संस्कृत कॉलेज, महाराजगंज, सिवान	स्वामी कामदेव पुरुषोत्तम गिरि संस्कृत कॉलेज, महाराजगंज, सिवान	241	133	रिक्त	374 (241+133)	उत्तीर्ण (हितीय)
3	3XXXXX / 31XXXXX /2013	भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज, छपरा	भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज, छपरा	251	116	रिक्त	367 (251+116)	उत्तीर्ण (हितीय)
4	173XXXXX / 10XXXXX /2016	राधेवेन्द्र संस्कृत कॉलेज, तरेपाली, पटना	राधेवेन्द्र संस्कृत कॉलेज, तरेपाली, पटना	288	रिक्त	122	410 (288+122)	उत्तीर्ण (हितीय)
5	183XXXXX / 31XXXXX /2018	भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज, छपरा	भारतेश्वरी मारवाड़ी संस्कृत कॉलेज, छपरा	261	103	रिक्त	364 (261+103)	उत्तीर्ण (हितीय)

(ख) मामले जहाँ विभिन्न परिणाम देते हुए शास्त्री (त्नातक) अंतिम वर्ष भाग-III परीक्षा 2019 के टैबुलेशन पंजी में छात्रों का विवरण दुष्वारा लिखे गए थे

क्र.सं.	टीआर के अनुसार क्र.सं.	पृष्ठ सं	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या / वर्ष	कॉलेज का नाम	परीक्षा केंद्र	परिणाम
1.	039	30	173XXXXX	31XXXXX/2017	हरगोरी संस्कृत कॉलेज, रोहतास (1402)	के.एन. कॉलेज, बक्सर	उत्तीर्ण
	040	30	173XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	रिक्त
2.	043	30	173XXXXX	31XXXXX/2017	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण
	044	30	173XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	रिक्त
3.	014	28	173XXXXX	31XXXXX/2017	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण
	015	28	173XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	रिक्त
4.	010	148	173XXXXX	31XXXXX/2017	श्री फैक्टु महतो संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय	सरस्वती विलास संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय	रिक्त
	011	148	173XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	
5.	019	121	173XXXXX	31XXXXX/2017	मदन कांत झा संस्कृत कॉलेज, समस्तीपुर	बीईडी विभाग, केएसडीएसयू दरभंगा	उत्तीर्ण
	020	121	173XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	अनुत्तीर्ण
6.	039	121	193XXXXX	10XXXXX/2015	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण
	040	121	193XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	अनुत्तीर्ण
7.	001	118	163XXXXX	10XXXXX/2015	संस्कृत कॉलेज, समस्तीपुर (5301)	बीईडी विभाग, केएसडीएसयू दरभंगा	उत्तीर्ण
	002	118	163XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	अनुत्तीर्ण
8.	004	118	163XXXXX	31XXXXX/2016	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण
	005	118	163XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	रिक्त
9.	003	120	153XXXXX	31XXXXX/2015	मदन कांत झा संस्कृत कॉलेज, समस्तीपुर (5302)	बीईडी विभाग, केएसडीएसयू दरभंगा	उत्तीर्ण
	004	120	153XXXXX	—वही—	—वही—	—वही—	रिक्त

(झोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

(ग) मामले जहाँ एक ही कॉलेज के दो छात्रों का एक ही अनुक्रमांक था और शास्त्री (स्नातक) पार्ट-II परीक्षा 2019/2020 के लिए उसी परीक्षा केन्द्र में शामिल हुए

क्र.सं.	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या / वर्ष	कॉलेज का नाम	परीक्षा के दृ के नाम	परीक्षा (प्रशिक्षण)	परिणाम
1	173XXXX	31XXXXX/2017	भारत मिशा संस्कृत कॉलेज, छपरा (4101)	दयाननंद आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेज, सिवान	शास्त्री (स्नातक) प्रतिष्ठा भाग-III परीक्षा-2019	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
	173XXXX	XXXXXX/2004	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
2	163XXXX	10XXXXX/2015	राधेवेन्द्र संस्कृत कॉलेज, पटना (1104)	राजकीय संस्कृत कॉलेज, पटना	—वही—	उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी
	163XXXX	10XXXXX/2013	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी
3	173XXXX	-	श्री फँकू मेहो संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय (8205)	सरस्वती विलास संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय	—वही—	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
	173XXXX	-	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
4	173XXXX	31XXXXX/2017	सरस्वती विलास संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय (8202)	सरस्वती विलास संस्कृत कॉलेज, बेगूसराय	शास्त्री (स्नातक) प्रतिष्ठा भाग-III परीक्षा-2020	उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी
	173XXXX	10XXXXX/2016	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी
5	183XXXX	10XXXXX/2012	श्री महंत वैदेही शरण संस्कृत कॉलेज, भागलपुर (7102)	राजकीय संस्कृत कॉलेज, भागलपुर	—वही—	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
	183XXXX	10XXXXX/2012	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
6	183XXXX	10XXXXX/2017	गोस्यामी लक्ष्मीनाथ संस्कृत कॉलेज, सहरसा (6102)	उग्रतारा, भारती मंडन संस्कृत कॉलेज, सहरसा	शास्त्री (स्नातक) प्रतिष्ठा भाग-III परीक्षा-2020	उत्तीर्ण हितीय श्रेणी
	183XXXX	10XXXXX/2017	—वही—	—वही—	—वही—	उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी

(ग) मामले जहाँ एक ही कॉलेज के दो छात्रों का एक ही अनुक्रमांक था और शास्त्री (स्नातक) पार्ट-IIII परीक्षा 2019/2020 के लिए उसी परीक्षा केन्द्र में शामिल हुए					
क्र.सं.	अनुक्रमांक	पंजीकरण संख्या /वर्ष	कॉलेज का नाम	परीक्षा के द के नाम	परीक्षा (प्रशिक्षण)
7	183XXXX	10XXXXX/2015	लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत कॉलेज, दरभंगा	शिक्षाशास्त्र विभाग, केएसडीएसयू दरभंगा	—वही— अनुतीर्ण
	183XXXX	31XXXXX/2018	—वही—	—वही—	—वही— उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी
8	183XXXX	10XXXXX/2012	राजकीय संस्कृत कॉलेज, पटना	राघवेन्द्र संस्कृत कॉलेज, पटना	—वही— उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी
	183XXXX	10XXXXX/2017	—वही—	—वही—	—वही— उत्तीर्ण द्वितीय श्रेणी

परिशिष्ट-4.14

(संदर्भ: कांडिका 4.4.3)

आवेदन शुल्क, संबद्धता शुल्क एवं अस्य निधि की गैर/कम वमूली

क्रम संख्या	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स के नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)		
				आवेदन शुल्क	संबद्धता शुल्क	अस्य निधि
1	अद्वेत मिशन प्रौद्योगिकी संस्थान, बांका	बीबीए, बीसीए	2019-20	0	0	30,00,000
2	अंबेडकर नर्सिंग शिक्षा कॉलेज, डालमियानगर, रोहतास	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0	5,00,000
3	अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा संस्थान, छितनावा, दानापुर, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएमसी	2021-22	75,000	2,25,000	40,00,000
	अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा संस्थान, छितनावा, दानापुर, पटना	बैचलर ऑफ ऑफर्टिलिमक टेक्नोलॉजी	2021-22	25,000	75,000	2,50,000
	अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा संस्थान, छितनावा, दानापुर, पटना	मास्टर ऑफ फिजिओथेरेपी	2021-22	25,000	1,00,000	2,50,000
	अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा संस्थान, छितनावा, दानापुर, पटना	मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	2021-22	25,000	1,00,000	2,50,000
4	अपोलो नर्सिंग कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0	5,00,000
5	आर्कड बिजनेस कॉलेज, खगोल रोड, पटना	बीबीए, बीसीए	2021-22	1,00,000	4,50,000	30,00,000
6	अशोक व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज, नगरनौसा, नालंदा	बीबीए, बीसीए	2021-22	50,000	1,50,000	30,00,000
7	अशोक नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज, नगरनौसा, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0	5,00,000
8	अजमत प्रौद्योगिकी संस्थान, किशनगंज	बीबीए, बीसीए	2019-20	0	0	30,00,000
9	ब्रेडफोर्ड इंटरनेशनल विजनेस एफ्यूल, दीदारगंज पटना	एमबीए एमसीए	2021-22	0	2,00,000	20,00,000
10	चाणक्य फार्मसी एवं चिकित्सा विज्ञान कॉलेज कोइलवर, भोजपुर	फार्मसी	2019-20	0	0	5,00,000
11	चाणक्य प्रबंधन एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोइलवर, भोजपुर	एमबीए	2021-22	25,000	5,00,000	10,00,000
	चाणक्य प्रबंधन एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोइलवर, भोजपुर	बीबीए, बीसीए, बीएमसी और बी कॉम (भी)	2020-21	0	3,00,000	50,00,000
12	लीपी सिंह शिक्षण संस्थान, गौतमनगर, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2018-19	0	0	5,00,000
13	दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज, महाराजांग, सिवान	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	75,000	0

क्रम संख्या	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स के नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)
			आवेदन शुल्क संबद्धता शुल्क	आक्षय निधि
14	धनरुआ नर्सिंग एवं पारामेडिक्स आवधारा, धनरुआ, पटना	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	2019-20	0 0 2,50,000
	धनरुआ नर्सिंग एवं पारामेडिक्स आवधारा, धनरुआ, पटना	बैचलर ऑफ ओव्युप्शनल थेरेपी	2019-20	0 0 2,50,000
	धनरुआ नर्सिंग एवं पारामेडिक्स आवधारा, धनरुआ, पटना	बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट	2019-20	0 1,50,000 2,50,000
	धनरुआ नर्सिंग एवं पारामेडिक्स आवधारा, धनरुआ, पटना	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	2019-20	0 75,000 2,50,000
	धनरुआ नर्सिंग एवं पारामेडिक्स धनरुआ, पटना	बीएससी नर्सिंग	2018-19	0 0 5,00,000
15	धनरुआ प्रशिक्षण संस्थान, धनरुआ, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएमसी	2021-22	75,000 2,25,000 40,00,000
16	डॉ. त्रिशूलधारी पाठ्य मेमोरियल शिक्षा कॉलेज, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0 50,000 5,00,000
17	गोतम कॉलेज, भागनबीघा, नालंदा	बीबीए, बीसीए, बीएमसी	2021-22	0 2,25,000 40,00,000
18	गोतम नर्सिंग एवं पारामेडिक्स संस्थान, नालंदा	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	2020-21	0 0 2,50,000
	गोतम नर्सिंग एवं पारामेडिक्स संस्थान, नालंदा	बैचलर ऑफ ओव्युप्शनल थेरेपी	2020-21	0 0 2,50,000
	गोतम नर्सिंग एवं पारामेडिक्स संस्थान, नालंदा	बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2020-21	0 0 2,50,000
	गोतम नर्सिंग एवं पारामेडिक्स संस्थान, नालंदा	बैचलर ऑफ लैब टेक्नोलॉजी	2020-21	0 0 2,50,000
	गोतम नर्सिंग संस्थान, हिलसा रोड नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2020-21	0 0 5,00,000
19	गोतम फार्मसी संस्थान, सैयद बहरी, नालंदा	फार्मसी	2019-20	5,000 0 0
20	हिमालय नर्सिंग संस्थान, पालीगंज, पटना	बीएससी नर्सिंग	2020-21	25,000 75,000 5,00,000
21	हिमालय व्यवसायिक शिक्षा कॉलेज, पालीगंज पटना	बीबीए, बीसीए, बीएमसी	2021-22	0 0 40,00,000
22	हिमालय उच्चतर शिक्षा (नर्सिंग विद्यालय) संस्थान, खेमनिचक,	बीएससी नर्सिंग	2018-19	0 0 5,00,000
23	इंडियन योग संस्थान, पटना	सीसीवाईएस (40), पीजीडीवाईएस (60)	2017-18	0 0 5,00,000
24	कटिहार बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कटिहार	बीएससी नर्सिंग	2020-21	0 75,000 5,00,000

क्रम संख्या	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स के नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)	
			आवेदन शुल्क	संबद्धता शुल्क	अक्षय निधि
25	कृष्णा नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, समस्तीपुर	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	5,00,000
	कृष्णा नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, समस्तीपुर	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	2019-20	0	2,50,000
	कृष्णा नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, समस्तीपुर	बैचलर ऑफ ओवर्यूथेनल थेरेपी	2019-20	0	2,50,000
	कृष्णा नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, समस्तीपुर	बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट	2019-20	0	2,50,000
26	मौं काति नर्सिंग संस्थान, फटुहाल, पटना	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	5,00,000
	मधुबनी विकिन्सा कॉलेज, स्टॉलियम रोड, मधुबनी	एमबीबीएस	2019-20	0	10,00,000
27	मगध पारामेडिकल एवं नर्सिंग संस्थान, हरदास मोकरी, गया	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	5,00,000
28	ममता शिक्षा संस्थान, सिवान	बीबीए, बीसीए, बीएससी	2021-22	75,000	2,25,000
29	माता सीता सुदर शिक्षा कॉलेज, सीतामढी	बीबीए, बीसीए, बीएससी और बी कॉम (पी)	2021-22	25,000	40,00,000
30	माता सुशीला शिक्षा संस्थान, हिलसा, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2018-19	0	50,00,000
31	एमजीएम कॉलेज, चिरुरा, आजाद नगर, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएससी और बी कॉम (पी)	2021-22	1,00,000	3,00,000
32	एमजीएम नर्सिंग एवं पारामेडिकल कॉलेज, पटना	बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2020-21	0	5,00,000
33	मजीएम नर्सिंग एवं पारामेडिकल कॉलेज, पटना	बैचलर ऑफ रेडियो-इमेजिंग टेक्नोलॉजी	2020-21	0	2,50,000
	मजीएम नर्सिंग एवं पारामेडिकल कॉलेज, पटना	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	2020-21	0	2,50,000
34	मोती बबू प्रौद्योगिकी संस्थान, फारिबिसांज	बीबीए, बी कॉम (पी)	2018-19	0	20,00,000
	मोती बबू प्रौद्योगिकी संस्थान, फारिबिसांज	बीसीए	2019-20	25,000	0
35	मुजफ्फरपुर व्यावसायिक शिक्षा कॉलेज, मुजफ्फरपुर	बीबीए, बीसीए, बीएससी और बी कॉम (पी)	2021-22	25,000	50,00,000
36	राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध संस्थान, पटना	मास्टर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2019-20	0	25,000
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध संस्थान, पटना	मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	2019-20	0	25,000
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध संस्थान, पटना	मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी	2019-20	0	25,000
37	नूतन नर्सिंग कॉलेज, रुन्नी सेदपुर, सीतामढी	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	5,00,000

क्रम संख्या	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स के नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)	
			आवेदन शुल्क	संबद्धता शुल्क	अक्षय निधि
38	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	बैचलर ऑफ हास्पिटल मैनेजमेंट	2019-20	25,000	0
	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	मार्स्टर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी	2019-20	0	0
	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	मार्स्टर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2019-20	0	0
	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	मार्स्टर ऑफ ऑपरेशनिक टेक्नोलॉजी	2019-20	0	0
	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	मार्स्टर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	2019-20	0	0
	पटना नर्सिंग एवं पारामेडिकल साइंस संस्थान, पटना	मार्स्टर ऑफ फिजियोथेरेपी	2019-20	0	0
39	प्रमेला आधार नर्सिंग विद्यालय, समस्तीपुर	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0
40	प्रशांत नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज, मुजफ्फरपुर	बीएससी नर्सिंग	2021-22	0	0
41	प्रियदर्शिनी नर्सिंग संस्थान लहरियासराय, दरभंगा	बीएससी नर्सिंग	2020-21	0	0
42	आरआरपी नर्सिंग नर्सिंग विद्यालय, सासाराम	बीएससी नर्सिंग	2020-21	25,000	75,000
43	राज आर्यन नर्सिंग एवं पारामेडिकल कॉलेज, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2020-21	25,000	75,000
44	रॉयल अशोका जनसचार एवं प्रतिक्रिया संस्थान, कंकड़बाग, पटना	बीएससी	2021-22	0	75,000
45	एसके लोबल स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय, मुजफ्फरपुर	बीएससी नर्सिंग	2021-22	0	0
46	एस.एन.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, मोतिहारी	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0
47	एसएनएस विद्यालय, मोतिहारी	बीबीए, बीएससी, बीएससी और बी कॉम (पी)	2021-22	1,00,000	3,00,000
48	शेरशाह चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, सासाराम	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0
49	शिवम उच्च अध्ययन कॉलेज (नर्सिंग), पटना	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0
50	श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज, औरंगाबाद	बीएससी नर्सिंग	2019-20	0	0
51	श्री साई नर्सिंग एवं पारामेडिकल कॉलेज, कंकड़बाग, पटना	बीएससी नर्सिंग	2020-21	0	0
52	श्यामलाल चंद्रशेखर पारामेडिकल संस्थान, खगड़िया	बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी	2018-19	0	0
	श्यामलाल चंद्रशेखर पारामेडिकल संस्थान, खगड़िया	बैचलर ऑफ मेडिकल लेब टेक्नोलॉजी	2018-19	0	0
	श्यामलाल चंद्रशेखर पारामेडिकल संस्थान, खगड़िया	बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	2019-20	0	0
53	एसएनएस फार्मर्सी कॉलेज, मोतिहारी	फार्मर्सी	2019-20	30,000	0

क्रम संख्या	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स के नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)
			आवेदन शुल्क संबद्धता शुल्क	आक्षय निधि
54	श्री राज नर्सिंग प्रिशिक्षण एवं पारामेडिकल संस्थान, पटना टेक्नोलॉजी	बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2021-22 0	0 2,50,000
55	श्री राज नर्सिंग प्रिशिक्षण एवं पारामेडिकल संस्थान, पटना श्री राम चिकित्सा कॉलेज, सिवान श्री राम चिकित्सा कॉलेज, सिवान	बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी	2021-22 0 2019-20 0 2019-20 0	0 0 0 0 0 0
56	श्री राम चिकित्सा कॉलेज, सिवान श्री राम चिकित्सा कॉलेज, सिवान	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी	2019-20 0 2019-20 0	0 0 0 0
57	शुभद्रा देवी नर्सिंग विद्यालय, हाजीपुर, वैशाली	बीएससी नर्सिंग	2019-20 0	0 5,00,000
58	सुभावंती शिक्षण संस्थान पचोरा, सिवान	बीएससी नर्सिंग	2019-20 0	0 5,00,000
59	सुभावंती व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, सेन्नुरिया	बीबीए, बीसीए, बीएमसी और बी कॉम (भी)	2021-22 0	0 3,00,000 50,00,000
60	स्वामी विवेकानन्द नर्सिंग विद्यालय सिमुलला, जमुई	बीएससी नर्सिंग	2019-20 0	0 5,00,000
61	स्वामी विवेकानन्द पारामेडिकल कॉलेज, जमुई	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	2018-19 0	0 75,000 0
62	विद्या विहार प्रौद्योगिकी संस्थान, मरांगा, पूर्णिया विवेकानन्द पारामेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, हरदास मोकरी, कोशीला गया	बीबीए, बीसीए बीएससी नर्सिंग	2017-18 2019-20 0	0 0 30,00,000 5,00,000
	योग		8,85,000 55,25,000	9,82,50,000
	प्रायोग			10,46,60,000

(झोत: एकेयू द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा) # कुल 62 कॉलेज

परिषिक्षा 4.15

(संदर्भ: कांडिका 4.4.3)

निरीक्षण शुल्क एवं निरीक्षण-सह-प्रसंस्करण शुल्क की गैर/कम वसूली

क्र.सं.	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स का नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)	
				सबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र का निरीक्षण शुल्क	निरीक्षण-सह-प्रसंस्करण शुल्क
1	एआईएचई व्यावसायिक संस्थान जमसौत, दानापुर, पटना	बीएससी नर्सिंग	2018-19	30,000	0
2	अम्बेडकर उच्च शिक्षा संस्थान छितनावा, दानापुर, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएससी	2021-22	0	1,20,000
3	अम्बेडकर उच्च शिक्षा संस्थान छितनावा, दानापुर, पटना	बीएससी नर्सिंग	2018-19	30,000	0
4	अपोलो नर्सिंग कॉलेज, लहरिया सराय, दरभंगा	बीएससी नर्सिंग	2019-20	30,000	0
5	आर्केड बिजनेस कॉलेज, खगोल रोड, पटना	बीबीए, बीसीए	2021-22	0	40,000
6	अशोका कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नगरनोसा, नालंदा	बीबीए, बीसीए	2021-22	0	80,000
7	चाणक्य कॉलेज ऑफ फार्मसी एंड मेडिकल साइंसेज, कोइलवर, भोजपुर	फार्मसी	2019-20	60,000	0
8	चाणक्य प्रबंधन एवं उच्च अध्ययन संस्थान, कोइलवर, भोजपुर	एमबीए	2021-22	60,000	0
9	डीपी सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गौतमनगर (भगवीधा), नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2018-19	30,000	0
10	धनरुआ प्रशिक्षण संस्थान, धनरुआ, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएससी	2021-22	0	1,20,000
11	धनरुआ प्रशिक्षण संस्थान, धनरुआ, पटना	पोर्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग	2019-20	30,000	0
12	गौतम कॉलेज, भगवीधा, नालंदा	बीबीए, बीसीए, बीएससी	2021-22	0	1,20,000
13	गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सच्चाद बाहरी, जिला – नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2020-21	30,000	0

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स का नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)	
				संबद्धता के लिए आनापति प्रमाणपत्र का निरीक्षण शुल्क	निरीक्षण-सह-प्रांस्तकरण शुल्क
12	गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सच्चिद बहारी, पीओ-जैतपुर, जिला नालंदा 803116	फार्मेसी	2019-20	60,000	0
13	हरखेदेव सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खुदागांज, नालंदा	बीएड	2017-18	30,000	0
14	हिमालय उच्च शिक्षा संस्थान (नर्सिंग स्कूल)	पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग	2019-20	30,000	0
15	ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सिवान	बीबीए, बीसीए, बीएमसी	2021-22	0	1,20,000
16	माता सुशीला शिक्षा संस्थान, हिलसा-चंडी रोड, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2018-19	30,000	0
17	एमजीएम कॉलेज, विरुद्ध, आजाद नगर, पटना	बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बीकॉम (पी)	2021-22	0	1,60,000
18	मोना स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल कॉलेज, पटना	बीएससी नर्सिंग	2020-21	30,000	0
19	निभा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, ग्राम-करीमपुर, पोस्ट-गोरोर, नालंदा	फार्मेसी	2019-20	60,000	0
20	पाटलिपुत्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सुभाष नगर, खेमनीचक, पटना	बीएससी नर्सिंग	2018-19	30,000	0
21	पटना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारामेडिकल साइंसेज, पटना	बीएससी नर्सिंग	2017-18	30,000	0
22	आरआरपी स्कूल ऑफ नर्सिंग, सासाराम	बीएससी नर्सिंग	2020-21	30,000	40,000
23	आएस शारदा देवी एजुकेशन कॉलेज, हाजीपुर	बीएड	2018-19	30,000	0
24	राज आर्थन नर्सिंग एंड पारामेडिकल कॉलेज, नालंदा	बीएससी नर्सिंग	2020-21	0	40,000
25	रैयत अशोका जनसंचार एवं प्रकारिता संस्थान, कंकड़बाग, पटना	बीएमसी	2021-22	0	40,000

क्र.सं.	कॉलेज / संस्थान का नाम	कोर्स का नाम	शैक्षणिक सत्र	कम वसूल की गई राशि (₹ में)	
				संबद्धता के लिए अनापति प्रमाणपत्र का निरीक्षण शुल्क	निरीक्षण-सह-प्रांस्करण शुल्क
26	एसएन विद्यापीठ, मोतिहारी	बीबीए, बीसीए, बीएमसी, बीकॉम (भी)	2021-22	0	1,60,000
27	श्री भगवत् प्रसाद सिंह सेमाइरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, औरंगाबाद	बीएससी नर्सिंग	2019-20	30,000	0
28	एसएनएस कॉलेज ऑफ फार्मसी, मोतिहारी	फार्मसी	2019-20	60,000	0
29	विवेकानंद पारामेडिकल एड नर्सिंग कॉलेज, हरदास मोकरी, गया	बीएससी नर्सिंग	2019-20	30,000	0
30	जी एजुकेशनल फाउंडेशन इंस्टीचूट ऑफ फार्मसी, जसोइया मोर, औरंगाबाद	फार्मसी	2019-20	60,000	0
कुल				8,40,000	10,40,000
कुल = 18,80,000					

(चोत: एकेयू द्वारा उपलब्ध कराए गई सूचना)

परिशिष्ट-4.16

(संदर्भ: कंडिका 4.4.7)

विश्वविद्यालयों में मानवबल की कमी

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		कमी		कमी (प्रतिशत में)	
		शिक्षण कर्मचारी	गैर-शिक्षण कर्मचारी	शिक्षण कर्मचारी	गैर-शिक्षण कर्मचारी	शिक्षण कर्मचारी	गैर-शिक्षण कर्मचारी	शिक्षण कर्मचारी	गैर-शिक्षण कर्मचारी
1.	टीएमबीयू	912	1,035	356	544	556	491	61	47
2.	एलएनएमयू	1,620	2,500	750	1,080	870	1,420	54	57
3.	बीएनएमयू	824	875	423	452	401	423	49	48
4.	जेपीयू	799	808	374	201	425	607	53	75
5.	पीपीयू	1,473	1,486	747	713	726	773	49	52
6.	पीयू	377	704	94	299	283	405	75	58
7.	केएसडीएसयू	316	153	89	64	227	89	72	58
8.	एकेयू*	7	69	2	37	5	32	71	46
9.	एमएमएचएपीयू	56	54	8	37	48	17	86	31
10.	वीकेएसयू	845	147	424	30	421	117	50	80
11.	बीआरबीयू	2,011	2,139	731	901	1,280	1,238	64	58
	कुल	9,240	9,970	3,998	4,358	5,242	5,612	57	56

(झोत: विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए डेटा) * घटक कॉलेजों को छोड़कर एकेयू में एसएस और एमआईपी

परिशिष्ट-4.17

(संदर्भ: कांडिका 4.5)

विश्वविद्यालयों में यूएमआईएस मॉड्यूल का क्रियान्वयन

क्र.सं.	विश्वविद्यालय	क्रियान्वयत किए जाने वाले यूएमआईएस मॉड्यूलों की संख्या	क्रियान्वयत किए गए मॉड्यूल (एस) की संख्या और नाम	क्रियान्वयत नहीं किए गए मॉड्यूल के नाम एवं संख्या
1	बीएनएमयू	04	1. छात्र जीवन चक्र	1. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली 2. वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3. पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली
2	केएसडीएसयू	07	1. छात्र जीवन चक्र 2. पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली	1. मानव संसाधन प्रणाली 2. पेरोल एवं लेखा प्रबंधन प्रणाली 3. भंडार प्रबंधन प्रणाली 4. छात्रावास प्रबंधन प्रणाली 5. अन्य
3	एलएनएमयू	06	शून्य	1. छात्र जीवन चक्र 2. पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली 3. परिष्का प्रबंधन प्रणाली 4. पेरोल और लेखा प्रबंधन प्रणाली 5. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली 6. भंडार प्रबंधन प्रणाली
4	पीपीयू	06	1. छात्र जीवन चक्र	1. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली 2. संबद्धिकरण एवं नवीन शिक्षण कार्यक्रम 3. पेरोल और लेखा प्रबंधन प्रणाली 4. भंडार प्रबंधन प्रणाली 5. छात्रावास प्रबंधन प्रणाली
5	पीयू	04	1. छात्र जीवन चक्र (आंशिक रूप क्रियान्वयन से क्रियान्वयन)	1. छात्र जीवन चक्र (आंशिक रूप क्रियान्वयन से क्रियान्वयन)

(झोत: संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

परिशिष्ट—5.1

(संदर्भ: कांडिका 5.5)

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापित कार्य और स्थान

क्रम सं	जिला योजना कार्यालय	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल	कार्य का क्रम सं.	कार्य का नाम
1.	जिला योजना पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 2, पकड़ीदधाल	1 2 3 4 5	पूर्णी चंपारण के बनकटवा प्रखंड के अंतर्गत बनकटवा पीएचसी के लिए डॉक्टरों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण। रक्सौल प्रखंड के अंतर्गत महादेवा चौकी से बोर्डर सड़क तक रेलवे ढाला 42 होते हुए पीसीसी सड़क का निर्माण। रक्सौल प्रखंड के अंतर्गत हरैया गांव में आधुनिक स्वच्छ मछली बाजार का निर्माण। छोरादानो प्रखंड के अंतर्गत नरकटिया उच्च विद्यालय में इंडोर स्टेडियम का निर्माण। रक्सौल प्रखंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
2.	जिला योजना पदाधिकारी, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 1, बेतिया	6 7 8 9 10	सुरेश रावत के घर से होते हुए मेनाटाङ के चौक से एसएसबी तीन लालटेन तक पीसीसी सड़क का निर्माण। सिकाठा प्रखंड में संकर प्रजनन भवन का निर्माण। मेनाटाङ प्रखंड के सप्तकारी उच्च विद्यालय, मरजदवा में चार अतिरिक्त कमरे (एसीआर) का निर्माण। मेनाटाङ प्रखंड के सप्तकारी उच्च विद्यालय, मरजदवा में कंप्यूटर कक्ष का निर्माण। गोनाहा प्रखंड के राज धानोजी पंचायत में मौजा वसंतपुर थाना नंबर 153 में स्टेडियम का निर्माण।
3.	जिला योजना पदाधिकारी, अररिया	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 2, बगहा	11 12 13 14 15	नरपतगंज प्रखंड के अंतर्गत शौचालय और अन्य सुविधाओं के साथ फुलकाहा हटिया का विकास। नरपतगंज प्रखंड के अंतर्गत कुनकुन देवी उच्च विद्यालय में चाहरदीवारी, बास्केट बॉल कोर्ट, स्टेडियम और अन्य सुविधाओं का विकास। नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत भंगी पंचायत में अतिरिक्त पीएचसी भवन का निर्माण। नगर परिषद, फारविसगंज में महेलाओं और पुरुषों के शोचालय और अन्य सुविधाओं के साथ फारविसगंज बस स्टैंड का विकास। फारविसगंज प्रखंड के अंतर्गत शोचालय और अन्य सुविधाओं के साथ बथनाहा हटिया का विकास।
			16 17	सिकटी प्रखंड परिसर में पर्यटक और खेल कम्पियों के लिए जिम के साथ ट्रांजिट अंतिथि गृह का निर्माण। सिकटी प्रखंड परिसर में बास्केट बॉल कोर्ट के साथ स्टेडियम का विकास।

क्रम सं	जिला योजना कार्यालय	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल	कार्य का क्रम सं.	कार्य का नाम			
4.	जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 1, मधुबनी	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	मध्य विद्यालय, दुबही परिसर में मैकेनिकल हैंड पंग के साथ शौचालय का निर्माण (2017–18)। मध्य विद्यालय, दुबही परिसर में मैकेनिकल हैंड पंग के साथ शौचालय का निर्माण (2018–19)। हरलाखी प्रखंड के मुख्यालय में सभागार / इंडोर स्टेडियम का निर्माण। गिधवास पंचायत के ग्राम कविलासा के महादलित सफी टोला में मैकेनिकल हैंडपंग के साथ चार सीट वाले शौचालय का निर्माण। हरलाखी प्रखंड के फुलहर ग्राम में गिरजा मंदिर के पास अतिथि घृह का निर्माण। मध्यवपुर प्रखंड परिसर में सभागार (बैठक कक्ष / कला एवं प्रदर्शन केंद्र) का निर्माण। बासोपटटी में गोदाम का निर्माण। हरलाखी प्रखंड के गांव कलना में महादेव मंदिर के पास अतिथि घृह का निर्माण। प्रत्येक सीक्षेत्रिका. (छह) प्रखंड के 3 उच्च विद्यालय में मल्टी-जिम उपकरण की स्थापना [3 उच्च विद्यालय ग 6 प्रखंड = 18 विद्यालय एक विद्यालय के लिए आवंटन 10.00 लाख इसलिए कुल 10.00 लाख ग 18 = 180.00 लाख]। एसएसबी, बीओपी कान्हवा होते हुए भागवतीपुर गांव से भारत–नेपाल सीमा तक पीसीसी सड़क का निर्माण। मेजरगांज, सुणी, परिहार, सोनबरसा प्रखंड के उच्च विद्यालयों में वैंली बौल ग्राउंड का निर्माण। मेजरगांज प्रखंड के ग्राम कुवारी मदान में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण। बैरानिया, परिहार और सोनबरसा प्रखंड में वृद्धाश्रम / कॉमन सेटर का निर्माण (प्रत्येक प्रखंड में एक इकाई)। पीएचसी डामरा में गेट के साथ अतिरिक्त भवन और चाहरदीवारी का निर्माण।	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल पदाधिकारी, सुपौल	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	कार्य का नाम
5.	जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल –2, सीतामढ़ी	25 26 27 28 29 30 31	हरलाखी प्रखंड के गांव कलना में महादेव मंदिर के पास अतिथि घृह का निर्माण। प्रत्येक सीक्षेत्रिका. (छह) प्रखंड के 3 उच्च विद्यालय में मल्टी-जिम उपकरण की स्थापना [3 उच्च विद्यालय ग 6 प्रखंड = 18 विद्यालय एक विद्यालय के लिए आवंटन 10.00 लाख इसलिए कुल 10.00 लाख ग 18 = 180.00 लाख]। एसएसबी, बीओपी कान्हवा होते हुए भागवतीपुर गांव से भारत–नेपाल सीमा तक पीसीसी सड़क का निर्माण। मेजरगांज, सुणी, परिहार, सोनबरसा प्रखंड के उच्च विद्यालयों में वैंली बौल ग्राउंड का निर्माण। मेजरगांज प्रखंड के ग्राम कुवारी मदान में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण। बैरानिया, परिहार और सोनबरसा प्रखंड में वृद्धाश्रम / कॉमन सेटर का निर्माण (प्रत्येक प्रखंड में एक इकाई)। पीएचसी डामरा में गेट के साथ अतिरिक्त भवन और चाहरदीवारी का निर्माण।	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	कार्य का नाम
6.	जिला योजना पदाधिकारी, सुपौल	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	32 33 34	कुनौली हाट में पीसीसी रोड / प्लेटफार्म / लाइटिंग / नाली आदि की व्यवस्था। बीरपुर अस्पताल में डॉक्टर्स क्वार्टर का निर्माण। पीएचसी, कुनौली में एनएम व्याटर का निर्माण।	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	कार्य प्रमंडल – 1, सुपौल	कार्य का नाम

क्रम सं०	जिला योजना कार्यालय	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल	कार्य का क्रम सं०	कार्य का नाम
			35	महादलित बरसी नरपतपट्टी (एससी) में कई शौचालयों का निर्माण।
			36	वार्ड नंबर 1, बोलीपट्टी (एससी) में सभी सुविधाओं के साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण।
			37	बसंतपुर प्रखण्ड (एससी) में जेल गेट से भोला बाबा मंदिर तक पीसीसी सड़क का निर्माण।
			38	कुनौली में ट्रांजिट केंद्रों का निर्माण।
			39	भीमनगर में एसएसबी चौक के पास प्रतीक्षालय एवं चेक पोस्ट का निर्माण।
			40	दिघलबैंक प्रखण्ड परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।
7.	जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल – 1, किशनगंज	41	इटर उच्च विद्यालय, ठाकुरगंज से जिलोबिया मोर, ठाकुरगंज तक 1.5 किमी पी.सी.सी. सड़क का निर्माण।
			42	विपणन शेड का निर्माण और कट्टुभिटा बाजार का विकास।
			43	विपणन शेड का निर्माण और कादोगंव बाजार का विकास।
			44	विपणन शेड का निर्माण और जियापोखर बाजार का विकास।

परिशिष्ट-5.2
(संदर्भ: कांडिका 5.6.2)

जिला	वार्षिक कार्य योजनाओं का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	इएलएससी द्वारा इसएलएससी को एप्पी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय						इसएलएससी द्वारा यृह मंत्रालय को एप्पी प्रस्तुत करने का निर्धारित समय							
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	विलम्ब की अवधि	विलम्ब की अवधि	विलम्ब की अवधि	विलम्ब की अवधि	
अररिया		<u>20.06.2017</u>	<u>06.06.2018</u>	<u>04.07.2019</u>	<u>06.06.2018</u>	<u>04.07.2019</u>	<u>04.07.2019</u>					<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>	
पूर्वी चम्पारण		<u>07.06.2017</u>	<u>04.06.2018</u>	<u>01.06.2019</u>	<u>04.06.2018</u>	<u>01.06.2019</u>	<u>01.06.2019</u>	<u>07.06.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>	<u>3 माह</u>	<u>4 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>
किशनगंज		<u>11.05.2017</u>	<u>26.06.2018</u>	<u>30.04.2019</u>	<u>26.06.2018</u>	<u>30.04.2019</u>	<u>30.04.2019</u>	<u>11.05.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>	<u>3 माह</u>	<u>3 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>
मध्यबंदी		<u>सितम्बर-2017</u>	<u>अप्रैल-2018</u>	<u>जुलाई-2019</u>	<u>06.11.2017</u>	<u>02.07.2018</u>	<u>29.07.2019</u>	<u>06.11.2017</u>	<u>02.07.2018</u>	<u>29.07.2019</u>	<u>6 माह</u>	<u>1 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>
सीतामढी		<u>07.11.2017</u>	<u>07.06.2018</u>	<u>03.07.2019</u>	<u>07.11.2017</u>	<u>07.06.2018</u>	<u>03.07.2019</u>	<u>07.11.2017</u>	<u>07.06.2018</u>	<u>03.07.2019</u>	<u>8 माह</u>	<u>1 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>
सुपौल		<u>20.06.2017</u>	<u>28.05.2018</u>	<u>06.07.2019</u>	<u>20.06.2017</u>	<u>28.05.2018</u>	<u>06.07.2019</u>	<u>20.06.2017</u>	<u>28.05.2018</u>	<u>06.07.2019</u>	<u>3 माह</u>	<u>2 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>
पश्चिम चम्पारण		<u>जून-2017</u>	<u>जून-2018</u>	<u>जून-2019</u>	<u>जून-2017</u>	<u>जून-2018</u>	<u>जून-2019</u>	<u>जून-2017</u>	<u>जून-2018</u>	<u>जून-2019</u>	<u>3 माह</u>	<u>3 माह</u>	<u>14.11.2017</u>	<u>03.08.2018</u>	<u>08.08.2019</u>

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट -5.3

(संदर्भ: कंडिका 5.6.3)

जिला-वार एवं वर्ष-वार निरस्त कार्य

(₹ करोड़ में)

जिला	2017-18		2018-19		2019-20		कुल
	कार्य की सं0	राशि	कार्य की सं0	राशि	कार्य की सं0	राशि	
अरिया	11	2.25	11	6.46	0	0.00	22
पूर्वी चम्पारण	2	0.49	4	0.38	0	0.00	6
किशनगंज	16	3.03	17	4.41	0	0.00	33
मधुबनी	19	3.62	7	1.53	0	0.00	26
सीतामढ़ी	2	0.33	5	0.43	1	0.25	8
सुपौल	10	1.36	9	1.32	0	0.00	19
पश्चिम चम्पारण	2	0.88	3	0.68	0	0.00	5
	कुल	62	11.96	56	15.21	1	0.25
						119*	27.42

* इन 119 कार्यों में ₹ 92.53 लाख की लागत वाले चार कार्य शामिल हैं जिन्हें आशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, 115 कार्यों (₹ 26.49 करोड़) को पूर्णतः रद्द माना गया है।

परिशिष्ट –5.4

(संदर्भ: कांडिका 5.7.2)

जिला योजना पदाधिकारियों / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
द्वारा रखी गई ब्याज राशि

क्रम सं.	इकाई	अवधि (वित्तीय वर्ष)	अर्जित ब्याज	निर्दिष्ट निधि में जमा की गई ब्याज की राशि	अर्जित ब्याज की शेष राशि
1.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, पुपरी (सीतामढ़ी)	11/2019 से 03/2022	0.19	0.00	0.19
2.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, सुपोल	06/2018 से 06/2022	0.41	0.00	0.41
3.	जिला योजना कार्यालय, अररिया	2006-07 से 2021-22	4.81	3.84	0.98
4.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया	2020-21 और 2021-22	0.05	0.00	0.05
5.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, अररिया	2018-19	0.07	0.00	0.07
6.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, बागहा (पश्चिमी चम्पारण)	2020-21 और 2021-22	0.29	0.00	0.29
7.	जिला योजना कार्यालय, किशनगंज	2006-07 से 12/2021	4.73	3.42	1.31
8.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	06/2018 से 06/2022	1.32	0.00	1.32
9.	जिला योजना कार्यालय, मधुबनी	2017-18 से 2022-23	3.05	0.00	3.05
10.	जिला योजना कार्यालय, सीतामढ़ी	03/2013 से 11/2021	5.48	0.00	5.48
11.	जिला योजना कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण	01/2022 से 06/2022	5.71	0.00	5.71
	कुल		26.11	7.26	18.85

* जिस राशि पर ब्याज अर्जित किया गया था, उसका सत्यापन अभिलेखों के अनुचित रखरखाव के कारण नहीं किया जा सका।

मार्च 2022 को समात हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: कांडिका 5.8)

कार्यान्वयन हेतु लिए गए कार्यों की प्रगति (अगस्त 2022 तक)

(₹ करोड़ में)

जिला	गृह मंत्रालय			कार्यान्वयन हेतु द्वारा स्वीकृत नहीं लिया जाना/ स्थिति ज्ञात नहीं			रद्द			प्रगति में			
	सं0	वार्षिक कार्य योजना के सं0	कार्यों की सं0	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशि	सं0	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशि	सं0	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशि	सं0	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	व्यय की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अररिया	104	46.51	0	0.00	22	8.71	65	22.48	23.15	19.93	17	15.32	15.16
पूर्वी चम्पारण	183	37.52	36	8.64	6	0.87	135	26.82	27.05	25.89	6	1.20	1.20
किशनगंज	99	34.65	4	4.40	33	7.43	60	19.20	17.90	15.98	2	3.62	3.61
मध्यबूनी	177	63.85	21	6.41	26	5.16	116	35.28	32.25	29.00	14	17.01	16.41
सीतामढी	119	43.93	23	11.71	7	0.77	81	28.03	29.72	27.44	8	3.43	2.91
सुपौल	114	19.52	8	2.87	19	2.68	85	13.64	13.49	11.26	2	0.34	0.35
पश्चिम चम्पारण	129	58.39	40	23.02	2	0.88	56	19.21	19.50	16.95	31	15.28	14.44
कुल	925	304.37	132	57.05	115.00	26.50	598	164.66	163.06	146.45	80	56.20	54.08
													11.71

परिशिष्ट -5.6

(संदर्भ: कांडिका 5.8.1)

कार्य / योजनाएँ जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन वार्षिक कार्य योजनाओं में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक थी

(₹ लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जिला	कार्य / योजना	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	अंतर	अधिक राशि की प्रतिशतता
1	2017-18		पीएस खाता बरसी लालपानी/पीएस खानियाबाद/यूएमएस फतेहपुर/यूएमएस खुनिया टोली/एमएस बारिया/यूएमएस आमतटोली (आदर्शग्राम) में एक घूनिट (लड्डकों और लड़कियों) शौचालय का निर्माण।	9.20	21.71	12.51	136
2	2018-19		दिघल बैंक प्रखण्ड परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	7.96	13.50	5.54	69
3		किशनगंज	गलगालिया बस स्टैंड में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	7.96	13.42	5.46	69
4			पशु अस्पताल के लिए चाहरदीवारी का निर्माण।	17.20	27.97	10.77	63
5			खुनिया टोली मदरसा से अविलल हाजी पंचायत खनियाबाद के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण।	23.00	32.40	9.40	41
6			भोरहा पंचायत के अंतर्गत गांव फुलवासियाहाड़ में सामुदायिक शौचालय का निर्माण।	10.45	14.03	3.58	34
7	2017-18		दक्षिण टोला विलोरा (आदर्शग्राम) में एनपीएस भवन का निर्माण।	30.00	39.75	9.75	32
8			माफी टोला (आदर्शग्राम) में एनपीएस भवन का निर्माण।	30.00	39.75	9.75	32
9			प्रेम नगर आदिवासी टोला में एनपीएस भवन का निर्माण।	30.00	39.33	9.33	31
10			नया टोला बीबीगंज में एनपीएस भवन का निर्माण।	30.00	39.05	9.05	30

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जिला	कार्य/योजना	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित राशि	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	अंतर	अधिक राशि की प्रतिशतता
11	2017-18		कलपीर पंचायत अंतर्गत एचएल सिंह पीएस-भेलागुड़ी के भवन का निर्माण।	30.00	39.05	9.05	30
12	2018-19		समन्या हसदा के घर के पास सामुदायिक शौचालय का निर्माण (फुलवारी गांव में वार्ड नंबर 5) (आदर्श ग्राम) (एससी/एसटी)।	11.00	14.03	3.03	28
13	2019-20	सीतामढ़ी	बैरगनिया, परिहार और सोनबरसा प्रखण्ड में वृद्धाश्रम/कॉमन सेंटर का निर्माण (प्रत्येक प्रखण्ड में एक इकाई)।	14.00	44.26	30.26	216
14	2018-19		एससर्बी, बीओपी कान्हवा से होते हुए भारत-नेपाल सीमा तक पीसीसी सड़क का निर्माण।	81.75	146.24	64.49	79
15	2019-20		सुपी प्रखण्ड में अछा बागानपती बांध से शेष फलाहा के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण।	50.00	76.20	26.20	52
16		सुपौल	इंडोर स्टेडियम बीरपुर में लकड़ी के बैडमिटन कोर्ट का निर्माण।	5.00	7.57	2.57	51
17			कन्या मध्य विद्यालय कुनौली में बारकेट बॉल कोर्ट का निर्माण।	5.50	7.08	1.58	29
18	2018-19		भगवानपुर पंचायत में बोल्डर चौक के पास यूपी मेहता के घर से रामू के घर तक पीसीसी रोड का निर्माण।	7.00	8.93	1.93	28
19			बसंतपुर प्रखण्ड में जेल गेट से भोला बाबा मंदिर तक पीसीसी रोड का निर्माण। (एससी)।	25.70	32.64	6.94	27

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भ: कंडिका 5.8.1)

कार्य / योजनाएँ जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन वार्षिक कार्य योजनाओं में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि से कम थी

(₹ लाख में)

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	लिला	कार्य / योजना	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अंतर	अंतर राशि की प्रतिशतता
1	2017-18	किशनगंज	फतेहपुर हाट में किसान मार्केट शेड का निर्माण। (आदर्शग्राम) धावेली पंचायत के अंतर्गत एपीएचसी कामती में चाहरदीवारी का निर्माण।	19.00	7.59	11.41	60
2	2018-19		विपणन शेड का निर्माण और कादोगांव बाजार का विकास।	20.80	11.01	9.79	47
3	2019-20		विपणन शेड का निर्माण और फुलवरिया हाल्ट बाजार का विकास।	12.00	6.83	5.17	43
4			फतेहपुर थाना के पास समुदायिक भवन का निर्माण।	40.00	24.15	15.85	40
5			नजिम पंचायत हड्डगांव में बोर्डर रोड से सगीर के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण।	50.00	30.28	19.72	39
6	2018-19		प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेढ़गाछ में रोगी शेड का निर्माण।	30.15	19.55	10.60	35
7	2017-18		प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेढ़गाछ में रोगी शेड का निर्माण।	27.75	18.34	9.41	34
8	2018-19		पीसीसी, टेढ़गाछ में लॉकटर और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	42.90	29.87	13.03	30
9	2019-20		माफिटोला से मल्लाहटोली तक 1.5 किमी पीसीसी सड़क का निर्माण।	100.00	71.33	28.67	29
10	2019-20		प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टेढ़गाछ में मेडिकल स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	50.00	37.17	12.84	26
11	2017-18		शिवाली मंदिर फतेहपुर वार्ड नंबर 02 (आदर्शग्राम) के पास सामुदायिक हॉल का निर्माण	25.00	18.63	6.37	25
12	2019-20	सीतामढ़ी	सोनबरसा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पिपरा परसेन टोला में मुख्य सड़क से दरारथ साह के मकान तक पीसीसी सड़क का निर्माण	20.00	10.24	9.76	49
13	2017-18		श्रीखड़ी भिटा पूर्वी गांव में भरत राय की डुकान से सागर मंडल के मकान तक पीसीसी रोड का निर्माण	11.00	6.62	4.39	40

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	जिला	कार्य / योजना	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अंतर	अंतर राशि की प्रतिशतता
14	2019-20	सुपौल	वार्ड नंबर –1 बोलीपट्टी (एससी) में सभी सुविधाओं के साथ सामुदायिक हॉल का निर्माण	35.00	15.68	19.32	55
15	2019-20		दगमारा पंचायत में नाथू कोशी उच्च विद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	6.00	2.72	3.28	55
16	2018-19		एसएसबी चेक पोस्ट ढाढ़ा के निकट बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण।	5.50	2.54	2.96	54
17	2017-18		स्वास्थ्य उप-केंद्र, रतनपुरा में गेट के साथ चाहरदीवारी का निर्माण	13.60	6.54	7.06	52
18	2018-19		मुंशी पिपाराही में एसएसबी चेक पोस्ट के निकट बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	4.50	2.33	2.17	48
19			एसएसबी चेक पोस्ट रानीगंज के निकट बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण	4.50	2.33	2.17	48
20			मैडल गांव बोलीपट्टी में हनुमान मंदिर से नेपाल सीमा तक 1 पुलिया के साथ बी.//ई.//एस. सड़क का निर्माण।	20.00	10.42	9.58	48
21			उगमारा पंचायत में लीलाधर ज्ञा के घर से होते हुए अगमलाल कामत के घर से प्रकाश ज्ञा के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण	18.00	12.23	5.77	32
22	2017-18		भीमनगर में पीएचसी, बसंतपुर के गेट सहित चाहरदीवारी का निर्माण	15.00	10.54	4.46	30

परिशिष्ट –5.8

(संदर्भ: कंडिका 5.8.2)

अधुरे कार्यों का कार्यवार व्यौरा

(₹ लाख में)

स्थानीय क्षेत्र कम संगठन के कार्य प्रमंडल	कर्म कार्य के सं0	कार्य प्रदान करने की तिथि	व्यय की गई राशि	एकारणनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	माह में वित्तब
कार्य प्रमंडल–1, मधुबनी	1 मधुबनी के मध्यापुर प्रखण्ड में सभागार का निर्माण	30.04.2021	26.86	मार्च 2022	6 माह (सितम्बर 2022 तक)
	2 मधुबनी के जयनगर प्रखण्ड में देवथा मध्य विद्यालय में महम्मदिया मध्य विद्यालय में अतिरिक्त दो कमरों का निर्माण	12.06.2018	9.77	दिसम्बर 2018	45 माह (सितम्बर 2022 तक)
	3 मधुबनी के लदानिया में मैकेनिकल हैंड पंप के साथ चार सीटों वाले शौचालय का निर्माण	11.07.2020	4.60	नवंबर 2020	22 माह (सितम्बर 2022 तक)
	4 मधुबनी के हरलाखी में सभागार का निर्माण	11.07.2020 एवं 14.03.2022	41.37	जुलाई 2021 (मूल एकरारनामा के अनुसार) जनवरी 2023 (संशोधित एकरारनामा के अनुसार)	27 माह (सितम्बर 2022 तक)
	5 मधुबनी के बसोपट्टी में गोदाम का निर्माण	30.04.2021	10.11	अक्टूबर 2021	23 माह (सितम्बर 2022 तक)
	6 जिला मधुबनी के हरलाखी प्रखण्ड के अन्तर्गत फुलहर गाम में गिरजा मंदिर के पास अतिथि गृह का निर्माण	31.12.2020	82.60	10.02.2022	7 माह (सितम्बर 2022 तक)
कार्य प्रमंडल–2, पुरी (सीतामढ़ी)	7 सीतामढ़ी लिले के 4 प्रखण्डों बेररनिया, परिहार, सोनबरसा और सुपी में चार स्कूलों में वॉली बॉल ग्राउंड का निर्माण	28.02.2020 एवं 10.09.2020	13.83	मई 2020	38 माह (जुलाई 2022 तक)
	8 सीतामढ़ी के मेजरांज प्रखण्ड के ग्राम कुवारी मदान में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण	29.02.2020	40.13	मार्च 2021	28 माह (जुलाई 2022 तक)
कार्य प्रमंडल–2, बगहा (पश्चिम चम्पारण)	9 गोनाहा (पश्चिम चंपारण) के अन्तर्गत मौजा चंसपुर में स्टेडियम का निर्माण	05.07.2021	21.53	16.03.2022	5 माह (अगस्त 2022 तक)

परिशिष्ट -5.9

(संदर्भ: कांडिका 5.8.3)

निष्क्रिय व्यय से संबंधित कार्यवार विवरण

स्थानीय क्षेत्र अभियान संगठन के कार्य प्रमंडल	कार्य क्रम संख्या	कार्य क्रम	व्यय की गई राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि	हस्तांश करने में विलम्ब (माह में)
कार्य प्रमंडल, किशनगंज	1	किशनगंज के ठाकुरगंज में कादेगांव बाजार का विकास एवं मार्केट शेड का निर्माण	6.29	सितम्बर 2021	10 माह (जुलाई 2022 तक)
	2	किशनगंज के ठाकुरगंज में कट्टुभीड़ा बाजार का विकास एवं मार्केट शेड का निर्माण	13.72	जून 2020	25 माह (जुलाई 2022 तक)
	3	किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	12.69	जून 2021	13 माह (जुलाई 2022 तक)
	4	टेडागाढ़, किशनगंज के अन्तर्गत फतेहपुर हाट में किसान मार्केट शेड का निर्माण	7.50	फरवरी 2019	41 माह (जुलाई 2022 तक)
कार्य प्रमंडल-1, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	5	मैनाटाङ्ड से एस.एस.बी. तीन लालटेन मैनाटाङ्ड, पश्चिम चंपारण तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	35.00	मार्च 2020	28 माह (अगस्त 2022 तक)
कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	6	मधुबनी जिले के प्रखंड-हरलाखी के गांव कलना में महादेव मंदिर के पास अतिथि गृह का निर्माण	97.08	मई 2022	4 माह (सितम्बर 2022 तक)
कार्य प्रमंडल, सुपोल	7	महादलित बस्ती नरपतपटी (एस.सी.), सुपोल में मल्टीप्ल टॉयलेट का निर्माण	4.41	मार्च 2022	6 माह (सितम्बर 2022 तक)
	8	बीरपुर, सुपोल के बीरपुर अस्पताल में डॉक्टर कवार्टर का निर्माण	21.55	जुलाई 2019	37 माह (सितम्बर 2022 तक)
	9	सुपोल के पीएचसी कन्होली में एएनएम कवार्टर का निर्माण	35.28	फरवरी 2021	18 माह (सितम्बर 2022 तक)
कार्य प्रमंडल-2, पुपरी (सीतामढी)	10	सीतामढी के सोनबरसा प्रखंड में वृद्धाश्रम का निर्माण कुल	39.19	जुलाई 2020	24 माह (सितम्बर 2022 तक)
			272.71		

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट -5.10

(संदर्भ: कांडिका 5.8.8)

मुआवजे की कम/गैर कटौती (अक्टूबर 2022 तक)

क्रम सं	स्थानीय अभियंत्रण के कार्य का कार्य की प्रावकलित राशि	कार्य की होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / विलब्ध (माह में)	कटौती की जाने वाली आवश्यक मुआवजे की राशि	मुआवजा राशि की वास्तविक कटौती	मुआवजा राशि की कम/गैर कटौती
1	कार्य अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल	प्रमंडल-1, फारबिसगंज एसडीओ कार्यालय से 105.53	27.12.2018	26.06.2019 <u>02.07.2022</u> 36	10.55	0	10.55
2	कार्य असरिया बगहा	प्रमंडल-2, धनोजी पंचायत के अंतर्गत थाना 153 में स्टेडियम का निर्माण	49.00	05.07.2021 <u>04.01.2022</u> 6	4.90	0	4.90
3	कार्य किशनगंज	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बलबल में चाहरदीवारी का निर्माण	10.82	06.10.2018 <u>05.01.2019</u> 8	1.08	0	1.08
4	कार्य मधुबनी	प्रमंडल, टेढ़गाछ, प्रखण्ड के अन्तर्गत फतेहपुर हाट में किसान मार्केट शोड का निर्माण	7.52	30.06.2018 <u>29.10.2018</u> 3	0.75	0.42	0.33
5	कार्य किशनगंज	प्रमंडल-1, जयनगर प्रखण्ड के देवधा मध्य विद्यालय में मोहम्मदिया मध्य विद्यालय में अतिरिक्त दो कमरों का निर्माण	15.87	12.06.2018 <u>11.12.2018</u> 46	1.59	0.98	0.61
6	माधवपुर प्रखण्ड	माधवपुर प्रखण्ड में सभागार का निर्माण	141.20	30.04.2021 <u>29.04.2022</u> 6	14.12	0	14.12
7	मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखण्ड के गांव फुलहर में गिरिजा मंदिर के पास अतिथि गृह का निर्माण	122.73	31.12.2020 <u>30.12.2021</u> 10	अपूर्ण 12.27	8.26	4.01	
8	बासोपट्टी प्रखण्ड के बासोपट्टी में गोदाम का निर्माण	55.74	30.04.2021 <u>30.10.2021</u> 12	अपूर्ण 5.57	2.06	3.51	
9	मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखण्ड के गांव कलना में महादेव मंदिर के पास अतिथि गृह का निर्माण	122.73	31.12.2020 <u>30.12.2021</u> 10	अपूर्ण 12.27	9.70	2.57	

क्रम सं	स्थानीय अभियंत्रण के कार्य प्रमंडल	क्षेत्र संगठन	कार्य	कार्य की प्रावक्तवित राशि	कार्य होने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि / विलब्द (माह में)	कटौती की जाने वाली आवश्यक मुआवजे की राशि	मुआवजा राशि की वास्तविक कटौती कटौती की कम/गेर कटौती
10					11.07.2020	10.11.2020	अपूर्ण 23	0.79	0.46
11	कार्य प्रमंडल–2, पकड़ीदयाल	संगठन के कार्यालय का निर्माण।	कविलासा ग्राम में गिरधारास पंचायत के अन्तर्गत महादलित सफी टोला में मैकेनिकल हैंडपं के साथ चार सीट वाले शौचालय का निर्माण।	7.87					0.33
12	कार्य प्रमंडल–2, पुपरी		घोड़साहन प्रखण्ड के अंतर्गत 500 लोगों के बैठने की क्षमता के लिए बैठक कक्ष का निर्माण	25.99	02.08.2019	01.12.2019	20.09.2021 22	0.72	0
13	कार्य बेतिया		किसान प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कथरिया महादलित बस्ती से धनकुटवा तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	68.71	16.09.2020	15.03.2021	अपूर्ण 19	6.87	1.67
14			मैनाटांड चौक से तीन लालटेन तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	44.33	28.06.2019	27.12.2019	23.12.2020 12	4.43	0
			कुल	839.68				82.07	23.55
									58.52

परिशिष्ट-6.1
(संदर्भ: कंडिका 6.7.2)
नल जल आपूर्ति के आच्छादन वाले जिले

क्र.सं.	जिला	आरोही क्रम में नल कनेक्शन (प्रतिशत में)
1.	किशनगंज	0.9
2.	सुपौल	1.2
3.	अररिया	1.2
4.	पूर्णिया	1.2
5.	कटिहार	1.2
6.	सीतामढ़ी	1.3
7.	शिवहर	1.4
8.	अरबल	1.4
9.	मधेपुरा	1.5
10.	सहरसा	1.5
11.	पूर्वी चंपारण	1.6
12.	समस्तीपुर	1.9
13.	दरभंगा	2.0
14.	मधुबनी	2.1
15.	पश्चिम चंपारण	2.3
16.	जहानाबाद	2.3
17.	वैशाली	2.4
18.	नवादा	2.5
19.	गोपालगंज	2.6
20.	बेगूसराय	2.6
21.	मुजफ्फरपुर	2.7
22.	खगड़िया	2.9
23.	गया	2.9
24.	रोहतास	3.0
25.	सिवान	3.2
26.	सारण	3.2
27.	भोजपुर	3.4
28.	औरंगाबाद	3.4
29.	बक्सर	3.5
30.	कैमूर	3.6
31.	जमुई	3.6
32.	बांका	3.7
33.	शेखपुरा	3.9
34.	नालंदा	3.9
35.	पटना	4.6
36.	लखीसराय	5.1
37.	भागलपुर	5.4
38.	मुंगेर	6.8

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट—6.2
(संदर्भ: कंडिका 6.7.2)

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की जिले—वार आबादी (31.03.2012 तक)

क्र.सं.	जिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गया	12,93,024	2,759	12,95,783
2.	समस्तीपुर	7,52,448	10,315	7,62,763
3.	पटना	6,41,976	1,752	6,43,728
4..	वैशाली	6,39,098	1,431	6,40,529
5.	पूर्वी चंपारण	6,12,720	7,491	6,20,211
6.	दरभंगा	6,05,558	43	6,05,601
7.	मुजफ्फरपुर	5,76,707	3,371	5,80,078
8.	मधुबनी	5,69,549	592	5,70,141
9.	औरंगाबाद	5,49,010	1,037	5,50,047
10.	पश्चिम चंपारण	4,99,413	45,831	5,45,244
11.	पूर्णिया	3,87,914	1,31,500	5,19,414
12.	नवादा	5,01,059	2,470	5,03,529
13.	नालंदा	5,02,195	546	5,02,741
14.	रोहतास	4,64,749	19,381	4,84,130
15.	बेगूसराय	4,65,802	277	4,66,079
16.	सारण	4,16,483	5,464	4,21,947
17.	सीतामढ़ी	4,15,437	2,439	4,17,876
18.	कटिहार	2,46,678	1,61,828	4,08,506
19.	मधेपुरा	3,63,045	20,602	3,83,647
20.	भोजपुर	3,65,773	8,649	3,74,422
21.	सिवान	3,54,900	8,337	3,63,237
22.	अररिया	3,25,759	33,648	3,59,407
23.	जमुई	2,72,547	80,591	3,53,138
24.	भागलपुर	2,63,981	64,059	3,28,040
25.	बांका	2,38,740	83,764	3,22,504
26.	सुपौल	3,10,663	4,608	3,15,271
27.	सहरसा	2,99,565	4,067	3,03,632
28.	गोपालगंज	2,54,537	4,836	2,59,373
29.	बक्सर	2,42,701	7,379	2,50,080
30.	खगड़िया	2,22,207	194	2,22,401
31.	जहानाबाद	1,98,448	60	1,98,508
32.	मुंगेर	1,36,668	14,595	1,51,263
33.	अरवल	1,47,728	104	1,47,832
34.	किशनगंज	81,958	55,338	1,37,296
35.	लखीसराय	1,27,080	4,327	1,31,407
36.	शेखपुरा	1,09,943	42	1,09,985
37.	शिवहर	91,690	90	91,780
38.	कैमूर	36,968	40,265	77,233

(स्रोत: एमओडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट, भारत सरकार)

परिशिष्ट-6.3
(संदर्भ: कंडिका 6.7.2)
विभिन्न प्रकार के रासायनिक संदूषण से प्रभावित जिले

क्र.सं.	जिला	कुल		फ्लोराइड		आर्सेनिक		लोहा	
		बस्तियाँ	जनसंख्या	बस्तियाँ	जनसंख्या	बस्तियाँ	जनसंख्या	बस्तियाँ	जनसंख्या
1.	बेगूसराय	3,091	30,84,535	0	0	131	2,60,417	2,960	28,24,118
2.	पूर्णिया	4,768	30,03,492	0	0	0	0	4,768	30,03,492
3.	कटिहार	1,838	25,65,691	1	23	98	1,71,896	1,739	23,93,772
4.	अररिया	2,350	25,61,588	0	0	0	0	2,350	25,61,588
5.	मधेपुरा	2,494	21,06,956	0	0	0	0	2,494	21,06,956
6.	सुपौल	3,940	19,45,797	0	0	9	0	3,940	19,45,797
7.	वैशाली	3,940	19,45,797	0	0	110	3,03,673	0	0
8.	बांका	110	3,03,673	2253	028	0	0	0	33862
9.	सहरसा	3,069	18,61,980	2,253	28	0	0	0	33,862
10.	खगड़िया	2,895	17,09,828	0	0	0	0	2,895	17,09,828
11.	किशनगंज	1,031	13,45,676	0	0	550	7,75,014	481	5,70,662
12.	रोहतास	3,084	12,91,870	0	0	0	0	3,084	12,91,870
13.	जमुई	378	7,79,364	188	3,10,118	0	0	190	4,69,246
14.	मुंगेर	1,346	7,57,697	1,346	7,57,697	0	0	0	0
15.	शेखपुरा	747	5,98,378	0	1,317	149	10,192	451	3,64,719
16.	बक्सर	316	5,30,737	316	5,30,737	0	0	0	0
17.	गया	466	4,13,369	0	0	466	4,13,369	0	0
18.	झोजपुर	533	4,01,815	533	4,01,815	0	0	0	0
19.	नालंदा	136	3,09,237	1	727	135	3,08,510	0	0
20.	समस्तीपुर	257	2,57,355	257	2,57,355	0	0	0	0
21.	लखीसराय	204	2,29,045	9	27,325	195	2,01,720	0	0
22.	ओरंगाबाद	303	1,79,030	0	0	289	1,50,184	14	28,846
23.	पटना	251	1,69,428	251	1,69,428	0	0	0	0
24.	नवादा	104	1,61,591			104	1,61,591	0	0
25.	भम्भुआ	182	1,27,466	182	17,466	0	0	0	0
26.	सारण	100	88,442	100	88,442	9	0	0	0
27.	दरभंगा	40	69,963	0	0	40	6 9	0	0
28.	भागलपुर	8	9,373	0	0	6	7,306	2	2,067
29.	अरवल	868	83	373	1,46,928	237	2,35,057	258	4,71,857
30.	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	पश्चिम चंपारण	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	पूर्वी चंपारण	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट—6.4
(संदर्भ: कंडिका 6.7.2)
बिहार में सकल भूजल उपलब्धता (2009 तक)

क्र.सं.	ज़िला	शुद्ध भूजल उपलब्धता (अरब घन मीटर)
1	शेखपुरा	15,933
2	शिवहर	16,774
3	अरवल	21,607
4	लखीसराय	27,941
5	जहानाबाद	29,408
6	मुंगेर	30,907
7	जमुई	39,826
8	बांका	42,738
9	नवादा	51,364
10	मधेपुरा	51,703
11	खगड़िया	53,121
12	सहरसा	54,575
13	दरभंगा	58,726
14	बक्सर	59,153
15	बेगूसराय	60,083
16	गोपालगंज	60,356
17	नालंदा	66,195
18	भागलपुर	69,583
19	वैशाली	71,952
20	किशनगंज	72,276
21	सिवान	73,995
22	सुपौल	74,519
23	सीतामढी	75,065
24	भोजपुर	75,285
25	सारण	76,446
26	भमुआ	78,947
27	अररिया	80,397
28	कटिहार	86,902
29	पूर्णिया	90,066
30	मधुबनी	90,844
31	ओरंगाबाद	91,046
32	समस्तीपुर	91,336
33	पटना	96,455
34	गया	1,04,634
35	मुजफ्फरपुर	1,07,052
36	रोहतास	1,07,053
37	पूर्वी चंपारण	1,24,861
38	पश्चिम चंपारण	1,41,450

(स्रोत: पीएचईडी, भारत सरकार)

परिशिष्ट-6.5
(संदर्भ: कंडिका 6.8.3)
सामुदायिक योगदान (31 मार्च 2020 तक)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	अंशदान की राशि
1.	पूर्णिया	6.19
2.	बेगूसराय	26.39
3.	मुंगेर	7.46
4.	सारण	16.32
5.	बांका	6.05
6.	पश्चिम चंपारण	17.12
7.	मुजफ्फरपुर	12.59
8.	नवादा	23.86
9.	नालंदा	41.87
10.	पटना	12.67
कुल		170.52

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-6.6

(संदर्भ: कंडिका 6.9.2)

वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2019–20 के दौरान 'क्षमता निर्माण और क्षेत्र विकास' के तहत घटक-वार व्यय किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	पीआईपी वार्त्तिकिक के अनुसार	कुल
1.	संस्थानों का क्षमता निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0.00
(क)	एसडब्ल्यूएसएम (कार्यशालाओं) के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	1	0	4	0	5.00	0	5.00	0.00
(ख)	एसपीएसयू और डब्ल्यूएसएसओ को मजबूत करना (प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट परिचयात्मक और जुड़वा व्यवस्था लागत शामिल है)	55	0	80	6.60	83.00	9.57	89.00	40.10
(ग)	पीएचईडी का क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट परिचयात्मक और जुड़वा व्यवस्था लागत शामिल है)	54	0	104	0	111.00	0	119.00	0
(घ)	जिला / प्रखंड स्तर पर क्षमता निर्माण (डॉडब्ल्यूएसएम / डॉडब्ल्यूएससी क्षारकर्मी जहाँ उपयुक्त हो), प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्सपोजर परिचयात्मक दौरों के लिए कार्यशालाएं शामिल हैं)	52	0	81	0	86.00	0	92.00	0
(इ)	जीपीएस / जीपीडब्ल्यूएससी का मुद्रितीकरण (प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक्सपोजर परिचयात्मक शामिल करते हुए)	54	0	161	0	173.00	0	185.00	5.00
(च)	प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	0	0	363	0	388.00	0	538.00	0
2.	परियोजना आईसीबीसी सत्रिविधियाँ*	0	0	602	30.60	644.00	25.79	690.00	113.57
3	क्षेत्र विकास अभ्यन्तर-क्षेत्र अभ्यन्तर, प्रबलश्ता, योजना और जल सुरक्षा योजनाओं सहित, पीएचईडी और बेसलाइन सर्वेक्षण के लिए कार्यक्रम को मजबूत करना	178	0	447	22.02	683.00	9.33	346.00	0
4	निगरानी एवं मूल्यांकन कुल क्षमता निर्माण लागत	0	0	128	2.15	137.00	22.72	110.00	42.43
		394	0	1,970	61.37	2,310.00	67.41	2,174.00	201.10
									1,559.00
									481.90
									407.78
									1,499.00
									181.51
									11,730.00
									1,401.07

(जोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-6.7

(संदर्भ: कंडिका 6.9.4)

डीपीआर के अनुसार, बैच-I योजनाओं की उपलब्धि, प्रगति प्रतिवेदन और मासी पुस्तके

क्र.सं.	जिला	योजनाओं की संख्या	डीपीआर के अनुसार घरेलू करोक्षण का लक्ष्य	प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार घरेलू करोक्षणों की संख्या	एमबीएस के अनुसार घरेलू करोक्षणों की संख्या
1.	नालंदा	6	9,971	6,068	5,210
2.	नवादा	3	3,610	1,493	1,266
3.	मुग्रे	3	1,586	2,142	682
4.	बांका	2	2,206	1,525	1,502
5.	छारा	2	2,743	2,743	1,693
6.	पश्चिम चंपारण	2	11,631	8,863	8,331
7.	पूर्णिया	7	8,776	3,074	2,949
8.	बेगूसराय	7	25,436	16,054	10,517
9.	पटना	2	2,625	612	413
10.	मुजफ्फरपुर	3	2,867	2,867	2,285
कुल		37	71,451	45,441	34,848

(स्रोत: पीएचईजी, बिहार सरकार)

परिशिष्ट-6.8

(संदर्भ: कांडिका 6.9.7 (i))

ईएसआर की अधिक क्षमता पर भूगतान

क्र.सं.	एसवीएस का नाम (प्रमंडल का नाम)	परिवारों की संख्या	अधिकारी जनसंख्या	आंतिम वर्ष की जनसंख्या	ईएसआर की क्षमता (किलोलीटर में)		समझौते में ईएसआर की वास्तविक कार्य के अनुसार ⁶	समझौते के अनुसार ईएसआर की वास्तविक कार्य के अनुसार ⁶	समझौते में ईएसआर की प्रति किलोलीटर (रु लाख में)	ईएसआर पर अधिक व्यय (रु लाख में)	
					ईपीआर के अनुसार	वास्तविक कार्य के अनुसार					
1	सारथा (ख-1, हिलसा)	1,295	851	10,318	6,780	271	183	88	35	12,731	11
2	पन्हार (ख-1, हिलसा)	2,021	955	18,713	12,477	535	239	296	52	9,720	29
3	सफा (ख-1, पूर्णिया)	740	454	7,944	4,804	227	132	95	34	14,758	14
4	मटकोपा (ख-1, पूर्णिया)	1,644	602	14,315	5,242	400	142	258	45	11,250	29
5	छोखा (ख-1, पूर्णिया)	2,055	695	17,574	5,944	454	160	294	46	10,132	30
6	काझी हृदयनगर (ख-1, पूर्णिया)	1,359	298	13,713	3,007	375	81	294	46	10,132	36
7	बिठनौली (ख-1, पूर्णिया)	1,190	520	10,224	4,468	271	121	150	38	14,022	21
8	चर्डी (ख-1, पूर्णिया)	2,017	825	24,129	9,869	655	266	389	55	8,397	33
9	फकुली (ख-1, सारण)	1,232	659	15,147	8,102	454	219	235	47	1,035	24
10	पाटजिरवा (ख-1, परिचम चंपारण)	4,481	1,863	47,533	19,762	1,000	534	466	125	12,500	58
11	जगदीशपुर (ख-1, परिचम चंपारण)	1,624	905	9,991	5,568	341	150	191	38	11,001	21
12	परना (ख-1, बेगूसराय)	1,903	1,139	12,083	7,232	340	195	145	33	9,675	14

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुसालन लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	एसवीएस का नाम (प्रमंडल का नाम)	परिवारों की संख्या	आंतिम वर्ष की जनसंख्या	ईएसआर की क्षमता (किलोलीटर में)	समझौते में ईएसआर की लागत (₹ लाख में)	समझौते के अनुसार पर्याप्ति की लागत (₹ लाख में)
	दीपीआर के अनुसार	वास्तविक कार्य के अनुसार	दीपीआर का स्तरिक्त कार्य के अनुसार ⁶	वास्तविक कार्य के अनुसार	अंतर	प्रति किलोलीटर ईएसआर की लागत
13	रतन (ख-1, बेगूसराय)	784	350	7,786	3,476	210
14	अमरी (ख-1, बेगूसराय)	2,687	2,126	28,833	22,813	710
15	हसनपुर (ख-1, बेगूसराय)	1,535	961	14,325	8,968	410
	कुल				6,653	3,374
					3,279	720
						357

(स्रोत: पीएचईडी, बिहार)

⁶ ईएसआर की क्षमता की गणना, संबंधित कार्यों में, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईआई) मैनुअल के अनुसार की गई थी।

परिशिष्ट-6.9

(संदर्भ: कंडिका 6.9.7 (iii))

डीपीआर की तुलना में समझौतों में ईएसआर और आईआरपी का अधिक प्रावधान

योजना का नाम (एसबीडी संख्या / वर्ष) (1)	योजना में शामिल वस्तियों का नाम (2)	कार्य का विवरण (3)	डीपीआर के अनुसार वस्तु की कुल समता (4)	समझौते के अनुसार वस्तु की क्षमता और लागत (5)	राशि (₹ लाख में) (6)	प्रति यूनिट दर (₹ में) (7)	मात्रा (8)=(5)-(4) (9)=(7)*(8)	राशि (₹ लाख में) (9)	डीपीआर की तुलना में समझौते में अधिक प्रावधान
कोयेली सिम्परा (1/2019-20)	नंदगोला, भागवा टोला, डुमरी	ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	470 166	681 315	81.00 78.00	11,894 24,762	211 केएल 149 केएलपीएच	25.10 36.90	
चंडी (2/2019-20)	चंडी वाडी, रानीपतरा, चंडी कटुआ	ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	480 201	681 315	77.45 100.40	11,373 31,872	201 केएल 114 केएलपीएच	22.86 36.33	
गढ़ी (3/2019-20)	जियांगज, लाहसुना, यादव टोला	ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	430 204	681 315	77.74 92.14	11,416 29,250	251 केएल 111 केएलपीएच	28.65 32.47	
योग्या उत्तर (5/2019-20)	पिरपंती और बंसर	ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	330 156	454 210	57.27 54.59	12,614 25,995	124 केएल 54 केएलपीएच	15.64 14.04	
सिंधिया (5/2019-20)	मंडल टोला, जोजो टोला, प्रेम नगर	ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	280 118	454 210	68.00 54.59	14,978 25,995	174 केएल 92 केएलपीएच	26.06 23.92	
सकल योग		ईएसआर (केएल में) आईआरपी (केएलपीएच में)	1,990 845	2,951 1,365	361.46 379.71	961 केएल 520 केएलपीएच	118.31 143.65		

(चोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-6.10

(संदर्भ: कांडिका 6.9.8)

ओंडएम लागत का अनियमित भुगतान (दिसंबर 2022 तक)

ओंडएम की लागत (₹ लाख में)						
क्र.सं.	प्रमंडल	क्र.सं.	योजना	समझौता संख्या	समझौता करने की तारीख	ओंडएम की लागत
1	बिहारशरीफ	1	करियाना, एसवीएस	एसबीडी -05/16-17	13.08.2016	12.32
		2	एकमारी एकल गाँवपाईप जल योजना	एसबीडी -13/18-19	21.02.2019	10.94
		3	सिलो, एसवीएस	एसबीडी 01/2014-15	20.08.2014	87.33
2	नवादा	1	भद्रोखरा, एसवीएस	एसबीडी 2/2016-17	02.06.2016	41.41
		2	गोनी, एसवीएस	एसबीडी 09/2019-20	09.03.2019	5.39
		3	हारिनारायणपुर, एसवीएस	एसबीडी -10/2018-19	09.03.2019	5.2
3	बांका	1	जयधुक, एसवीएस	एसबीडी -01/17-18	13.10.17	16.91
		1	दौसी, एसवीएस	एसबीडी -08/17-18	02.02.2017	1.94
		1	ओणी, एसवीएस	एसबीडी 11/डब्ल्यूबी/16-17	04.10.2016	7.03
4	पटना पश्चिम	2	धार्घाय, एसवीएस	एसबीडी 02/डब्ल्यूबी/16-17	28.11.2016	3.42
		3	झारखण्डपुर, एसवीएस	एसबीडी 12/डब्ल्यूबी/18-19	25.05.2019	5.26
		4	सारथा, एसवीएस	एसबीडी 01/डब्ल्यूबी/16-17	28.11.2016	15.51
		5	पनहार, एसवीएस	एसबीडी 06/डब्ल्यूबी/16-17	20.08.2016	24.06
		6	छपरा, सारण	एसबीडी 10/डब्ल्यूबी/2016-17	20.09.2016	26.03
7	बेतिया	2	मोबराकपुर, एसवीएस	एसबीडी 09/डब्ल्यूबी/16-17	31.08.2016	42.67
		3	एलोनी, एसवीएस	एसबीडी 11/डब्ल्यूबी/19-20	02.08.2019	6.42
		4	सेखानी, एसवीएस	एसबीडी 13/डब्ल्यूबी/16-17	10.12.2016	15.03
8	पूर्णिया	1	पटजीरया, एसवीएस	एसबीडी 14/डब्ल्यूबी/16-17	27.01.2017	9.47
		2	घोषा धाट, एसवीएस	एसबीडी -01/14-15	06.08.2014	162.00
		1	चंडी, एसवीएस	एसबीडी 06/डब्ल्यूबी/16-17	07.03.2017	4.30
9	बेगूसराय	2	सिंधिया, एसवीएस	एसबीडी 07/डब्ल्यूबी/16-17	28.03.2017	13.03
		3	सपाहे कोयाली	एसबीडी 5/2016-17	25.02.2017	15.46
		4	काङी हवदयनगर	एसबीडी -03/16-17(डब्ल्यूबी)	15.11.2016	11.27
		1	चौरिया बारियारपुर एसवीएस	एसबीडी -03/2014-15	18.07.2014	241.49
10	पटना पूर्व	2	हसनपुर	एसबीडी 02/2017-18	11.09.2017	17.56
		1	जैतिया	एसबीडी 07/डब्ल्यूबी/2016-17	31.12.2016	13.55
		2	चौरा	एसबीडी -06/06/16-17	31.12.2016	10.16
		3	अजगारा	एसबीडी -03/2016-17	29.11.2016	4.22
						829.38

(ज्ञोत: पीएचईडी)

परिशिष्ट-6.11

(संदर्भ: कांडिका 6.9.8)

आौंडेम लागत के भुगतान में अंतर (दिसंबर 2022 तक)

प्रमंडल	योजना का नाम (अनुबंध संख्या)	ओंडेम (आरडब्ल्यू) की दर (₹ प्रति घनमीटर)	डीपोआर के अनुसार घरेलू कनेक्शन (एचसी)	एमबी के अनुसार प्रतान कि आवादी, एलपीसीडी / 1000)	प्रारम्भिक वर्ष की आवादी, एलपीसीडी / 1000)	प्रतिदिन पानी की मात्रा (70 मी ³)	वार्षिक जल की मात्रा (वीबी) (सीयूएम) (7x365)	एमबी के अनुसार पानी की मात्रा (कर्नल 3x10) (₹ लाख में))	एमबीएस के अनुसार ओंडेम का भुगतान (घनमीटर में)	एमबीएस के अनुसार ओंडेम का भुगतान (कर्नल 3x10) (₹ लाख में))	निर्धारित धरेलू कनेक्शन के आधार पर आवादी के लिए पानी की मात्रा के अनुसार ओंडेम का स्वीकार्य भुगतान	12
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
हिलसा	सारथा बी-1 (एसबीडी -1/16-17)	3.90	1,295	851	4,517	316	1,15,409	2,27,241	7.76	4.50	3.26	
हिलसा	पंडार बी-1 (एसबीडी -6/16-17)	1.70	2,021	955	5,896	413	1,50,643	3,22,239	5.48	2.56	2.92	
पूर्णिया	सफा बी-1 (एसबीडी -5/16-17)	6.00	740	454	2,947	206	75,296	78,316	4.70	4.52	0.18	
पूर्णिया	मटकोपा बी-1 (एसबीडी -2/16-17)	4.00	1,644	602	3,342	234	85,388	2,42,496	9.70	3.42	6.28	
पूर्णिया	काझी हृदयानगर बी-1 (3/16-17)	3.50	1,359	298	3,007	210	76,829	2,09,112	7.32	2.69	4.63	
पूर्णिया	चड़ी बी-1 (6/16-17)	4.00	2,017	825	6,215	435	1,58,793	3,42,222	13.69	6.35	7.34	
सारण	कवानी बी-1 (एसबीडी -4/18-19)	4.99	604	600	3,001	210	76,676	93,598	4.67	3.83	0.84	
सारण	फुकुली बी-1 (06/16- 17)	3.49	1,232	659	5,375	376	1,37,331	2,55,569	8.92	4.79	4.13	
बेगूसराय	पतला-बी-II (6/19- 20)	16.58	1,079	720	3,757	263	95,991	1,43,950	23.87	15.92	7.95	
	कुल		11,995	5,969	38,063		9,72,356	19,14,743	86.11	48.58	37.53	

(चोत: पीएचईडी, बिहार सरकार)

मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्यादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

परिशिष्ट-7.1

(संदर्भ: कांडिका 7.5)

ब्याज का अधिक भुगतान

(राशि रु करोड़ में)

पहली किस्त	अवधि	दिनों की संख्या	10 प्रतिशत की दर से ब्याज दर	ब्याज का भुगतान +1.5% (8.15% +1.5%)	एसडीएल (बाजार दर) ब्याज दर +1.5% (8.15% +1.5%)	भुगतान किया जाने वाला ब्याज (एसडीएल +1.5%)	अधिक ब्याज का भुगतान
	से तक						
500.00	28-03-2018	30-09-2018	187	10	25.62	9.65	24.72
500.00	01-10-2018	31-03-2019	182	10	24.93	9.65	24.06
500.00	01-04-2019	30-09-2019	183	10	25.07	9.65	24.19
500.00	01-10-2019	31-03-2020	183	10	25.07	9.65	24.19
500.00	01-04-2020	30-09-2020	183	10	25.07	9.65	24.19
500.00	01-10-2020	30-03-2021	181	10	24.79	9.65	23.93
454.17	31-03-2021	31-03-2021	1	10	0.12	9.65	0.12
				150.67	145.40	5.27	

नोट: 31.03.2021 के लिए मूल राशि = ₹500.00 करोड़-₹45.83 करोड़ = ₹454.17 करोड़ चूंकि 31.03.2021 को मूलधन के पुनर्भुगतान के कारण नियम और शर्तों के अनुसार मूल राशि से ₹45.83 करोड़ की कटौती की गई थी।

दूसरी किस्त	अवधि	दिनों की संख्या	ब्याज दर @ 8.75 प्रतिशत	ब्याज का भुगतान	एसडीएल (बाजार दर) ब्याज दर +1.5% (8.27% +1.5%)	भुगतान किया जाने वाला ब्याज (एसडीएल +1.5 %)	अतिरिक्त ब्याज का भुगतान
	से	तक					
1,000.00	06-02-2019	31-03-2019	54	10	1.48	9.77	1.45
1,000.00	01-04-2019	30-09-2019	183	10	5.01	9.77	4.90
1,000.00	01-10-2019	31-03-2020	183	10	5.01	9.77	4.90
1,000.00	01-04-2020	30-09-2020	183	10	5.01	9.77	4.90
1,000.00	01-10-2020	31-03-2021	182	10	4.99	9.77	4.87
					21.51		21.01
तीसरी किस्त	अवधि	दिनों की संख्या	ब्याज दर @ 10 प्रतिशत	ब्याज का भुगतान	एसडीएल (बाजार दर) ब्याज दर +1.5% से 8.57% (7.17% +1.5%) तक सीमित	भुगतान किया जाने वाला ब्याज (एसडीएल +1.5 %)	अतिरिक्त ब्याज का भुगतान
	From	To					
500.00	17-10-2019	31-03-2020	167	8.75	20.02	8.57	19.61
500.00	01-04-2020	30-09-2020	183	8.75	21.93	8.57	21.48
500.00	01-10-2020	31-03-2021	182	8.75	21.82	8.57	21.37
					63.77		62.46
						कुल योग	7.08

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/bih/hi>

